खण्ड-416, अंक-10
बुधवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1917
(2 अगस्त, 1995 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1995)

खण्ड 416 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास ..... (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1–98
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	98
बाराबंकी में तिवारीपुर शारदा सहायक नहर में अनियमित जलापूर्ति व सफाई न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98–99
शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
प्रदेश के आवास विहीन लोगों की सामूहिक बस्तियां कृषि अयोग्य भूमि पर बसा कर व्यवस्थित करने एवं रोजगार सुलभ करवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99–100
जनपद हमीरपुर एवं सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा केवल कागजों में विद्युतीकरण करने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
इलाहाबाद के ग्राम सभा मल्हीपुर में आगजनी से पीड़ित ग्रामवासियों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100–101
जनपद आगरा के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में 301 के अन्तर्गत सूचना ...	101
लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवनों के निर्माण में गलत सुपरवीजन से करोड़ों रुपये की हानि के संबंध में नियम 301 के संबंध में सूचना	102
विधान भवन के बाहर मुख्य द्वार पर सोडियम लाइट एवं हैलोजन लाइट को ठीक कराने की मांग	102–103
जनपद भदोही के औराई थाने में एक विधायक के विरुद्ध प्रायमिकी (एफ० आई० आर०) दर्ज कराये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ...	103–113
विधान सभा द्वारा पारित आय-व्ययक की धनराशि को पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	113–114
नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को उठाने का प्रयास	114

विषय	पृष्ठ संख्या
स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित किये जाने की सूचना मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिये जाने के बावजूद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उसका पालन न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	115–116
संविधान के प्राविधानों और नियमों के विपरीत तथा उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद मा० मुलायम सिंह यादव की सरकार के एक मंत्री के रिश्तेदार को चार नये जिलों के डिवाइनिंग का कार्य सौंपे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	116–117
न्यायालयों के निर्णयों का शासन और प्रशासन द्वारा अवहेलना किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	117–118
शासन की स्थानान्तरण नीति से विधायकों की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने विषयक औचित्य का प्रश्न	118–120
उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा विज्ञापन के आधार पर जनता का धन हड़पे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	120–123
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	124–140
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग (जारी)	140–158
बजट चर्चा पर समय बढ़ाने की मांग	158
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–9 ऊर्जा विभाग ...(स्वीकृत) ..	159–193
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–44 पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)	164–173
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग ...(स्वीकृत) ..	174–178
वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)... (स्वीकृत)	178–194
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	194–196
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 (पारित) ...	196–224
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	224–225
नत्थियां	226–246

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बारहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखलाख, श्री	मेरठ	ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	करन सिंह, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
		किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली गढ़वाल
अनिल कुमार, श्री	सीतापुर	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	गजाधर सिंह, श्री	रायबरेली
अमर सिंह, श्री	अलीगढ़	गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद	जगराम सिंह,	कानपुर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	जदुरानी, श्रीमती	हरदोई
अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री	उन्नाव	जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
अशोक बाजपेई, श्री	हरदोई	जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री	इलाहाबाद
आर० के० चौधरी, श्री	इलाहाबाद	जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा		
इश्तियाक अहमद, श्री	बाराबंकी	जुगेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
उमाशंकर यादव, श्री	जौनपुर	ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	तेजपाल सिंह, श्री	बिजनौर
ऊषा यादव, श्रीमती	एटा	तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
ओम प्रकाश, श्री	गोरखपुर	दरोगा प्रसाद सरोज, श्री	आजमगढ़

दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ चौधरी, श्री	बलिया
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
धनीराम वर्मा, श्री	इटावा
धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	खीरी
नन्द लाल, श्री	सुल्तानपुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री	खीरी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
परमानेन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
परशुराम यादव, श्री	फैजाबाद
पारस नाथ यादव, श्री	जौनपुर
पुत्तू सिंह यादव, श्री	शाहजहांपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	देवरिया
प्रताप सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
प्रभा रावत, श्रीमती	गोरखपुर
बनवारी सिंह, श्री	बदायूं
बरकत अली खां, श्री	सुल्तानपुर
बरफिया लाल जुवांठा, श्री	उत्तरकाशी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू खां, श्री	हरदोई
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बाबू राम वर्मा, श्री	बस्ती
बेनी प्रसाद, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	कानपुर देहात
मंजूर अहमद, श्री	बरेली
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भइया, श्री	मेरठ
मनोरमा, श्रीमती	कानपुर देहात
मसूद अहमद, डा०	फैजाबाद
महबूब अली, श्री	मुरादाबाद
महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महिपाल सिंह यादव, श्री	बरेली
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मित्रसेन यादव, श्री	फैजाबाद
मीर अफजल अली उर्फ अच्छे मियां, श्री	बदायूं
मुक्ति नाथ, श्री	देवरिया
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मुलायम सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद अरशद खान, श्री	जौनपुर
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहसिन, डा०	गोरखपुर
यश पाल चौ[illegible] श्री	खीरी
रघुवीर सिंह, श्री	एटा
रतन पाल पंवार, श्री	मुजफ्फरनगर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र चंचल, श्री	फिरोजाबाद
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज बहादुर, श्री	गाजीपुर
राजेन्द्र प्रसाद, श्री	लखनऊ
राजेश यादव, श्री	बदायूं
राधेश्याम, श्री	बाराबंकी
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम अधार यादव, श्री	महराजगंज
राम करन आर्य, श्री	बस्ती

राम तेज, श्री	बहराइच
राम दर्शन यादव, श्री	आजमगढ़
राम दास पाल, श्री	कानपुर देहात
राम देव पटेल, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नरेश यादव, श्री	रायबरेली
राम प्रसाद, श्री	बस्ती
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम लखन यादव, श्री	प्रतापगढ़
राम वीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रामेश्वर दयाल, श्री	मैनपुरी
रिजवान जहीर खां उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लाल बहादुर सिंह, श्री	प्रतापगढ़
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
वीर अभिमन्यू सिंह, श्री	फतेहपुर
वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री	पीलीभीत
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शराफत यार खां, श्री	बरेली
शाकिर, श्री	देवरिया
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव प्रताप यादव, डा०	गोण्डा
शिव सागर लाल डा०	उन्नाव
श्याम किशोर यादव, श्री	लखनऊ
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संग्राम सिंह यादव, श्री	बलिया
सतीश कुमार, श्री	बिजनौर
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
संत बख्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
समीर भाटी, श्री	गाजियाबाद
सर्वराज सिंह, कुंवर	बरेली
सावित्री देवी, श्रीमती	जौनपुर
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सुखदेवी, श्रीमती	इटावा
सुन्दर पाल सिंह, श्री	सीतापुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेश पासी, श्री	प्रतापगढ़
स्वामी नाथ, श्री	देवरिया
हरदेव सिंह, श्री	बाराबंकी
हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
हरीश कुमार गंगवार, श्री	बरेली
हरेन्द्र सिंह ज्ञानी	रामपुर
हाजी मोहम्मद हयात, श्री	मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 1995

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री बी० आर० वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

नियम 311 की सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही)

श्री जगदम्बिका पाल–

मैंने नियम 311 में विधायकों के.....

श्री अध्यक्ष–

वह तो नियम 300 में दिया है। "व्यवधान" माननीय सदस्यों का यह प्रश्न प्रहर है, पहले यह होने दें, उसके बाद ही यह कुछ हो सकता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

पूर्वांचल विकास निधि के संबंध में.....(व्यवधान)

(घोर व्यवधान) (कांग्रेस और भाजपा के सदस्य एक दूसरे की ओर इशारा करके जोर-जोर से बोलते रहे, जो सुना नहीं जा सका।)

श्री अध्यक्ष–

इस सदन में जो स्थिति है, उसको देखते हुए मैं आपकी भावना से पूर्ण अवगत हो गया हूं। प्रश्न प्रहर पर आपका ही अधिकार है, वह हो जाने दें, उसके बाद जिस संगत नियम में दिया है, उसमें ले लूंगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गरीब सवर्णों एवं अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण देने की मांग

**1–श्री श्याम देवर राय चौधरी, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री जगदम्बिका पाल–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गरीब सवर्णों एवं अल्प संख्यकों को सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण देने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री चैनसुख भारती)–

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पचास प्रतिशत आरक्षण (21 प्रतिशत अनुसूचित जाति + 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति + 27 प्रतिशत पिछड़े वर्ग) प्रदान किया गया है। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत सवर्णों एवं अल्पसंख्यकों को और आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सवर्ण हैं और जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, साधन सम्पन्न नहीं हैं, विपन्न हैं, ऐसे सारे लोगों को कुछ मात्रा में आरक्षण देकर उनका जीवन स्तर उठाने हेतु सरकार क्या कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो स्पष्ट आ गया है कि यह सम्भव नहीं हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अपने भारतवर्ष के किसी प्रदेश में गरीब सवर्ण को अलग से आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है ?

यदि कहीं इसी प्रकार के गरीब सवर्णों को अलग से आरक्षण दिया जा रहा है तो क्या उसी तर्ज पर आवश्यक कार्यवाही करके अपने राज्य में भी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यदि यह सूचना उपलब्ध हो तो बता दें ?

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, हमको भी उन गरीब सवर्ण बन्धुओं के साथ हमदर्दी है और इसीलिये 2-4-94 को भारत सरकार को संविधान संशोधन हेतु प्रस्ताव भेजा गया है । अन्य प्रदेशों के सम्बन्ध में इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है । इसको दिखवा लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सवाल नहीं पूछना चाहता हूं । मेरा एक निवेदन है कि जब हम समाजिक एकता की बात करते हैं तो सवर्ण और अवर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । यह समाज के लिये कलंक है इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द का प्रयोग किया जाय ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जवाब तो दे दिया गया कि 50 प्रतिशत का आरक्षण है इसलिये अल्प संख्यक और गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाना सम्भव नहीं है । मान्यवर, हर दल ने अपनी नीति को एक हिस्सा बनाया है कि गरीब सवर्ण । मान्यवर, मैं यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि छपा हुआ है । तो जो उच्च जातियों का गरीब तबका है, उनको आरक्षण दिये जाने का हर दल ने अपनी नीति का हिस्सा बनाया है । अभी कुछ दिन पहले माननीया मुख्य मंत्री जी ने भी इन गरीब लोगों के प्रति हमदर्दी के आंसू बहाये और अल्प संख्यकों को आरक्षण देने की बात की घोषणा भी की ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी, भाषण नहीं देना है, अनुपूरक सवाल करें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं सवाल ही बना रहा हूं । आप सुन तो लें । सदन के बाहर अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की घोषणा करना ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी आप भाषण न दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं तो प्रश्न ही कर रहा हूं । जो गरीब तबका है उच्च जातियों का उनके प्रति हमदर्दी के नाते आरक्षण की व्यवस्था करेंगे । क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस प्रदेश से बाहर दूसरे प्रदेशों में 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण की व्यवस्था की है उनमें कर्नाटक और तमिलनाडु की मिसाल है ? इन दोनों प्रदेशों से जानकारी करके उत्तर प्रदेश में भी अल्पसंख्यकों और उच्च जाति के गरीब तबके के लोगों के लिये आरक्षण को सुनिश्चित कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ चुका है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है । मेरा स्पष्ट सवाल है कि इन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत के नाते सम्भव नहीं । मैंने यह कहा है कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने 50 प्रतिशत से ऊपर का आरक्षण अपने प्रदेश में लागू किया है, क्या उनसे जानकारी करके इस प्रदेश में भी अलग से अल्पसंख्यकों और उच्च जाति के निर्धन लोगों के लिये आरक्षण के बारे में विचार करेंगे ?

श्री चैन सुख भारती–

मान्यवर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमको भी जो सवर्ण समाज में गरीब लोग हैं, उनसे हमदर्दी है लेकिन मण्डल कमीशन द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार दिनांक 16-11-92 के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण को धार्मिक और आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया । मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में आप देखने की कृपा करें मान्यवर, इन्होंने कहा है कि 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति....

श्री अध्यक्ष–

जो कहा है उसके आगे पूछें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का सबंध नहीं है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संवैधानिक व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखने पर विचार करेगी ? अगर करेगी तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे जो उनको गरीबों के प्रति सहानुभूति है उसमें इमदाद करें जो संवैधानिक कठिनाई हैं उसमें उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार को लिखने पर क्या कार्यवाही कर रही है ? दूसरी बात पूछना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों के आरक्षण के संबंध में 50 फीसदी के बाद संविधान में संशोधन की बात है अन्य राज्यों में 70–75 या 80 प्रतिशत है यह संविधान में संशोधन अल्पसंख्यकों, सवर्णों के लिए, इस प्रदेश की सरकार जो गरीबों और दलितों शोषितों का दम भरने वाली है हर वर्ग के लिए कौन-कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है । यह सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं मैं जानना चाहता हूं कोई भी सरकार ने या इस सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है यदि की है तो उसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न का जवाब मंत्री जी दे चुके हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

क्या संशोधन के लिए केन्द्र सरकार को लिखा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

कहा तो गया है कि लिख चुके हैं दूसरा आप जानते हैं कि संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक शब्द लिखा है वहां आर्थिक और रिलीजियस नहीं लिखा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, केन्द्र में लोकसभा है उसमें आर्थिक जोड़ने में वह सक्षम है माननीय मंत्री जी केन्द्र को लिखें । माननीय मंत्री जी ने केन्द्र सरकार को लिखा है या नहीं यह स्पष्ट आश्वासन आ जाए क्योंकि संकल्प पारित करेंगे अगर नहीं करेंगे तो स्पष्ट बता दें यह जवाब नहीं दे रहे हैं टाल रहे हैं ।

श्री चैनसुख भारती–

आपने कहा कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं आप चालीस वर्ष शासन में रहे हैं मैं आंसू नहीं बहा रहा हूं कह रहा हूं..

(व्यवधान)

मुझे पूरी सहानुभूति है 2-4-94 को भारत सरकार को संशोधन के लिए भेजा गया है इसको फिर भिजवा देंगे ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाना संभव नहीं है। मान्यवर, जो आरक्षण नीति है दलित शोषित वर्गों के उन्नयन के लिए है, सवर्णों में भी गरीब लोग हैं उसकी संस्तुति केन्द्र सरकार से की है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखेगी ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी उत्तर दे चुके हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

गरीब, दलित, शोषितों का उन्नयन, तो गरीब तबके के लोग सवर्णों में भी है तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को संस्तुति करेगी ? दूसरी बात मान्यवर, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़ी जाति के अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों उनको एक बार आरक्षण प्राप्त हो जाने के बाद उनका स्तर उठ जाता है। लेकिन प्रोन्नतियों में आरक्षण देकर जो सवर्ण अधिकारी हैं, उनके साथ भेद-भाव नहीं होता है।

श्री प्रमोद तिवारी–

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय होने के बावजूद कर्नाटक व तमिलनाडु में 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन संविधान में तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने का प्राविधान है।

श्री प्रमोद तिवारी–

इसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह चाहे तो केन्द्र सरकार से अनुरोध कर सकती हैं विधान सभा के संकल्प के द्वारा केन्द्र उस संकल्प को स्वीकार करे अथवा न करे। यह फैसला भारत की संसद में होना है।

श्री अध्यक्ष–

अनुच्छेद 15 (4) या अनुच्छेद 16 (4) में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का प्राविधान है।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूकि सरकार ने इस तरह की इच्छा जाहिर की और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है तो क्या आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण करने के लिए संकल्प इस सदन में सरकार लाएगी, अथवा नहीं ? जिससे केन्द्र सरकार उस पर विचार कर सके।

श्री चैनसुख भारती–

हमारे यहां जो सवर्ण बन्धु हैं उनको सामाजिक तौर पर कोई परेशानी नहीं है । अगर कहीं होगी तो हम उसमें सुधार करवाएंगे । भारत सरकार को पहले ही 2-4-1994 को लिखा जा चुका है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मैं संकल्प की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

श्री तिवारी जी की यह जिज्ञासा है कि संविधान में व्यवस्था नहीं है फिर भी धार्मिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर ऊंची जातियों को आरक्षण देने के संबंध में कोई संकल्प सरकार लाएगी ।

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, इस तरह का संकल्प लाने का कोई विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, तिवारी जी ने संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख किया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अनुच्छेद 15 (4) में जो व्यवस्था है "इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी ।" मान्यवर, गरीबी सामाजिक दृष्टि से पिछड़े पन का सबसे बड़ा कारण है । सामाजिकता को ध्यान में रखकर माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपने प्रश्न को दूसरे तरीके से रखा । अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण है इसके अलावा जो अन्य जातियां रह गयी हैं चाहे उनको किसी नाम से पुकारे उसमें निर्धारित सीमा के नीचे रहने वाले गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार विचार करेगी और इससे संबंधित सदन का कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी ? चूंकि सामाजिक विषमता का सबसे बड़ा कारण गरीबी है इसलिये अन्य जातियों को भी आरक्षण देने के बारे में सरकार संकल्प लाने पर विचार करेगी ?

मान्यवर, यह सरकार नहीं चाहती है कि वह ऐसा संकल्प लाये तो यदि प्रतिपक्ष के हम लोग ऐसा संकल्प लायें तो क्या सरकार उस पर अपना समर्थन देगी, यह मैं जानना चाहता हूं ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, संविधान के जिस अनुच्छेद का उल्लेख माननीय गुप्त जी ने किया उसमें सामाजिक और शैक्षिक शब्दों का प्रयोग संविधान निर्माताओं ने किया है । सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब जहां तक मैं समझता हूं और सरकार समझती है समाज में जातियों के आधार पर जो विभेद है वही सामाजिक पिछड़ापन है । जिस गरीबी का उल्लेख माननीय गुप्त जी ने किया उस गरीबी का आधार पैसा होता है यदि कोई व्यक्ति आज गरीब है तो पैसे के आधार पर कल वह अमीर भी हो सकता है । आर्थिक दृष्टि से बड़ा और आर्थिक दृष्टि से छोटा हो सकता है लेकिन जातीय आधार पर आज यदि कोई छोटा है तो कल वह बड़ा कदापि नहीं हो सकता है । जाति के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कल कोई बड़ा

नहीं हो सकता इसीलिये संविधान निर्माताओं ने सामाजिक और शैक्षिक शब्दों का प्रयोग किया था। जिन वर्गों की बात तिवारी जी और गुप्त जी कर रहे हैं उन पर सामाजिक पिछड़ेपन का कोई प्रश्न लागू नहीं होता है। इसलिये सरकार इस आदरणीय सदन में कोई संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं समझती है। केन्द्र सरकार को इस संबंध में पहले ही लिखा जा चुका है।

(अनेक कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित प्रश्नों के लिये 20 मिनट का समय होता है। केवल एक प्रश्न पर ही 25 मिनट हो गये हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर 20 मिनट से ज्यादा हो गया है, अब और आगे नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार कहती है और करती नहीं है, यह सरकार अगर गरीब लोगों के लिये संकल्प नहीं लायेगी, इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करता है।

(श्री प्रमोद तिवारी कांग्रेस दल के माननीय सदस्य सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मेरा अनुरोध है कि पत्र लिखा गया है, कांग्रेस के सदस्य अपना प्रभाव डालकर केन्द्र सरकार से शीघ्र कार्यवाही करवा दें, जिससे सुविधा हो।

राज्य विद्युत परिषद् की गुणवत्ता वृद्धि आदि के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट एवं उसका क्रियान्वयन

**2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की गुणवत्ता वृद्धि आदि के बारे में हाल में ही विश्व बैंक के सलाहकार पटनम हेज ऐंड वर्टलेट कम्पनी द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई ? यदि हां, तो कम्पनी द्वारा दी गयी अनुशंसा क्या है ? क्या इस अनुशंसा के अधीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को दो टुकड़ों में बांटने अर्थात एक निगम को उत्पादन एवं पारेषण का कार्य तथा दूसरे को वितरण का कार्य दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि हां, तो निर्णय कब लिया गया ?

पंचायती राज एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जी हां। मै० पटनम हेज एवं वार्टलेट कम्पनी की रिपोर्ट में मुख्य अनुशंसा यह है कि राज्य विद्युत परिषद् को प्रथम चरण में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण निगमों में बांटा जाय। इसके पश्चात् इन निगमों को समानान्तर कई भागों में बांटा जाय। अन्ततः इनको निजी क्षेत्र में दिये जाने का सुझाव है। इसके साथ-साथ टैरिफ के दरों का निर्धारिण एवं विभिन्न लाइसेंस देने आदि हेतु एक स्वतंत्र रेगुलेटरी बाडी का

सृजन किये जाने का भी सुझाव दिया गया है । यह भी सुझाव दिया गया है कि टैरिफ के निर्धारण का मुख्य आधार "मार्जिनल कास्ट सिद्धान्त" होना चाहिये ।

विद्युत परिषद् को विभाजन करने का अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस कम्पनी का नाम लिया गया है, उसने कुछ अनुशंसायें की हैं, तो उन पर शासन की नीति क्या है, क्या उनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और यदि हां तो किन-किन कदमों को सरकार उठायेगी, सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, सरकार इस निश्चय पर तो पहुंच चुकी है कि विद्युत परिषद् का ढांचा इस योग्य नहीं है कि जितनी विद्युत ऊर्जा प्रदेश के किसानों को और उपभोक्ताओं को उपलब्ध होनी चाहिये, वह उपलब्ध कर सके । विद्युत परिषद् का जो ढांचा है वह बहुत बड़ा है और इस ढांचे के पुनर्गठन की आवश्यकता है, इस नीति पर सरकार पहुंच चुकी है । जिस कम्पनी का उल्लेख किया गया है, उसके निर्णयों के बारे में अभी कोई अंतिम राय नहीं बनायी गयी है, लेकिन वर्तमान ढांचा उपयोगी नहीं है और उसके पुनर्गठन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उस कम्पनी की रिपोर्ट मिल गयी है और विद्युत परिषद् जैसे बड़े संस्थान से अपेक्षित आशायें पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन कमेटी के निर्णय पर विचार नहीं किया गया, उस पर बहुत रुपया खर्च किया गया है और तब रिपोर्ट आयी है और जो विज्ञापन प्रकाशित हो रहे हैं, कि बिजली बोर्ड को बेचा जा रहा है, तो क्या सरकार बतायेगी कि क्या उसको बेचा जा रहा है, क्या कोई अंतिम निर्णय ले लिया गया है और यदि ले लिया गया है तो बेचने की प्रक्रिया क्या होगी ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, पूर्ववर्ती सरकार ने मै० पटनम हेज एवं वार्टलेट कम्पनी से रिपोर्ट मांगी थी, तो जो रिपोर्ट आयी है वह पूरी नहीं आयी है । विद्युत परिषद् के ढांचे को देखते हुये यह निर्णय लिया गया था कि धीरे-धीरे कार्यवाही शुरू की जाये और जब अंतिम रिपोर्ट आ जाये तो उस पर विचार कर लिया जायेगा, लेकिन जब मायावती जी की सरकार आयी, तो पुरानी सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर विचार किया गया और नयी सरकार ने निर्णय लिया है कि आखिरी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इसके अध्ययन के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर रही है और पूरे प्रकरण पर नयी सरकार विचार करेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह पटनम हेज एवं वार्टलेट कम्पनी जिसको यह काम सौंपा गया था, ने अपनी रिपोर्ट देने में विद्युत बोर्ड का कितना पैसा खर्च किया और दूसरा, क्या उस रिपोर्ट में उन्होंने यह भी माना है कि विद्युत बोर्ड जो विद्युत उत्पादित कर रहा है उसके पैदा करने की दरें जो राज्य सरकार विद्युत दे रही है जनता को उसमें अन्तर होने के

कारण विद्युत की दरें बढ़ाई जायं तो क्या सरकार उसको स्वीकार करेगी और तीसरा, क्या विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने इस रिपोर्ट के विरोध में कोई ज्ञापन दिया और हड़ताल की धमकी दी है यदि हां, तो उस रिपोर्ट में कौन-कौन सी कमियों को उजागर किया गया और उस पर सरकर क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

पहला प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, 60 लाख रुपया विद्युत बोर्ड का इसमें खर्च हो गया है आप मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसके अध्ययन पर 2 मिलियन डालर का समझौता हुआ था । यह बड़ी प्रतिष्ठित कम्पनी है जिसने उड़ीसा ने भी अपने विद्युत बोर्ड के अध्ययन करने का काम लिया है इसलिए इस कम्पनी पर शंका नहीं की जा सकती है । इस पर रुपया खर्च हुआ है इसका अनुबन्ध 2 मिलियन डालर का हुआ था इसके अध्ययन पर । मान्यवर, माननीय अग्रवाल जी ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि क्या कम्पनी ने यह भी सिफारिश की है कि जितनी उत्पादन लागत आती है उसकी तुलना में हम बिजली कम दर पर बेचते हैं और उससे घाटा होता है और क्या कम्पनी ने सिफारिश की है कि बिजली की दरें और बढ़ाई जायं ? मान्यवर, उसने यह सिफारिश किया है कि बिजली बोर्ड को व्यापारिक तरीके से चलाये जाने से ही लाभ होगा अन्यथा घाटा होगा । उसकी सिफारिश पुनर्गठन की है जैसे मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है, पारेषण का, उत्पादन का और वितरण का तीनों निगमों को बांटकर छोटे-छोटे निगम बनाये जाये इसलिये इसको एक उच्चस्तरीय समिति इस कम्पनी की रिपोर्ट का विस्तृत और गहन अध्ययन कर रही है और उसके अध्ययन के बाद सरकार कोई निर्णय लेगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, कर्मचारियों ने जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में तो बता दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कर्मचारियों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विश्व बैंक द्वारा पोषित जो अध्ययन दलों की संस्तुति इनके पास आई है विद्युत परिषद् के पुनर्गठन के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन संस्तुतियों में प्राइवेट नलकूपों का जो आज 50 रुपया प्रति हार्सपावर है उसको प्रथम चरण में 94-95 में 90 रुपया और वर्ष 97 तक 300 रुपया प्रति हार्सपावर करने की संस्तुति की गयी है इसी प्रकार से जो बत्ती पंखा इस्तेमाल होता है उसकी जो 1.30 रुपये दर है उसकी दर को बढ़ाकर 5.50 रुपया करने की संस्तुति की गयी है तो क्या इस प्रदेश में विद्युत विलासिता की वस्तु हो जायेगी जो बिजली यूज होती है, इसे बताने की कृपा करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि कम्पनी की प्राइमरी सिफारिश है कि टेरिफ निर्धारण का मुख्य आधार मारजिनल कास्ट सिद्धान्त होना चाहिए । अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि किसी वस्तु को बनाने में जितनी लागत आती है उससे कम कीमत नहीं होनी चाहिए । उसमें विभिन्न प्रकार की दरों की वृद्धि का सुझाव दिया गया है ।

लेकिन वह केवल वृद्धि का सुझाव नहीं है, पूरे ढांचे को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, उसमें वृद्धि का भी प्रस्ताव है, इस पर अलग से कोई सरकार विचार नहीं कर रही है । कमेटी बना दी गयी है, वह कमेटी केवल दरों पर विचार नहीं कर रही है, पूरी संस्तुतियों पर एक कमेटी विचार कर रही है । वह कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है, उसमें प्रमुख सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव नियोजन, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, प्रमुख सचिव, कानून और ऊर्जा के अलावा चेयरमैन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्मिलित किया गया है । कमेटी की आखिरी पेज की रिपोर्ट थोड़े दिन पहले प्राप्त हुई है । यह बहुत बड़ा काम है । एक उच्चस्तरीय समिति इसका अध्ययन कर रही है, अध्ययन के बाद कोई फैसला लिया जायेगा । कमेटी के केवल एक हिस्से को मानने का प्रश्न नहीं उठता कि दरों की बात मानकर सरकार दरें बढ़ा दे । पूरी रिपोर्ट का सम्यक अध्ययन एक उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा किया जा रहा है । कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, फिर कमेटी की रिपोर्ट के बाद विभिन्न विभागों को वित्त को अलग से रिपोर्ट जायेगी, ऊर्जा को अलग से जायेगी, उनसे जब उन पर संस्तुतियां प्राप्त हो जायेंगी अलग-अलग तब बैठक में विचार होगा, तब मंत्रि परिषद् में उस पर कोई सम्यक निर्णय लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, उस रिपोर्ट में इसे एक कामर्शियल इंस्टीट्यूट के रूप में चलाने की सिफारिश की जो यह बिजली का उत्पादन, वितरण और पारेषण है, यह केवल कामर्शियल संस्था नहीं होनी चाहिये कि एक सामाजिक सेवा भी है । बिजली बोर्ड की मोनोपोली भी है, अगर उस मोनोपोली के कारण, प्रबन्धन में खराबी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, उसके सफेद हाथी होने के कारण, कास्ट आफ जनरेशन बढ़ जाता है तो क्या उस कुफल का फल उन गरीब किसानों को भुगतना पड़ेगा ? सरकार जब इस पर विचार करे तो मेरे सुझाव पर विचार करने की कृपा करे । विद्युत आपूर्ति एक सामाजिक सेवा है, वह केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं है, इसके कुप्रबन्धन का परिणाम किसानों पर नहीं पड़ना चाहिये । जैसी कि अभी बात आयी है, अंतिम निर्णय नहीं लिया है, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है, इस बीच में कुछ पावर हाउस को बेचने का फैसला किया है, विज्ञापन निकल गया है, तो फिलहाल उस प्रक्रिया को रोककर अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मान्यवर, उस प्रक्रिया को रोक दिया गया है । माननीय गुप्त जी का कहना सही है कि बिजली का प्रबन्ध शुद्ध रूप से व्यापारिक काम नहीं है । मान्यवर, मैं माननीय गुप्त जी का ध्यान प्रश्न के उत्तर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जिसमें उल्लिखित है कि "इसके साथ-साथ टैरिफ के दरों का निर्धारण एवं विभिन्न लाइसेंस देने आदि हेतु एक स्वतंत्र रेगुलेटरी बाडी का सृजन किये जाने का भी सुझाव दिया

गया है ।" दरों का निर्धारण इस सरकार की समिति करेगी, दरों का निर्धारण उसके हाथ में नहीं रहेगा, मैं समझता हूं कि सारी बातें स्पष्ट हो गयी हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश में खरीफ के उत्पादन में लक्ष्य के विपरीत हो रही गिरावट की रोकथाम हेतु शासन की रणनीति

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि खरीफ के उत्पादन में लक्ष्य के विपरीत प्रति वर्ष हो रही गिरावट की रोकथाम तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार की कार्य योजना क्या है ?

श्री चैनसुख भारती–

प्रदेश में खरीफ उत्पादन में लक्ष्य के विपरीत विगत वर्षों में कमी रही । खरीफ उत्पादन में लक्ष्यों के विपरीत कमी को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष भू–जलवायु-वार खरीफ रणनीति निर्धारित कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है । जो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं वे संक्षेप में इस प्रकार हैं–कृषि निवेशों की व्यवस्था हेतु विस्तृत योजना तैयार करके प्रमाणित बीज, उर्वरक, कीटनाशक रसायन आदि के वितरण हेतु सघन अनुश्रवण किया जा रहा है । संतुलित उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मृदा परीक्षण हेतु नमूनों का लक्ष्य तीन गुना कर दिया गया है ताकि आवश्यकतानुसार खेतों में उर्वरकों का प्रयोग किया जा सके । धान में खैरा रोग पर नियंत्रण हेतु जिंक सल्फेट के वितरण, धान की उपयुक्त प्रजातियों की समय से रोपाई तथा मक्का में खरपतवार को नष्ट करने हेतु रसायनों के छिड़काव पर विशेष बल दिया जा रहा है । इसी तरह धान, मूंगफली तथा सोयाबीन फसलों में एकीकृत नाशिजीव प्रबन्ध प्रदर्शनों के तकनीक की जानकारी किसानों में कराने हेतु आई० पी० एम० प्रदर्शनों का आयोजन व्यापक स्तर पर कराने हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया है । इसके अतिरिक्त फसलों में आशातीत वृद्धि हेतु जैविक उर्वरकों के प्रयोग की दिशा में राइजोबियम कल्चर तथा नील हरित शैवाल वितरण कार्यक्रम बनाया गया है । हरी खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है । इस वर्ष वर्षा की विषम परिस्थितियों की दशा में खरीफ के लिए फसल उत्पादन की आकस्मिक कार्य योजना तैयार की गयी है जिसे आवश्यकतानुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है यह उसी तरह से जैसे क्लासरूम में कोई टीचर कृषि उत्पादन बढ़ाने की बात करता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने प्रमाणिक बीज, उर्वरक, कीट नाशक दवाओं की उपलब्धता की चर्चा की और यह भी बताया कि यदि कोई बीमारी फैलेगी, जैसे आजकल खैरा रोग लगा हुआ है, तो उसको ठीक करेंगे लेकिन सामान्य किसान जानता है कि उर्वरकों का जितना इस्तेमाल किया जायेगा उतनी ही पानी की आवश्यकता होगी और आज खाद मिल नहीं रही है और पानी के बिना खाद का इस्तेमाल नहीं होगा पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई कार्य योजना है और है तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, जुलाई में बरसात लगभग 300 मिलीमीटर होनी चाहिए लेकिन कुदरत का खेल है इस बार 156 मिलीमीटर ही हुई । हमने आदेश निर्गत कर दिये हैं । नहरें चलायी जा रही हैं, नलकूप चलाये जा रहे हैं, जो नलकूप खराब हो गये थे उनको ठीक कराया जा रहा है जो भी सुविधाएं हैं उनका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जा रहा है । खाद के लिए भी हमने कड़े आदेश निर्गत कर दिये हैं वह भी वितरित की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले समय में जो खाद और रसायनों पर दी जा रही सहायता राशि में केन्द्र सरकार ने कमी कर दी थी उसको बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई प्रयास कर रही है जिससे जो कठिनाई हो रही है वह दूर हो सके ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं पहले उसका उत्तर आने दें ।

वैसे तो इस प्रश्न का मूल प्रश्न से संबंध नहीं है, फिर भी यदि सूचना हो तो मंत्री जी उत्तर दें ।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि यह जो वर्ष समाप्त हो रहा है, इसमें वाराणसी में किसी भी ट्यूबवेल की नाली की मरम्मत नहीं हुई है । जबकि विधायकों से पूछा गया था कि किस ट्यूबवेल की नाली की मरम्मत होनी है, माननीय विधायकों ने अपने प्रस्ताव भी दे दिये थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी नाली की मरम्मत नहीं हुई है । क्या माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान देकर इस काम को करवा देंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि यदि कहीं नाली टूटी है, तो वह लिखकर दे दें, उनकी नाली सुधरवा दी जायेगी ?

[बुधवार, दिनांक 2 अगस्त, 1995 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आगरा मेडिकल कालेज प्रांगण में प्राइवेट वार्डों के जीर्ण-शीर्ण भवनों के मरम्मत हेतु आवंटित धन

*1–श्री उदय भान सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा मेडिकल कालेज प्रांगण में प्राइवेट वार्डों के जीर्ण-शीर्ण भवनों का जीर्णोद्धार सरकार कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आगरा मेडिकल कालेज/चिकित्सालय प्रांगण में प्राइवेट वार्डों का रख-रखाव समुचित रूप से किया जा रहा है। केवल गायनिक विभाग के प्राइवेट वार्डों के भवनों की अवस्था जीर्ण-शीर्ण है, जिसका जीर्णोद्धार उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथाशीघ्र कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह सत्य से बहुत दूर है और भ्रमित करने वाला है। मान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज का जो प्राइवेट वार्ड है, जिसके विषय में कहा गया है कि समुचित रख-रखाव किया जा रहा है। मैं स्वयं पीड़ित हूं और पिछले वर्ष जब बीमार पड़ गया था तो प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुआ। मैं स्नानगृह में स्नान कर रहा था, कि अचानक ऊपर से एक ईंट गिरी जो मुझ पर न गिरकर बाल्टी में गिरी। यदि मुझ पर गिर जाती तो भी माननीय मंत्री जी जवाब देते कि समुचित रख-रखाव किया जा रहा है और यह दैवी आपदा है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह पिछले साल का जिक्र कर रहे हैं, इस साल तो ठीक है।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, आगरा मेडिकल कालेज में पिछले 3 वर्ष, 92-93, 93-94, 94-95 में सरकार की ओर से भवन की मरम्मत के लिये, जीर्णोद्धार के लिये कितना धन मिला है, और वह धन किन-किन वार्डों पर कितना-कितना खर्च हुआ है, यह बता दें ?

माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है और जवाब में बताया भी गया है कि प्राइवेट वार्डों की स्थिति ठीक है, केवल गायनिक वार्ड की स्थिति ठीक नहीं है। अब जैसा कि इन्होंने बताया है कि ईंटा गिर गया, तो अगर यह गायनिक वार्ड में रहे होंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ियां हुई हों ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य गायनिक वार्ड में नहीं रहे होंगे, यह प्राइवेट वार्ड में रहे होंगे।

श्री उदयभान सिंह–

मैंने स्वयं वहां देखा है, यदि उसमें कोई शक हो तो मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। शाम को अवध एक्सप्रेस मिलती है, मेरे साथ चलें और प्राइवेट वार्ड का दौरा करके दिखा दूं। जो उत्तर दिया गया है वह कितना सत्य से परे है, इस आदरणीय सदन को भ्रमित किया जा रहा है। यह आदरणीय सदन है, यहां अपेक्षा यह की जाती है कि जो उत्तर मिलेगा वह सही मिलेगा। लेकिन आश्चर्य है कि इतना झूठा और सत्य से परे जवाब मिला। मेरा प्रश्न यह था कि 1992-93, 1993-94, 1994-95 के इन तीन वित्तीय वर्षों में सरकार के द्वारा कितना धन आगरा मेडिकल कालेज को भवन

निर्माण, जीर्णोद्धार या रख-रखाव के लिए मिला और यदि धन मिला तो किन-किन भवनों का जीर्णोद्धार और रख-रखाव पर खर्च किया गया ? मान्यवर, मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि आगरा मेडिकल कालेज का जो प्राइवेट वार्ड है, उसके भवनों के मरम्मत में कितना धन खर्च किया गया है ?

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं और उनके विभाग का प्रश्न है तो उनको उत्तर देना चाहिए जबकि उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी दे रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, ऐसे अस्पताल की मरम्मत के लिए दो मद हैं, एक लघु निर्माण कार्य और दूसरा अनुरक्षण का होता है, जिसमें हर वर्ष 7-8 लाख रुपये की व्यवस्था की जाती है । मैं माननीय सदस्य को बताऊं, अभी तत्काल ढाई लाख रुपये का प्रस्ताव आया है और वह चिकित्सा अधीक्षक ने प्रधानाचार्य के प्रस्ताव को भेजा है और हम ढाई लाख (2.5 लाख) रुपया शीघ्र अवमुक्त कर रहे हैं । मैं आपको करेण्ट पोजीशन बता दूं, वित्तीय वर्ष 1994-95 में 148 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, प्रस्ताव में अनियमिततायें थीं और उन अनियमितताओं को देखते हुये वह पैसा पी० एल० ए० में डाल दिया गया है उसमें से 113 लाख रुपया अवमुक्त कर दिया गया है, 34 लाख रुपया बचा है उसी में से ढाई लाख (2.5 लाख) रुपया अनुरक्षण के लिए भेजा जा रहा है ।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर मिला है कि प्राइवेट वार्ड की हालत ठीक है । मेरा प्रश्न है कि इस प्राइवेट वार्ड पर कितना धन तथा कब खर्च किया गया ?

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ गया है, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

(श्री प्रवीण सिंह ऐरन, राज्य मंत्री, स्वास्थ्य ने प्रश्न का अभिलिखित उत्तर पढ़ना प्रारम्भ किया ।)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी इसकी एक कमेटी बनाकर जांच करवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बदन सिंह जी आप अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशों के पृष्ठ 165-166 के तहत लिखकर दे दें, मैं उस पर विचार कर लूंगा । श्री श्यामदेव राय चौधरी जी आप अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, पहले आप सदन तो व्यवस्थित कीजिए ।

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, मेरे ऊपर ईंटा गिरा है । यह घटना एक विधायक के साथ हुई है और आप उसे नजरन्दाज कर रहे हैं तो वहां के अधिकारी हमारी क्या परवाह करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, इसे आप प्रश्न एवम् सन्दर्भ समिति को भेज दीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछा गया था कि कितना धन मरम्मत हेतु प्राइवेट वाईस पर खर्च किया गया और कितना स्वीकृत हुआ ? मंत्री जी ने उसका उत्तर दे दिया है । अब आप क्या चाहते हैं ? आप जो चाहते हैं, वही मंत्री जी कहें यह तो सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उदयभान सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का उत्तर सही है या गलत, इसका पता चल जायेगा । यदि मंत्री जी उसकी जांच करवा लें तो । मैं अपनी पीड़ा को सदन में बता रहा हूं । जनता की आवाज को बुलन्द करने के लिए हमें यहां भेजा जाता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी का उत्तर सही है या गलत । मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि अध्यक्ष पीठ से निर्देश दिये गये है कि यदि कोई उत्तर गलत आता है या सदन को गुमराह किया जाता है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो उसके लिए व्यवस्था है ? उस व्यवस्था के तहत निर्देश के 165-166 में आप लिखकर मुझे दे दें । मैं उसका परीक्षण करवाता हूं और सरकार की तरफ से भी उत्तर आता है और आपकी तरफ से भी । यदि गलत पाया जाता है तो उस पर कार्यवाही होती है ।

यदि उत्तर गलत है तो आप लिखकर दें मैं उसका परीक्षण करा लूंगा ।

श्री उदयभान सिंह–

हमने केवल एक प्रार्थना की थी कि माननीय सदस्यों की एक समिति बना दी जाए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर गलत उत्तर है तो लिखकर दें मैं परीक्षण करा लूंगा जो उचित समझूंगा संगत नियमों के बाद उस पर कार्यवाही करूंगा ।

प्रदेश में एड्स पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्यवाही

*2–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तेजगति से फैल रहे "एड्स" पर प्रभावी नियंत्रण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिक राज्य मंत्री (श्री प्रवीण सिंह ऐरन)–

एड्स एक प्राणघातक रोग है । इसका विश्व में कोई इलाज उपलब्ध नहीं है । अतः इसके प्रसार को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाये गये राष्ट्रीय एड्स निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु प्रदेश में संयुक्त निदेशक के अधीन राज्य एड्स प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1992 में की गयी है ।

2–चूंकि एड्स का प्रसार मुख्यतया रक्त के माध्यम से होता है अतः रोगी को सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने हेतु 13 जोनल रक्त परीक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिनसे उनके समीपवर्ती जनपदों को सम्बद्ध किया गया है । इन 13 रक्त परीक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि रोगी को सुरक्षित रक्त इकाई उपलब्ध हो सके ।

3–पांच निगरानी (सवीलेंस) केन्द्र प्रदेश में स्थापित हैं जो एड्स संक्रमण पर निगरानी एवं पहचान का कार्य कर रहे हैं ।

4–रतिज रोग एड्स संक्रमण के लिये अनुकूल होता है । अतः 21 रतिज रोग रूजालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है जिनमें रतिज रोगियों का इलाज एवं जांच की व्यवस्था की गयी है ।

5–प्रदेश में कार्यरत सभी रक्त कोषों को पंजीकृत कराया जाना विधिक रूप से जरूरी कर दिया गया है ताकि रोगियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित रक्त ही उपलब्ध हो सके ।

6–एड्स रोग के प्रसार को रोकने का एक मात्र साधन जन सामान्य को इस रोग की जानकारी तथा इससे बचाव के उपाय की जानकारी देना है । अतः अब तक प्रदेश में 156 जिला स्तरीय चिकित्सकों एवं बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । जनसामान्य को एड्स रोग से बचाव हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा जानकारी दी जा रही है ।

7–एड्स नियंत्रण कार्यक्रम को सघन रूप से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से जिला क्षय रोग अधिकारी को एड्स नोडल अधिकारी नामित कर दिया गया है जो जिला स्तर पर इसके कार्यान्वियन/मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है ।

इस प्रकार राज्य सरकार एड्स रोग के नियंत्रण की दिशा में सतत प्रयत्नशील है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, पूरा विश्व एक ऐसे भयानक रोग से आतंकित है और जो हमको उत्तर दिया गया है उत्तर प्रदेश की जनता की जानकारी के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से क्या-क्या कार्य इस रोग की रोकथाम के लिए किये जा रहे हैं। इसके सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के प्राथमिक परीक्षण जिसे "एलाइजा" कहते है कितना खर्च आता है और अब तक कितने लोगों का परीक्षण किया गया और कितने लोग सम्पूर्ण रूप से एड्स के मरीज पाये गये ?

दूसरा जनता को जागरूक बनाने के लिए जो विज्ञापन आदि में खर्च किया जाता है उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय चौधरी जी एक मिनट बैठ जायं। क्या इस पर माननीय सदस्य चर्चा चाहते हैं तो आप लिखकर दे दें ? मैं इस पर विचार कर चर्चा स्वीकार कर लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

हां मान्यवर, इस पर चर्चा करा दें मैं कल भी इस पर बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है लिखकर दे दें नियम 49 पर मैं चर्चा स्वीकार करने पर विचार कर लूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, दो प्रश्न कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

या तो प्रश्न कर लीजिए, फिर चर्चा नहीं होगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

तब फिर चर्चा पर विचार नहीं करूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

दो प्रश्न करने दें, मेरी जिज्ञासा है उस पर उत्तर आ जायें। मैं फिर प्रश्न दोहरा रहा हूं। यह विज्ञापन इस बीमारी के रोकथाम के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है इस बीमारी पर बहुत लम्बा खर्च आता है और विज्ञापन जो होते हैं उसमें कमी यह रहती है कि कहीं इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि जनता अपनी जांच कराने हेतु किन-किन स्थानों पर जायेगी जहां इसकी सुविधा उपलब्ध है तो भविष्य में इस प्रकार के विज्ञापन दिये जाये तो उनमें इस बात का उल्लेख रखा जाए। दूसरा इन विज्ञापनों पर अभी तक कितना खर्च आया है ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि रोगी के उपचार में कितना खर्च आता है ? एड्स के एचआइवी वायरस के संक्रमण का तीन महीने बाद पता चलता है कि क्या यह बीमारी है या नहीं.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य का प्रश्न विज्ञापन के सम्बन्ध में है ।

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

तो मान्यवर, उन्होंने यह भी पूछा था कि कितना खर्च है एक रोगी पर ?

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

फिर मैं स्पष्ट कर दूं, इसका एक प्राथमिक परीक्षण है, जो एलाइजा के नाम से जाना जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस परीक्षण पर प्रति व्यक्ति कितना खर्च आता है, अब तक कितने रोगियों का परीक्षण किया गया और उस परीक्षण में कितने लोग पूर्ण रूप से एड्स ग्रस्त पाए गये ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

मान्यवर, मात्र एलाइजा में ही नहीं एड्स की पुष्टि में अनेक टेस्ट कराए जाते हैं, क्योंकि एड्स में भारतीय परिवेश में कई कारण होते हैं जिसमें एक अप्रत्याशित रूप से वजन कम हो जाता आदि है, इसका कोई मात्र एक कारण और टेस्ट नहीं है और न ही कोई एक निश्चित एमाउन्ट ही हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

लगता है मंत्री जी उत्तर के लिए तैयार नहीं हैं, तो अब जब चर्चा स्वीकृत हो गई है, तो आप कृपा करके चर्चा ही करा दें । यह भी तैयारी कर लेंगे और हम सब लोग बात अपनी-अपनी कह सकेंगे ?

डा० सरजीत सिंह डंग–

आप इस पर चर्चा ही स्वीकृत कर लें ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

आपको चर्चा स्वीकार नहीं करनी है तो प्रश्न कर लेने दीजिए और स्वीकार करनी है तो उसमें हम अपनी बात कह लेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो मैं विचार कर लूंगा ।

*3–श्री लाल मणि प्रसाद–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद मिर्जापुर में चल रही लघु डाल सिंचाई योजनाओं का विवरण

*4–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद तथा मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र में लघु डाल सिंचाई की वर्तमान समय में कितनी योजनायें चल रही हैं ? इनके पम्प/मोटर इत्यादि संयंत्र कितने पुराने हो चुके हैं ? इन पम्प एवं मोटर का साधारण सक्रिय जीवन विभाग द्वारा कितनी निर्धारित है ? क्या शासन मिर्जापुर नगर निर्वाचन क्षेत्र में चल रही लघु डाल सिंचाई योजनाओं के मोटर/पम्प इत्यादि नये परिवर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार, होमगार्ड तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री अकबर अली)–

जनपद मिर्जापुर में 23 लघु डाल सिंचाई योजनायें तथा मिर्जापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 लघु डाल सिंचाई योजनायें चल रही हैं।

इनके संयंत्र 8 से 28 वर्ष पुराने हैं।

लघु डाल नहरों के पम्प एवं मोटर के साधारण सक्रिय जीवन का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

वर्ष 1994-95 में मिर्जापुर नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक पम्प नहर का एक पम्प बदलने की कार्यवाही प्रस्तावित थी। पम्प सेट का पूर्ति आदेश किया जा चुका है। पम्प प्राप्त हो गया परन्तु मोटर प्राप्त नहीं हुई है। मोटर प्राप्त होने पर पम्प सेट बदल दिया जायेगा। वर्ष 1995-96 में मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र की दो पम्प नहर के दो पम्प बदलने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० सरजीत सिंह डंग–

उत्तर में कहा गया है कि पम्प एवं मोटर के सक्रिय जीवन का कोई मानक निर्धारित नहीं है। आप यह करें या न करें, किन्तु मैंने जब इस पर विभागीय अधिकारियों से पूछा था तो मालूम हुआ कि 15 वर्ष के बाद वह निष्क्रिय हो जाते हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र और मिर्जापुर जनपद में कितने ऐसे संयंत्र है, जिनकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है ? और दूसरे इसमें कुल कितना खर्च आएगा इनको बदलने में ? क्योंकि मेरी जानकारी में 15 लाख का केवल खर्च है और उससे हजारों किसान लाभान्वित होंगे।

श्री अकबर अली–

इसमें 68 से 72 के बीच बनी है। आप कहें तो मैं आपको उपलब्ध करा दूं। यह सभी पम्प की आयु 25-30 साल मानी जा सकती है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर में कोई गंभीरता नहीं है। जबकि यह आठ-दस वर्ष पुराने हैं और आप बता रहे हैं कि 25-30 साल के ऊपर के हैं। मान्यवर, कोई मानक तो निर्धारित होगा कि इतनी अवधि के बाद इन मोटर पम्प की कार्यक्षमता समाप्त हो जायगी। तकनीकी एडवाइजर का कहना है कि 15 वर्षों के बाद यह बेकार हो जाते हैं। लाखों हजारों किसान ऐसे हैं जिनको इससे सिंचाई सुविधा मिलती

है । मै माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इन बेकार पड़े मोटर पम्पों को बदलने के लिये कितने रुपये की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि इनको बदलने में ज्यादा खर्च नहीं आयेगा । अगर इन्हें बदल दिया जाय तो किसानों को पानी मिल सकेगा । क्योंकि इनके बेकार होने से मशीन चलती नहीं है और पानी मिलता नहीं है ।

श्री अकबर अली–

मान्यवर, 53 पम्प बदलने में 1 करोड़ 60 लाख रुपये की आवश्यकता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह तो आपने जनपद में बताया मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र में बता दें कितने रुपये की आवश्यकता होगी ।

श्री अकबर अली–

आप इसी अनुपात में देख लें । आपके यहां 13 पम्प सेट हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह सारे के सारे पम्प सेट कब तक बदल दिये जायेंगे ?

श्री अकबर अली–

यह तो वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है । जब तक कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक यह कहना नामुमकिन है कि यह कब तक बदल दिये जायेंगे ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, घोषणायें तो हो गईं कि खरीफ की फसल के लिये ये योजना बनाई है वो योजना बनाई है । लेकिन यह पम्प सेट जो कि 11 लाख में ठीक हो सकते हैं उसका आश्वासन देने में सरकार को कष्ट हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र के मोटर और पम्प बदलने के लिये 11 लाख रुपये चाहिए । मैं 1 करोड़ 60 लाख की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो यह पूछना चाह रहा हूं कि मिर्जापुर निर्वाचन क्षेत्र के मोटर व पम्प बदलने के लिये 11 लाख रुपये इसी फाइनेंशियल ईयर में दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने जवाब दे दिया है कि वित्तीय संशाधन उपलब्ध होने पर ।

श्री अकबर अली–

यह ठीक कराना नामुमकिन है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में रामपुर–भैसोड़ा "कोट ब्लाक" में लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने की मांग

*5–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में रामपुर–भैसोड़ा "कोट ब्लाक" में लिफ्ट सिंचाई की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना को कार्यान्वित करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री (श्री अंगद यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैंने विधान सभा क्षेत्र रामपुर मैसोड़ा, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे है हजारों एकड़ भूमि किसानों की सूखी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, महत्व हो सकता है, आवश्यकता हो सकती है परन्तु आपने जो सवाल किया था माननीय मंत्री जी ने उसी का उत्तर दिया है। आप उसके संबंध में अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि उत्तर नकारात्मक आया है और हम लोग सवाल यहां इसलिये करते हैं कि हमारे क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान इस सदन में हो सके। अक्सर जवाब नाकारात्मक आते हैं। जो भी प्रश्न आपके माध्यम से करते हैं चाहते हैं कि उनका समाधान निकले।

जब नकारात्मक उत्तर आ गया तो अनुपूरक प्रश्न का सवाल ही नहीं उठता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र की जो नदियां बह रही हैं वह पूरे देश को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करा रही हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों से यह नदियां निकलकर आती हैं उस क्षेत्र के किसानों के खेत वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण सूख रहे हैं। तो क्या सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष–

क्या सरकार लिफ्ट कैनाल बनाने पर विचार करेगी ?

यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं।

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री भागवत पाल)–

अलकनंदा नदी में पम्प स्कीम की योजना का प्रस्ताव है जो ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत की गई है उसकी फीजिविलटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उसकी फिजीविलटी रिपोर्ट बनाने पर निर्णय लिया जायगा। विकास खंड कोट ब्लाक में अन्य स्थान पर योजना चल रही है यह बबौली, नवगांव, पुरासी में हैं यह निर्माणाधीन है यह अलकनंदा पर बनाने का प्रस्ताव है उसकी फिजीविलटी रिपोर्ट तैयार हो रही है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है..

श्री अध्यक्ष–

उत्तर आ तो गया है।

श्री हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस क्षेत्र के लिए रामपुर मैसोड़ा कोट ब्लाक क्षेत्र के लिए वहां के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, अलकनंदा नदी बगल से बह रही है–

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि रामपुर मैसोड़ा कोट ब्लाक जो है इसमें लिफ्ट कैनाल पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री भावगत पाल–

मैं आपकी भावनाओ को समझ रहा हूं। अलकनंदा नदी पर पम्प स्कीम बनाने पर ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्ताव दिया गया है उसकी फिजीलिटी रिपोर्ट तैयार हो रही है।

प्रदेश में स्टाफ नर्सेज के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टाफ नर्सेज के रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही शासन द्वारा की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायगी ?

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

रिक्त पदों को भरने हेतु दिनांक 30-6-1995 को साक्षात्कार कर 37 अभ्यर्थियों का उपचारिका पद पर चयन किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 37 पदों को भर दिया उसमें से कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं और उन रिक्त पदों को भरने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

222 पद रिक्त हैं । यह सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चला रही है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बता दें कुल कितने पद रिक्त हैं ?

श्री प्रवीन सिंह ऐरन–

222 पद रिक्त हैं । इनको भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा विशेष अभियान चलायेंगे भर्ती के लिए, तो माननीय मंत्री जी कृपया यह बता दें विशेष अभियान की उनकी परिभाषा क्या है ? उन पदों को भरने के लिए मंत्री जी क्या कार्यवाही करेंगे ? इन पदों को कब तक भर लिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी बता दें ।

श्री प्रवीण सिंह ऐरन–

इस संबंध में शीघ्र ही एक अभियान करके विशेष विज्ञापन देकर पदों को भरा जायगा 37 पद पहले ही भरे जा चुके हैं । शेष के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है । उनको पूरा भरने की कार्यवाही की जा रही है । जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र आते जा रहे हैं उस पर कार्यवाही होती जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है एक तरफ कह रहे हैं कि विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। दूसरी तरफ यह कह रहे हैं कि कार्यवाही की जा रही है। तो यह स्पष्ट बता दें जैसे-जैसे प्रार्थना-पत्र आते जायेंगे उस आधार पर कार्यवाही करेंगे या विज्ञापन जारी करके एक जो निश्चित प्रक्रिया है इस आधार पर भरती करेंगे।

श्री प्रदीन सिंह ऐरन–

जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसी के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। विज्ञापन के आधार पर जो प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, कानपुर के एल० एल० आर० मेडिकल कालेज हैं उसके प्रधानाचार्य की वजह से नर्सिंग अस्पताल की नर्सों का परीक्षाफल नहीं घोषित किया गया है। चार वर्ष हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य इसको लिखकर दे दें। हम इसका परीक्षण करवा लेंगे।

प्रदेश में कृषि मण्डी के लाइसेंस धारकों के लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी

*7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या कृषि मंत्री कृषि मण्डी के लाइसेंस धारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की कृपा करेंगे कि फर्म के पुनर्गठन पर लाइसेंस समाप्त न करके नया प्रार्थना पत्र लेकर लाइसेंस में परिवर्तन कर दिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो यह आदेश कब तक निर्गत कर दिया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी नहीं।

व्यवहारिक तथा विधिक न होने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

[5 वें सोमवार में ता० प्र० सं०–15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या–6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में डायटेट्रिक्स के अन्तर्गत आहार विदों के पदों की व्यवस्था

*9–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेंस, लखनऊ के डायटेट्रिक्सि विभाग का प्रशासकीय ढांचा क्या है ? क्या यह सही है कि संस्थान की शुरूआत से अब तक वहां पर चीफ डायटीशियन की नियुक्ति नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका प्रशासकीय नियंत्रण आहार विज्ञान की योग्यता से भिन्न योग्यता वाले अधिकारी के अधीन रखने का औचित्य क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि वहां पर मुख्य आहारविद व आहार-विद के सम्प्रति रिक्त चल रहे पदों पर शासन द्वारा कब तक नियुक्तियां आरक्षित कोटे के अनुसार कार्मिक–1 के आदेश दि० 29-6(जू) 94 के अन्तर्गत दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में डायटेट्रिक्स का कोई अलग से विभाग स्थापित नहीं है वरन् डायटेट्रिक्स की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य आहारविद के 3 पद सृजित हैं।

जी हां। संस्थान द्वारा मुख्य आहारविद् पद के सापेक्ष वर्ष 1988 में 3 वर्ष के लिए सलाहकार आहारविद को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। चूंकि इन अधिकारियों का मुख्य कार्य संस्थान के वाह्य एवं अन्तः रोगी विभाग में आने वाले रोगियों को आहार के सम्बन्ध में सलाह देना है अतः इन अधिकारियों द्वारा संस्थान के विभागाध्यक्ष, चिकित्सा अधीक्षक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

इन पदों पर नियुक्तियां किये जाने हेतु संस्थान सक्रिय रूप से प्रयासरत है।

अलीगढ़ नगर में निर्माणाधीन चिकित्सालय की कार्य प्रगति

*10–श्री कृष्ण कुमार नवमान–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ नगर में 300 शैय्याओं का जो चिकित्सालय निर्माणाधीन है उसका निर्माण कब तक पूर्ण हो जायगा ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा विज्ञान एवं प्रोद्योग मंत्री (श्री आर० के० चौधरी)–

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः अलीगढ़ में निर्माणाधीन 300 शैय्यायुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने के संबंध में कोई निश्चित विधि सूचित करना सम्भव नहीं है।

*11–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उत्तर प्रदेश के मण्डी परिषद् निदेशालय एवं मण्डलीय कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों की समान सेवा नियमावली

*12–डा० सुरेश प्रताप सिंह चौहान–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय, मण्डी परिषद्, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं मंडलीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा नियमावली समान है ? यदि हां, तो समान सेवा नियमावली एवं सेवा शर्त होने के उपरान्त मण्डलीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतनमानों में भिन्नता क्यों ? क्या सरकार वेतनमानों की भिन्नता को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वेतनमान में कोई भिन्नता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पदों पर न्यायालय का स्थगनादेश

*13–श्री ज्वाला प्रसाद यादव तथा श्री नसीम–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में पन्द्रह अधिशासी अभियन्ताओं का अधीक्षण अभियन्ता में पदोन्नति का मामला वर्तमान निदेशक की गलत नीतियों के कारण रुका पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनमुख भारती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में अधीक्षण अभियंता के कुल 15 पद स्वीकृत हैं । जिनमें से एक पद आस्थगित रखते हुए सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) का एक अस्थाई पद सृजित किया गया हैं । वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता के उपलब्ध 14 पदों के विरुद्ध 13 अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं । जिनमें से 3 नियमित रूप से तथा 10 तदर्थ रूप से पदोन्नत हैं इस प्रकार एक पद रिक्त है । सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति में उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है । अतः रिक्त पदों को भरा जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश में बढ़ते हुए घातक रोगों के उपचार हेतु वित्तीय साधनों के अनुरूप व्यवस्था

*14–श्री सत्य प्रकाश विकल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि हृदय रोग, कैंसर तथा एड्स जैसे बढ़ते हुए घातक रोगों से ग्रस्त रोगियों की जीवन रक्षा के लिये प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में योग्य एवं समुचित चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरण तथा पूरी सुविधायें उपलब्ध हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये किसी कार्य योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रदेश में उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के अनुरूप राजकीय चिकित्सालयों में हृदय रोग, कैंसर एवं एड्स के रोगियों के चिकित्सकीय उपचार हेतु उपकरण आदि उपलब्ध हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की मैसर्स इन्दिरा गैस सर्विस पर अनियमितता के कथित आरोप

*15–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि मेसर्स इन्दिरा गैस सर्विस, हजरतगंज, लखनऊ अपने उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति विगत कई महीनों से अपने गोदाम (कंचनपुर मटियारी) से ही पूरी ढुलाई चार्ज सहित रु० 99.35 पर कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या उपभोक्ताओं से ढुलाई चार्ज लिये जाने एवं अनियमित चार्ज करने के जुर्म में उक्त गैस वितरक को दण्डित किया जायगा ? क्या गैस की आपूर्ति किसी नजदीक के काउन्टर से सुनिश्चित करायी जायगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्राप्त सूचनानुसार मेसर्स इन्दिरा गैस सर्विस द्वारा कंचनपुर मटियारी स्थित गोदाम से शासन के आदेशानुसार होम-डिलीवरी के माध्यम से निर्धारित मूल्य (वर्तमान में 99.62 रु०) पर गैस की आपूर्ति घरेलू उपभोक्ताओं को की जा रही है । यह सत्य नहीं है कि इन्दिरा गैस सर्विस, गोदाम पर ही उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रही है । दिनांक 12-7-95 को किये गये आकस्मिक निरीक्षण से भी इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री तेजभान सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के पी०एम०ए० मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्थानान्तरण की मांग

2–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में पी० एम० ए० उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतिरक्षण कार्यालय में गत 15 वर्ष से एक ही स्थान पर कार्यरत है ? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न किये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार निर्धारित नीति के अनुसार उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी कार्यालय में मोटर वाहनों की संख्या एवं उन पर व्यय का विवरण

3–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी कार्यालय, फैजाबाद में कितने मोटर वाहन हैं ? प्रत्येक वाहन का गत दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक कितनी धनराशि पेट्रोल/डीजल पर खर्च की गयी तथा उनकी मरम्मत पर उक्त अवधि में कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या यह सही है कि उसका रखरखाव उक्त मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके द्वारा फर्जी लाग-बुक एवं मरम्मत पर व्यय दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी के कार्यालय अलग से नहीं होता बल्कि यह जिल प्रतिरक्षण अधिकारी के अधीन कार्य करता है । जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में तीन मोटर वाहनें हैं, जिनमें से एक वाहन संख्या–यू०एच०यू०–6241 खराब होने के कारण दिनांक 8 मार्च, 1994 को मरम्मत हेतु भेजी गयी शेष दो वाहनों पर गत दिनांक 1 जनवरी, 1994 से 31 दिसम्बर, 1994 तक पेट्रोल/डीजल तथा मरम्मत पर खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्नलिखित है :–

वाहन संख्या	पेट्रोल/डीजल पर खर्च की गयी धनराशि	मरम्मत पर खर्च की गयी धनराशि	कुल योग
जीप यू०एच०यू०–6218	14,455-38	18,611-75	33,067-13
वैक्सीन वैन यू०एच०यू०–9208	6,377-18	11,181-50	17,558-68
	20,832-56	29,793-25	50,625-81

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टेहरी गढ़वाल में चलायी गई लिफ्ट पेयजल योजना की प्रगति

4–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट पेयजल योजना भरपूर टि० ग० कितने गांवों को पानी उपलब्ध करा रही है ? क्या इस योजना ने अपने लक्ष्य की पूर्ति के अनुसार ग्रामों

को पानी नहीं दिया गया है ? इसका क्या कारण है ? कब तक सभी अभावग्रस्त ग्रामों में पानी उपलब्ध करा दिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

15 ग्रामों को ।

जी हां ।

योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य अभी पूर्ण नहीं हुये है ।

योजनान्तर्गत शेष दो अभावग्रस्त ग्रामों क्रमशः वमाणा तथा देवल्ड में मार्च, 1996 तक जलापूर्ति आरम्भ किये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद फैजाबाद में बाढ़ कार्य खण्ड के सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

5-श्री परशुराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा सिंचाई विभाग के अधीन बाढ़ कार्य खण्ड, फैजाबाद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री ए० पी० सिंह तथा सहायक अभियन्ता, श्री ए० पी० श्रीवास्तव द्वारा आयोध्या में सरयू नदी के किनारे बन्धा तथा घाट निर्माण कार्य हेतु खनिज निगम द्वारा बोल्डर की खरीद के मामले में करोड़ों का घोटाला किये जाने के बारे में दिया गया शिकायत पत्र पर उनके कार्यालय द्वारा कार्यवाही किये जाने के आदेश सहित दिनांक 4-2-95 को प्रमुख सचिव, सिंचाई को भेजा गया है ? यदि हां, तो प्रमुख सचिव, सिंचाई द्वारा इस प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत शिकायती पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) द्वारा दिनांक 4-2-95 को प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के भेजा गया था न कि प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को ।

उक्त शिकायती पत्र पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मुख्य चिकित्साधिकारी को यूनिसेफ द्वारा दी गई सामग्रियों दवाइयों का विवरण

6–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृप करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1993-94 तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 में यूनिसेफ द्वारा जिला फैजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परिवार कल्याण तथा मातृ शिशु कल्याण योजनाओं में प्रयोजनार्थ विभिन्न उपकरण तथा दवायें विभागीय कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कराने के लिये दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में यूनिसेफ द्वारा फैजाबाद को दी गयी सामग्रियों की सूची तथा इन सामग्रियों को जिन विभागीय कर्मचारियों को हस्तगत कराया गया है क्या उनकी सूची सरकार सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

कुल 414 ए०एन०एम० को उपकरण, किटे तथा 468 महिला स्वास्थ्यकर्ताओं को दवाइयों की किटे दी गई ।

सामग्रियों की सूची संलग्न है ।

संलग्नक देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 226–227 पर)

जनपद फैजाबाद में मेसर्स शशी गैस सर्विस तथा मेसर्स ईगल गैस सर्विस के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

7–श्री परशुराम यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद में स्थित "मेसर्स शशी गैस सर्विस" तथा "मेसर्स ईगल गैस सर्विस" द्वारा रसोई गैस के वितरण में व्यापक हेराफेरी किये जाने के संबंध में ब्यौरा देते हुए प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 24-3-95 उन्हें प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के इस शिकायती पत्र का बिन्दुवार विवरण क्या है ? इन बिन्दुओं पर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शिकायती पत्र की प्रति संलग्न है । शिकायतों की जांच सहायक प्रबन्धक, भारतीय तेल निगम, फैजाबाद द्वारा करायी गयी । इस जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी । सहायक प्रबन्धक, भारतीय तेल निगम को निर्दिष्ट कर दिया गया है कि उपभोक्ता के हिस्ट्री कार्ड और ब्लू बुक की चेकिंग बराबर की जाय और शत प्रतिशत होम डिलीवरी की जाय ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 228–230 पर)

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र की ड्रेनों की खोदाई/सफाई आदि की व्यवस्था

8–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र पलिया, हुसैनापुर रक्सहा पेचर (ख) पिलुला, हैदरगढ़ आदि ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई का कार्य कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । इन्हौना, हुसैनपुर, रक्सहा, पेचरूआ, पिलुला तथा हैदरगढ़ ड्रेनों की खुदाई/सफाई का कार्य कराया जा चुका है । पलिया ड्रेन की चौड़ाई में खोदाई का कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

9–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ० प्र० सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के खिलाड़ियों के स्पोर्ट्स किट की धनराशि बढ़ाये जाने का विषय विचाराधीन

10–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज के खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्पोर्ट्स किट (स्पोर्ट्स शू, स्पोर्ट्स नेकर, वर्दी, स्टाकिन आदि) के लिए रुपये 150 मात्र ही दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार स्पोर्ट्स किट के लिए रुपये 150 से बढ़ाकर रुपये 500 करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

विषय विचाराधीन है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ''कांसखेत से कठूड़ बैड'' मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

11–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल में कांसखेत से कठूड़ बैड ''जवाहर रोजगार योजना द्वारा निर्मित'' अधूरे मोटर मार्ग के निर्माण का सरकार का कोई विचार है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इन्द्रपाल सिंह चौहान द्वारा शारदा सहायक सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर को निर्गत खाद्यान्न के मूल्य का भुगतान

12–श्री अखिलेश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, सिंचाई विभाग, उ० प्र० शासन को श्री हरेन्द्र सिंह मलिक, सभापति आश्वासन समिति का पत्रांक 789/वि०स०स०आ०/स०/94, दिनांक 26 अक्टूबर, 1994 जो श्री इन्द्रपाल सिंह चौहान द्वारा शारदा सहायक सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर में चालान संख्या–94562 से रुपये 94600 खाद्यान्न निर्गत करने संबंधी जमा किये गये थे, के भुगतान संबंधी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

भुगतान पूर्व में ही हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

चूंकि भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है । अतः विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

13–श्री रामदेव वर्मा–

[दिनांक 19-7-95 को अता० प्र० स०–30 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना हेतु आवंटित धन का वर्षवार विवरण

14–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को केन्द्र सरकार से जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं वर्ष 1994-95 के लिए कितनी धनराशि आवंटित हुई थी एवं कितनी प्राप्त हुई ? क्या प्रदेश में केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि का पूरा उपयोग समय से कर लिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन योजनाओं के अन्तर्गत कुछ जिलों का 1994-95 में धन आवंटन वर्ष 1993-94 की तुलना में कम कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में आवंटित एवं प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष	(धनराशि लाख रुपये में)	
			आवंटित धनराशि (परिव्यय)	प्राप्त धनराशि
1	जवाहर रोजगार योजना	93-94	59998.40	57878.93
		94-95	66041.76	73261.70
2	दस लाख कूप योजना	93-94	17999.52	15134.86
		94-95	19812.53	19657.00

वर्ष 93-94 में केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी धनराशि के अलावा पिछले वर्ष के अवशेष को मिला करके कुल धनराशि जवाहर रोजगार योजना में रु० 74778.659 लाख तथा दस लाख कूप योजना में रु० 16393.44 लाख उपलब्ध थी जिसके सापेक्ष जवाहर रोजगार योजना में रु० 69531.238 लाख तथा दस लाख कूप योजना में रु० 14284.02 लाख का व्यय हुआ । वर्ष 94-95 में वर्ष 93-94 की अवशेष धनराशि को सम्मिलित करते हुए जवाहर रोजगार योजना में रु० 78863.16 के सापेक्ष

66649.57 लाख एवं दस लाख कूप योजना में रु० 21716.47 लाख के सापेक्ष रु०18883.78 लाख की धनराशि का व्यय हुआ ।

जी हां ।

योजनान्तर्गत जनपदों के वार्षिक परिव्यय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है । वर्ष 1994-95 में जनपदों के वार्षिक परिव्यय 1993-94 की अपेक्षा भारत सरकार द्वारा कुछ जिलों के कम निर्धारण किये गये फलस्वरूप उन जिलों को धनराशि कम प्राप्त हुई ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बिलारी, जनपद मुरादाबाद को भवन किराया हेतु धन आवंटित किया जाना

15–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिलारी, जनपद मुरादाबाद के किराये के लिये धनराशि स्वीकृति के संबंध में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद का पत्रांक 1219/94-95 दि० 11-8-94 निदेशक, आयु० एवं यूनानी, उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

धन के आवंटन हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

16–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बिलारी, जनपद मुरादाबाद के भवन का किराया शासनादेश पत्रांक 4316/सेक-9/पांच-211/92, दि० 21-11-93 द्वारा स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन का किराया भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किराया भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? विलम्ब हेतु दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? किराये का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन उपलब्ध होने पर भुगतान किया जायगा ।

जिला ग्राम्य अभिकरण बांदा द्वारा विकास कार्यों में बरती जा रही अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

17–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति देने के संबंध में बरती जा रही कतिपय अनियमितताओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक 1 नं० 036080 दिनांकित 04-09-1994 ई० जलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण एवं संदर्भित पत्र की प्रति सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन को प्राप्त हुई है । यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं । परन्तु प्रश्नकर्ता का पत्रांक 27/12-8-84 दिनांक 4-9-94 सचिव, ग्राम्य विकास उ०प्र० शासन को प्राप्त हुआ है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा के शासी निकाय की बैठक दिनांक 9-7-94 की कार्यवाही अभिकरण के पत्र दिनांक 27-9-94 द्वारा मा० विधायक जी को भेजी जा चुकी है । मा० विधायक के पत्र का नियमानुसार उत्तर भेजने का निर्देश संबंधित जिलाधिकारी को 3-7-95 को दे दिया गया है ।

जनपद गाजीपुर के कृषि विभाग (बफर गोदाम) के निलम्बित इन्चार्ज से धन वसूलने की संस्तुति

18–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि विभाग, गाजीपुर (बफर गोदाम) के इन्चार्ज के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर ने गलत आरोप लगाकर निलम्बित कर दिया था ? क्या इस संबंध में एक जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी और जांच अधिकारी ने इन्द्रजीत धर दुबे से सिर्फ 4000/- रुपये वसूलने की संस्तुति अपनी जांच आख्या में दी थी ? क्या यह सही है कि कृषि निदेशालय ने उसको बढ़ाकर 44 हजार रुपये कर दिया ? क्या यह भी सही है कि जांच अधिकारी का बयान भी लिया गया था ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने मा० मुख्य मंत्री को दिनांक 11-6-94 को माफ करने हेतु पत्र लिखा था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उसको माफ करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जी हां ।

जांच अधिकारी ने श्री दुबे को रू० 6321.50 पैसे की हानि के लिये उत्तरदायी ठहराया था । जी हां । निदेशालय स्तर पर श्री दुबे को रू० 44239.90 पैसे की हानि पहुंचाने के लिये उत्तरदायी पाया गया । जांच अधिकारी तथा अपर कृषि निदेशक (प्रशासन) के मध्य विचार विमर्श हुआ था । परीक्षणोपरान्त संख्या -98/12.9.95/1309/92. दिनांक 23.3.95 के द्वारा श्री दुबे को रू० 6321.50 पैसे की ही वसूली करने के आदेश जारी किये गये । इस धनराशि को माफ करने का औचित्य नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर को जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना के अन्तर्गत आवन्टित धन का वर्षवार विवरण

19–श्री ओम प्रकाश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले को जवाहर रोजगार योजना एवं दस लाख कूप योजना अन्तर्गत वर्ष 1993-94 व 1994-95 के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? वर्ष 1994-95 में कितनी धनराशि अब तक अवमुक्त कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दी गयी ? क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 की धनराशि वर्ष 1993-94 के लिये आवंटित धनराशि से कम है ? यदि हां तो कितनी कम है और इसका कारण क्या है ?

श्री चैनसुख भारती–

जिला मिर्जापुर की निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि दी गयी थी :–

	1993–94	1994–95
1.– जवाहर रोजगार योजना	1403.965	1079.84
2–दस लाख कूप योजना	336.622	476.39

जी नहीं, केवल जवाहर रोजगार योजना में वर्ष 94–95 में आवंटित धनराशि वर्ष 93–94 में आवंटित धनराशि से कम है ।

भारत सरकार से प्राप्त 80 प्रतिशत धनराशि में राज्यांश का बीस प्रतिशत मिलाकर जिलों को धन उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार आवंटन का निर्धारण भारत सरकार द्वारा होता है।

जनपद सुल्तानपुर में शारदा सहायक खण्ड –4 के माइनर हेतु अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का भुगतान

20–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री जी द्वारा अग्रसारित पत्र संख्या–सी०एम०वि०को०/एम–1/11–12 सुल्तानपुर , दिनांक 21–11–94 कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव , सिंचाई को प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये भेजा गया है ? क्या प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं , तो क्यों ? क्या सरकार अविलम्ब प्रतिकर भुगतान करने के आदेश निर्गत करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में मा० विधायक द्वारा श्री अमर बहादुर सिंह आदि का प्रार्थना पत्र संलग्न कर भेजते हुये शारदा सहायक खण्ड–4 । रायबरेली द्वारा निर्मित आदिलपुर माइनर का मुआवजा आदिलपुर निवासियों को भुगतान करने की संस्तुति की गयी है ।

आदिलपुर माइनर 6 ग्रामों में होकर गुजरती है । जनपद रायबरेली में स्थित शीर्ष के 5 ग्रामों का भूमि प्रतिकर समस्त कृषकों को वितरित किया जा चुका है । जनपद सुल्तानपुर के ग्राम आदिलपुर के

कृषकों को भूमि प्रतिकर अभी वितरित नहीं किया जा सका है जिसे आपसी बातचीत के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद पौड़ी में वर्ष 1994–95 में पेयजल व्यवस्था हेतु आवंटित धन

21–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1994–95 में पौड़ी जिला योजना में पेयजल की व्यवस्था के लिये जल निगम को कितना धन निर्गत किया गया है ? क्या जल निगम के परिव्यय में कटौती की गयी ? यदि हां , तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

रू० 446.15 लाख

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में कतिपय लिफ्ट योजनाओं के निर्माण की मांग

22–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूकम्प से क्या उत्तरांचल के अधिकांश जल स्रोत सूख गये हैं ? यदि हां तो क्या सरकार लावा चाका सूर्यकुण्ड रानीताल , जबाडी रौठिया सिल्काखाल चून्नीखाल आदि लिफ्ट योजनाओं का निर्माण जनपद टिहरी गढ़वाल में कराने जा रही है ? यदि हां, तो कई वर्ष से इन योजनाओं का आगणन शासन स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े होने के क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती –

जी हां ।

वर्तमान में सिंचाई विभाग में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरांचल में हिल कैडर लागू करने हेतु कार्य योजना का प्रारूप

23–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में हिल कैडर लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसके लिए सरकार ने क्या कोई कार्य योजना बनायी है ? अब तक कितने विभागों में हिल कैडर लागू हो चुका है ? कितने विभाग अभी शेष हैं ? कब तक हिल कैडर को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उ० प्र० पर्वतीय उप सम्वर्ग नियमावली, 1992 के अन्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विभागों द्वारा पर्वतीय उप सम्वर्ग के लिए श्रेणी–ख, ग व घ के कर्मियों के संबंध में विकल्प प्राप्त करके उनकी सम्वर्गवार ज्येष्ठता सूची तैयार करते हुए निर्धारित/अधिसूचित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों को भरे जाने की कार्य योजना बनायी गयी है।

उ० प्र० पर्वतीय उप सम्वर्ग नियमावली, 1992 में अधिसूचित 31 विभागों पर्वतीय उप सम्वर्ग के गठन की कार्यवाही की जानी थी परन्तु इनमें से तीन विभागों (भारी उद्योग, क्षेत्रीय विकास व प्रौढ़ शिक्षा) के द्वारा उत्तराखण्ड में कार्यालय न होने तथा अस्थायी विभाग होने के कारण इनमें पर्वतीय उप सम्वर्ग लागू किया जाना सम्भव नहीं है। शेष 28 विभिन्न विभागों द्वारा पैरा–2 में उल्लिखित कार्य योजना के आधार पर हिल कैडर को लागू करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्त समस्त विभागों में हिल कैडर लागू करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

यह प्रक्रिया निरन्तर प्रकृति का है। अतः समय निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय को टिहरी गढ़वाल में शिफ्ट करने की मांग

24–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स निगम लि०, गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यक्षेत्र में कितने जिले आते हैं ? क्या आठ पर्वतीय जिलें के लिए यह कार्यालय अत्यधिक दूर पड़ता है ? क्या सरकार इस कार्यालय को मुनिर्कीरेती टिहरी गढ़वाल शिफ्ट करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

यू० पी० हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० का कार्यक्षेत्र मुख्यतः आठ पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग का विकास करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे भारत संघ में निगम अपने कार्यकलाप कर सकता है। पर्वतीय जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश व उसके बाहर भी निगम के वाणिज्यिक कार्य होने के कारण यह कार्यालय अत्यधिक दूर नहीं पड़ता है।

जी नहीं।

प्रशासनिक, वाणिज्यिक एवं समन्वय की दृष्टि से निगम का कार्यालय शिफ्ट करना व्यवहारिक नहीं है।

जनपद जौनपुर के जिला चिकित्सालयों में उपचारिका आवासों के आवंटन में बरती गयी अनियमितता

25–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के जिला चिकित्सालय में उपचारिका आवासों के आवंटन में गम्भीर अनियमिततायें बरती गयी हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक व मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को भारतीय मजदूर संघ, जौनपुर का पत्रांक–703/दिनांक 21-11-92 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर पर क्या कार्यवाही की गयी ? उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है ?

श्री आर० के० चौधरी–

जनपद जौनपुर में उपचारिका आवासों के आवंटन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी ।

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जांच की गयी और जांच में सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड नरेन्द्र नगर के मुख्यालय पर कृषि रक्षा इकाई खोलने की मांग

26–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सरकार क्या प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में कृषि रक्षा इकाई खोलने का निर्णय कर चुकी है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि वि० ख० नरेन्द्र नगर के ब्लाक मुख्यालय कोटे में कृषि रक्षा इकाई आज तक नहीं खोली गयी ? क्या सरकार शीघ्र वि० ख० नरेन्द्र नगर के मुख्यालय फकोट में कृषि रक्षा इकाई खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कृषि रक्षा इकाई खोली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पूर्व में विकास खण्ड नरेन्द्र नगर का मुख्यालय मुनिकीरेती में था, जहां पर कृषि रक्षा इकाई स्थापित है । बाद में फकोट में विकास खण्ड का भवन बन जाने पर विकास खण्ड मुख्यालय मुनिकीरेती से फकोट में स्थानान्तरित हो गया, परन्तु विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्रामों की स्थिति को देखते हुए कृषकों को मुनिकीरेती अधिक सुविधानजक होने के कारण यह इकाई इसी स्थान पर कार्यरत है । फकोट के निकटवर्ती ग्रामों के कृषकों की मांग को देखते हुए उन्हें कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु फकोट में भी व्यवस्था कर दी गयी है । अतः फकोट में अलग से कृषि रक्षा इकाई खोला जाना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के डांगी नैलचामी एवं बैजवाड़ी डागर के चिकित्सालय भवनों के निर्माण की मांग

27–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल डांगी नैलचामी टिहरी गढ़वाल तथा रा० एलोपैथिक अस्पताल बैजवाड़ी डागर टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु जनता ने भूमि उपलब्ध कब करायी थी ? क्या कारण है कि उक्त दोनों अस्पतालों के भवन निर्माण लम्बे समय से नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार इन अस्पतालों के भवन निर्माण शीघ्र करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय डांगी नैलचामी टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु भूमि अक्टूबर, 1988 को प्राप्त हुई । राजकीय एलोपैथिक अस्पताल बैजवाड़ी डांगर के लिए 6 नाली 13 मुट्ठी भूमि दिनांक 31-5-86 को विभाग के नाम रजिस्ट्री की गयी, अवशेष 13 नाली 8 मुट्ठी जमीन (सिविल सोम) विभाग के नाम हस्तान्तरित की जानी है ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय डांगी नैलचामी के भवन निर्माण के आंगणन वर्तमान दरों पर गठित कराये जा रहे हैं । राजकीय एलोपैथिक अस्पताल बैजवाड़ी डागर के लिए अवशेष भूमि के अभाव में भवन निर्माण की कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

जी हां ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय डांगी नैलचामी के भवन निर्माण के आंगणनों के अनुमोदन व वित्तीय सहायता की स्वीकृति के उपरान्त कराया जाना सम्भव होगा । राजकीय एलोपैथिक अस्पताल बैजवाड़ी डांगर के लिए अवशेष भूमि उपलब्ध होने के बाद आंगणनों का गठन कराया जायेगा । आंगणनों के अनुमोदनोपरान्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण कराया जाना सम्भव होगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड देव प्रयाग के क्षतिग्रस्त भवन के निर्माण की मांग

28–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देव प्रयाग (हिन्डोलाखाल) टिहरी गढ़वाल का भवन कब क्षतिग्रस्त हुआ था ? क्या कारण है कि उक्त विकास खण्ड का भवन निर्माण आज तक शुरू नहीं हुआ है ? क्या सरकार वि० ख० देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

विकास खण्ड देव प्रयाग (हिण्डोलाखाल) टिहरी गढ़वाल का भवन वर्ष 1987-88 में क्षतिग्रस्त हुआ था ।

क्षतिग्रस्त भवन को मार्च, 1994 में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है । क्षतिग्रस्त भवन के नव निर्माण का प्रस्ताव एवं आंगणन फरवरी, 1995 में ही प्राप्त हुए । आंगणन परीक्षणाधीन है ।

सभी प्रक्रियायें पूर्ण होने पर ही निर्माण करने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के जखोली भीटी मोटर मार्ग तथा दुगड्डा सोड पिपलीधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

29–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग टिहरी गढ़वाल ने जखोली भीटी मोटर मार्ग तथा दुगड्डा सोड पिपलीधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि की क्षतिपूर्ति एवं वृक्षारोपण हेतु कितनी धनराशि कब दी थी ? क्या कारण है कि वन विभाग ने अभी तक वन मोटर मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की है ? विलम्ब का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

(क) जखोली भीटी मोटर मार्ग तथा दुगड्डा सोड पिपलीधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा क्रमशः रुपये 5,46,402/- तथा रु० 6,37,176/- की धनराशि का भुगतान वन विभाग को मार्च, 1994 में किया गया था ।

(ख) वन विभाग द्वारा वन मोटर मार्गों के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति क्रमशः शासनादेश संख्या जी०आई०–389/14-2-1994–600(14)/93, दिनांक 26-11-94 तथा शासनादेश संख्या–जी०आई०–404/14-2-1994–600(11)/1993, दिनांक 26-11-94 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की जा चुकी है ।

(ग) इन मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण किया जाना है ।

राजकीय इण्टर कालेज किल-किलेश्वर जनपद गढ़वाल के भवन के निर्माण की मांग

30–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० किल-किलेश्वर टिहरी गढ़वाल का भवन निर्माण कब से अधूरा पड़ा है ? इस भवन का पुनरीक्षित आंगणन क्या लोक निर्माण विभाग श्रीनगर गढ़वाल ने तैयार कर निदेशक इलाहाबाद को भेज रखा है ? यदि हां, तो निदेशक शिक्षा विभाग इलाहाबाद उक्त कालेज के भवन निर्माण का पुनरीक्षित आंगणन उ० प्र० शासन को क्यों नहीं भेज रहा है ? यह किस व्यक्ति की लापरवाही है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों को दण्ड देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, वर्ष 1980 से ।

शिक्षा निदेशक से 83.62 लाख रुपये के पुनरीक्षित आंगणन शासन स्तर पर दिनांक 30-3-95 को प्राप्त हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

31–श्री बालेश्वर त्यागी–

[4थे शुक्रवार में अता० प्र० सं०–169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

32–श्री मित्रसेन यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

33–श्री मित्रसेन यादव–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बिजनौर के उप मुख्य चिकित्साधिकारी श्री राकेश भटनागर दम्पत्ति का स्थानान्तरण एवं तैनाती की शिकायत

34–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राकेश भटनागर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बिजनौर एवं उनकी पत्नी श्रीमती आशा भटनागर चिकित्सा अधिकारी नहठौर, जनपद बिजनौर का स्थानान्तरण पिछले वर्ष एवं इस वर्ष बिजनौर से अन्यत्र किये जाने के आदेश किये गये थे ? क्या उक्त आदेश स्थगित कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त दम्पत्ति कितने वर्षों से जनपद बिजनौर में कार्यरत हैं ? शासन की नीति का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

डा० राकेश भटनागर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी व उनकी पत्नी डा० (श्रीमती) आशा भटनागर, प्रभारी चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण शासनादेश दिनांक 2-2-94 द्वारा 30-6-94 तक रोके जाने और तत्पश्चात् शासनादेश दिनांक 11-8-94 द्वारा 30-6-95 तक वर्तमान पद पर कार्य करने के आदेश दिये गये । जनपद बिजनौर में अनेक पदों की रिक्ति देखते हुए कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिये उक्त चिकित्सक दम्पत्ति का स्थानान्तरण आदेश स्थगित किया गया था ।

डा० भटनागर दम्पत्ति वर्ष 1985 से पूर्व जनपद बिजनौर में तैनात थे और महानिदेशक के आदेश 30-6-85 द्वारा उक्त दम्पत्ति को बिजनौर से जनपद मुरादाबाद स्थानान्तरित किया गया था । तत्पश्चात् वर्ष 1992 में उक्त चिकित्सक दम्पत्ति के निजी अनुरोध पर जनपद बिजनौर में तैनात किया गया था ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की ड्रेनों की खुदाई कराकर जल प्लावन की समस्या के निराकरण की योजना

35–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल परगना कोलअसला त० व जिला वाराणसी की जल निकासी की योजना सिंचाई खण्ड जौनपुर ने बनायी है ? क्या अजईपुर ड्रेन मच्छाताल ड्रेन व महराजकोट पिंडरा ड्रेन व पिंडरा ड्रेन जो सरकारी है उसकी गहरी खोदाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

महराजकोट ड्रेन की खुदाई करा दी गयी है ।अजईपुर ड्रेन (थाना ड्रेन) मच्छाताल ड्रेन, पिंडरा ड्रेन, पिंडराईन ड्रेन के खुदायी का प्रस्ताव वर्ष 95-96 में बनाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी को प्रेषित कर दिया गया है ।

उपरोक्त पर धन उपलब्ध होने पर ड्रेन की खुदाई कराकर जल प्लावन की समस्या दूर करा दी जायेगी ।

उत्तरांचल के कतिपय जिलों में पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन

36–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूकम्प के आने के बाद क्या उत्तरांचल के अधिकांश जल स्रोत सूख गये हैं ? क्या यह सत्य है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग, कीर्तिनगर, नरेन्द्र नगर में गम्भीर पेयजल संकट पैदा हो गया है ? सरकार इस गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार ने 1992 के बाद उत्तरांचल में पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त धन दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी कम हो जाने तथा स्रोतों के सूख जाने के कारण पेयजल की कठिनाई है।

पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन कर पेयजल संकट दूर किया जाना प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार धनराशि दी गयी ।

आठ पर्वतीय जिलों का अलग राज्य बनाने का केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

37–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आठ पर्वतीय जिलों का अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव किन-किन मुद्दों के आधार पर केन्द्र सरकार को भेजा गया था ? क्या प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार पर इस प्रस्ताव को स्वीकार करने हेतु प्रयासरत है ? क्या राज्य सरकार ने अलग उत्तरांचल राज्य बनाने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या अब तक प्रारूप तैयार किया गया है ?

सुश्री मायावती–

राज्य सरकार द्वारा पृथक उत्तरांचल राज्य की स्थापना के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 12-8-91 को विधान सभा के उपवेशन में पारित होने के पश्चात् केन्द्र सरकार को भेजा गया था । पृथक उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में गठित मंत्रिपरिषदीय समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था । राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए आठ पर्वतीय जिलों का उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये प्रस्तुत संकल्प को विधान सभा के दिनांक 24-8-94 के उपवेशन तथा विधान परिषद् की दिनांक 25-8-94 की बैठक में स्वीकृत होने के उपरान्त भारत सरकार को भेजा गया । राज्य सरकार उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है ।

भूकम्प से क्षतिग्रस्त पर्वतीय जिलों के कतिपय इण्टर कालेजों के भवन निर्माण की मांग

38–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० फकोट, चाका, पोखरी, कुण्ड, भरपूर, हिंसारियाखाल भरपूर, डांगी नैलचामी, बुढ़ना लस्या टिहरी गढ़वाल के भवन भूकम्प से किस वर्ष क्षतिग्रस्त हुए थे ? क्या सरकार इन क्षतिग्रस्त भवनों का निर्माण कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इनका निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1991 में आये भूकम्प में राजकीय इण्टर कालेज, फकोट, चाका, पोखरी, डांगी नैलचामी, बुढ़ना लस्या के भवन क्षतिग्रस्त हुए थे । शेष विद्यालय क्षतिग्रस्त की सूची में नहीं हैं ।

जी हां ।

यथाशीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी तथा चमोली में लघु सिंचाई विभाग को अवमुक्त धनराशि का विवरण

39–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पौड़ी तथा चमोली में वर्ष 1988-89 में अंटाइड फण्ड से लघु सिंचाई विभाग को कुल कितनी राशि अवमुक्त की गयी थी तथा कहां-कहां विभाग की गूलें तथा हौज बनायी गयी है ? इसमें से कितने ऐसे स्थानों पर खर्चा दिखाया गया है, जहां एक ही समय पर विभाग ने विभाग मदों से अलग-अलग खर्च किया है ?

श्री चैनसुख भारती–

वर्ष 1988-89 में पौड़ी तथा चमोली में अंटाइड फंड से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी थी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में भवन विहीन एवं जर्जर कालेजों के निर्माण की मांग

40–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल कितने ऐसे हाईस्कूल इण्टर कालेज हैं जो भवन विहीन हैं ? इनमें कितने ऐसे विद्यालय हैं, जो जर्जर अवस्था में हैं? कब तक इन विद्यालयों का तत्काल भवन निर्माण कराया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 36 हाईस्कूल/इण्टर कालेज अपर्याप्त भवन के हैं ।

उक्त में से 22 हाईस्कूल/इंटर कालेजों के भवन जर्जर अवस्था में हैं ।

संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवनों का निर्माण सम्पन्न कराया जायेगा । समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण में फैली बीमारी की रोकथाम एवं चिकित्सालयों के स्थापना की मांग

41–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि विगत दो वर्ष पूर्व जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण में टीला खण्ड क्षेत्र में भयंकर बीमारी से 40–50 बच्चों की मृत्यु हो गयी थी ? स्वास्थ्य विभाग

ने इस संदर्भ में क्या कदम उठाये हैं । क्या वहां पर स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

विकास खण्ड थलीसैण के टीला क्षेत्र में विगत दो वर्षों में 6 बच्चों की खसरा बीमारी से मृत्यु हुई थी ।

बीमारी की सूचना प्राप्त होने पर उप मुख्य चिकित्साधिकारी को चिकित्सा दल के साथ उक्त ग्राम भेजा गया । क्षेत्रीय कार्यकर्ता नियमित रूप से पहले से ही रोगों की रोकथाम में प्रयत्नशील थे । किन्तु स्थानीय अंधविश्वासों के कारण लोगों द्वारा उपचार सही ढंग से नहीं लिया गया । चिकित्सक दल द्वारा अंध विश्वास दूर करने के प्रयत्न किये गये और उन्हें बीमारी पर पूर्ण नियंत्रण तक गांव में ही रहने हेतु निर्देशित किया गया । सफाई की भी समुचित व्यवस्था की गयी ।

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने में मानकों के आधार पर उक्त जनपद में 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं जबकि वहां 32 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्व से स्थापित किये जा चुके हैं ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उद्यान भरसार के विकास हेतु योजना

42–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में भरसार बगीचा के समुचित विकास हेतु क्या-क्या योजनायें बनायी गयी हैं ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में राजकीय उद्यान भरसार में एक माली प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की योजना का एक प्रस्ताव निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (उत्तराखण्ड) चौबटिया, रानीखेत से दिनांक 26 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हुआ है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड थलीसैण के वनीकरण हेतु आवंटित धन

43–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डी० पी० ए० पी० के तहत थलीसैण विकास खण्ड में वर्ष 1988-89 से 1994 तक कुल कितना पैसा वनीकरण हेतु दिया गया ? क्य वर्णित स्थानों पर वनीकरण किया गया ? क्या यह सत्य है कि उन स्थानों पर भी वनीकरण दिखाया गया है जहां अन्य विभागों द्वारा वनीकरण किया गया था ? यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत विकास खण्ड थलीसैण में वर्ष 1988-89 से 1994 तक कुल 65.46 लाख की धनराशि का उपयोग विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा वनीकरण हेतु किया गया ।

जी हां ।

वर्ष 1991-92 से पूर्व वनीकरण का कार्य विभिन्न संस्थाओं–वन पंचायत, ग्राम सभा, युवक मंगल दल/प्रादेशिक विकास दल एवं खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा कराया गया । यह कार्य प्रस्ताव के अनुरूप ही इन संस्थाओं द्वारा कराया गया तथा धनराशि भी सीधे इन संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी । ऐसे विवादित वनीकरण योजनाओं की जानकारी इन संस्थाओं द्वारा नहीं दी गयी जहां कि अन्य

विभागों द्वारा वनीकरण कराया गया हो। अब वर्ष 1991-92 से यह कार्य केवल वन विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

44–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 19-7-95 को अता० प्र० सं०–154 द्वारा उत्तरित]

45–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 19-7-95 को अता० प्र० सं०–153 द्वारा उत्तरित]

46–श्री राम आसरे वर्मा–

[दिनांक 8-2-95 को अता० प्र० सं०–168 द्वारा उत्तरित]

जनपद सीतापुर के ग्राम पगरोई, विकास खण्ड परसेडी, में जीर्णोद्धार पंचायत भवन की जांच

47–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में ही ग्राम पगरोई, ब्लाक परसेडी, जिला सीतापुर में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन का जीर्णोद्धार कराने में कार्य अधोमानक होने की जांच सी० डी० ओ० सीतापुर द्वारा करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा दोषी ग्राम प्रधान तथा अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां। कार्य मानक के अनुसार पाया गया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रदेश में प्रशिक्षित दाइयों की संख्या एवं उनकी नियुक्ति का प्रकरण

48–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशिक्षित दाइयों की अनुमानित संख्या क्या है जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा सकी है ? नियुक्ति देना कब से प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों की अनुमानित संख्या लगभग 1,45,271 है। प्रशिक्षण प्राप्त दाइयों को सरकारी सेवकों के रूप में नियुक्ति प्रदान किया जाना शासन की वचनबद्धता नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम प्रधान पगरोई, जनपद सीतापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान पगरोई, ब्लाक परसेडी, जिला सीतापुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग से संबंधित कितने शिकायती-पत्र ग्रामवासियों की ओर से सी० डी० ओ० सीतापुर को 1 जनवरी, 94 से 31 अक्टूबर, 1994 के बीच में मिले ? मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्राम प्रधान पगरोई के विरुद्ध मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में दो प्रार्थना पत्र/शिकायती-पत्र प्राप्त हुए।

शिकायतों का विवरण निम्न है :—

1–दिनांक 5-5-94 पगरोई पंचायतघर एवं देवस्थान पर खड़न्जा व बाउन्ड्री के संबंध में ।

2–दिनांक 13-9-94 को पगरोई के उप प्रधान श्री जब्बर प्रसाद द्वारा जवाहर रोजगार योजना में प्राप्त धन के व्यय की जांच एवं उक्त क्रमांक–1 के अनुसार ।

शिकायतों की जांच खण्ड विकास अधिकारी से करायी गयी । जवाहर रोजगार योजना के वर्ष 92-93 तथा 93-94 से सम्बन्धित अभिलेख व भौतिक जांच की गयी । सभी कार्य सन्तोषजनक पाये गये। उप प्रधान श्री जब्बर प्रसाद पर अनियमितता के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं ।

सिटी बोर्ड/नगर निगम, गाजियाबाद में जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन की जानकारी

50–श्री बालेश्वर त्यागी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994-95 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु सिटी बोर्ड/नगर निगम द्वारा गाजियाबाद में कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने आवेदन स्वीकार करके ऋण प्रदान करने हेतु विभिन्न बैंकों को भेजे गये तथा कितने लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया गया ?एक आवेदन में लगभग कितना व्यय आवेदनकर्ताओं को करना पड़ता है ?

श्री चैनसुख भारती–

सिटी बोर्ड/नगर निगम गाजियाबाद में जवाहर रोजगार योजना लागू नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सोनभद्र में सोन पम्प नहर हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

51–श्री तीरथ राज–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सोनभद्र जनपद में सोन पम्प नहर में व बलुई बन्धी के मुख्य नहर में अधिग्रहीत की गई भूमि का प्रतिकर दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा प्रतिकर कब तक दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

सोन पम्प नहर में लगभग 90% तथा बलुई बन्धी के मुख्य नहर के लगभग 60% अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है । सोन पम्प नहर के मुख्य नहर में 6.04 हेक्टेयर भूमि का भुगतान स्वामित्व विवाद के कारण नहीं हो सका है तथा बलुई बन्धी मुख्य नहर में शेष 16.75 हेक्टेयर भूमि का प्रतिकर का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा किया जा रहा है ।

स्वामित्व विवाद के हल होने पर भुगतान कर दिया जायगा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशुनपुरा, ब्लाक ब्रह्मपुर, जनपद गोरखपुर में अस्पताल व आवास हेतु धन आवंटित किये जाने की मांग

52–श्री मित्रसेन यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक–ब्रह्मपुर अन्तर्गत नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशुनपुरा के अस्पताल व आवास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य कराने का विचार है ? क्या इस विषय पर पूर्व विधायक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के अनेकों पत्र वर्ष 1994 में शासन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण का विषय जिला योजना का है ।

जिला योजना विस्तार अंश में परिव्यय उपलब्ध होने, जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कर दिये जाने तथा चिकित्सालय भवन हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त भूमि सुलभ होने पर ही यथा समय प्रश्नगत चिकित्सालय भवन का निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव होगा ।

वर्ष 1994 में मा० श्री विशारद का इस विषय पर एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

प्रस्तर–5 के उत्तर में उल्लिखित परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु इसे मुख्य चिकित्साधिकारी गोरखपुर को भेजा गया था ।

जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बैठवलिया को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन तथा ग्राम प्रधान का निलम्बन वापस होने की जानकारी

53–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद महराजगंज के ग्राम सभा बैठवलिया को वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 व 1993-94 में गांव के विकास के लिये जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? उक्त आवंटित धनराशि से क्या ग्राम प्रधान द्वारा बिना विकास कार्य कराये ही आठ हजार रुपये का फर्जी भुगतान करने की शिकायत शासन के संज्ञान में है ? यदि हां, तो उक्त फर्जी भुगतान के आधार पर दोषी ग्राम प्रधान को निलम्बित करने के आदेश के साथ गबन की गयी धनराशि को जमा करने के आदेश शासन द्वारा दिये गये थे ? क्या यह सत्य है कि गबन की गयी धनराशि को बिना जमा कराये ही उक्त ग्राम प्रधान का निलम्बन वापस किया गया है ? यदि हां, तो उक्त निलम्बन के वापसी का कारण क्या है ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्राम सभा बैठवलिया के लिये जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91, 91-92, 92-93 व 1993-94 में कुल मु० 206459.11 रुपये का आवंटन किया गया था ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

परगनाधिकारी निचलौल ने उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में प्रधान का निलम्बन निरस्त कर दिया है । खण्ड विकास अधिकारी ने भी जांच कर बताया कि प्रधान ने कार्य पूर्ण करा दिया है ।

जनपद महराजगंज पूर्व जनपद गोरखपुर में सेखुई माइनर के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

54–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा अझा रुदरौली ओबरी, विकास खण्ड मिठौरा जो पूर्व जनपद गोरखपुर में था, वर्तमान समय में जो महराजगंज में है, के काश्तकारों की भूमि सेखुई माइनर निकालने के लिये सिंचाई विभाग, गोरखपुर ने वर्ष 86-87 में अधिग्रहण की थी जिसका मुआवजा आज तक भूमि स्वामियों को सिंचाई विभाग द्वारा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मुआवजा भुगतान के संबंध में ग्रामवासियों ने 21-9-90 को अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड द्वितीय गोरखपुर को लिखित शिकायत दी थी जिस पर अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड द्वितीय ने अपने पत्रांक 219 सी०

ख–2/एल-5 दिनांक 21-9-90 द्वारा ग्रामवासी पारसानाथ को सूचना भी भेजी थी ? यदि हां, तो अब तक विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान करने की क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार मुआवजा से वंचित भूमि स्वामियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

सुश्री मायावती–

सेखुई माइनर के निर्माण हेतु ग्राम अगवा, रुदौली की ही जमीन ली गयी है । ग्राम ओबरी की जमीन नहीं ली गयी है ।

जी हां ।

संगठन के अभिलेखों में वर्णित दोनों ही पत्र उपलब्ध नहीं हैं ।

मुआवजा भुगतान करने हेतु उक्त अगवा एवं रूदौली ग्रामों का भू-अर्जन प्रस्ताव वर्ष 1990 में बिशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजा गया था, जिसे 11/90 में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने आपत्ति के साथ वापस कर दिया । वर्तमान समय में काश्तकारों से निगोसियेशन के उपरान्त बैनामे के माध्यम से भूमि के मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही का प्रयास किया जा रहा है ।

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 231–232 पर)

प्रदेश के पर्वतीय जिलों को पेयजल योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रस्ताव

55–डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 में पर्वतीय क्षेत्र के किन-किन जिलों में कितने-कितने गांवों को पेयजल से लाभान्वित होना था और कितने गांवों को लाभान्वित किया जा सका है । कितनी योजनायें अधूरी हैं ? किन कारणों से अधूरी हैं और उन्हें कब तक पूर्ण किया जा सकेगा ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993-94 में 129 गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव था । वर्ष 1993-94 में 132 गांवों को लाभान्वित किया गया ।

1382 ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

जनपद पौड़ी में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत किये गये वनीकरण एवं उस पर हुए व्यय का विवरण

56–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद पौड़ी में डी० पी० ए० पी० के तहत विगत पांच वर्षों में जनपद में विकास खण्डवार कुल कितने हेक्टेयर में वनीकरण किया गया और इस वनीकरण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ? क्या यह सही है कि वनीकरण के नाम पर धनराशि का भारी दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी में डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में 10 विकास खण्डों में 3443.71 हेक्टेयर में वनीकरण किया गया और इस पर रु० 232.13 लाख की धनराशि व्यय की गयी । विकास खण्डवार विवरण संलग्न है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में डी० पी० ए० पी० योजना के कार्यान्वियन के संबंध में समाचार-पत्र में प्रकाशित एक सूचना शासन के संज्ञान में आयी है । जिस पर जिलाधिकारी से आख्या मांगी गयी है, आख्या प्राप्त होने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी क्योंकि आख्या मांगी गयी है ।आख्या अभी अप्राप्त है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 233 पर)

ऊपरी गंगा नहर विश्व बैंक परियोजना रुड़की को पूर्ण किये जाने का प्रस्ताव

57–डा० पृथ्वी सिंह 'विकसित'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ऊपरी गंगा नहर विश्वबैंक परियोजना रुड़की जो विश्वबैंक अनुबन्ध के अनुसार सितम्बर, 1994 तक पूर्ण होनी थी, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह योजना पूर्ण करने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

विश्वबैंक अनुबन्ध एवं प्रदत्त समयवृद्धि के अनुसार सितम्बर, 1994 तक प्रथम समयांश के कार्य ही पूर्ण होने थे । रुड़की क्षेत्र के कार्य प्रथम समयांश में पूरे न होकर विश्व बैंक स्टाफ एपरेजल रिपोर्ट में दिये गये कार्यक्रम अनुसार 1996-97 में पूर्ण होना प्रस्तावित था किन्तु पर्यावरण स्वीकृति मिलने में दो वर्ष की अवधि लगने के कारण अब इसे वर्ष 1998-99 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जी हां ।

पर्यावरण स्वीकृति मिलने में परियोजना के प्रारम्भ में दो वर्ष की अवधि लगी । इस प्रकार स्टाफ एपरेजल रिपोर्ट के कार्यक्रम अनुसार इस दो वर्ष की अवधि को सम्मिलित करते हुए रुड़की क्षेत्र के कार्य वर्ष 1998-99 में पूर्ण किये जाने हैं । परियोजना के रुड़की क्षेत्र में कार्य वर्तमान कार्यक्रम अनुसार चल रहे हैं और वर्ष 1998-99 तक पूर्ण किये जाना प्रस्तावित है ।

जनपद गढ़वाल में खिर्सू मूसागली दमदेवल मार्ग के निर्माण से क्षतिग्रस्त भूमि व सम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान

58–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में खिर्सू-मूसागली–दमदेवल मोटर मार्ग निर्माण के अन्तर्गत श्री गोविन्द सिंह नेगी, ग्राम बिठौली, पट्टी विठोलस्यूं, पौड़ी गढ़वाल का सीमेन्ट से बना हौज सिंचित खेत, बगीचा तथा बांस का विशाल बाड़ा समूल क्षतिग्रस्त हो गया था ? यदि हां, तो इतने वर्षों के बाद भी उन्हें मुआवजा न मिलने का क्या कारण है ? क्या शासन द्वारा तत्काल उन्हें मुआवजा प्रदान किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । खिर्सू मूसागली दमदेवल मार्ग के निर्माण से श्री गोविन्द सिंह नेगी ग्राम विडोली पट्टी बिडोलस्यूं, पौड़ी गढ़वाल की भूमि व सम्पत्ति क्षतिग्रस्त हुई थी ।

श्री गोविन्द सिह नेगी को 1/90 में अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है । सम्पत्ति के मुआवजे का भुगतान आंकलन न हो पाने के कारण नहीं किया जा सका, अब इसका आंकलन कर भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच की मांग

59–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा निदेशालय, उ० प्र० की किन-किन अनियमितताओं के विरुद्ध कुल कितनी जांच चल रही हैं ? इन जांचों को कब तक पूरा हो जाना चाहिए था ? क्या जांच में कोई दोषी पाया गया है ? क्या मंत्री जी जांच की उक्त आख्याओं को सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पौड़ी एवं चमोली के कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत कार्यरत यूनिटों की संख्या

60–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कर्णप्रयाग विधान सभा क्षेत्र जिला पौड़ी एवं चमोली में हथकरघा तथा वस्त्र उद्योग के अन्तर्गत कहां-कहां और कौन-कौन सी यूनिटों की स्थापना की जा रही है ?अभी तक कुल कितनी यूनिटें कार्यरत हैं ?

सुश्री मायावती–

वर्तमान में कोई यूनिट स्थापित नहीं की जा रही है ।

वर्ष 1994-95 तक कर्ण प्रयाग विधान सभा क्षेत्र के जिला पौड़ी क्षेत्र में 2 व जिला चमोली क्षेत्र में 54 कुल 56 यूनिटें कार्यरत हैं ।

61–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं०–88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अलीगढ़ के कोल असला विधान सभा क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाने की योजना

62–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को 245 कोल असला विधान सभा क्षेत्र में 12 स्थानों में ट्यूबवेल लगाने हेतु दि० 24-3-94 को एक पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कोई जांच की गयी और कोई योजना तैयार की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जनपदीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्राविधान अनुमोदित करने के पश्चात् जिला स्तरीय समितियों द्वारा ग्रामों के चयन के पश्चात् कराया जाता है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु प्राविधान

63–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जो 12 स्थान दिये गये थे वे डबल रेलवे लाइन वाराणसी लखनऊ व वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे लाइन तथा वरूणा नदी व नाद नदी तथा कुंडी नाला, पच्छाताल ड्रेन पिंडरा ड्रेन व महराजकोट पिंडरा ड्रेन तथा पक्की सड़कों व बावतपुर वाराणसी ऐरोड्रम से घिरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रति वर्ष चार-चार नलकूप स्वीकार कर लगाने का आदेश देगी ? क्या मंत्री जी को इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 23-2-94 को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत जनपदीय नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा प्राविधान अनुमोदित करने के पश्चात् जिला स्तर समितियों द्वारा ग्रामों का चयन के पश्चात् कराया जाता है।

जी हां।

सर्वेक्षण कराया गया है तथा कार्यवाही जनपद स्तर पर की जानी है।

जनपद वाराणसी के ग्राम गहरपुर में नलकूप लगाने की मांग

64–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गहरपुर, ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी जो बारी प्रतापगढ़ रेलवे लाइन के उत्तर तथा वरूणा नदी के दक्षिण में है वहां के किसानों की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने नलकूप लगाने हेतु अपने पत्र के साथ ता० 23-2-94 को मुख्य मंत्री को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

मा० विधायक के पत्र में इंगित ग्राम में नलकूप लगाये जाने की सम्भावना पर सर्वे कराया गया। राजकीय नलकूप निर्माण हेतु बाकी क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त राजकीय नलकूपों का निर्माण जिला योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर में ग्राम सोना अर्जुनपुर हेतु जवाहर रोजगार योजना का धन अवमुक्त न होने संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच

65–डा० राम चन्द्र लाम्बा–

क्या ग्राम विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड रामपुर ग्राम सोना अर्जुनपुर के प्रधान से उनकी रुकी जवाहर रोजगार योजना के धन को अवमुक्त करने के लिये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने भारी कमीशन की मांग की, जिसे देने से ग्रामप्रधान ने इन्कार किया ?

क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करायेगी एवं दोषी पाये जाने पर अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

शिकायत की जांच कराने पर रिश्वत के आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर में रिछौरा रजवहा की गोपालपुर माइनर हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा की मांग

66–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र ग्राम गौरियाबाद, तह० गौरीगंज, सुल्तानपुर की किसान यूनियन द्वारा डी० आर० ओ० को दिनांक 23-3-95 को प्राप्त कराया गया है, जिसमें रिछौरा रजवहा की गोपालपुर माइनर का मुआवजा न मिलने की शिकायत की गयी है ? यदि हां, तो क्या अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

गोपालपुर माइनर से संबंधित ग्राम बहादुरपुर एवं गोपालपुर में अर्जित की जा रही 0.980 एकड़ बाग भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सुल्तानपुर के पत्र दिनांक 25-4-88 द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था परन्तु प्रतिकर की धनराशि उन्हें उपलब्ध न कराये जा पाने के कारण धारा–4 की कार्यवाही कालातीत हो गयी । अतः जिलाधिकारी द्वारा प्रस्ताव पुनः बनाकर भेजने हेतु अधिशासी अभियन्ता को लिखा गया है । भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने पर ही मुआवजे का भुगतान सम्भव है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद द्वारा विभागीय लेखा जोखा का आडिट

67–श्री परशुराम यदव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फैजाबाद द्वारा विभागीय लेखा-जोखा का आडिट वित्तीय वर्ष 1994-95 के 6 माह बीत जाने के बाद चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कोटेशन/निविदा आमंत्रित करके किसी फर्म विशेष को कार्य सौंपा गया है ? यदि हां, तो किस फर्म को और इस फर्म से किन-किन वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा कितनी राशि व्यय करके तैयार कराया जा रहा है ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

आडिट कार्य हेतु 9 फर्मों ने निविदा भरी थी । फर्म मेसर्स अनुपम गुप्ता एण्ड कम्पनी चार्टड एकाउन्टेन्ट गोरखपुर की निविदा न्यूनतम थी । अतः नियमानुसार इस फर्म को डी० आर० डी० ए० फैजाबाद के वित्तीय वर्ष 1993-94 के लेखा-जोखा का आडिट कार्य सौंपा गया, जिसे फर्म ने पूरा कर दिया है, जिसके लिये फर्म को रु० 6750/- का भुगतान किया जाना है, जो अभी तक नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त इस फर्म से वर्ष 1980-81 से 1992-93 तक की अवधि के अभिकरण के बैंक खाते का समाधानीकरण का कार्य रु० 178/- प्रति खाता प्रति वर्ष की दर से कराया जा रहा है जिसके लिये फर्म को रु० 25,000/- का रनिंग पेमेन्ट किया गया है।

जनपद गोण्डा के मनकापुर में लघु सीमान्त कृषकों को एस० एम० एफ० पी० योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी

68–श्री तीरथ राज–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि भूमि विकास बैंक मनकापुर, जिला गोण्डा से फ्री बोरिंग योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले लघु सीमान्त कृषकों को अब तक सब्सिडी नहीं दी गयी है ? जिला ग्राम्य विकास अभिकरण गोण्डा द्वारा सब्सिडी न दिये जाने का कारण क्या है ? शासन की नीतियों को नजर अन्दाज करके लघु सीमान्त कृषकों को उक्त लाभ से वंचित करने हेतु दोषी जनों को क्या सरकार दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि फ्री बोरिंग योजना अन्तर्गत सब्सिडी से बचत लघु सीमान्त कृषकों से सम्पूर्ण ऋण वसूली बैंक द्वारा मय ब्याज के की जा रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त लघु सीमान्त कृषकों को सब्सिडी का लाभ किस तरह दिया जायेगा ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां।

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में एस० एम० एफ० पी० योजना के अन्तर्गत निर्धारित संख्या से अधिक बोरिंग बिना शासन की पूर्व स्वीकृति के कराये जाने के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है। मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ने सूचित किया कि वर्ष 90-91 में 7400 बोरिंग के लक्ष्य के विपरीत 9004 बोरिंग पूर्ण करायी गयी इस प्रकार 1604 बोरिंग स्वीकृत संख्या से अधिक की गयी। वर्ष 1991-92 में 1645 बोरिंग एस० एम० एफ० पी० योजना के अन्तर्गत अधिक करायी गयी जबकि मात्र 3700 बोरिंग करायी जानी थी। इस प्रकार 3249 बोरिंग स्वीकृत संख्या से अधिक वर्ष 90-91 व 91-92 में की गयी। मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा का यही कहना है कि सत्यापन के उपरान्त कुल बोरिंग की संख्या 2589 रह गयी जिसके लिये अनुदान रु० 47.585 लाख की आवश्यकता है। अनुदान दिये जाने की आवश्यकता है। अनुदान दिये जाने के लिये मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा ने केन्द्र पोषित योजना अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग मद में रु० 100.54 लाख रुपये की उपलब्धता बतलायी है और इस धनराशि को अनुदान मद में खर्च करने की मांग की है जो शासनादेश संख्या 6468/54-2-एस० एम० एफ०4/91, दिनांक 25-10-91 से अनुमति योग्य नहीं है क्योंकि शासनादेश से यह निर्देशित किया गया है कि धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये वह अवमुक्त है। इस प्रकरण की जांच भी की जा रही है कि निर्धारित संख्या से अधिक बोरिंग क्यों कराई गई जो सत्यापन उपरान्त उपरोक्तानुसार कम कैसे रही है। शासन द्वारा इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

ब्याज के प्रतिपूर्ति का कोई प्राविधान नहीं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के किर्सू मासौ, पौड़ी ल्वाली आदि मोटर मार्ग को पक्का कराने की मांग

69–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत किर्सू मासौ, पौड़ी ल्वाली मोटर मार्ग को पक्का कराने की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक मार्ग पक्का करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

70–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत श्रीनगर–बुधाणी–खिर्सू, पौड़ी–कांसखेत-बांघाट शेष मोटर मार्ग को पक्का कराने की क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

राजकीय इंटर कालेज, नौगांवखाल, जनपद पौड़ी के जीर्ण-शीर्ण भवन के नवनिर्माण की मांग

71–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में रा० इ० का० नौगांवखाल, ब्लाक एकेश्वर, में तत्कालीन जिलाधिकारी पौड़ी श्री एन० एम० रवि ने दिनांक 16-10-93 को निरीक्षण किया तथा प्रधानाचार्य को निर्देश दिये थे कि विद्यालय भवन में पठन-पाठन का कार्य न करें, क्योंकि उक्त विद्यालय में भवन जीर्ण-शीर्ण है ? क्या सरकार जनहित में रा० इ० कालेज नौगांवखाल का भवन निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

शिक्षा निदेशक के निस्तरण पर उपलब्ध धनराशि में से रु० 20,000/- उक्त विद्यालय के भवन मरम्मत हेतु स्वीकृत किया जा चुका है। विद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि स्वीकृत करने हेतु शिक्षा निदेशक को शासन द्वारा निर्देशित भी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर प्रखंड में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत श्री त्रिभुवन सिंह एवं श्री रणवीर सिंह की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय के आदेश का अनुपालन

72–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड सीतापुर के अन्तर्गत कार्यरत श्री त्रिभुवन सिंह एवं रणवीर सिंह को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, बेंच, लखनऊ द्वारा रिट संख्या 2094/90 एवं 2866/90 (केवल रणवीर सिंह) में दिनांक 26-9-91 को पारित आदेशों का अनुपालन करते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु आदेश जारी करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक नियमित नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। उन्हें आवासीय भत्ता न देने का क्या कारण है ?

श्री चैनसुख भारती–

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड सीतापुर के अन्तर्गत कार्यरत श्री त्रिभुवन सिंह तथा श्री रणवीर सिंह को क्रमशः रिट या० सं०–2094/90 तथा 2866/90 में मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के अंतिम निर्णय दिनांक 26-9-91 के अनुपालन में लिपिकों को अनुमन्य न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। विभाग में लिपिकों के पदों के अभाव में नियमित नियुक्ति की कार्यवाही अभी सम्भव नहीं है।

पद उपलब्ध होने पर नियमित नियुक्ति के संबंध में यथोचित कार्यवाही की जायेगी। आवासीय भत्ता दिये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को ही कर्मचारी कल्याण निगम की सुविधायें

73–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राजकीय कर्मचारी कल्याण निगम की सुविधायें सभी स्थानीय निकायों एवं निगम कर्मचारियों, माध्यमिक शिक्षक को उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। उ० प्र० राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन के अनुसार इस निगम द्वारा प्रदत्त सुविधायें केवल राजकीय कर्मचारियों को ही अनुमन्य हैं, जिसमें राजकीय विद्यालयों के शिक्षक भी आते हैं।

जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में कतिपय स्थानों पर राजकीय नलकूप लगाने की मांग

74–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ क्षेत्र के असिंचित क्षेत्र को सिंचित बनाने के लिये मोलाबाद मंझार, जौरास, धौरहरा, भितरी, जसकापुर, रौनी, खेरबा, भिटौरा, मल्हनपुरवा, संतोषपुर, लोहंगपुर, नेपुरा, सालपुर, रानीपुर, खुकनुदीनपुर, थलबारा, गढ़ीगोसियामऊ, जयचंदापुर, मलहनपुरवा, निदूरी, टिकुरी, नगरिया, मुजियामऊ, हुसैनाबाद, चौकारा, आलापुर, शरीफाबाद, रेहया, मोकम्मदपुर, मारुकपुर आदि ग्रामों में राजकीय नलकूप लगवाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत किया जाता है।

जनपद गढ़वाल एवं चमोली के कतिपय विकास खण्डों में कृषकों को प्रभावित बीज उत्पादन हेतु लाभान्वित किये जाने की जानकारी

75–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल के पावों एवं थैलीसैण विकास खण्ड तथा जनपद चमोली के गैरसैण एवं कर्णप्रयाग विकास खण्ड क्षेत्र में इस वर्ष किन कृषकों को खेती पर प्रभावित बीज उत्पादन हेतु लाभान्वित किया गया है ? क्या इसका समुचित उपयोग हो सका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

इस वित्तीय वर्ष (1995-96) में अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी कृषक को लाभान्वित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गढ़वाल एवं चमोली में कतिपय स्वीकृत मार्गों के निर्माण की प्रगति की जानकारी

76–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गढ़वाल में खिर्सू पिठुण्डी वाली सड़क की कुल कितने कि० मी० की स्वीकृति किस सन् में हुई थी ? क्या कुल स्वीकृति किलोमीटर पर कार्य हुआ है ? यदि नहीं,तो क्यों ? उक्त सड़क को कहां तक बनना था ? अब तक सड़क न बनाने के कारण क्या हैं ? उन कारणों को इतने वर्षों में भी दूर न करने हेतु कौन दोषी है ? क्या सरकार तत्काल उक्त सड़क का निर्माण करेगी ? क्या कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी वर्ग के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

खिर्सू पिठुन्डी वाली सड़क की मूल स्वीकृति अन्तर्जिला मार्ग के रूप में "खिर्सू-पिठुन्डी-मौजखाल-हरियाली-धनपुर-नोटी-आदिवद्री" मोटर मार्ग के नाम से सन् 76 में 47 कि० मी० की लम्बाई के लिये आदिबद्री की ओर से निर्माण हेतु स्वीकृत हुई थी । वर्ष 1983 में उक्त मार्ग की संशोधित स्वीकृति जनपद पौड़ी में 22 कि० मी० तथा जनपद चमोली में 41.525 कि० मी० निर्माण हेतु शासन से प्राप्त हुई थी । जी नहीं । कुल स्वीकृत 63.525 कि० मी० के विरुद्ध 60.525 कि० मी० में कार्य पूर्ण है । जनपद चमोली में 3 कि० मी० में वनभूमि पड़ती है जिसका हस्तान्तरण प्रस्ताव भारत सकार द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण मार्ग नहीं बन सका । शेष मार्ग पूर्ण है ।

उक्त सड़क का निर्माण जनपद पौढ़ी में खिर्सू डवरूखाल तक तथा जनपद चमोली में आदि-बद्री से रिकणीखाल के पास तक बनना था । जनपद चमोली में स्वीकृत 41.525 कि० मी० मार्ग में से 38.525 कि० मी० पूर्ण है । शेष तीन कि० मी० में वनभूमि का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अस्वीकृत हो जाने के कारण मार्ग नहीं बन सका ।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल मण्डल में खाद्यान्न उत्पादन योजना के अन्तर्गत कृत कार्य

77–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल में अनुसूचित जाति के लाभार्थ खाद्यान्न उत्पादन योजना के तहत क्या कार्य किया गया ? इससे गत वर्ष कितने कृषक लाभान्वित हुए और भविष्य में क्या संभावना है ?

सुश्री मायावती–

गढ़वाल मंडल में खाद्यान्न उत्पादन की एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम एवं दलहन उत्पादन की योजनायें चल रही हैं। इसके अन्तर्गत धान, मक्का, महुआ (रागी), उर्द, मूंग, गेहूं, जौ, चना, मसूर एवं मटर के उन्नत बीजों को कृषकों को उपलब्ध कराने, धान, मक्का, व गेहूं के अनुदानित मूल्य पर कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन, उन्नत प्रजातियों के बीजों के निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरण तथा उन्नत कृषि उत्पादन तकनीकी के कार्य किये गये। इन योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कृषकों को भी लाभान्वित किया गया।

मंडल में वर्ष 1994-95 में कुल 3570 कृषक लाभान्वित हुए,जिनका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है :–

जनपद	लाभान्वित (कृषक)
1. पौड़ी	690
2. चमोली	370
3. देहरादून	785
4. टिहरी	1205
5. उत्तरकाशी	430
	योग–3570

इस वर्ष स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों के वितरण हेतु अनु० जाति के कृषकों को रु० 15,000/- प्रति हे० या मूल्य का 75% प्रति हे०, जो भी कम हो, अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान है, जबकि अन्य श्रेणी के कृषकों को रु० 10,000/- प्रति हे० या मूल्य का 50% प्रति हे० जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान हैं।

जनपद वाराणसी के राजकीय नलकूप अजईपुर की कार्यक्षमता

78–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि राजकीय नलकूप नं० 252 अजईपुर ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी में पानी बहुत कम हो गया है और आये दिन खराब रहता है ? यदि हां,तो क्या सरकार इसकी री-बोरिंग करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां, नलकूप का निकास 15302 गैलन प्रति घण्टा है।

जी नहीं।

जी नहीं।

जनपद वाराणसी के कतिपय क्षेत्रों में सिंचाई की स्थिति

78–अ–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गांव विक्रमपुर रेलवे के पश्चिम नाद नदी के उत्तर गांव भानपुर गांवा कोर्रा व नयेपुरा पूर्वी राजपुर गांव रोह उत्तरी तथा गांव चिंतावनपुर अमौत पश्चिमी ब्लाक

पिंडरा जिला वाराणसी में सिंचाई का कोई सरकारी साधन नहीं है ? क्या प्रश्नकर्ता ने उपरोक्त गांवों में नलकूप लगाने हेतु मा० मुख्य मंत्री को लिखकर दिया था ? क्या सिंचाई विभाग में सर्वेकर प्लान बनाने हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उपरोक्त स्थानों में नलकूप कब तक लगाये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

ग्राम विक्रमपुर, कोर्रा, नयेपुरा, पूर्वी, ग्राम–राजपुर, रोह तथा चिन्तावनपुर अमौत पश्चिमी में राजकीय नलकूप से सिंचाई का साधन उपलब्ध है, जबकि ग्राम भानपुर में सरकारी सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है ।

जी हां ।

प्रश्न में अंकित ग्रामों में राजकीय नलकूप निर्माण की सम्भावनाओं के संबंध में सर्वेक्षण का कार्य किया गया है ।

जनपद योजना के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों का प्राविधान जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है । तत्पश्चात राजकीय नलकूपों का निर्माण जनपदीय समितियों द्वारा ग्रामों का चयन स्वीकृत करने के पश्चात् किया जाता है ।

जनपद वाराणसी के राजकीय नलकूप फूलपुर की कार्यक्षमता

79–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेल फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी ने सन् 91 से लेकर अगस्त, 94 तक प्रत्येक माह में कितने एकड़ की सिंचाई की है और कितना रु० सिंचाई कर के रूप में सिंचाई विभाग को 91 से अब तक प्रत्येक वर्षों में मिला है ? क्या उक्त ट्यूबवेल में पानी बहुत कम है और हमेशा खराब रहता है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि आपरेटर की तनख्वाह के बराबर भी वर्ष में सिंचाई कर प्राप्त नहीं हुआ है ? क्या सरकार उसकी री-बोरिंग कराने पर विचार करेगी ?

सुश्री मायावती–

राजकीय नलकूप फूलपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी द्वारा वर्ष 1991-92 से अगस्त, 1994 तक की गयी सींच व प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है ।

वर्ष	सींच (एकड़ में)	अर्जित राजस्व
1991-92	25.08	रु० 1278.00
1992-93	36.04	रु० 1295.00
1993-94	20.34	रु० 1068.00
4/94 से 8/94 तक	9.58	रु० 272.00

जी हां । नलकूप का निकास वर्तमान में 10,466 गैलन प्रति घंटा है ।

जी नहीं, अस्थाई रूप से यांत्रिक/विद्युत दोष से खराब होता रहता है ।

नलकूप का निर्माण वर्ष 1965 में हुआ था । इस प्रकार नलकूप अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुका है । अतः जांच की आवश्यकता नहीं है ।

जी नहीं, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से पूर्णतया फेल नलकूपों का ही पुनः निर्माण किया जाता है।

प्रदेश के चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल में गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण की योजना

80–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली गढ़वाल एवं जनपद पौड़ी गढ़वाल में उन्नत बीजों के वितरण की क्या योजना है ? पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पहाड़ के दूर-दराज कृषक तक इन बीजों के पहुंचने के लिये क्या कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है और कितनी सफल है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना बनायी जायगी ?

सुश्री मायावती–

उन्नत बीजों के वितरण हेतु जनपद चमोली गढ़वाल एवं पौड़ी गढ़वाल में "गुणात्मक बीजों के उत्पादन, संग्रहण एवं वितरण" की योजना है।

जी हां।

पर्वतीय क्षेत्र के दूरदराज के कृषकों तक बीजों को पहुंचाने के लिये इस क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कृषकों को सुगमता के साथ बीज वितरित कराने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड पर स्थापित बीज भण्डार के अतिरिक्त विकास खण्डों के दूर दराज के क्षेत्रों में भी बीज विक्रय केन्द्र स्थापित हैं, जहां से कृषकों को फसल विशेष के बीज दर के अनुरूप 5. 7. 8. 10. 12 एवं 24 किग्रा० के छोटे पैकेटों में बीज उपलब्ध कराये जा रहे हैं। योजना पूर्णतया सफल है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी एवं चमोली में कृषकों को बांटे गये उन्नत बीज का विवरण

81–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल एवं जनपद चमोली में विगत सत्र में कुल कितना उन्नत बीज का वितरण किन-किन किसानों को किया गया ? क्या यह सत्य है कि उन्नत बीज कृषकों तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी में वर्ष 94-95 में 1112 कु० उन्नत बीज 6063 कृषकों को वितरित किया गया तथा जनपद चमोली में 1069 कु० उन्नत बीज 4688 कृषकों को वितरित किया गया। यह बीज सभी श्रेणी के कृषकों को वितरित किया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के कतिपय ग्रामों को जवाहर रोजगार योजना हेतु आवंटित धनराशि

82–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा पिपरियां, मधवलियां, बरवांसालिग्राम, बसडिला, गौरा दूबे, प्रतापपुर, बैजनाथपुर, सवेयां, लोहेपार, करनहीं, रानीपुर, मझौआ, विकास खण्ड सिसवा

बाजार, जनपद महराजगंज में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 93 से 30 नवम्बर, 1994 तक ग्राम सभाओं के विकास के लिये उक्त ग्राम सभाओं के नाम कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या अवमुक्त धनराशि से होने वाले विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से स्वीकृति लेकर कार्य कराया गया है ? क्या कराये गये कार्यों में मानक के अनुसार मजदूरी तथा सामानों के क्रय पर खर्च किया गया है। यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सभाओं में बिना निर्माण कार्य कराये ही फर्जी भुगतान कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चैनसुख भारती–

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 93 से 30 नवम्बर, 1994 तक ग्राम सभा पिपरिया को मु० 36539.00, मधुवलिया को मु० 94482.00, बरवा सालीग्राम को मु० 81588.00, बसडीला को मु० 48204.00, गौरा दूबे को मु० 88470.00, प्रतापपुर को मु० 42576.00, बैजनाथपुर को मु० 34687.00, सवेया को मु० 244896.00, लोहेपार को मु० 100286.00 करमही को मु० 77615.00, रानीपुर को मु० 95128.00, मझौआ को मु० 59077.00 रुपये की धनराशि आवंटित की गयी।

जी हां।

ग्राम सभा पिपरिया, बसडीला, गौरादूबे, सबया, रानीपुर, मझौआ द्वारा मजदूरी एवं सामग्री के निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य किया गया है किन्तु ग्राम सभा मधुवलिया बरवा सालीग्राम, प्रतापपुर, बैजनाथपुर, लोहेपार एवं करमही द्वारा मजदूरी एवं सामग्री के निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया।

ग्राम सभा प्रतापपुर को वित्तीय वर्ष 92-93 एवं 93-94 में ग्राम सभा द्वारा पंचायत भवन निर्माण कार्य कराने के लिये कार्य का अनुमोदन किया गया जिसके फलस्वरूप मजदूरी अंश पर उक्त वर्ष में मानक से कम व्यय हुआ।

वित्तीय वर्ष 93-94 में ग्राम सभा बैजनाथपुर द्वारा खड़न्जा कार्य को अनुमोदन किया गया फलस्वरूप मजदूरी अंश पर मानक के अनुसार व्यय नही किया जा सका।

ग्राम सभा मधुवलिया, बरवा सालीग्राम लोहेपार एवं करमही द्वारा निर्धारित सामग्री अंश 40 प्रतिशत से अधिक व्यय किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम सभा द्वारा पक्के कार्य को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के फलस्वरूप सामग्री अंश पर मानक से अधिक व्यय हुआ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल के कतिपय ग्रामों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये गये वानकीकरण

83–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 91-92 में सामाजिक वानकी योजना के लिये विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज के ग्राम सभा शिकारपुर, धमऊर, सोमीबरवां, बैदोली, वाली, धोड़नर, के गांवों में वृक्षारोपण के लिये धन अवमुक्त किया गया था? क्या बिना वृक्षारोपण कराये ही फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? क्या शिकारपुर सोहनीबरवां में सामाजिक वानकी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण के नाम पर शिकारपुर में 45,000.00 रुपये

साहगीरबरवां में 60,000.00 रुपये वृक्षारोपण में खर्च दिखाया गया है किन्तु एक भी वृक्षारोपण नहीं किया गया है और वृक्षारोपण के लिये क्रय किये गये पौधों की रसीद आदि खर्चों के बिल विकास खण्ड के पत्रावली में संलग्न नहीं किये गये हैं ? क्या सरकार उसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जी नहीं ।

उपलब्ध अभिलेखानुसार ग्राम सभा शिकारपुर में रु० 44894.00 तथा सोहगीबरवां में रु० 32016.00 व्यय किया गया दर्शाया गया है । ग्राम सभा शिकारपुर में वृक्षारोपण कराया गया था किन्तु ग्राम सभा सोहगीबरवां में वृक्षारोपण हेतु गड्ढा खोदा गया तथा माउन्ट बनाये गये थे किन्तु वृक्षारोपण नहीं हुआ है । ग्राम सभा शिकारपुर में मस्टररोल पर 37944.00 रुपये एवं पौध क्रय एवं ढुलाई आदि पर 6950.00 रु० का बिल वाउचर विकास खण्ड के पत्रावली में उपलब्ध है । ग्राम सभा सोहगीबरवां में मात्र गड्ढे खोदे व माउन्ट बनाये गये हैं जिसका बाउचर उपलब्ध है । पौधे न तो लगाये गये न उन पर कोई व्यय किया गया है अस्तु उसके व्यय बाउचर उपलब्ध होने का प्रश्न नहीं ।

जनपद स्तर पर जांच करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज के विकास खण्ड निचलौल में सिंचन व्यवस्था

84–श्री शरदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिंचाई विभाग प्रथम खण्ड पूर्व जिला गोरखपुर द्वारा झुलनीपुर हेड से बोदना माइनर विकास खण्ड निचलौल, जनपद महराजगंज से 17.5 कि० मी० बोदना बकुलडीहा तक खुदाई कराकर असिंचित क्षेत्र का सिंचित करने के लिये स्वीकृत की गयी थी ? क्या बोदना माइनर की खुदाई मात्र 16.5 कि०मी० बोदना तक कराई गयी है जिससे एक हजार एकड़ भूमि छोटे-छोटे कास्तकारों की सिंचाई सुविधा से वंचित रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवशेष एक किलोमीटर नहर की खुदाई कराने एवं हेड से टेल तक पानी पहुंचाने और बोदना माइनर में हनुमानगंज से आगे नहर में बकुलडीहा तक तीन ठोकर का निर्माण कराकर पर्याप्त रूप में असिंचित क्षेत्र को सिंचित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद महराजगंज में झुलनीपुर हेड से बोदना राजवाहा का सर्वेक्षण प्यास नदी तक 17.2 कि०मी० लम्बाई में कराया गया था । स्वीकृत लम्ब छिन्नंक के अनुसार उक्त राजवाहा के कि०मी० 15.6 पर टेल फाल का निर्माण प्रस्तावित था जिसके अनुसार प्रश्नगत नहर बनायी गयी ।

बोदना राजवाहा की खुदाई 15.6 कि०मी० तक ही कराई गयी है तथा उसके आगे 700 मीटर टेल गूल बनायी गयी है ।

जी नहीं ।

इस राजवाहा के 16.3 कि० मी० पर एक 12 मीटर चौड़ा तथा 3 मीटर गहरा नाला गुजरता है तथा इस नाले को नहर द्वारा पार कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रदेश के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ की मांगों पर विचार हेतु समिति का गठन

85–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ० प्र० द्वारा दिनांक 22-2-1994 को शासन में प्रेषित आन्दोलन नोटिस में ग्रामीण अंचलों में व्यवहारिक तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध कराने हेतु दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

डिप्लोमा इंजीनियर संघ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के पत्र दि० 22-2-94 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार करने के लिये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2397/38-9-94, दि० 3-5-94 द्वारा एक समिति गठित की गयी है । शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5796/38-9-94, दि० 12-10-94 द्वारा समिति के पुनर्गठन की कार्यवाही की गयी है ।

विकास खण्डों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के जूनियर इंजीनियरों को तकनीकी सहायता हेतु सम्बद्ध किया जाना

86–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के जूनियर इंजीनियरों को उनकी सहमति लिये बिना खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में भेजा गया है ? क्या मूल विभाग से दूसरे विभाग में भेजे जाने के लिये शासन द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू की गयी हैं ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां । विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं की तैनाती विकास खण्ड स्तर पर निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये की जाती है । अतः सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विकास खण्डों में अवर अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता है । अतः प्रतिनियुक्ति की शर्तें लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पडरौना के मौन नाले की सफाई आदि की मांग

87–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना जनपद स्थित मौन नाले की सफाई तथा तटबन्ध ऊंचा न होने से मौन नाले के पानी से प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ की फसल का नुकसान होता है? क्या मौन नाले की सफाई एवं तटबन्ध ऊंचा कराकर फसलों के नुकसान होने से बचाने के लिये कोई व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के तहसील हाटा में निर्मित माइनरों में पानी की व्यवस्था

88–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील में स्थित महुई माइनर व नकहनी माइनर एवं अम्परपुर माइनर में वर्तमान समय में टेल तक पानी नहीं पहुंचता है । क्या महुई माइनर की आगे खुदाई करके टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जायगी ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत माइनरों में टेल तक पानी पहुंचता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के सेम-पणखेत मोटर मार्ग के निर्माण की जांच की मांग

89–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि ब्लाक एकेश्वर,जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्राम सेम-पणखेत मोटर मार्ग पर त्रुटिपूर्ण कार्य किया जा रहा है ?क्या सरकार संबंधित अधिकारियों की जांच कराकर दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्नगत मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लाक में खिर्सू-सासौ मार्ग निर्माण के जांच की मांग

90–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक एकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत खिर्सू से ग्राम सभा सासौ तक जीप मार्ग पर कार्य त्रुटिपूर्ण किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त योजना की मजिस्ट्रेट तथा तकनीकी जांच कराकर संबंधित अधिकारियों को जांच के दौरान हटाकर दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों को कड़ी सजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग के विशिष्टया के अनुरूप कराया जा रहा है तथा कार्य त्रुटिपूर्ण नहीं है । अतः जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लूका पेयजल योजना के जीर्णोद्धार की मांग

91–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, ब्लाक पोखड़ा में लूका पेयजल योजना क्षतिग्रस्त है जिससे कि पट्टी पिंगलापाखा को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त योजना के लिये धन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां, लूका (चोबटखाल) पेयजल योजना में पट्टी पिगलापाखा के 5 ग्रामों में से 3 ग्रामों में पानी चल रहा है तथा 2 ग्रामों में जलापूर्ति बन्द है।

पेयजल योजना का जीर्णोद्धार एवं पुनर्गठन आवश्यक है। तत्संबंधी प्रस्ताव जल निगम से प्राप्त होने पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जायगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के राजकीय इण्टर कालेज रीठाखाल को कक्षों के निर्माण हेतु आवंटित धन

92–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी में रा० इ० का० भवन रीठाखाल पूर्णतः क्षतिग्रस्त है ? क्या 8-2-94 को भवन मरम्मत हेतु 99 लाख इस्टीमेट शासन को प्रेषित किया गया है ? क्या सरकार उक्त कालेज के लिये धन स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय में दो कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु वर्ष 93-94 में रु० 1.25 लाख स्वीकृत किये गये जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कम्प्यूटर स्थापना का उद्देश्य

93–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में लाखों रुपयों को खर्च कर कम्प्यूटर को क्रय कर उसकी स्थापना किन-किन उद्देश्यों एवं कार्यों के लिये की गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त कम्प्यूटर से अभी तक कोई कार्य नहीं लिया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इतना महंगा तथा महत्वपूर्ण उपकरण लापरवाही के कारण पड़े-पड़े खराब हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

महिला चिकित्सालय, लखनऊ में कम्प्यूटर की स्थापना चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा वेतन स्लिप आदि तैयार कराने, कार्यालय के व्यय विवरण का ब्योरा रखने, रोगियों के रजिस्ट्रेशन, डायरी एवं रोगी का इतिहास आदि रखने के उद्देश्य से की गयी है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के महिला चिकित्सालय में स्वीकृत टेलीफोन न लगाये जाने पर जांचोपरान्त कार्यवाही

94–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिला चिकित्सालय, लखनऊ में नये दूरभाष लगाने हेतु वित्तीय वर्ष 1990-91 में शासन से कोई वित्तीय धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो स्वीकृत धनराशि से कहां-कहां पर टेलीफोन की व्यवस्था की गयी थी ? क्या स्वीकृत धनराशि से दूरभाष लगाये

नहीं गये ? क्या शासन इस प्रकार वित्तीय अनियमितता बरतने वाले अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध जांचोपरान्त कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

स्वीकृत धनराशि से एक टेलीफोन मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के आवास पर तथा एक टेलीफोन इमरजेन्सी कक्ष में लगाया जाना था ।

एक टेलीफोन मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका के कार्यालय में लगाया गया । दूसरा टेलीफोन नहीं लगाया गया ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण की योजना

95–श्री रमेशकान्त लवानियां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । आगरा नगर की पेयजल की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये यमुना नदी पर एक बैराज का निर्माण करके वर्षाकाल में पानी को रोककर एकत्र कराने का प्रस्ताव है ।

ताजमहल से 8 कि०मी० अपस्ट्रीम में एक बैराज (आगरा बैराज) बनाये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–4126/9-5-93-7 एम(2)/86, दिनांक 1-12-93 द्वारा निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के कतिपय विकास खण्डों में बी० डी० सी० बैठकें तथा क्षेत्रीय विधायक को सूचना

96–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द, महुआ, बिसण्डा बुजुर्ग, नरैनी एवं बबेरू में होने वाली बी० डी० सी० मीटिंग कितने समय से नहीं हुई है ? यदि बैठकें सम्पादित हुई हैं, तो प्रश्नकर्ता को सूचना न भेजे जाने के क्या कारण हैं ? क्या प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का आपत्ति सहित कोई पत्र दिनांकित 11-9-1994 जिलाधिकारी, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चैनसुख भारती–

विकास खंड बड़ोखर खुर्द, महुआ, बिसण्डा बुजुर्ग, नरैनी तथा बबेरू की बी० डी० सी० की बैठकें उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि के पश्चात् नहीं हुई हैं ।

विकास खण्ड का नाम	अन्तिम बैठक की तिथि
1–बड़ोखर खुर्द	25 जनवरी, 1994
2–महुआ	15 फरवरी, 1995
3–बिसण्डा बुजुर्ग	15 जुलाई, 1994 (16-1-1995 की बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गयी)
4–नरैनी	31 दिसम्बर, 1994
5–बबेरू	20 जुलाई, 1994

बैठकों की सूचना प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गयी है ।

जी हां। माननीय विधायक जी के पत्र दिनांक 11-9-94 के अनुपालन के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

जिला चिकित्सालय, बांदा में धन के अभाव में हार्टकेयर यूनिट के इमरजेन्सी रूम की योजना लम्बित

97–श्री राजकुमार [illegible]

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, बांदा में तीन वर्षों पूर्व निर्मित हार्टकेयर यूनिट के इमरजेन्सी रूम को चालू न किये जाने के क्या कारण हैं ? चार वर्षों से उपलब्ध जेनरेटर को चलाने के लिये आपरेटर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या जिला चिकित्सालय, जनपद बांदा में सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत करेंगे ? क्या संदर्भित समस्याओं से संबंधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–ग–1 नं० 491003 दिनांकित 25-10-1994 स्वास्थ्य राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जिला योजना में धन उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत यूनिट की स्थापना नहीं की जा सकी है।

जेनरेटर आपरेटर दिनांक 19 अक्टूबर, 1992 से नियुक्त है।

शासनादेश संख्या–536/चिकि०-8-94-एच०एफ०–11/93 (टी० सी०), दिनांक 26 फरवरी, 1994 द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

पत्र स्वास्थ्य विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

98–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद में हैदरगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत चौबीसी, फतेहपुर, बाबा टीकाराम बहुता, पलिया, शिवनाम, पूरे देवीदास, बारावां, मिलबल, शरीफाबाद सुकुलपुर रतौली आदि ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त चिकित्सालयों की स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

बाराबंकी जनपद में फतेहगंज तथा टीकारामन में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिनांक 13 मार्च, 1991 द्वारा जारी किये गये हैं। मानक से आच्छादित न होने तथा जिला योजना में परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण शेष स्थलों पर नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का खोला जाना सम्भव नहीं है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

उप प्रधान ग्राम शाहपुर (रसी), जनपद सुल्तानपुर का जवाहर रोजगार योजना का धन कथित रूप से दुरुपयोग किये जाने के संबंध में शिकायती पत्र

99–श्री तेजभान सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, सुल्तानपुर, बी० डी० ओ० जामो, परगनाधिकारी–गौरीगंज, जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को श्री तुलसीराम, उप प्रधान ग्राम शाहपुर (रसी) ब्लाक जामो, सुल्तानपुर का दिनांक क्रमशः 10-11-94, 9-11-94, 14-11-94, 10-11-94 के रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र जिसमें जवाहर रोजगार योजना के धन के दुरुपयोग की शिकायत है, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं, केवल एक दिनांक रहित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

डा० आर० एस० चौहान को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षेत्र) लखनऊ के संयुक्त निदेशक के पद नियमानुसार नियमित प्रोन्नति

100–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 14-12-93 के शासनादेश द्वारा कृषि भवन में ही मण्डल में नियुक्त उपनिदेशक उद्यान, डा० आर० एस० चौहान को उद्यान भवन में श्रेणी–I में ही वाद का कार्य देखने हेतु सम्बद्ध किया गया ? क्या दिनांक 14-12-93 को ही एक दूसरे शासनादेश द्वारा बिना डी० पी० सी० के पुरानी वरीयता के आधार पर उनकी पदोन्नति संयुक्त निदेशक पद पर करते हुए उन्हें नियमित भी कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके पूर्व 1986 में पदोन्नति पाये संयुक्त निदेशकों व डा० चौहान के पूर्व 1993 में पदोन्नति पाये संयुक्त निदेशकों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार पूर्व के शेष संयुक्त निदेशकों को इसी प्रकार उनकी वरीयता के अनुसार उन्हें नियमित करेगी ? यदि नहीं, तो क्या डा० चौहान के गलत पदोन्नति व नियमितीकरण को निरस्त करेगी ?

उद्यान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री फौजदार प्रसाद)–

शासनादेश सं०–8900/58-1-93, दिनांक 14-12-93 के द्वारा डा० आर० एस० चौहान विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यान) प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना, कृषि निदेशालय को तात्कालिक प्रभाव से सम्बित वादों की प्रभावी पैरवी के लिये उद्यान निदेशालय (मै० क्षे०) में सम्बद्ध किया गया था।

जी नहीं। संयुक्त निदेशक, के रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त ही शासनादेश सं०–3960/58-1-93-367/92. दिनांक 14-12-93 के द्वारा डा० आर० एस०चौहान को "श्रेष्ठता" के आधार पर संयुक्त निदेशक के पद पर नियमानुसार नियमित प्रोन्नति प्रदान की गयी है। वर्ष 1986 में मात्र दो अधिकारी संयुक्त निदेशक के पद पर तदर्थ रूप से प्रोन्नत थे। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मै० क्षे०) के संयुक्त निदेशक के रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 23-3-93 को आयोजित की गयी थी। तत्समय प्रवृत्त नियमों के अर्न्तगत चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" था। विभागीय चयन समिति ने पात्रता परिधि में आने वाले समस्त अधिकारियों के नाम पर विचार किया था। चयन समिति की संस्तुति के अनुसार जो भी अधिकारी प्रोन्नत हेतु संस्तुत थे, को नियमानुसार संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान की जा चुकी है और जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु संस्तुति नहीं किया गया था उन्हें नियमित पदोन्नति नहीं दी गई है।

शेष बचे संयुक्त निदेशकों को पद उपलब्ध होने पर वर्तमान में प्रवृत्त नियमों के अनुसार नियमित करने हेतु यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के समोगरा-कैथेउलीराज मार्ग पर पुल बनाने की मांग

101–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मच्छाताल ब्लेन परगना कोल असला ब्लाक पिंडरा जिला–वाराणसी को क्रास करते हुए गांव समोगरा-कैथेउलीराज मार्ग पर आज तक सिंचाई खण्ड जौनपुर ने सिर्फ पाइप डाल कर छोड़ दिये हैं ? यदि हां, तो आज तक पुल न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करके पुल बनाने की स्वीकृति देने की कृपा करेगी ? क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सिंचाई खण्ड, जौनपुर ने शासन को भेजा है ?

सुश्री मायावती–

जी हां । प्रश्नगत स्थल पर 3.0 फिट व्यास का पाईप ही लगा हुआ है ।

धनाभाव के कारण पुल का निर्माण अभी तक सम्भव नहीं हो सका है ।

स्थल की जांच कर ली गयी है तथा पुल निर्माण का प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरण वाराणसी को प्रेषित कर दिया गया है । स्वीकृति मिलने एवं धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा ।

जी नहीं ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर से थाना ड्रेन पर पुल बनाने की मांग

102–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मच्छाताल से अजईपुर ड्रेन गांव असवालपुर ने पश्चिम (नागापुर) ब्लाक पिंडरा त० व जिला–वाराणसी सिंचाई खण्ड जौनपुर का है ? यदि हां, तो आज तक उक्त स्थान पर पुल न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और सिंचाई खण्ड जौनपुर से पुल बनाने हेतु प्रस्ताव मंगाकर स्वीकृति प्रदान करेगी ।

सुश्री मायावती–

जी हां, किन्तु ड्रेन का नाम अजईपुर ड्रेन न होकर थाना ड्रेन है ।

प्रश्नगत स्थल के ऊपर कि० मी० 1.50 तथा नीचे कि० मी० 0.950 पर पुल बने हुए हैं । प्रश्नगत स्थल (1.9 कि० मी०) पर एक 3.0 फुट व्यास का स्टील पाइप लगा हुआ है इसी से वाहन आदि गुजरते हैं ।

सिंचाई खण्ड, जौनपुर द्वारा प्रश्नगत स्थल पर पुल निर्माण का प्रस्ताव डी० आर० डी० ए० वाराणसी को प्रेषित कर दिया गया है । डी० आर० डी० ए० द्वारा योजना की स्वीकृति मिलने एवं धन उपलब्ध होने की दशा में पुल निर्माण की कार्यवाही कराना सम्भव हो सकेगी ।

झुनझुनवाला वनस्पति (झूला) फैक्ट्री नाउपुर जनपद–जौनपुर की मानक तथा गुणवत्ता की जांच

103–श्री ऊदल–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झुनझुन वाला की वनस्पति (झूला) फैक्ट्री स्थान नाउपुर त० केराकत, जिला–जौनपुर में मूंगफली के तेल के अलावा धान की भूसी का तेल व निगौले का तेल तथा अन्य प्रकार के तेलों को लाकर डालडा (झूला) बनाया जा रहा है ? क्या कभी उक्त फैक्ट्री द्वारा तैयार किया हुआ डालडा लेबोरेटरी में जांच किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों क्या यह सत्य है कि कई बार ऐसे तेलों को पकड़ कर विभाग को सुपुर्द किया गया है लेकिन कोई कार्यवाही उक्त फैक्ट्री के मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या उक्त फैक्ट्री में आने वाले टैंकरों की कभी जांच गेट पर की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जांच करायी गयी । प्राप्त सूचनानुसार झुनझुनवाला की वनस्पति (झूला) फैक्ट्री स्थान नाउपुर तहसील केराकत जिला जौनपुर में वनस्पति (झूला) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली 1955 के अपेंडिक्स 5ए–19 के मानक तथा गुणता के अन्तर्गत तैयार किया जाता है ।

उक्त फैक्ट्री द्वारा तैयार किया हुआ वनस्पति (झूला) का नमूना लेकर जांच हेतु वर्ष 1991, 1992, 1993 में राजकीय जनविश्लेषक उ० प्र० लखनऊ को भेजा गया था । वर्ष 1992 तथा 1993 का नमूना

विशुद्ध प्राप्त हुआ था । दिनांक 27-6-91 को वनस्पति (झूला) फैक्ट्री स्थान नाउपुर से लिया गया नमूना राजकीय जन विश्लेषक उ० प्र० लखनऊ के रिपोर्ट संख्या 4854 दिनांक 7-8-91 द्वारा अपमिश्रण प्राप्त हुआ । नमूने में मौलिक अम्ल के रूप में युक्त वसीय अम्ल निर्धारित अधिकतम सीमा 8.25 प्रतिशत से अधिक है, पाया गया । दिनांक 24-9-91 को इसके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया गया । जहां पर मुकदमा फैक्ट्री के मालिक/विक्रेता के विरुद्ध कार्यवाही हेतु न्यायालय में लम्बित है । इसके अतिरिक्त दिनांक 14-5-92 को सहायक निदेशक (वनस्पति खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय) नागरिक पूर्ति विभाग वनस्पति घी तथा वसा निदेशालय, भारत सरकार द्वारा फैक्ट्री से वनस्पति घी का नमूना लिया गया था, जिसे परीक्षणोपरान्त अपमिश्रित पाया गया था और जिसके परिणामस्वरूप फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ दिनांक 25-6-93 को संबंधित पुलिस थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी । उक्त फैक्ट्री में आने वाले टैंकरों की जांच गेट पर नहीं की गयी है । खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ विनिर्माता, भण्डारण तथा बिक्री के लिये प्रदर्शित न करना, अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार के तेलों को पकड़ कर विभाग के सुपुर्द नहीं किया गया है । गाड़ी रोकने की कार्यवाही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों विक्रय के लिये या मनुष्य के खाने हेतु वितरण किये जाने वाले वाहन की चेकिंग का प्राविधान नियमों के अन्तर्गत है ।

महिला चिकित्सालय लखनऊ का कथित शिकायती पत्र

104–श्री रामआसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि महिला चिकित्सालय लखनऊ की शिकायतों से संबंधित, सदस्य विधान सभा श्री आर० डी० पाल का पत्र क्रमशः जुलाई/अगस्त, 94 एवं मार्च, 95 में मुख्य मंत्री सचिवालय में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उसके मुख्य बिन्दु क्या-क्या हैं तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

प्रश्न में संदर्भित श्री आर० डी० पाल, सदस्य विधान सभा का केवल एक पत्र जुलाई/अगस्त, 94 मुख्य मंत्री कार्यालय (विधायक कोष्ठक) में प्राप्त हुआ था, परन्तु उक्त पत्र स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड प्रथम जौनपुर को कतिपय कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायती-पत्र

105–श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड, प्रथम जौनपुर के अन्तर्गत प्रभारित कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि में अनियमितता बरती जा रही है ? यदि हां,तो क्या इस संबंध में सिंचाई मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ जौनपुर का पत्रांक–अ–2/दिनांक 17-11-92 मंत्री जी व अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड प्रथम, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो तत्संबंधी बिन्दुवार समस्यायें क्या हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत समस्यायें निम्न प्रकार हैं :–

1–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को सभी भुगतान नियमित कर्मचारियों के साथ ही देने की व्यवस्था की जाय ।

2–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित करने हेतु कार्यवाही की जाये ।

3–खण्ड में उपलब्ध ट्रकों को मरम्मत कराकर अविलम्ब चलाया जाय, जिससे ढुलाई आदि का कार्य समय से तथा अल्प खर्च में हो सके ।

4–कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराया जाय ।

5–नलकूप मरम्मत का सामान सही माप का तथा आवश्यक चलने घिसने वाले पुर्जे (मूविंग पार्ट्स) की व्यवस्था की जाय ।

6–कारीगरों (मिस्त्री, मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर) हेतु टूल्स (औजार) की व्यवस्था की जाय ।

7–कर्मचारियों की दक्षता रोक समाप्त की जाय (जिनकी अवधि पूरी हो चुकी हो)

प्रश्नगत समस्याओं के संबंध में बिन्दुवार कृत कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

1–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को शासन की नीति के अनुसार उनके विनियमितीकरण के पश्चात नियमित कर्मचारियों की भाति वेतन एवं अन्य देयकों के भुगतान करने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

2–कार्य प्रभारित कर्मचारियों को शासन की नीति के अन्तर्गत वरिष्ठता क्रम में उनकी उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए नियमित किया जाता है ।

3–खण्ड में उपलब्ध ट्रकों की मरम्मत आवश्यकतानुसार कराकर चालू हालत में रखा जाता है एवं ट्रकों से इनकी क्षमता के अनुसार ढुलाई का कार्य लिया जाता है ।

4–कार्यशाला में प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करा दी गयी है ।

5–नलकूपों की मरम्मत के संबंध में नियमों के अनुरूप आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जाती है ।

6–संबंधित कर्मचारियों के लिये औजारों की व्यवस्था नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार की जाती है ।

7–दक्षतारोक पार करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री तीरथ राज–

[दिनांक 8-2-95 को अता० प्र० सं०–140 द्वारा उत्तरित]

गण्डक नहर निर्माण प्रथम गोरखपुर द्वारा काठ के पटरे की सप्लाई में लाखों रुपयों का फर्जी भुगतान

107–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गण्डक नहर निर्माण प्रथम, गोरखपुर द्वारा वर्ष 1991-92 में पवार सकेप के लिये काठ के पटरे की सप्लाई में लाखों रुपये का फर्जी भुगतान के साथ ही साथ नारायणी, छितौनी बन्धे के मरम्मत के नाम पर बिना कार्य कराये ही 12 लाख रुपये का फर्जी भुगतान मार्च, 92 में किया गया है, जबकि अवर अभियन्ता हड़ताल पर थे ? क्या उक्त भुगतान करने की शिकायत पूर्व विधायकों द्वारा की गयी थी ? यदि हां,तो क्या जांचकर्ता द्वारा फर्जी भुगतान में दोषी कर्मचारियों द्वारा ली गयी भुगतान की रिकवरी करने का आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो आज तक फर्जी भुगतान की रिकवरी न करने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सिंचाई खण्ड गोरखपुर द्वारा वर्ष 1991-92 में पावर स्केप के लिये काठ के पटरों की कोई आपूर्ति नहीं की गयी थी । नारायणी छितौनी बन्धे पर वर्ष 1991-92 में मरम्मत/रखरखाव हेतु रु० 91 हजार का भुगतान किया गया । अवर अभियंताओं की हड़ताल अवधि (6-2-92 से 12-3-92) में कोई कार्य नहीं हुआ ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम-मासौ विकास खण्ड वीरोखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल में पेयजल योजना के मरम्मत हेतु प्रस्ताव

108–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकास खण्ड वीरोखाल के ग्राम मासौ (चोखाल) में पेयजल का भारी संकट है ? क्या पशु मरने की स्थिति में आ गये हैं और लोग गांव छोड़ रहे हैं ? ऐसी स्थिति में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

पेयजल योजना भारी वर्षा/भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई थी ।

इस प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

वर्तमान में पेयजल योजना में अस्थाई रूप से पानी चालू कर दिया गया है । इस पेयजल योजना के मरम्मत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार वेतन भुगतान

109–श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ सम्प्रति कितने लाख रुपयों के घाटे में चल रहा है ? क्या यह सही है कि उक्त निगम में कार्यरत लगभग पांच हजार कर्मचारियों के बकाया वेतन की धनराशि के एरियर का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि वेतन आहरण न हो पाने के बावजूद विभाग के निदेशक द्वारा दिनांक 5 जनवरी, 1994 के आदेश द्वारा वहां के कर्मचारियों, जिनका पांच वर्ष से कम सेवाकाल है, स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थानान्तरण से मार्ग व्यय तथा स्थानान्तरण भत्ते के रूप में निगम पर लगभग 40 लाख रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आ पड़ा है ? यदि हां,तो क्या सरकार स्वेच्छा से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पर ही स्थानान्तरण आदेश कर के शेष स्थानान्तरण आदेश निगम को वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिये निरस्त करेगी ? यदि हां,तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1992-93 तक तैयार बैलेन्सशीट के अनुसार इस निगम को रु० 132.55 लाख का घाटा हुआ है ।

जी नहीं । इस निगम में कुल 1597 कर्मचारी कार्यरत हैं । इनके वेतनमान पुनरीक्षित होने के कारण दिनांक 31-12-88 तक के एरियर का भुगतान किया जा चुका है । दिनांक 1-1-89 से 30-11-91 तक

के बकाया का भुगतान निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण नहीं हो पाया है । लेकिन दिनांक 1-12-91 से पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार ही पूरा भुगतान किया जा रहा है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के ड्रेनेज खण्ड सिंचाई विभाग द्वारा कराये गये कार्य एवं उसका भुगतान

110–श्री शारदा प्रसाद जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड सिंचाई विभाग गोरखपुर ने वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये हैं तथा निर्माण कार्यों पर कुल कितना भुगतान किया गया है ? कितने कार्यों का भुगतान आज तक अवशेष है ? अवशेष कार्यों का भुगतान न करने का कारण क्या है ?

सुश्री मायावती–

ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर द्वारा वर्ष 1989-90 एवं 1990-91 में बाढ़ निर्माण कार्य कराये गये हैं, जिन पर क्रमशः 113.19 लाख एवं 39.60 लाख का भुगतान किया गया है । निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण संलग्नक 1 व 2 में दर्शाये गये हैं ।

कोई भुगतान अवशेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 234–237 पर)

जनपद बांदा के जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

111–श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी बांदा को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों तथा मजदूरों के कार्य व नाम पते सहित शासन से दि० 20-2-95 को फैक्स द्वारा सूचना मांगी गयी थी ? यदि हां, तो सूचना न देने का कारण क्या है ? यदि सूचना दी जायेगी, तो कब तक तथा समय से सूचना न देने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

सूचना भेज दी गयी है ।

विलम्ब से सूचना उपलब्ध कराने वाले खण्ड विकास अधिकारियों को चेतावनी दे दी गयी है ।

जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जारी कार्ड का विवरण

112–श्री मुरलीधर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में सुनिश्चित रोजगार योजना द्वारा कराये जा रहे कार्यों पर शासन की नीति के अनुसार मजदूरों को कार्ड प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत 11 विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना संचालित की जा रही है । योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को उनके आवेदन पर पंजीकृत कर कार्ड प्रदान किये जाते हैं । विकास खण्डवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
1	बड़ोखर खुर्द	0903
2	तिंदवारी	2514
3	जसपुर	0485
4	नरैनी	2198
5	कमासिन	0392
6	कर्बी (चित्रकूट)	3825
7	पहाड़ी	2388
8	रामनगर	0662
9	मऊ	1288
10	मानिकपुर	464
11	बबेरू	0156

प्रदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डाक्टरों (एलोपैथ) की ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी कथित पत्र

113–श्री तीरथ राज–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बाबूराम निषाद, सचिव, समाजवादी पार्टी, उ० प्र० का माह अगस्त-सितम्बर, 94 का पत्र, जो वर्ष 1974 में लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित डाक्टरों (एलोपैथ) की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री ओम प्रकाश सिंह (मिर्जापुर)–

[दिनांक 31-7-95 को अता० प्र० सं०–142 के द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि कार्यालय में हुए घपले की जांच

115–श्री राजकुमार शिवहरे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांकित 5 दिसम्बर, 1994 का पत्र जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि कार्यालय, बांदा (उ० प्र०) में हुई 8 करोड़ रुपये के घपले की जांच कराने के संबंध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रकरण पर जांच करवाने हेतु आदेश पारित कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे जो उक्त प्रकरण में लिप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां । आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ० प्र० लखनऊ से जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच आख्या प्राप्त हो जाने पर दोषी पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गंगा नदी पर दर्शनी घाट पर स्वीकृत झूला पुल के निर्माण की प्रगति

116–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी जनपद में दर्शनी घाट झूला पुल गंगा नदी पर स्वीकृत हुआ था, लेकिन इतने लम्बे अरसे के बाद उक्त पुल का निर्माण नहीं हो पाया है जिससे पौड़ी व टिहरी जनपद की जनता को परेशानी हो रही है ? क्या जनहित में उक्त पुल पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

पुल के निर्माण में वनभूमि पड़ती है जिसके हस्तान्तरण की लम्बी एवं जटिल प्रक्रियाओं के कारण पुल का निर्माण नहीं हो सका । भूमि पर कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है ।

जी हां ।

कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी में व्यास घाट–काण्डी लक्ष्मण झूला मार्ग पर स्वीकृत झूला पुल बनाने के आदेश

117–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है किक व्यासघाट-काण्डी-लक्ष्मणझूला मार्ग पर भैरोंखाल-काण्डी के बीच गंगा नदी पर पौड़ी जनपद में झूला पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन पांच वर्ष बीतने के बाद भी पुल पर कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ? क्या जनहित में उक्त पुल पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

मार्ग में पड़ने वाली वनभूमि विलम्ब से मई, 1995 मेंलोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका ।

जी हां । कार्य प्रारम्भ करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र में खराब नलकूपों को शीघ्र चालू कराने का प्रयास

118–श्री परशुराम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जिला फैजाबाद के बीकापुर क्षेत्र में आधे से ज्यादा नलकूप खराब हैं और नलकूपों की नालियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं ? यदि हां, तो नलकूपों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । सप्ताहांत दिनांक 22-6-95 को 8 नलकूप यांत्रिक दोष से व 2 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे ।

जी हां । बीकापुर विधान सभा क्षेत्र में 77 नलकूपों की जल वितरण प्रणाली जीर्ण-शीर्ण है ।

दिनांक 22-6-95 को यांत्रिक दोष से बन्द 8 नलकूपों को चालू करा दिया गया है तथा विद्युत दोष से बन्द 2 नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा शीघ्र चालू कराये जाने के लिये संयुक्त निरीक्षण कराये गये हैं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फैजाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था

119–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला फैजाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये महिला चिकित्साधिकारी, दन्त रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन के पदों सहित पैथालोजी, एक्स-रे तथा कुत्ता काटने आदि की सुई लगने की व्यवस्था होने के लिये पदों का सृजन और स्वीकृति सरकार की ओर से प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार की स्वीकृतियों के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीकापुर में यह सुविधायें पूरी करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

फैजाबाद जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जलालपुर, बीकापुर तथा टांडा में महिला चिकित्सक (स्त्री रोग विशेषज्ञ), दन्त रोग विशेषज्ञ, फिजीशियन, शल्यक, बाल रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलाजिस्ट के पद सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अनुमन्य चिकित्सा सुविधायें स्वीकृत हैं । पैथालोजिस्ट का पद अनुमन्य नहीं है । पैथालोजी का कार्य प्रयोगशाला प्राविधिक द्वारा लिया जाता है । कुत्ता काटने की दवा की सुई लगाने की सुविधा जनपद के किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नहीं है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बीकापुर में केवल दन्त चिकित्सक का पद रिक्त था जिसकी तैनाती के आदेश कर दिये गये हैं । शेष सुविधायें उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय, फैजाबाद मण्डल को अस्थाई तौर पर स्थानान्तरित किये जाने का औचित्य

120–श्री परशुराम यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मण्डल का कार्यालय छावनी क्षेत्र फैजाबाद से वर्ष 1994-95 में स्थानान्तरित करके मुख्यालय से लगभग 9 कि०मी० की दूरी पर स्थित दर्शन नगर के पास निर्माणाधीन पांच सौ शैय्या चिकित्सालय परिसर में बने भवन में ले जाया गया है ? यदि हां, तो क्या यह स्थल मंडल मुख्यालय वाले जिला फैजाबाद के शहरी क्षेत्र फैजाबाद की सीमाओं से बाहर है ? यदि हां, तो विभिन्न राजकीय प्रयोजन से वर्तमान अपर निदेशक कार्यालय तक अधिकारीगण के आने जाने में वाहनों पर ईंधन के रूप में खर्च होने वाली राशि का तथा अन्य अपव्यय होते रहने तथा मण्डल भर के लोगों के आने-जाने की असुविधा होने के बावजूद कार्यालय इतनी दूर रखने का क्या औचित्य रहा है ?

श्री आर० के० चौधरी–

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,फैजाबद मंडल, फैजाबाद का कार्यालय छावनी क्षेत्र फैजाबाद से मार्च, 1994 में स्थानान्तरित करके मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित दर्शन नगर के पास पांच सौ शैय्या वाले प्रस्तावित चिकित्सालय के एक छोटे भू-भाग में नवनिर्मित मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक भवन के कुछ भाग में अस्थाई रूप से ले जाया गया है।

जी हां।

फैजाबाद छावनी स्थित पूर्व कार्यालय भवन जो किराये पर था, बहुत ही जर्जर एवं असुरक्षित हो गया था। अतः इस कार्यालय को फैजाबाद नगर में निर्धारित किराये के अन्तर्गत उपयुक्त भवन न मिलने के कारण अस्थाई रूप से स्थानान्तरित किया गया है।

जनपद आजमगढ़ के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत बने राजवाहों से पानी निकासी की व्यवस्था

121–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत कोहरौली ग्राम के दक्षिण तरफ भगवानपुर राजवाहा से जल निकासी की कोई व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि वर्षा के दिनों में वेसो नदी के जल भराव व वर्षा के कारण जल जमाव/भराव से उक्त ग्राम की धान आदि की फसलें डूब जाती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी राजवाहा के जल निकासी व निचले स्थान पर जल भराव को समाप्त कराने के लिये कोई स्थाई कार्य योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो किस प्रकार से और इस मद में कुल कितनी धनराशि के खर्च होने का अनुमान है ? यह कार्य कब से प्रारम्भ किया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां। आजमगढ़ जनपद के मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत कोहरौली ग्राम के दक्षिण की ओर भगवानपुर गाइनर से जल निकासी हेतु नाले की व्यवस्था है। जो वेसो नदी में जाकर मिलती है। यह माइनर 10.0 कि०मी० तक बनी है तथा इसकी टेल नाले से मिलती है

जी हां। वर्षा के दिनों में वेसो नदी का जल स्तर बढ़ने से अथवा अधिक वर्षा होने से जल जमाव/भराव की समस्या हो जाती है। पानी निकासी तक कुछ दिनों तक फसलें डूबी रहती हैं क्योंकि नाले में सिल्ट जमा थी तथा कहीं-कहीं पटा था।

भगवानपुर माइनर का टेल भाग कोहरौली ग्राम में पड़ता है। माइनर के टेल को नाले से मिला दिया गया है। यह नाला ग्राम सिन्दूरी व कोहरौली की सीमा पर है। इसकी लम्बाई लगभग 1.5 कि०मी० है। इसमें सिल्ट जमा थी तथा बीच-बीच में पटा होने के कारण सफाई करा दी गयी है। अतः अब भगवानपुर माइनर का बचा हुआ पानी तथा वर्षा का पानी भी नाले द्वारा वेसो नदी में चला जायेगा।

वेसो नदी में बाढ़ आ जाने पर कोहरौली ग्राम के निचले स्थान के जल भराव को समाप्त कराने की कोई योजना नहीं है।

ग्राम भगवानपुर व सिन्दूरी की सीमा पर स्थित पुराने नाले की सफाई करा दी गयी है। इसमें लगभग रु० 23,700.00 खर्च हुआ है।

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज में सुजानपुर गोपालीपुर ग्राम में लगा राजकीय नलकूप अनुपयुक्त

122–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक गौरीगंज के अन्तर्गत ग्राम सुजानपुर गोपालीपुर में लगा सरकारी ट्यूबवेल चालू हालत में है ? यदि हां, तो वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 में उक्त ट्यूबवेल से कितनी सिंचाई की गयी तथा कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं,तो यह कितने दिनों से खराब पड़ा है ? अब तक ठीक न कराये जाने के लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

इसका प्रश्न नहीं उठता है ।

नलकूप वर्ष 1988-89 से फेल है तथा नलकूप का पानी भी सामान्य कृषि कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है । अतः पुनर्निर्माण प्रस्तावित नहीं है तथा इसे ठीक न करने के लिये कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री बालेश्वर त्यागी–

[दिनांक 1-8-95 को अता० प्र० सं०–163 द्वारा उत्तरित]

श्री बलभद्र सिंह, ग्राम गम, तहसील गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर का चीनी कोटेदार के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कार्यवाही

124–श्री तेजभान सिंह–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी गौरीगंज, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री बलभद्र सिह पुत्र भगौती सिंह ग्राम गम, परगना तहसील गौरीगंज, सुल्तानपुर का दिनांक 1-11-94 को प्राप्त कराया गया प्रार्थना पत्र जिसमें चीनी कोटेदार के विरुद्ध निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने तथा वितरण में धांधली के आरोप हैं, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । शिकायती पत्र प्राप्त हुआ ।

शिकायती पत्र की जांच करायी गयी जांच रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 04-02-1995 को सम्बन्धित दुकानदार की दुकान/अनुबन्ध पत्र जमानत की सम्पूर्ण धनराशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए निरस्त कर दी गयी ।

सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के जायस राजबहा द्वारा फसल डूबने की शिकायत

125–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड सुल्तानपुर के अन्तर्गत जायस राजबहा दिनांक 14/15-1-94 को पड़री के पास टूट जाने से किसानों की खड़ी फसल डूब जाने की जांच जिलेदार गौरीगंज द्वारा करके कोई रिपोर्ट मुआवजा हेतु शासन को प्रेषित की गयी है ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जिलेदार द्वारा की गयी प्रश्नगत जांच में खड़ी फसल का आंशिक (50% से कम) नुकसान पाया गया, जो सिंचाई नियमावली के अनुसार मुआवजा देने की श्रेणी में नहीं आता । अतः शासन को मुआवजा प्रकरण भेजे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० डी० सुनील, सेवानिवृत्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, राबर्टगंज, मिर्जापुर की देय धनराशि उपलब्ध कराने के संबंध में

126–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० डी० सुनील, सेवानिवृत्त उप सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी, राबर्टगंज, मिर्जापुर की ग्रेच्युटी की 10 प्रतिशत धनराशि गबन में आरोपित होने के कारण रोके जाने का आधार क्या है जबकि कृषि निदेशक के पत्रांक सं० गबन 2453/ई-2302/इ०–4 दिनांक 5-1-94 द्वारा इन्हें दोषमुक्त किया जा रहा है ? उक्त उदासीनता में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कब तक इन्हें सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं, इस नाम का कोई अधिकारी नहीं था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बगहा में निर्मित कूप की जगत सतह से ऊंचा किये जाने की मांग

127–श्री धनराज यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वि० खण्ड बर्डपुर के ग्राम बगहा में अनुसूचित जाति मोहल्ले में श्री झनिक के मकान के सामने पानी पीने के लिये एक कूप का निर्माण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि निर्मित कूप की जगत न बनने के कारण पशु एवं बच्चे गिर गये थे, और बाहर का पानी (गन्दा) भी कुएं में गिरता है ? यदि हां, तो कूप की जगत न बनाये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उसका निर्माण करायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

विकास खण्ड बर्डपुर के संदर्भित ग्राम का नाम बगहा के बजाय बजहा है, जहां कूप का निर्माण हुआ है ।

जी नहीं ।

कूप की दीवालों की ऊंचाई जमीन स्तर से दो फीट ऊंची होने के कारण बाहर का गन्दा पानी कूप में नहीं गिरता है ।

प्रश्नगत निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के शासी निकाय के निर्णय पर निर्भर करता है ।

प्रदेश में फल पट्टी विकास की योजना एवं उद्देश्य एवं कार्य योजना

128–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फल पट्टी योजना पर सरकार नये तरीके से प्रयास कर रही है ? यदि हां,तो इसका क्या प्रारूप होगा ? नई फल पट्टी योजना कब से लागू होगी ?

श्री फौजदार प्रसाद–

जी हां । फल पट्टी क्षेत्रों के विस्तार व सघनीकरण के उद्देश्य से वर्ष 1994-95 में फल पट्टी विकास की योजना स्वीकृत की गयी है ।

योजना के अन्तर्गत फल पट्टी क्षेत्रों के जिन ग्रामों में उद्यानों का घनत्व कम है, वहां नवीन उद्यानों की स्थापना कराकर उद्यानों का घनत्व बढ़ाने, चयनित कृषकों को नवीन उद्यानों की स्थापना करने पर रोपण सामग्री, उर्वरक, कीट व्याधि नाशक रसायन तथा अन्य आवश्यक निवेश अनुदान पर उपलब्ध कराने का कार्यक्रम है । अनुदान की सीमा रु० 7500 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इस योजना का कार्य वर्तमान वर्ष में प्रारम्भ हो चुका है ।

खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की पद्धति

129–श्री रामआसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारियों/ग्राम विकास अधिकारियों/सहायक विकास अधि० को अग्रिम धनराशि देकर कार्य कराते हैं ? क्या यह सही है कि भुगतान हो जाने के पश्चात् कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती है ? क्या गुणवत्ता व मात्रा नियंत्रित करने के लिये अन्य विभागों की भांति कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान किया जाना अधिक लाभप्रद होगा ? यदि हां, तो अग्रिम देने की प्रथा कब तक समाप्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां ।

जी नहीं ।

अन्य विभागों में कराये जाने वाले कार्यों से तुलना में नहीं जा सकती है क्योंकि इस विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्ण प्रतिबन्ध है । ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की इन योजनाओं में मजदूरी के भुगतान में विलम्ब करना सम्भव नहीं है ।अग्रिम, देकर विभागीय देखरेख में कार्य कराने से न सिर्फ मजदूरी का भुगतान समय से होता है बल्कि कार्यों की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है । अतः व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

130–श्री राम आसरे वर्मा–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारियों के साथ जुड़े जूनियर इंजीनियरों के कार्यों का ब्योरा

131–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खण्ड विकास अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के जूनियर इंजीनियर के कार्यों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की उपलब्धि में नहीं जोड़ा जाता है ? क्या जूनियर इंजीनियर पर होने वाले स्थापना व्यय को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से स्थापना व्यय में जोड़ा जाता है ? क्या जूनियर इंजीनियर द्वारा कराये गये कार्यों को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की उपलब्धि में जोड़ा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं ।

जी हां ।

विकास खण्डों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं द्वारा निर्माण कार्यों में तकनीकी मार्ग दर्शन दिया जाता है। विभागीय कार्यों का व्यय तथा तकनीकी सहायता का व्यय अलग-अलग रखा जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को अन्य निगमों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं

132–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के समकक्ष सुविधायें दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को एक समान सुविधाएं देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक वहां के कर्मचारियों को वेतन भत्ते तथा अवकाश सुविधायें समान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के समान ही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें मिल रही हैं। कतिपय भत्ते यथा–पर्वतीय विकास भत्ता, सीमान्त भत्ता, कार्य प्रगति पर आधारित प्रोत्साहन भत्ता तथा गृह यात्रा सुविधा निगम की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सम्प्रति अनुमन्य नहीं किये गये हैं।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौरी, जिला वाराणसी (अब भदोही) के विस्तार हेतु प्रेषित पत्र

133–श्री ऊदल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चौरी, वाराणसी (अब भदोही) के विस्तार एवं स्टाफ बढ़ाने हेतु प्रश्नकर्ता ने एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री को 15-1-94 को लिखा था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त अस्पताल के विस्तार हेतु सन् 1981 से कार्यवाही की जा रही है ? क्या अब तक दोनों वार्ड नहीं बनाये जा सके हैं ? क्या सरकार द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र के लिये उक्त अस्पताल को विस्तारित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चमोली एवं पौड़ी गढ़वाल में गुणात्मक बीजों का प्रयोग एवं लाभ

134–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गुणात्मक बीजों के उत्पादन हेतु जिला पौड़ी एवं जिला चमोली गढ़वाल में कहां-कहां प्रयोग किया गया ? विगत पांच वर्षों में अलग-अलग वर्ष में कहां-कहां क्या प्रगति रही ? क्या यह सही है कि प्रगति संतोषजनक नहीं है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें दूर करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

सुश्री मायावती–

जिला पौड़ी में गुणात्मक बीजों के उत्पादन हेतु कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। जिला पौड़ी में कोई भी राजकीय बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र स्थापित नहीं है।

जनपद चमोली में गुणात्मक बीजों के उत्पादन हेतु राजकीय कृषि बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र पवालिया विकास खण्ड अगस्तमुनि में स्थापित है, जहां पर आधारीय बीजों की बुआई कर प्रमाणित बीज का उत्पादन किया गया है ।

जनपद चमोली के एक मात्र राजकीय कृषि बीज सम्वर्द्धन प्रक्षेत्र पवालिया विकास खण्ड अगस्तमुनि में है । जिसका कृषि क्षेत्रपल 4.85 है० है । उक्त प्रक्षेत्र पर विगत पांच वर्षों में गुणात्मक बीजों के उत्पादन की प्रगति निम्न प्रकार रही :--

वर्ष	उत्पादन लक्ष्य कु०	उत्पादित बीज की मात्रा कु०
1990-91	80.00	47.81
1991-92	60.00	33.54
1992-93	60.00	44.23
1993-94	60.00	41.68
1994-95	60.00	43.57

विभिन्न वर्षों में अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि एवं सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रगति संतोषजनक है । उल्लेखनीय है कि प्रक्षेत्र का 3/4 भाग असिंचित है । सिंचित क्षेत्र का विस्तार किया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इस पर अत्यधिक व्यय आयेगा और लाभ, व्यय की तुलना में बहुत ही कम होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में दलहन विकास की विशेष योजना

135–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री को विदित है कि कर्णप्रयाग क्षेत्र में थैलीसैण ब्लाक एवं गैरसैण ब्लाक दलहन के लिये उपयुक्त क्षेत्र है ? क्या इन क्षेत्रों में राजमा दलहन के विकास के लिये कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

इन क्षेत्रों में राजमा उत्पादन की विशेष योजना है जो राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अधीन जिला सेक्टर के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही है जिसके अन्तर्गत राजमा की खेती के प्रोत्साहन के लिये कृषकों को बीज पर रु० 500 प्रति कु० की दर से तथा उर्वरकों एवं कृषि रसायनों पर अधिकतम क्रमशः 150 रु० प्रति हे० एवं 100 रु० प्रति हे० की दर से अनुदान सुविधा अनुमन्य है । आधुनिक प्राविधिक ज्ञान हेतु कृषक गोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में उपजदायी प्रजाति के बीजों पर राजकीय सहायता

136–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर राजकीय सहायता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो कहां और किन-किन क्षेत्रों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

उत्तराखण्ड के निम्नलिखित 7 जनपदों के 16 विकास खण्डों में कृषकों को अधिक उपजदायी प्रजाति के बीजों पर 50 प्रतिशत राज सहायता प्रदान की गयी है ।

जनपद	विकास खण्ड
1–नैनीताल	1–खटीमा
	2–बाजपुर
	3–सितारगंज
2–पिथौरागढ़	4–धारचूला
	5–मुनस्यारी
3–अल्मोड़ा	6–कपकोट
	7–बागेश्वर
	8–गरूड़
	9–हवालबाग
4–चमोली	10–जोशीमठ
5–उत्तरकाशी	11–नौगांव
	12–पुरोला
	13 मोरी
6–टिहरी	14–जौनपुर
7–देहरादून	15–चकराता
	16–कालसी

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली एवं पौड़ी में उर्वरक परिवहन पर व्यय धनराशि

137–डा० रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष जनपद पौड़ी तथा जनपद चमोली में उर्वरक में परिवहन पर कुल कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है ? क्या यह उर्वरक सही स्थान पर पहुंच सका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1994-95 में उर्वरक परिवहन पर पौड़ी जनपद में रु० 2.20 लाख तथा जनपद चमोली में रुपये 2.30 लाख धनराशि व्यय हुई थी ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

138–डा०रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

[दिनांक 27-7-95 को अता० प्र० सं०–156 के द्वारा उत्तरित]

राज्य सरकार द्वारा अनु० जाति/जनजाति के निर्धन परिवारों हेतु आवासीय योजना

139–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के निर्धन परिवारों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार चला रही है? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? इन परिवारों हेतु सरकार द्वारा निर्मित प्रत्येक आवास पर व्यय होने वाली धनराशि शासन ने क्या निर्धारित किया है ? क्या व्यय होने वाली धनराशि की सीमा वर्तमान समय में प्रत्येक आवास हेतु प्रति परिवार के लिये रुपया लगभग 20,000 (बीस हजार) बढ़ाकर निश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चैनसुख भारती–

जी हां। इन्दिरा आवास एवं निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना।

निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना में प्रति आवास रु० 10,000 मैदानी क्षेत्र में तथा रु० 11,800 पर्वतीय/कठिनाई वाले क्षेत्र में निर्धारित है। इन्दिरा आवास की प्रति आवास लागत रु० 9,000 मैदानी क्षेत्र के लिये एवं रु० 10,800 पर्वतीय क्षेत्रों के लिये निर्धारित है।

जी नहीं, इन्दिरा आवास की लागत भारत सरकार द्वारा निर्धारित है। निर्बल वर्ग आवासीय योजना में आंशिक अनुदान है। अतः लाभार्थी अपने पास से यदि धन लगा सकता है तो किसी भी लागत के मकान बनवा सकता है। इस कारण शासकीय तौर पर लागत बढ़ाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है।

जनपद जौनपुर के ग्राम मझगवां कलां में नलकूप बनाने हेतु अधिगृहीत भूमि की अध्यापित

140–श्री जगरनाथ चौधरी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मझगवां कलां विकास खण्ड जलालपुर, जिला जौनपुर में स्थित भूमि संख्या–1298 को शासन ने अधिग्रहीत कर सिंचाई विभाग के नलकूप संख्या–146 को स्थापित किया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त भूमि के स्वामी को उचित मुआवजा उपलब्ध करा दिया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त भू-स्वामी को उचित मुआवजा उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी नहीं।

भूमि अध्यापित की कार्यवाही पूरी होने पर।

उ०प्र० बीज एवं तराई विकास निगम, कल्याणपुर, कानपुर द्वारा श्री अशोक कुमार निवासी मल्लावां, हरदोई को बीज का अतिरिक्त भुगतान

141–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम कल्याणपुर, कानपुर द्वारा श्री अशोक कुमार निवासी सरैयां, मल्लावां, हरदोई को नियमानुसार आधारीय बने बीज का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

निगम द्वारा श्री अशोक कुमार निवासी मल्लावां, हरदोई को आधारीय बने बीज का अतिरिक्त भुगतान सहित रुपये 1600.00 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

तराई बीज निगम में मूंगफली चित्रा आधारीय बीज पर उत्पादकों को प्राविधानों के अनुसार भुगतान

142–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि तराई बीज निगम में आधारीय बीज पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान जनपद हरदोई में वर्ष 1993 में उत्पादित मूंगफली चित्रा आधारीय बीज पर उत्पादकों को भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसमें कौन दोषी है ? यह भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

वर्ष 1993 में मूंगफली चित्रा आधारीय बीज उत्पादन करने वाले बीज उत्पादकों को 25 प्रतिशत का अतिरिक्त भुगतान करने का कोई प्राविधान नहीं था। खरीफ 1993 में हरदोई जनपद में उत्पादित प्रमाणित बीज का भुगतान रु० 1550.00 प्रति कुन्तल तथा आधारीय बीज का भुगतान रु० 1600.00 प्रति कुन्तल की दर से किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्राविधानों के अन्तर्गत भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

ग्राम भिखारीपुर, तहसील व जनपद भदोही को अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित किया जाना

143–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि गांव भिखारीपुर, परगना भदोही त० व जिला भदोही में अनुसूचित जाति (पासी) की आबादी तीन सौ से ऊपर है ? यदि हां, तो क्या इस गांव को अम्बेडकर गांव घोषित करके नलकूप, विद्युतीकरण, पेयजल आदि की व्यवस्था की जायेगी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि अम्बेडकर गांव की जो सुविधायें शासन स्तर पर स्वीकृत की गयी हैं वे सभी सुविधायें गांव भिखारीपुर को क्यों नहीं दी जा रही हैं ? क्या इस गांव में कोई मार्ग नहीं है ? क्या उसको भी बनवा दिया जायगा ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार प्रश्नगत गांव के अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या 183 है।

इस ग्राम को अम्बेडकर ग्राम के रूप में इसी वर्ष चयनित कर लिया गया है तथा अम्बेडकर ग्राम के अन्तर्गत निर्धारित विकास कार्यक्रम यथा आवश्यकता लागू करने की कार्यवाही भी प्रारम्भ हो चुकी है। अम्बेडकर ग्रामों हेतु निर्धारित कार्यक्रमों में नलकूप (उथले नलकूप, बोरिंग आदि सहित) पेयजल व विद्युतीकरण कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

अम्बेडकर ग्राम विकास योजना में सम्मिलित है ।

144–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[4थे सोमवार में अता० प्र० सं०–81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

145–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

[3सरे गुरुवार में अता० प्र० सं०–61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तरांचल में वन संरक्षण अधिनियम को लचीला करने की मांग

146–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण विकास कार्यों में बाधा पड़ी है । यदि हां, तो उ० प्र० सरकार ने इस अधिनियम को लचीला करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तराखण्ड में चाय विकास योजना का क्रियान्वयन

147–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में चाय की खेती करने के लिये सरकार क्या कोई योजना बनाने जा रही है ?

सुश्री मायावती–

उत्तराखण्ड के जनपदों नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं पौड़ी गढ़वाल हेतु उत्तराखण्ड चाय विकास परियोजना शासनादेश संख्या–905/28-8-94–1(23-फ)/93, दिनांक 31 मार्च, 1994 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । इस परियोजना का क्रियान्वयन कुमायूं मण्डल विकास निगम तथा गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।

148–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

देवप्रयाग, जनपद टिहरी गढ़वाल में अलकनन्दा नदी पर मोटर पुल बनाने की मांग

149–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री को जानकारी है कि देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में अलकनन्दा नदी पर निर्माणाधीन मोटर पुल का निर्माण रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पुल का निर्माण कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में अलकनन्दा नदी पर कोई मोटर पुल स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अप्रैल से अगस्त (1994) तक हैजा से हुई मौतें

150–श्री आनन्द यादव तथा श्री उमाकान्त यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, मई, 1994 से अगस्त, 1994 तक प्रदेश स्तर पर हैजा से कितनी मौतें हुई हैं ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती की लापरवाही से तहसील रुधौली, जिला बस्ती विशेषकर विकास खण्ड रुधौली जिला बस्ती में काफी संख्या में हैजे से मौतें हुई और उपचार तथा परहेज रोकथाम के नाम पर लाखों रुपये की गरीबों की सब्जियों को इन्हीं के निदेश पर बाजारों पर बर्बाद कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुख्य चिकित्साधिकारी को इस हेतु दण्डित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० चौधरी–

माह अप्रैल, मई, 1994 से अगस्त, 1994 तक प्रदेश स्तर पर हैजा से 03 मौतें हुई हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड वाराणसी में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के कार्य विवरण की जानकारी

151–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड जौनपुर की षष्टम् उप खण्ड वाराणसी में चार अवर अभियन्ता कार्यरत हैं ? यदि हां,तो क्या यह सही है कि आधा के करीब कार्य एक अवर अभियन्ता एन० के० सिंह को दिया गया है और बाकी में तीन अवर अभियन्ताओं को काम दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?. क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? क्या यह भी सही है कि बाबतपुर राजवाहा किलोमीटर 28–200 पर दिनांक 14-1-95 को रसूलपुर के पास अवर अभियन्ता एन० के० सिंह के कार्य क्षेत्र में टूटा था ? इसकी जांच अब तक क्यों नहीं करायी गयी ?

सुश्री मायावंती–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर के कतिपय ड्रेनों को मिलाने की योजना

152–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिण्डरा डी० वाई० ई० सिंचाई खण्ड जौनपुर जो तृतीय उपखण्ड जौनपुर में है, उसे पिण्डराई गांव ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी के एक साल से टेल बनाकर पानी बहा दिया जाता है ? क्या सरकार उक्त पिण्डरा डी० वाई० को पिण्डरा ड्रेन व महाराजकोट पिण्डरा ड्रेन में मिलाने का आदेश देगी ? क्या यह सही है कि दोनों ड्रेनों में सिंचाई हेतु रेगुलेटर पहले से ही बनाये गये हैं ? क्या सरकार इसके लिये तुरन्त आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां । पिण्डरा राजबहा की टेल का पानी मच्छा ताल में जाता है ।

जी हां । पिण्डरा राजबहा की टेल का पानी प्रश्नगत दोनों ड्रेनों में मिलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जी हां । रेगुलेटर पहले से बने हुए हैं।

नहर की टेल को 700 मीटर लम्बाई में खुदाई करके दोनों ड्रेनों में मिलाने का प्राक्कलन डी० आर० डी० ए० वाराणसी को भेज दिया गया है । योजना स्वीकृत होने व धन उपलब्ध होने की दशा में कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

153–श्री ऊदल–

[दिनांक 19-7-95 को ता० प्र० सं० 10 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम लमाई, तहसील चम्पावत में पेयजल एवं विद्युतीकरण के निर्देश

154–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखंड विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम लमाई, तहसील चम्पावत, जिला पिथौरागढ़ मुख्यालय से मात्र दो फर्लांग पर स्थित उक्त गांव ग्राम विकास (बिजली पानी) से अपूर्ण तथा वंचित है? क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी सुविधाओं के अभाव के कारण वहां के अनुसूचित व अल्पसंख्यक बाहुल्य लोग पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पलायन को तत्काल रोकने के लिये उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

कोई परिवार पलायन नहीं कर रहा है ।

पलायन नहीं हो रहा है तथापि पेयजल सर्वेक्षण एवं विद्युतीकरण करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

समय सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद टिहरी गढ़वाल पशु सेवा केन्द्र दियूली पट्टी धमानस्यूं, विकास खण्ड नरेन्द्रनगर के निर्मित भवन की कमियों को दूर करने के निर्देश

155–श्री मातवर सिह कण्डारी–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु सेवा केन्द्र दियूली पट्टी धमानस्यूं, वि० ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल का भवन बन कर कब तैयार हो गया था ? क्या कारण है कि यह भवन वीरान पड़ा है ? इस भवन का मालिक कौन है ? क्या सरकार इसकी तत्काल जांच कर वीरान पड़े भवन का सदुपयोग करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पशु सेवा केन्द्र दियूली, पट्टी धमानस्यूं, वि० ख० नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के भवन का निर्माण कार्य वर्ष 1991-92 में निर्माण एजेन्सी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पूर्ण होना पशु चिकित्साधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचित किया गया था । चूंकि पशुपालन विभाग द्वारा भवन में कमियां पायी गयी । अतः उन्होंने भवन का अधिग्रहण नहीं किया । इस कारण भवन निर्माण एजेन्सी ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के नियंत्रणाधीन है ।

निर्माण एजेन्सी को भवन में पायी गयी कमियां दूर कर भवन पशुपालन विभाग को सौंपने हेतु निर्देश दिये जायेंगे ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अलिखित विकास खण्डों में इन्दिरा आवास के निर्माण कार्य संतोषजनक न होने पर सम्बन्धित स्टाफ के विरुद्ध कार्यवाही

156–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्द्रा आवास भरपूर वि० ख० देवप्रयाग एवं इन्द्रा आवास सिरसेठ, वि० ख० कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल के निर्माण कर्ताओं को दोषी पाये जाने पर भी उन्हें मात्र दो तीन दिन के लिये निलम्बित किया गया? क्या कारण है कि दोषी पाये जाने पर भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है ? दोनों इन्द्रा आवास आज भी जीर्णशीर्ण हालत में क्यों हैं ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करेगी ?

श्री चैनसुख भारती–

जी नहीं।

दोषी पाये गये कर्मियों में से ग्राम्य विकास अधिकारी, श्री अजीत पाल सिंह को दिनांक 28-12-92 को निलम्बित किया गया और जांच के उपरान्त दोष सिद्ध न होने पर दिनांक 1-9-93 को बहाल किया गया। ग्राम्य पंचायत अधिकारी श्री कृपाल सिंह रावत को दिनांक 17-2-93 को निलम्बित किया गया और जांचोपरान्त दोष सिद्ध न होने पर दिनांक 26-7-93 को बहाल किया गया। एक अन्य ग्राम्य पंचायत अधिकारी, श्री दुर्गा दास को दिनांक 10-3-94 को निलम्बित किया गया उन्हें एक वार्षिक वृद्धि रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि का दण्ड देते हुए दिनांक 7-9-94 को बहाल किया गया। अवर अभियन्ता, श्री दयाराम राव को एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकते हुए भर्त्सना प्रविष्टि दी गयी है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता खराब होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हालत में है।

दोषी अधिकारियों को दण्डित कर दिया गया है।

157–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[3सरे सोमवार में अता० प्र० सं०–159 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद नैनीताल के उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम, पन्तनगर में प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियमानुसार नियुक्ति

158–श्री दीनानाथ चौधरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एस० बी० सिंह को उ० प्र० बीज एवं तराई विकास निगम, पन्तनगर, पो०–हल्दी, जिला नैनीताल के प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति कम्पनी ऐक्ट, 1956 का उल्लंघन करते हुए बिना निदेशक बनाये ही दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नियम विरुद्ध होने के कारण उनको अपने पद से हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं। प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु निदेशक बनाये जाने की अनिवार्यता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नहीं, नियमानुसार नियुक्ति के कारण।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील अमेठी में राजकीय नलकूपों की संख्या एवं उनकी कार्यप्रणाली का विवरण

159–श्री जमुना प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद की तहसील अमेठी में कितने राजकीय नलकूप हैं ? क्या उन राजकीय नलकूपों में से अधिकांश खराब हैं ? यदि नहीं, तो कितने तथा कौन-कौन कार्यरत हैं ? क्या खराब नलकूपों को ठीक करा कर उन्हें चालू कराने की, सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक वे चालू होंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद सुल्तानपुर की अमेठी तहसील के अन्तर्गत 160 चलित राजकीय नलकूप हैं।

जी नहीं, सप्ताहांत दिनांक 6-7-95 को केवल 18 नलकूप अस्थाई रूप से यांत्रिक/विद्युत दोष के कारण बन्द थे।

सप्ताहांत दिनांक 6-7-95 को अमेठी तहसील के अन्तर्गत 142 नलकूप कार्यरत थे, जिनकी सूची संलग्न है।

चलते-चलते अस्थाई रूप से यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को तत्परता के साथ ठीक करके चालू किया जाता है।

सप्ताहांत दिनांक 6-7-95 को यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द 18 नलकूपों में से 9 नलकूपों को ठीक करके चालू कर दिया गया है। शेष 9 नलकूपों को भी शीघ्र ही ठीक करके चालू कराने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

इसका प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 238–243 पर)

उत्तरांचल क्षेत्र के ग्राम्य विकास विभाग में विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों की संख्या एवं विवरण

160–डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत किस-किस स्तर के कितने पद कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? क्या यह सही है कि कार्य के अनुपात में कर्मचारियों/अधिकारियों के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक वे पद भर लिये जायेंगे ?

श्री चैनसुख भारती–

उत्तरांचल क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत समूह "ख" के 15 रिक्त पदों में से वर्ष 1994 से 12 पद, जनवरी, 1995 से 3 पद, समूह "ग" के 292 रिक्त पदों में से वर्ष 1991 से 4 पद, वर्ष 1992 से 8 पद, वर्ष 1993 से 27 पद, वर्ष 1994 से 244 पद, जनवरी, 1995 से 9 पद तथा समूह "घ" के दो पद वर्ष 1995 से रिक्त हैं।

जी हां। कर्मचारियों-अधिकारियों के अभाव में कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हो रहा है।

सेवा निवृत्ति तथा अन्य कारणों से पदों का पूरे प्रदेश में रिक्त होना तथा उन पर तैनाती किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है जिसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्टोर कीपर/स्टीवर्ड के कुल रिक्त पद एवं कनिष्ठ लिपिकों को स्टोर कीपर बनाये जाने का औचित्य

161–श्री वासुदेव सिंह तथा श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय चिकित्सालयों में स्टोर कीपर/स्टीवर्ड के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं ? क्या कनिष्ठ लिपिक एवं स्टोर कीपर की भर्ती के लिए कोई अर्हतायें निर्धारित की गयी हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि स्टोर कीपर/कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या वरिष्ठता सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह तथ्य है कि महिला चिकित्सालय (डफरिन) लखनऊ में कनिष्ठ लिपिकों को स्टोर कीपर बना दिया गया है ? यदि हां, तो वह किस आधार पर और किस अधिकारी द्वारा ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां .

स्टोर कीपर/स्टीवर्ड के 157 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरुद्ध 82 कर्मचारी कार्यरत है ।

जी हां ।

इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा उसके समकक्ष निर्धारित अर्हता ।

जी हां ।

सूची संलग्न है । †

प्रश्न नहीं उठता

जी हां .

प्रधानाचार्य गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज कानपुर के कार्यकारी आदेश दिनांक 9-5-1979 द्वारा स्टोर कीपर के पद पर शासकीय हित में पद परिवर्तन किया गया । उस समय कोई सेवा नियमावली नहीं थी ।

गांव सभा खरगपुर व नयेपुरा राजपुर ब्लाक-पिण्डरा जनपद वाराणसी में राजकीय नलकूप लगाने की मांग

162–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गांव सभा खरगपुर व नयेपुरा राजपुर ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी में वित्तीय वर्ष 1995-96 में एक-एक राजकीय नलकूप लगाने की सरकार आज्ञा प्रदान करेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं । राजकीय नलकूप का निर्माण जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जाता है ।

---

† सभा पटल पर रखी गयी ।

जनपद वाराणसी के फतेपुर माइनर को नाद नदी में गिराने की योजना

163–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेपुर माइनर जो दिलदासपुर माइनर ब्लाक पिण्डरा जिला वाराणसी से निकलती है उसे गांव कामापुर नरायनपुर से खोद कर नाद नदी में गिराये जाने की योजना थी ? यदि हां, तो क्या उक्त माइनर को वर्षो से पूरा क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त अधूरे माइनर को पूरा करायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

नहर के समरेखन में कुछ काश्तकारो द्वारा अवरोध उत्पन्न कर देने के कारण कार्य अवरुद्ध रहा ।

जांच कराकर माइनर की खुदाई का कार्य 3/95 में पूर्ण करा दिया गया है ।

सी० डी० ओ० वाराणसी द्वारा जनपद वाराणसी के सारनाथ ड्रेन व कैथोली माइनर का निरीक्षण

164–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी० डी० ओ० वाराणसी ने सारनाथ ड्रेन व कैथोली माइनर सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड वाराणसी की जांच दिनांक 8-7-94 को की थी ? यदि हां, तो उन्होंने उक्त कार्यो के बारे में क्या रिपोर्ट दी है ? क्या यह सत्य है कि उन्होंने दोनों कार्यों में बहुत कमी पायी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सी० डी० ओ० ने भुगतान को भी रोक दिया था ?

सुश्री मायावती–

जी हां सी० डी० ओ० वाराणसी द्वारा कैथोली माइनर एवं सारनाथ ड्रेन का दिनांक 8-7-94 को निरीक्षण किया गया था ।

उक्त कार्य के बारे में उनके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गयी ।

जी नहीं ।

सी० डी० ओ० द्वारा भुगतान नहीं रोका गया था ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड जनपद वाराणसी के पिण्डरा ड्रेन की सफाई

165–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड वाराणसी में पिण्डरा ड्रेन व थाना ड्रेन की सफाई अभी बहुत बाकी है ? क्या पिण्डरा ड्रेन में 56 वां राष्ट्रीय मार्ग के पश्चिम व पूरब कई सौ मीटर की खुदाई नहीं हो पायी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर खोदाई करायेगी ?

सुश्री मायावती–

पिण्ड्रा ड्रेन की सफाई आवश्यकतानुसार करा दी गयी है । थाना ड्रेन की सफाई नहीं कराई गयी है ।

पिन्डरा ड्रेन की 56वां राष्ट्रीय मार्ग के पश्चिम व पूरब सफाई (खोदाई) का कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

166–श्री राम आसरे वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

167–श्री राम आसरे वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी के मंगारी प्रसादपुर मार्ग के निर्माण में अनियमितता की ।

168–श्री ऊदल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मंगारी प्रसादपुर मार्ग ब्लाक पिण्डरा ...ला ..राणसी को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग वाराणसी ने बनवाया था ? क्या उसमें सड़ा हुआ नं० 3 व 4 के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था ? उक्त मार्ग के ईंटों की सप्लाई किसके भट्ठे से की गयी थी ? उसका नाम व पता क्या है ? क्या यह सही है कि आम जनता ने उक्त खंड़जे की ईंटों को रद्दी होने की वजह से फेंकवा दिया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर नं० 1 के ईंटों से उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ?

श्री चैनसुख भारती–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के सिंचाई विभाग में स्वीकृत पद भण्डारपाल/सहायक भण्डार अधीक्षक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य एवं दायित्व का पालन

169–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में शासन द्वारा स्वीकृत भण्डारपाल/सहायक भण्डार अधीक्षक के कर्तव्य/उत्तरदायित्व का पूर्णतः पालन कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त का पालन न होने से विभाग को अत्यन्त वित्तीय क्षति उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में निराला महोत्सव के आयोजन हेतु सहयोग में दी गई धनराशि की जांच एवं आवश्यक निर्देश

170–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद प्रशासन द्वारा निराला महोत्सव हेतु सन् 1992 में जनता व व्यापारियों से वसूले गये धन की वापसी तथा महोत्सव संबंधी व्यापारियों के बकाया बिलों का भुगतान कब क सुनिश्चित करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

09 दिसम्बर, 92 से 12 दिसम्बर, 1992 तक के मध्य होने वाले निराला महोत्सव के आयोजन हेतु उन्नाव जनपद प्रशासन द्वारा जनता एवं व्यापारियों से किसी प्रकार के धन की वसूली नहीं की गई थी अपितु बुद्धिजीवियों तथा समाज सेवकों द्वारा अपनी स्वेच्छा से विभिन्न माध्यमों से दान स्वरूप सहयोग प्रदान किया गया था। प्रकरण में जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही के निर्देश आयुक्त को दे दिए गये हैं।

पिण्डरा डिवाई को सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड वाराणसी में सम्मिलित करने एवं इसके अन्तर्गत दोनों ड्रेनों को मिलाने की मांग

171–172–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिण्डरा डिवाई सिंचाई खण्ड जौनपुर के तृतीय उप खण्ड में रखा गया है ? क्या उक्त डिवाई सिंचाई खण्ड जौनपुर के षष्टम् उपखण्ड वाराणसी के कार्य क्षेत्र से सटा हुआ है ? यदि हां, तो उसकी देखरेख अच्छी तरह से हो, इस हेतु क्या सरकार पिण्डरा डिवाई को षष्टम् उपखण्ड वाराणसी में शामिल करने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

पिंडरा डिवाई को षष्टम् उपखण्ड में शामिल करने हेतु कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंचाई खण्ड जौनपुर के तृतीय उपखण्ड द्वारा इसकी देखरेख अच्छी तरह से की जा रही है।

172–क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि पिण्डरा डिवाई सिंचाई उपखण्ड तृतीय सिंचाई खण्ड जौनपुर को गांव पिण्डराई के पश्चिम एक ताल में छोड़ दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त ताल से दो ड्रेन सिंचाई खण्ड जौनपुर की 1–पिण्डरा ड्रेन व 2–महराज कोट पिण्डरा ड्रेन मच्छाताल से निकल कर नाद नदी में गिरती है ? क्या यह भी सत्य है कि दोनों ड्रेनों में एक उसरशहीद के पास पिण्डरा व दूसरा रमईपुर गांव पिण्डरा तथा एक-एक जगह रेगुलेटर पहले से बनाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या करीब 200 मीटर पिण्डराई ताल में खाई बनाकर पिण्डरा डिवाई का पानी दोनों ड्रेनों में दिया जायेगा ताकि सैकड़ों एकड़ की सिंचाई हो सके ? क्या सरकार इसकी जांच मौके पर कराकर इस्टीमेट बनवायेगी और पिण्डरा डिवाई को दोनों ड्रेनों में मिलाने का आदेश देगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

लगभग 700 मीटर की लम्बाई में खुदाई करके पिण्डरा राजवाहा की टेल का पानी दोनों ड्रेनों में मिला दिया जायेगा । इसकी जांच स्थल पर करके प्राक्कलन तैयार करके सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, वाराणसी को भेज दिया गया है । योजना की स्वीकृति होने तथा धन उपलब्ध होने पर यह कार्य प्रारम्भ कराना संभव हो सकेगा ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर द्वारा अनेई माइनर हेतु ब्लाक-बड़ागांव जनपद वाराणसी के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की कार्यवाही

173–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनेई माइनर सिंचाई खण्ड जौनपुर की है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गांव सोनपुरवा व गांव बरहीं कलां ब्लाक बड़ागांव परगना पन्द्रहा त० व जि० वाराणसी के किसानों का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया ? क्या यह भी सही है कि किसानों की जमीन 10/12 वर्ष पहले से ही लेकर उसमें माइनर बनायी गयी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर मुआवजा शीघ्र वितरित करेगी ?

सुश्री मायादती–

जी हां,

जी हां ।

जी हां ।

सिंचाई विभाग द्वारा मुआवजे का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी को भेजा गया है जिनके द्वारा धारा–4 का प्रकाशन कराया जा चुका है एवं धारा–6 के प्रकाशन की कार्यवाही हो रही है जिसके बाद मुआवजा वितरण की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा की जानी है ।

सिंचाई खण्ड जौनपुर के क्षतिग्रस्त बावतपुर राजवाहा के पुनर्निर्माण हेतु प्रस्ताव

174–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बावतपुर राजवाहा सिंचाई खण्ड जौनपुर में बरही नेवादा के पूरब ब्लाक बड़ागांव जिला–वाराणसी में एक कुलाबा दिया गया है ? क्या उसकी नाली टूट गयी है ? क्या इस कुलाबे से बरहीं नेवादा का पूर्वी हिस्सा व हरिनाथपुर तथा फत्तेपुर की सिंचाई होती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाली का पुनः जीर्णोद्धार कर नया बनाने हेतु दो लाख रु० देने की स्वीकृत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक नाली का जीर्णोद्धार किया जायगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सुश्री मायावती–

कुलाबे से निकलने वाली पक्की गूल के क्षतिग्रस्त कार्य के मरम्मत तथा पुनर्निर्माण का प्रस्ताव बनाकर जिला ग्राम्य अभिकरण वाराणसी को भेज दिया गया है।

योजना की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र कार्य कराया जाना संभव होगा।

मण्डी परिषद मुख्यालय लखनऊ में बिना पद के अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या एवं तैनाती का औचित्य

175–डा० मसूद अहमद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डी परिषद् मुख्यालय, लखनऊ में बिना पद के कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ? संभागीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में कौन-कौन से पद रिक्त पड़े हैं? यदि वे पद रिक्त हैं, तो उन पर परिषद् मुख्यालय में तैनात अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात क्यों नहीं किया जाता है ? इन रिक्त पड़े पदों पर क्या इन कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती शीघ्र होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

सुश्री मायावती–

मण्डी परिषद मुख्यालय लखनऊ में बिना पद के 24 कर्मचारी तैनात हैं।

सूची संलग्न है।

मुख्यालय/परिषद के व्यापक हित में उक्त कर्मचारियों को मुख्यालय पर तैनात कर विभागीय कार्यों का सम्पादन कराया जा रहा है। कार्यहित में इन्हें मुख्यालय से संभागीय कार्यालयों में नहीं भेजा गया है।

मुख्यालय पर इन कर्मचारियों की आवश्यकता न होने पर इन्हें संभागीय कार्यालयों में तैनात किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्यालय पर कार्याधिक्य एवं अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता की समाप्ति पर।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 244–246 पर)

परिवार कल्याण विभाग जनपद फैजाबाद के मृतक आश्रित श्रीमती माहपारा बेगम की नियुक्ति में विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

176–श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में परिवार कल्याण विभाग में सेवाकाल में रहते हुये श्री नसीम अख्तर, एम० एस० डब्लू का स्वर्गवास माह अक्टूबर, 1988 में हो गया था ? क्या उनकी विधवा पत्नी श्रीमती माहपारा बेगम मृतक आश्रित को सेवा का अवसर प्रदान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पत्र संख्या–प०का०/3/स्था०/मृ०आ०/93, दिनांक अप्रैल, 1993 द्वारा निदेशक, परिवार कल्याण उ० प्र० ने संयुक्त निदेशक (बाल रोग) को यह आदेश दिये थे कि इनको योग्यतानुसार सेवा में समायोजित किया जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन न किये

जाने हेतु विलम्ब का दोषी कौन है ? क्या सरकार उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये मृतक आश्रित को सेवा प्रदान करेगी ?

श्री आर० के० चौधरी–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

मृतक आश्रित श्रीमती माहपारा बेगम की नियुक्ति कर दी गयी है तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारी को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है ।

पर्वतीय क्षेत्र में अशासकीय विद्यालयों के मान्यता का प्रकरण शासन के विचाराधीन

177–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र के 26 अशासकीय विद्यालयों में इण्टर साहित्यिक विज्ञान व हाई स्कूल में विज्ञान की मान्यता का प्रकरण शासन में गत दो वर्षों से विचाराधीन है ? क्या जनहित में इन 26 अशासकीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता सहित मान्यता दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

पर्वतीय क्षेत्र के जिन 26 अशासकीय विद्यालयों में गत दो वर्षों से इण्टर साहित्यिक/विज्ञान व हाईस्कूल में विज्ञान की मान्यता का प्रकरण विचाराधीन थे, उनमें से 14 अशासकीय विद्यालयों में वित्त सहित मान्यता प्रदान की जा चुकी है शेष 12 विद्यालयों के संबंध में पूर्ण सूचना के अभाव में मान्यता नहीं दी जा सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में कतिपय जूनियर हाई स्कूलों के उच्चीकरण की मांग

178–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्थित जूनियर हाई स्कूल ''कन्या'' बसिगना'' द्वारीखाल के उच्चीकरण का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका उच्चीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सुश्री मायावती–

राजकीय जूनियर हाईस्कूल का हाई स्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन एवं नवीन राजकीय हाईस्कूल की स्थापना नामक योजनान्तर्गत परिषदीय जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण नहीं किया जाता है ।

राजकीय इण्टर कालेज मानियाली, जनपद पौड़ी गढ़वाल में जीव विज्ञान की मान्यता दिये जाने का प्रकरण

179–श्री हरक सिंह रावत–

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० मानियाली, पौड़ी गढ़वाल में जीव विज्ञान की मान्यता देने पर सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद पौड़ी गढ़वाल में "मानियाली" नामक कोई स्थान नहीं है । अपितु जनपद पौड़ी गढ़वाल के मटियाली नामक स्थान पर एक राजकीय इण्टर कालेज है, जिसमें जीव विज्ञान की मान्यता दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनता उ० मा० विद्यालय कांडाखाल पौड़ी गढ़वाल के उच्चीकरण की मांग

180–श्री हरक सिंह रावत

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता उ० मा० विद्यालय , कांडाखाल , पौड़ी गढ़वाल के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ? यदि हां , तो कब तक उच्चीकरण किया जायेगा ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

अशासकीय विद्यालयों का नियमानुसार उच्चीकरण नहीं किया जाता है अपितु नवीन वर्ग को मान्यता प्रदान की जाती है । उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांडाखाल, पौड़ी गढ़वाल का इन्टर साहित्यिक वर्ग को नवीन मान्यता का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । उक्त विद्यालय को मान्यता हेतु निर्धारित नियमों/शर्तों के आधार पर अर्ह पाये जाने पर इण्टर साहित्यिक वर्ग की नवीन मान्यता प्रदान की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इण्टर कालेज सिलोगी पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता दिये जाने की मांग

181-श्री हरक सिंह रावत

क्या उत्तराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा० इ० का० सिलोगी , पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता कब तक दिये जाने का सरकार का विचार है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

राजकीय इण्टर कालेज , सिलोगी , पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता दिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पब्लिक इण्टर कालेज ल्वाली , पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान वर्ग की मान्यता का प्रकरण विचाराधीन

182–श्री हरक सिंह रावत

क्या उतराखण्ड विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक इ० का० ल्वाली , पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान की मान्यता कब तक दिलायी जायेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

पब्लिक इण्टर कालेज, ल्वाली, पौड़ी गढ़वाल में विज्ञान की मान्यता प्रकरण विचाराधीन है । उक्त विद्यालय को मान्यता हेतु निर्धारित नियमों/शर्तो के आधार पर अर्ह पाये जाने पर इण्टर वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता दी जा सकेगी ।

प्रदेश में कृषि रक्षा इकाई के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति

183– श्री माया शंकर पाठक

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि रक्षा इकाई के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या श्री लालता प्रसाद यादव वरिष्ठ सहायक, कृषि रक्षा इकाई देवरिया में विगत 26–27 वर्षो से एक ही जिला एवं परिक्षेत्र में तैनात हैं ? यदि हां, तो उन्हे अन्य परिक्षेत्र (रीजन) में स्थानान्तरित न करने का क्या कारण है? क्या उन्हें तात्कालिक प्रभाव से स्थानानतरित किया जायेगा ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

विभाग में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु शासनादेश संख्या 1489/12-9-95–1752/91 दिनांक 22–6–95 द्वारा एक मण्डल में 18 वर्ष , एक जनपद में 9 वर्ष तथा एक इकाई में 3 वर्ष तथा शासनादेश संख्या –2309 /का–4–7–ई०ए०/ 85दिनांक 20 जुलाई 1984 द्वारा संगठन के पदाधिकारियों के चुनाव के बाद दो वर्ष के उपरान्त स्थानान्तरण की नीति है । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महानगरों में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की नियुक्ति का प्राविधान

184–श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों में कितनी आबादी पर एक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की नियुक्ति का प्राविधान है? क्या लखनऊ में गोमती पार आवासीय कालोनियों के लिये अभी तक एक ही क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय गोमती नगर में स्थित है ? यदि हां, तो क्या इतनी बड़ी आबादी एवं कालोनियों की दूरी को देखते हुये एक अतिरिक्त क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति

अधिकारी कार्यालय की स्थापना खुर्मनगर या महानगर में इसी वित्तीय वर्ष में की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती –

शहरी क्षेत्र में न्यूनतम एक लाख व अधिकारी दो लाख की आबादी पर एक क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी की नियुक्ति का प्राविधान है । जी नहीं । गोमतीपार आवासीय कालोनियों के लिए दो क्षेत्रीय खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय हसनगंज एवं गोमती नगर के नाम से स्वीकृत हैं किन्तु कार्यालय हेतु भवन न मिल पाने के कारण वर्तमान में दोनों क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय गोमतीनगर में एक ही भवन में स्थित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

185–श्री राधेश्याम वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2 अगस्त, 1995 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में श्लाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई ।

(श्री शिवदानी व श्री स्वयंबर चौधरी का नाम पुकार जाने एवं उनके खड़े न होने पर श्री तीरथराज की सूचना पहले ली गई)

बाराबंकी में तिवारीपुर शारदा सहायक नहर में अनियमित जलापूर्ति व सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना

* श्री तीरथराज–

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न आपके [illegible] से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । यह कि शारदा सहायक कैनाल माईनर-तिवारीपुर में अवैध नहर कटान एवं अवैध कुलाबों के कारण पानी कभी भी नहर के अन्तिम छोर (टेल) तक नहीं पहुंच पाता है विगत वर्षों में नहर की सफाई भी समुचित ढंग से नहीं करायी गयी है संदर्थत प्रकरण के सम्बन्ध में परमेन्द्र विक्रम सिंह "बाबा" निवासी ग्राम बहरने लाडीह, रामसनेही घाट, जनपद-बारांबकी ने कई बार जनपदीय सिंचाई विभाग के अधिकारियों का ध्यान मेरे द्वारा पृष्ठांकित पत्रों के द्वारा किया परन्तु परिणाम शून्य रहा । अतः श्रीमान जी से पुनः नम्र निवेदन है कि संदर्भित नहर में अवैध नहर कटान एवं अवैध कुलाबों को हटाकर सिंचाई हेतु पानी टेल तक पहुंचाना सुनिश्चित करें एवं दोषी व्यक्तियों/कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री स्वयंबर चौधरी–

मान्यवर, मेरी सूचना अभी मिल नहीं रही है। मैं ढूंढ रहा हूं। जैसे ही मिल जाएगी मैं पढ़ दूंगा।

शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारुरूप से कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना–

शाहजहांपुर जनपद प्रदेश के उन जनपदों में से एक है जहां पर अंकित प्राचीन 66/11 के० वी० ए० विद्युत की व्यवस्था विद्यमान है। प्रदेश के लगभग सभी नगरों में यह दोषपूर्ण व्यवस्था बदल कर 33/11 के० वी० ए० का सिस्टम लागू कर दिया गया है। परन्तु शाहजहांपुर में यह परिवर्तन न होने के कारण विद्युत आपूर्ति का भयंकर संकट है। शाहजहांपुर में 6 घन्टे से 20 घन्टे तक विद्युत की रोस्टिंग होना एक आम बात है। बिजली आपूर्ति न होने से उद्योग धन्धे, व्यापार व सम्पूर्ण जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। डीजल की कमी से भी विद्युत संकट बढ़ा है। शाहजहांपुर में 132 पैना सब स्टेशन पर पांच एम० बी० ए० के तीन ट्रान्सफार्मरों के स्थान पर 8 एम० बी० ए० के यदि तीन ट्रान्सफार्मर लग जावें तो स्थिति पर कुछ काबू पाया जा सकता है। परन्तु कई बार मांग करने पर निराशा ही हाथ लगी है। अंधेरा आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने के साथ ही अपराध वृद्धि में सहायक है। शाहजहांपुर का आम नागरिक इस समस्या से कराह रहा है अधिकारी व सरकार इस पर तरह मौन हैं। लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शाहजहांपुर में विद्युत आपूर्ति सुचारु करवाने की कृपा करें।

प्रदेश के आवास विहीन लोगों की सामूहिक बस्तियां कृषि अयोग्य भूमि पर बसा कर व्यवस्थित करने एवं रोजगार सुलभ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गया चरण दिनकर–

महोदय, ससम्मान अवगत कराना है कि लम्बा समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त नगरों/शहरों/रेलवे स्टेशनों के करीब झुग्गी-झोपड़ी या खुले आसमान के नीचे कीड़े-मकोड़े की भांति बसर करने वालों की भारी तादात इस प्रदेश की सुन्दरता एवं महानता को परिभाषित करते हुए देखी जाती है एक तरफ बहुत बड़ी जनसंख्या दक्ष परिश्रमी एवं योग व्यक्तियों की है। जिनके पास मृत्यु के उपरान्त दफनाने के लिए भूखण्ड नहीं है तथा दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी है जिनके उपभोग से लाखों गुना भूमि कब्जे में है। बहुत से लोग सैकड़ों एकड़ भूमि पर अतिक्रमण करके उपयोग विहीन दशा में कब्जा बना रखा है। जिनके पास रहने के लिए मकान समुचित धनोपार्जन के साधन नहीं है वे शहरों की तरफ पलायन करके खुले आसमान के नीचे अथवा झुग्गी-झोपड़ी बनाकर पशुवत जिन्दगी व्यतीत करने के लिए मजबूर है। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि पर्याप्त मात्रा में है। यदि ऐसे भूमि में राज्य सरकार द्वारा सामूहिक भवनों का निर्माण करके आवास विहीन लोगों को बसा दिया जाय एवं रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि के पर्याप्त साधन जुटा दिये जाएं तो मानवीय संकट की स्थिति का निदान हो सकता है एवं विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाओं के नाम पर धन गबन की संभावनाओं से भी छुटकारा मिल सकता है। अतः

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विनम्र अनुरोध है कि आवास विहीन लोगों की ... षि योग भूमि में सामूहिक बस्तियों को बसा कर रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि साधनों की व्यवस्था करने हेतु प्रभावी आदेश उ० प्र० शासन को पारित करने का कष्ट करें।

जनपद हमीरपुर एवं सिद्धार्थनगर के कतिपय ग्रामों में विद्युत विभाग द्वारा केवल कागजों में विद्युतीकरण करने की शिकायत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री स्वयंवर चौधरी–

महोदय, जनपद हमीरपुर एवं जनपद सिद्धार्थनगर के कुछ ग्रामों को विद्युत विभाग द्वारा केवल विद्युतीकरण की लिस्ट में दर्ज कर शासन एवं जनता का धोखा दिये जाने के संबंध में। उपरोक्त दोनों जनपदों में तमाम ऐसे गांव हैं जो विद्युत विभाग के विद्युतीकरण हो जाने की लिस्ट में हैं। लेकिन इन ग्रामों में अभी तक बिजली के खम्भे भी नहीं लग सके हैं बिजली जलना तो बहुत दूर की बात है इस बात को लेकर इन गांवों की जनता में असंतोष की भावना व्याप्त है, क्योंकि इनके साथ सरकार धोखा कर रही है। मैं कुछ ग्रामों का उल्लेख भी कर रहा हूं जो क्रमशः निम्नलिखित हैं :– हमीरपुर के विकास खण्ड राठ में ग्राम दरदरी बरदा, पहाड़ी गांव है। विकास खण्ड मौदहा में दादौगांव है। जनपद–सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड भनवापुर के ग्राम गदाखउवा, बुद्धी, हरिबन्धनपुर, गौरा, बड़हरी, कठौतियां, कमसार, गोडना तथा विकास खण्ड–इटवा के ग्राम कपिया लोहटी, इनरीग्रान्ट, महादेव घुरूहू और विकास खण्ड पुनियांव के ग्राम खैरा, नागवारी, आदि है। मान्यवर, उपरोक्त समस्त गांव पंचायतें विभाग द्वारा विद्युतीकरण की सूची में दर्शाकर जनता के साथ विद्युत विभाग द्वारा धोखा किया गया है। जिससे ग्रामवासियों में घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त है। दोनों जनपदों की जनता के लिए महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रश्न है इस पर तुरन्त कार्यवाही होना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच करवायी जाए इन उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण की व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित करायी जाय तथा लापरवाही बरतने वाले विद्युत विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जाय।

इलाहाबाद के ग्राम सभा मल्हीपुर में आगजनी से पीड़ित ग्रामवासियों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना

*श्री शिवदानी–

मैं बोलने में असमर्थ हूं, मेरा गला खराब है, मेरे प्रश्न को पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप कुछ शब्द तो पढ़ दें।

श्री शिवदानी–

जनपद इलाहाबाद.....

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी)

(समय 12 बजकर 30 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया गया।

* श्री शिवदानी–

[महोदय, जनपद इलाहाबाद में विधान सभा क्षेत्र चांदल के विकास खण्ड नेवादा के ग्राम सभा मल्हीपुर में दिनांक 30-4-95 की रात्रि एक बजे अचानक आग लग गयी जिसमें गरीब मल्लाह जाति के लोगों के सामूहिक रूप से रखा 9,000 बाझ गेहूं जल कर राख हो गया है। जिसकी प्रथम सूचना दिनांक 1-5-95 को थाना सराय आकिल जिले के उच्च अधिकारियों को देने की बात कौन कहे किसी अधिकारी ने मौके पर जाकर दुख दर्द सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। आगजनी कांड में 24 परिवारों (जो गरीब पिछड़ी जाति मल्लाह के थे) के जीवन यापन का गेहूं सैकड़ों मवेशियों के लिये वर्षों का भूसा चारा जलकर स्वाहा हो गया परिणाम स्वरूप उक्त सभी परिवार भूखमरी के कगार पर आ गये हैं। स्मरणीय है कि सभी गरीब मजदूर किसानों ने दूसरे लोगों के खेतों को किराये पर ले रखा था। जिसकी रकम अदायगी नहीं कर पाये आज उनके परिवार दर-दर की ठोकरे खा रहे हैं। इसी तरह दिनांक 2-5-95 को कपेदा ग्राम में आग लगने से 17 परिवारों के खलिहान पूर्ण रूप से जल कर राख हो गये हैं उनको भी आज तक किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी। अतः मैं चाहूंगा कि उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर विधान सभा में चर्चा करायी जाए तथा पीड़ित गरीब परिवारों को मुआवजे के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाय।]

जनपद आगरा के सरकारी अस्पतालों के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत पर प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश कान्त लवानियां–

महोदय, शासन के आदेश पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों के अलग-अलग जांच दलों द्वारा निरीक्षण किये गये और यह पाया गया कि 50 प्रतिशत चिकित्सक नियमित रूप से काम पर आते हैं। 15 से 20 प्रतिशत तक चिकित्सक बिल्कुल काम पर नहीं आते जबकि 20 से 25 प्रतिशत चिकित्सक कभी काम पर आते हैं कभी नहीं। जांच दलों के द्वारा यह पाया गया कि केवल चिकित्सक ही नहीं बल्कि अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी गायब रहते हैं। खण्ड विकास अधिकारियों ने भी निरीक्षण किया और ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारियों की संख्या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट से भी अधिक है। अनेक चिकित्सक ड्यूटी से गायब रहते हैं या मुख्यालय पर नहीं रहते हैं वे आगरा में निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं। कुछ चिकित्सकों को वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हैं जो उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं होने देते हैं। जांच रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उच्च अधिकारी ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में उदासीनता दिखाकर जन जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक निर्माण विभाग व राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवनों के निर्माण के गलत सुपरवीजन से करोड़ों रुपये की हानि के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बालेश्वर त्यागी–

महोदय, आपके माध्यम से अति महत्व के निम्न विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। लोक निर्माण विभाग व उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम जो सरकार के धन से अनेक सरकारी भवनों का निर्माण करते हैं, के पास भवनों के सुपरवीजन के लिये वास्तुविदों का एक पूरा योग्य व दक्षतापूर्ण ढांचा है। लेकिन सरकार के एक पूर्व मंत्री जी के निकट संबंधी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये राजस्व विभाग ने दिनांक 1-12-94 को शासनादेश जारी करके प्रदेश की 22 तहसीलों में राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के सुपरवीजन के लिये एक निजी वास्तुविद् मेसर्स आर्च एन० डिजाइनर्स अवध बाजार होटल क्लार्क, लखनऊ को नियुक्त किया जिससे प्रतिकर के रूप में कुल लागत के दो प्रतिशत के हिसाब से दो करोड़ का भुगतान कर दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम व अन्य एजेन्सियों द्वारा किये जा रहे लगभग 8 सौ करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का सुपरवीजन भी उक्त निजी वास्तुविद को देकर लगभग 16 करोड़ रुपये का व्यवसाय दिलाया है। लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इंजीनियरिंग कालेज, इटावा व मंत्री आवास के शेष तीन खण्डों के निर्माण व जेलों का सुपरवीजन अभी भी उक्त वास्तुविद से कराया जा रहा है। कार्य नियमों को ताक पर रखकर अनुचित रूप से निजी वास्तुविद को लाभ पहुंचाना घोर वित्तीय अपराध है जिससे प्रदेश के कोष को लगभग 16 करोड़ रुपये की हानि हुई है। आपके माध्यम से सरकार द्वारा जांच करवाकर दोषियों को दण्डित करने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयी।

विधान भवन के बाहर मुख्य द्वार पर सोडियम लाइट एवं हैलोजन लाइट को ठीक कराने की मांग

(नियम 300 की सूचनाएं पुकारे जाने पर)

* श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा आपकी इस समय करीब 9.30 बजे तक चल रही है विधान सभा के बाहर जो मुख्य द्वार है यहां पर सरकार की ओर से लाखों रुपया व्यय करके सोडियम लाइट और हैलोजन लाइट लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की गयी थी अब वहां प्रकाश की व्यवस्था है नहीं बत्ती जलती नहीं है तो क्या मान्यवर, वह चोरी हो गये हैं या व्यवस्था खराब हो गयी है ? मान्यवर, क्या आज ही निर्देशित करने की कृपा करेंगे कि जो सोडियम लाइट और हैलोजन लाइट की व्यवस्था विधान भवन के बाहर मुख्य द्वार पर है उसमें प्रकाश की व्यवस्था हो और वह उपयोग किये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अगर संगत नियमों के तहत इस सूचना को दें तो ले लिया जायगा ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसको ठीक करा दिया जायगा ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं यह गंभीर बात है इसको दिखवा लिया जायगा ।

जनपद भदोही के औराई थाने में एक विधायक के विरुद्ध प्राथमिकी (एफ० आई० आर०) दर्ज कराये जाने के संबंध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2-8-95 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री राम प्रताप सिंह और श्री रंगनाथ मिश्र जी की है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय विधायक से संबंधित मामला है इसलिए इसे वरीयता पर ले रहा हूं ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, जनपद फतेहपुर में थाना..

श्री अध्यक्ष–

आपने जो सूचना दी है उसका विषय है–शासनादेश के द्वारा जनपद भदोही के औराई थाने में भारतीय दण्ड विधान की धारा 395 एवं 397 के अन्तर्गत एक विधायक के विरुद्ध प्राथमिकी (एफआईआर) पंजीकृत कराये जाने के बारे में, इस पर बोले ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, इसमें जो राम प्रताप सिंह है वह राम प्रताप सिंह नहीं है रवीन्द्र प्रताप मल्ल है ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैंने सूचना दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

आपने 300 में यह सूचना दिया है और नियम 56 में श्री रंगनाथ मिश्र जी ने दिया है तो मैंने कहा था कि माननीय सदस्य कहेंगे तो उसी समय आपको भी सुन लेंगे ।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, इस पर मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जो भी मैंने सूचना दी है उस पर काय रोक कर चर्चा कराई जाय ताकि सारी चीजें सामने आ जायं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने क्या सूचना दी है क्या नोटिस दिया है ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैंने नोटिस यह दिया है कि जो माननीय रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी बोलने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला एक सदस्य से संबंधित है, यह गंभीर मामला है इस पर बोलें ।

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

उसी पर प्रकाश डालने जा रहा हूं, अगर यह है कि चर्चा नहीं करानी है तो फिर इसमें कहूं ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में आपने सूचना दी है, मैं उसकी ग्राह्यता पर आपको सुनना चाहता हूं ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मामला बहुत गंभीर है और तात्कालीन महत्व का है । माननीय सदस्य ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं परन्तु विषय की तैयारी उतनी नहीं है इसलिये बोलने में संकोच कर रहे हैं । आप कृपया इसमें दूसरे माननीय सदस्य को सुन लें ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मेरे पास इसकी कोई नोटिस नहीं है ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैंने इस सूचना को 56 में दिया था । आपकी अनुकम्पा से यह नियम 300 में आया है, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं । मान्यवर, 28 जून को प्रातः 9.00 बजे औराई थाने के सामने एक गरीब आदमी श्री देवी शंकर की हत्या हुई । यह दिनदहाड़े की घटना है और कुछ लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया । चूंकि औराई थाना मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है और वहां से 3-4 किमी० पर मेरा घर पड़ता है । मुझे जब इस हत्या की सूचना मिली कि फलां आदमी की गोली मार कर हत्या कर दी गई है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं तो मैं सीधे अस्पताल पहुंचा और वहां पर जाकर देखा कि एक व्यक्ति घायल था, दूसरे व्यक्ति के बारे में पता चला कि डेड बाडी थाने के अन्दर पड़ी हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । गंभीर व्यक्ति को देखकर वहां से सीधे औराई थाने पर पहुंचा, डेड बाडी थाने के अन्दर रखी हुई थी । चूंकि घटना थाने के सामने हुई थी, और उसमें पुलिस का एक आदमी एस० आई० इनवाल्व था, इसलिये पुलिस की निष्क्रियता से यह हत्या हुई है, ऐसा मानकर मैं वहां धरने पर बैठा, इसकी सूचना मैंने अपने दल के नेता माननीय कल्याण सिंह जी को फोन पर भेजवाई । इसके बाद एस० पी० और डी० एम० घटनास्थल पर आये । एफ० आई० आर० पहले हो चुकी थी, मेरे पहुंचने के पहले । मैं चाहता हूं कि मुआवजा दिया जाय, चूंकि वह गरीब आदमी था । इसकी वजह से मैं धरने पर बैठा और पुलिस की निष्क्रियता की वजह से बैठा था । मैं चाहता था कि अपराधियों को सजा मिले और गरीब आदमी को मुआवजा ।

मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि घटनास्थल पर पहुंचने से पहले सी० ओ० भी वहां पहुंच गये थे, उनको शायद वायरलेस से सूचना मिली हो, उसके बाद मैं पहुंचा । यह मेरे कान्स्टीट्वैन्सी में घटित हुआ था । मेरे बगल की कान्स्टीट्वैन्सी माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी की है । वे भी संभवतः इस घटना से अवगत होंगे । हजारों की संख्या में लोग वहां इकट्ठे थे । भीड़ आक्रोशित थी । मैंने उनको समझाया बुझाया । मैं नहीं चाहता था कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो । किसी तरह मामला शान्त हुआ । डी० एम०, एस० एस० पी० के आश्वासन के बाद मैंने धरने को समाप्त किया । मान्यवर, आप देखेंगे कि दिन दहाड़े घटनायें हो रही हैं और गरीब आदमी मारा जा रहा है । बिना पुलिस की रिपोर्ट के मामला सी० आई० डी० जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया और इतना ही नहीं सी० आई० डी० जांच एक सप्ताह के अन्दर हो गई । जिस तारीख को घटना हुई, उसके संबंध में यहां से आदेश दिये जा रहे हैं, उसके एक दिन बाद मुलजिम पता नहीं किस-किस से मिला ?

गृह विभाग के अनुसचिव श्री राम स्वरूप बाल्मीकि की ओर से जिलाधिकारी, भदोही को फैक्स मेसेज भेजा गया । विधायक के खिलाफ संलग्न पत्र है, अखिलेश्वर तिवारी का, इसमें मामला पंजीकृत हो । मेरे खिलाफ 12 जुलाई को 395, 397 धारा में मामला अंकित कर दिया गया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अगर किसी के क्षेत्र में कोई अप्रिय घटना हो जाये तो क्या जनप्रतिनिधि जाकर मृतक के परिवार को आश्वासन भी नहीं दे सकता है या फिर उसके विरुद्ध जनता की आवाज बुलन्द नहीं कर सकता है, अपराधियों और हत्यारों के खिलाफ आवाज बुलन्द नहीं कर सकता है । मान्यवर, यह जो परिपाटी चली है कि थाने के सामने हत्या हुई और उसमें न्याय नहीं मिला तो दूर-दराज इलाके में यदि कोई हत्या हो जाये तो उसको तो न्याय मिलना असंभव हो जायेगा । मान्यवर, मेरे 36 साल के जीवन में आज तक कभी भी डकैती के मुकदमें कायम नहीं हुए हैं । 323 के मुकदमें कायम नहीं हुए हैं और मेरे ही ऊपर नहीं परिवार के ऊपर भी इस तरह के कोई मुकदमें कायम नहीं हुए हैं । मेरा एक भाई है जो देश का वरिष्ठ वैज्ञानिक है और उसे राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिला है । मान्यवर, शेषन ने एक लिस्ट बनाने को कहा कि विधान सभा में जितने अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट बनायी जाये । मान्यवर, मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा कायम किया गया है और यह मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है वह जो फैसला करेगी । लेकिन जिस प्रकार से मैंने एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास किया उस पर कुठाराघात किया गया है और मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया गया है । मान्यवर, मैं इतना ही नहीं कहना चाहूंगा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप देखें उस व्यक्ति की पहुंच कितनी है । मार्च, 94 में एक गरीब आदमी मकान बना रहा था ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो घटना है उसी पर बोलें । मार्च, 94 में क्या हुआ इससे इस घटना का मतलब नहीं है ।

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मार्च, 94 में एक एप्लीकेशन उसने दी कि जो मकान बन रहा है मेरे 551 गाटा संख्या में वहां जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है और उस एप्लीकेशन में दस्तखत भी नहीं थे । वह गाटा संख्या श्री अंकलेश्वर तिवारी का है । वाराणसी के जिलाधिकारी को फैक्स किया गया कि यह जो मकान बन रहा है उसको रोक दिया जाय ।

मान्यवर, सी० आई० डी० की जांच के आदेश दिये गये । मान्यवर, सी० आई० डी० की जांच प्रभावी कभी नहीं हो सकती मैं मांग करता हूं कि इसकी सी० बी० आई० से जांच करायी जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार की पुनरावृत्ति होती रही तो अपराधियों और हत्यारों के हौसले बुलन्द होते जायेंगे और गरीबों का जीवन असुरक्षित हो जायेगा । कोई भी जनप्रतिनिधि फिर गरीब आदमी को न्याय दिलाने के लिए सामने नहीं आयेगा । इसलिए मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत अपनी पीड़ा और वेदना को प्रकट करते हुए अध्यक्ष पीठ से अपेक्षा करता हूं कि वे इसमें सी० बी० आई० से जांच करायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया यह है कि इस समय कई लोग ऐसे बैठे हैं जो मंत्री रहे हैं, अपराधियों के प्रार्थना-पत्र पर सी० आई० डी० जांच नहीं होती है । अगर हुई है तो यह एक गंभीर बात है । दूसरी बात यह है कि जो प्रार्थना-पत्र दिया गया है उस पर हस्ताक्षर नहीं है सिर्फ अंकलेश्वर तिवारी लिखा हुआ है और यहां से अनुसचिव श्री बाल्मीकि जी का पत्र गया है एस० पी० के पास उसमें यह लिखा गया है कि श्री अंकलेश्वर तिवारी के प्रार्थना-पत्र पर सी० आई० डी० इन्क्वायरी बैठायी जाती है । यह बड़ी ही गंभीर साजिश है । मान्यवर, अगर किसी थाने में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की जाती है तो वह एस० पी० को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी जाती है लेकिन वह प्रक्रिया भी उसने की नहीं । शासन से अनुसचिव की ओर से यहां से इन्स्ट्रक्शन दिये गये, वहां के लिये भी आप इसकी एफ० आई० आर० अंकित कर लें, माननीय विधायक के खिलाफ यह बहुत बड़ी साजिश है । इसमें जांच की जरूरत है ।

मान्यवर, वह तिवारी प्रार्थना-पत्र को लेकर पता नहीं, किस-किस से मिला, वह 302 का मुल्जिम गृह सचिव से मिला, या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला या विधायक से मिला या किसी वी० आई० पी० से मिला, यह तो पता नहीं । इस तरह से अगर सामान्य घटनाओं को लेकर शासन से निर्देशित किया जायेगा तो इससे भद्दी बात इस प्रशासन के लिये कोई और नहीं हो सकती । विधायक के खिलाफ एफ० आई० आर० के आदेश जारी कर दिये गये अब आप विधायक की पीड़ा को समझें । मामला सरासर झूठ है और पुलिस इन्क्वायरी कर रही है । अगर माननीय विधायक अपराधी होंगे तो सजा पायेंगे । लेकिन मैं इस प्रक्रिया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । कल आपके खिलाफ कोई मामला आ जायेगा, किसी विधायक के खिलाफ कोई मामला आ जायेगा । रिपोर्ट नहीं लिखाई गई, वहां पर दरख्वास्त नहीं दी गई, एफ० आई० आर० लिखने के लिये और हम प्रार्थना-पत्र लेकर एफ०

आई० आर० के लिये यहां आ जायें । या तो यह उल्लेख होता कि थानाध्यक्ष ने एफ० आई० आर० नहीं लिखी, हमें संरक्षण दिया जाय । वह व्यक्ति थाने गया नहीं, सीधे यहां पर आया और यहां से आदेश हो जाय, यह मान्यवर, अत्यन्त निन्दनीय है ।

मान्यवर, इस संबंध में माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने जो भावनायें व्यक्त की है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे संरक्षण की प्रार्थना करता हूं कि इस प्रक्रिया को रोकें और माननीय विधायकों को संरक्षण दें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या इस प्रक्रिया से सहमत है । वह 302 का मुलजिम है और यहां से आर्डर बनकर वहां जाते हैं । वहां पर वह पहले एफ० आई० आर० लिखाने थाने नहीं गया, न वहां के अन्य अधिकारियों से मिला और सीधे यहां आ गया । मान्यवर, अगर इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई तो लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की हिफाजत संभव नहीं हो सकती, इन्हीं शब्दों के साथ श्री मिश्र की बात पर बल देते हुए आपसे संरक्षण की प्रार्थना करता हूं ।

* श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, यह मामला बहुत गंभीर है । माननीय सदस्य को जब उनके क्षेत्र में घटित की जानकारी हुई तो वहां पर सूचना देकर गये थे, यहां हमारे दल के नेता को सूचना दी थी, उसके पश्चात् वह स्वयं वहां गये । मान्यवर, जो कानून की प्रक्रिया है, नियम है, जापता फौजदारी में 154 के अनुसार जो व्यक्ति अपनी एफ० आई० आर० लिखाना चाहता है, वह थाने में जाये और अगर थानाध्यक्ष नहीं लिखता है तो 155 में वह पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो भी है, को रजिस्ट्री द्वारा उसकी सूचना देगा और उनके द्वारा निर्दिष्ट होने पर एफ० आई० आर० लिखी जायगी । तब भी अगर कार्यवाही लिखने की नहीं होगी तो वह धारा 156 की उपधारा 3 में संबंधित मजिस्ट्रेट जो होता है, उनके यहां प्रार्थना-पत्र देगा और उनके निर्देशानुसार एफ० आई० आर० लिखी जाती है । यह प्रक्रिया कोई अपनाई नहीं गई । एक विधायक के खिलाफ सीधे यहां से अनुसचिव के माध्यम से आदेश वहां भेज दिये गये । अगर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती रहेगी, तो मान्यवर, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा । कोई भी व्यक्ति यहां से आर्डर करा लेगा, किसी व्यक्ति के खिलाफ, सदस्य के खिलाफ, कभी आप भी आ सकते हैं और इस तरीके से किसी का भी अपमान किया जा सकता है ।

मान्यवर, जहां एक ओर हम सब चिन्तित हैं, लोक सभा में इस पर बहस हो रही है कि अपराधियों का राजनीति में प्रवेश न हो, स्वच्छ राजनीति चलनी चाहिये, स्वच्छ छवि वाले लोग राजनीति में आयें लेकिन इस तरीके से प्रक्रिया अपनाकर बदनाम करने के लिये अपमानित करने के लिये प्रयास किया जायेगा तो उसकी जितनी निन्दा की जाय, वह कम है । इसलिए बहुत गंभीर मामला है, इसपर निश्चित रूप से चर्चा करायी जाये और जो इसके लिये दोषी लोग हैं उनको दण्डित करने के लिए सरकार को निर्देशित किया जाये । मान्यवर, इस मामले में आप संरक्षण देने का कष्ट करें ।

*श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने यह मामला उठाया और चूंकि उनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, इसलिये इसकी गंभीरता को लेना पड़ेगा । माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने स्वयं कहा है कि इसमें एस० आई० इन्वाल्व हैऔर यह जब गये तो पता लगा एस० आई० है । ऐसी स्थिति में लग रहा है कि इस मामले की गंभीरता को लोकल पुलिस नहीं सुलझा पायेगी और अगर मिश्र जी सी० आई० डी० से न संतुष्ट हों तो आई० जी०, डी० आई० जी० लेबिल के किसी अधिकारी से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जांच करवा दें। मान्यवर, अगर सरकार और यह सदन सहमत है तो इसकी गंभीरता को लेते हुये इसकी जांच सी० बी० आई० से करवा दें, केन्द्र सरकार इसकी स्वीकृति दे देगी। मान्यवर, अगर इसकी जांच हो जायेगी तो वास्तविकता सामने आ जायगी और उनको न्याय मिल सकेगा। अध्यक्ष जी, एफ० आई० आर० पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि दो राजनैतिक दलों का मामला है, इसलिए इसकी जांच करवा दें।

*श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, पहला विचारणीय प्रश्न यह है कि एफ० आई० आर० हुआ कैसे ? कोई एफ० आई० आर० वहां से नहीं होते हैं, एफ० आई० आर० यहां से निर्देशित करके किया जाता है कि फलां विधायक के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज कर दिया जाये। माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो कहा है, हम सब लोग उससे सहमत हैं लेकिन मान्यवर, जो सबसे पहला बिन्दु है कि आखिरकार शासन से लिख कर यह विषय क्यों जाता है कि श्री रंगनाथ मिश्र के खिलाफ फलां व्यक्ति जो 302 का मुल्जिम है, उस मुजरिम के आवेदन-पत्र के आधार पर रंगनाथ मिश्र को धारा 395 का मुजरिम बना दिया जाये तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि शासन में बैठे हुये किसी व्यक्ति से उसका इतना घनिष्ठ संबंध है कि उस व्यक्ति का लाभ उठाते हुये, वह बिना दस्तखत किये ही अपना अप्लीकेशन भेजता है और यहां शासन में बैठे हुये व्यक्ति के द्वारा आदेश हो जाता है और उसकी सूचना अनुसचिव स्तर का अधिकारी संबंधित जिले के एस० पी० के पास भेजता है कि इस थाने को एक नोटिस भेज दी जाये और यह कह दिया जाय कि श्री रंगनाथ मिश्र के खिलाफ धारा–395 में एफ० आई० आर० दर्ज कर ली जाये। मान्यवर, इस पर विचार कर लें।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, यह मामला इतना गंभीर है कि निचले स्तर से इसका निराकरण नहीं होगा मैंने जो सूचना दी है कि मुख्य मंत्री जी के कार्यालय से मुख्य सचिव श्री पी० एल० पूनिया जी ने बिना हस्ताक्षर किये हुये आवेदन-पत्र तत्काल एफ० आई० आर० दर्ज करने का आदेश जिलाधिकारी व एस० पी० को भेजी है और जब थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो बाद में डी० आई० जी० और दूसरे अधिकारियों को सचिवालय से मुख्य मंत्री जी के यहां से यह आदेश, फैक्स भेजा गया है कि एफ० आई० आर० दर्ज करायी जाये। इस तरह से विधायकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज होते रहेंगे तो विधायकों का मनोबल टूटेगा। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित किया जाये। ताकि जिस अधिकारी को बिना हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही के लिए भेज दिया गया, उसका रहस्योद्घाटन हो सके और निकट भविष्य में इस तरह की घटना न घटे।

* श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय रंगनाथ मिश्र जी के स्वभाव से इनके आचरण से पूरा दिन सदन वाकिफ है और मैं समझता हूं कि जिस घटना के साथ उनका नाम जोड़ा गया है, वह सत्य नहीं हो सकती। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रिपोर्ट कैसे हुई, इसकी छानबीन की जाय ? आप अपने स्तर से इस सरकार को निर्देशित करें कि उस रिपोर्ट को पहले एक्सपंज किया जाय। किस तरह से षड़यंत्र करके, विधायक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बदनाम करने की नीयत से इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया गया है ? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच करायी जाये नहीं तो इससे विधायकों के सम्मान को धक्का लगेगा । इसलिए मान्यवर, इस पर आप संरक्षण दें । अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो आज माननीय श्री रंगनाथ मिश्र जी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है कल दूसरों के साथ भी हो सकता है । इसलिए आप पहले एफ० आई० आर० को एक्सपन्ज करने के लिए सरकार को निर्देश दें और उसके बाद इसकी जांच करायें कि किसके षड़यंत्र से यह रिपार्ट दर्ज कराई गई ?

* श्री मायाशंकर पाठक–

माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां पर रखी है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना हुई मैं भी उस समय बनारस में मौजूद था हमारे कई विधायक और माननीय सांसद भी मौजूद थे । मैं रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में दो बातें कहना चाहता हूं । आप हिन्दू विश्वविद्यालय के ला के टापर रहे हैं और एक अच्छे वकील रहे हैं तहरीर कैसी होती है इसे आप भी जानते हैं । जब तक तहरीर पर वादी के हस्ताक्षर नहीं होते तब तक उसे दर्ज नहीं किया जाता है एक माननीय विधायक के खिलाफ उत्तर प्रदेश शासन से षड़यंत्र के रूप में बिना कोई जानकारी प्राप्त किये व तहरीर पर बिना हस्ताक्षर किये हुये एक आदेश चला जाता है जिले पर कि माननीय विधायक जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए । यह कोई सामान्य बात नहीं है । इस घटना में जो लोग लगे हुए हैं, हमें जानकारी है कि उसमें मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री पुनिया का स्पष्ट हाथ है एक माननीय विधायक की चरित्र हत्या करने के लिए यह कदम उठाया गया है ।

एक सी० आई० डी० का सिपाही एक नेता के दरवाजे के बाहर देखा गया था तो उसमें दिल्ली की सरकार गिर गयी थी इसलिए मान्यवर इस घटना से मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई है । यह पूरे सदन के विधायकों के चरित्र और मर्यादा से संबंधित है, सदन का एक तरह से अपमान है । एक तहरीर पर जो बिना हस्ताक्षर के थी शासन में बैठे एक उच्च अधिकारी ने षड़यंत्र के तहत जिले को आदेश दे दिया कि माननीय विधायक के खिलाफ 395 व 397 में मुकदमा दर्ज कराया जाए । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, जैसा कि अन्य विधायकों ने इच्छा व्यक्त की है सबसे पहले उस एफ० आई० आर० को एक्सपंज कराया जाए और उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए, इस प्रकार के कड़े निर्देश आप दें ।

श्री ऊदल–

जिस घटना का मान्यवर यहां पर जिक्र किया गया है और माननीय श्री रंगनाथ मिश्रा जी के बारे में जो प्रकरण यहां पर उठाया गया है और उनके खिलाफ जालसाजी के तहत जो 395 का मुकदमा दर्ज कराया गया है मैं समझता हूं कि हमारे पूरे बनारस में कहीं भी श्री रंगनाथ जी के खिलाफ व उनके परिवार के बारे में इस तरह का कहीं भी किसी के अन्दर एहसास नहीं है कि वह इस तरह की घटना में शामिल होंगे । मान्यवर, षड़यंत्रकारी लोग हर क्षेत्र में अपना करिश्मा दिखाते रहते हैं इसलिए शासन के अन्दर भी षड़यंत्रकारी होंगे जिन्होंने बिना हस्ताक्षर किये हुये प्रार्थना-पत्र पर रिपोर्ट लिखाने के आदेश दे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिये । आप हम सब लोगों के संरक्षक है इसलिए जैसा कि श्री रामआसरे वर्मा जी ने कहा कि पहले आप एफ० आई० आर० को एक्सपंज करावें फिर उसके बाद बहुत ऊंचे अधिकारी से इसकी जांच करायें ताकि जो लोग इसमें दोषी है वह पकड़े जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके यही मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री बालचन्द मिश्रा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक विशेष बिन्दु की तरफ सारी परिस्थितियां जिसका अभी वर्णन हुआ है, मैं दुहराना नहीं चाहता हूं । सदन सहमत होगा कि हम लोग भी अपने श्रोतों से जानकारी प्राप्त करते रहते हैं । पिछली सरकार के विदाई समारोह हुए इतने दिन हो गये हैं इसके बावजूद भी कुछ अधिकारियों का मानसिक रूप से रंग समाप्त नहीं हुआ है, जो पिछली सरकार ने उस काल खण्ड में उनके ऊपर चढ़ाया था । मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का कि यह विषय एक रंगनाथ मिश्र के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट लेखाने का नहीं है । यह ऐसा अवसर वरिष्ठ अधिकारी के हाथ लगा है जिसने उस अवसर का लाभ उठाकर आज जो सरकार ठीक से चल रही है और अपराधियों को दबाने के लिये प्रयास कर रही है उसकी छवि धूमिल करने के लिये सहयोगी दल के विधायक को ऐसे फर्जी मुकदमें में फंसा कर ऐसा वातावरण प्रारम्भ करने का प्रयास किया है कि दोनों दलों में मनोमालिन्य हो । जांच किस स्तर के अधिकारी से होगी । दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया ।

यहां पर वरिष्ठ सदस्य माननीय ऊदल जी का सब सम्मान करते हैं । माननीय ऊदल जी अपने आप में केवल बनारस में ही नहीं पूरे प्रान्त में प्रसिद्ध है । वह कितना संतुलित बोलते हैं सब जानते हैं ? अन्य माननीय सदस्यों के भी विचार माननीय रंगनाथ जी के बारे में आये हैं । सवाल रंगनाथ जी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखाने का नहीं है, सवाल यह है कि किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख कर यह किया गया है। बिना हस्ताक्षर के प्रार्थना-पत्र पर यहां से आदेश हो गया है वरिष्ठ अधिकारी, वहां के एस० पी० वहां के क्षेत्राधिकारी से पूछा नहीं, डी० एम० से पूछा नहीं और रिपार्ट लिखने का आदेश उन तक पहुंच जाय । तो इसमें साजिश है इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों दलों के भीतर दरार पैदा करने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया है । तो इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रख कर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो लें और देखें कि इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

श्रीमन्, जो विषय अनेक माननीय सदस्यों ने और विभिन्न दलों के माननीय नेताओं ने उठाया है उसके बारे में जो तथ्य इस आदरणीय सदन में अभी आये हैं, मेरे पास उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से कोई सूचना नहीं है । दो बिन्दु उभर कर आते हैं पहला तो माननीय मिश्रा जी पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उस प्राथमिकी को दर्ज करते समय संबंधित प्रार्थना-पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं है । अगर हस्ताक्षर नहीं है तो वह प्राथमिकी अपने आप जांच की परिधि में नष्ट हो जायेगी । उस प्राथमिकी को दर्ज करने के लिये जिस अधिकारी ने निर्देश दिया और दूसरी बात जिसने दर्ज किया उसमें कहा गया कि ऐसा लगता है इरादा ठीक नहीं रहा होगा तो प्राथमिकी में हस्ताक्षर थे या नहीं और जिस अधिकारी ने बगैर हस्ताक्षर के प्रार्थना-पत्र पर निर्देश दिया और एफ० आई० आर० की उसकी जांच की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

एक बात उसमें और शामिल कर लें इसमें गाटा संख्या का जिक्र किया गया है जिसके बारे में वहां के प्रधान ने लिखकर दिया है यह सार्वजनिक रास्ता नहीं है (व्यवधान)

श्री रंगनाथ मिश्र–

वह प्रार्थना-पत्र इसलिये लगाया है सन् 94 मार्च ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय । यह गाटा 551 दिया है अंकलेश्वर तिवारी का है । उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं है इसके बावजूद सचिव ने फैक्स कर दिया । तो वह एफ० आई० आर० नहीं है । एफ० आई० आर० के आदेश गये हैं 6 ता० को अनुसचिव राम स्वरूप बाल्मीकि के हस्ताक्षर से पत्र गया है जिसका विषय है दिनांक 28-6-95 को श्री अंकलेश्वर दयाल तिवारी पुत्र ज्वाला प्रसाद तिवारी थाना–चील्ह ग्राम नेवढ़िया, जनपद मिर्जापुर उनके भाई और उनके लड़के के ऊपर जी० टी० रोड पर स्थित औराई थाना औराई जिला भदोही पर प्राणघातक हमला किया जाना । वह मैंने इसलिए जिक्र किया कि उनके संबंध यहां सचिवालय में उच्च पदस्थ अधिकारियों से हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मेरी यह चाहत है कि यह जो जांच हो, उसमें यह जो गाटा संख्या 546/773 है उसके बारे में भी समुचित जांच हो जाए, जांच की परिधि में वह भी आ जाए, क्योंकि मामला वहीं से शुरू होता है ।

श्री हृदयनारायण दीक्षित–

तो जो बिन्दु आपने दिये और जो मैं निवेदन कर रहा हूं, पहले तो जो एफ० आई० आर० दर्ज हुई और प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे, तो किन अधिकारी ने एफ० आई० आर० दर्ज करने के निर्देश दिये, इसकी जांच उस क्षेत्र के उप पुलिस महानिरीक्षक से करा ली जाएगी और जो दूसरा बिन्दु है, जिसमें आरोप है कि जांच सी० आई० डी० से कराने के आदेश है यहां से निर्गत हो गये हैं, तो इस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी या राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से बात कर लूंगा । वह जिस एजेन्सी से या अधिकारी से जांच की बात कहेंगे उन्हीं अधिकारी से प्रश्नगत मामले की विवेचना करा लूंगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

मैंने स्पष्ट किया कि दो प्रकार की जांच हों । उन्होंने दो बिन्दु बताए हैं...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा निवेदन यह है कि...

श्री रमेशकान्त लवानियां–

इसमें मुख्य एफ० आई० आर० तो वहां भेजी नहीं थी, हस्ताक्षर मूल एफ० आई० आर० में नहीं है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्थिति को समझ कर जो निर्णय किया, उसमें मुझे कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है । मैं केवल दो सुझाव उनको विचार के लिए रखना चाहता हूं । सी० आई० डी० की इन्क्वायरी जो हुई है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ब्राड-डे लाईट मर्डर है, इसमें सारी बातें सामने होंगी । इससे इनका कोई प्रयोजन नहीं है । तो यह सी० आई० डी० इन्क्वायरी वापस होनी चाहिये और जो इनके खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हुई है, आप मान्यवर, उस पूरी एफ० आई०

आर० को पढ़ लें तो अध्यक्ष जी के मन में जो शंका पैदा हो रही है कि इसमें जमीन का कोई विवाद है, वह साफ हो जायेगा, उस मामले में भी वही आदमी यहां से आर्डर करा चुका है। एफ० आई० आर० में तो एक जुलूस जा रहा था, उसमें कहीं इन्होंने आक्रमण कर दिया, उस बारे में है। तो मान्यवर, मंत्री जी एफ० आई० आर० को एक्सपंज कर दे और जो लोकल पुलिस जांच कर रही है, वही हो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

जिस एफ० आई० आर० में मिश्रा जी का नाम बताया जाता है, उसमें उसने हस्ताक्षर ही नहीं किये...

श्री राम आसरे वर्मा–

वह तो बना लिये जाएं, उसके लिए आप बेफिक्र रहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

कोई व्यक्ति एफ० आई० आर० लिखाने जाता है तो उस पर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं है, लेकिन जो एक पत्र अनुसचिव ने अग्रसारित कर दिया है उस पत्र के ऊपर कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह एक उच्च स्तर की कान्सपिरेसी है। वह आदमी यहां आया और यहां प्रभाव डाल कर उप सचिव या अनुसचिव जो भी अधिकारी हैं उनसे आदेश जारी करवा दिया। यह बड़ा गंभीर मामला है। एफ० आई० आर० पर हस्ताक्षर है या नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो पत्र पर हस्ताक्षर न होने की बात कर रहा हूं। हस्ताक्षर न होने के बाद भी उस पत्र का संज्ञान ले लिया गया।

श्री हृदयनारायण दीक्षित–

इस प्रकरण में जिसमें विधायक नामजद हुए बताये जाते हैं, के संबंध में मैंने कहा कि डी० आई० जी० से जांच करवा लेंगे और जहां तक दूसरे मामले की बात है गुप्ता जी कहें तो स्थानीय जिला पुलिस से जांच करवा लेंगे। लेकिन जहां तक तमाम विधायक कह रहे हैं कि इस मुकदमें को यहीं से एक्सपंज कर दिया जाय। तो मान्यवर, ऐसा नहीं है कि किसी मुकदमें को बिना किसी जांच से यहां से एक्सपंज कर दिया जाय। यह गलत परम्परा होगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सी० आई० डी० की जांच तो वापस ले लेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी शायद हमारी बात पूरी सुन नहीं पाये। श्रीमन्, जिस मुकदमें की जांच सी० आई० डी० से कह रहे थे उसके बारे में स्पष्ट करूं कि वह जिला स्तर या स्थानीय पुलिस से करवा दी जायेगी और जहां तक दूसरी बात है कि माननीय विधायक के ऊपर कोई मुकदमा बताया जाता है।

(कई सदस्यों के बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी लोग बैठ जायं। माननीय सदस्य हल्ला करेंगे तो बात कैसे सुनी जायेगी। माननीय गुप्त जी आपके दल के उपनेता हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया है हल्ला करने से तो उसका निराकरण नहीं होगा।

श्री हृदय नाराणण दीक्षित–

मान्यवर, स्थानीय पुलिस से जांच की बात स्वीकार कर ली है । दूसरे वाले मुकदमें में डी०आई०जी० से जांच करवा ली जायेगी । मान्यवर, मुकदमें का वापस लेना परम्परा में नहीं है । अगर यहां से कोई मुकदमा वापस किया जाता है तो कल प्रदेश की जनता कहेगी कि यह लोग अपना मुकदमा हाउस से वापस कर लेते हैं ।

(श्री घनश्याम शुक्ल के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के उप नेता माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर को सुनने के बाद सन्तुष्ट होंगे लेकिन आप सन्तुष्ट नहीं हो पाये ।

* श्रीमती प्रेमलता कटियार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि परम्परा तोड़कर मुकदमा वापस नहीं किया जा सकता । मान्यवर, परम्परा तोड़ कर ही तो इस केस का निर्माण हुआ है इसलिये इसको एक्सपंज होने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जो प्रोसेस है, उसके अनुसार कार्वाही होगी । सी०आर०पी०सी० में जो प्रोसेस है उसके तहत कार्यवाही होगी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री और तमाम सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्रह्य करता हूं ।

विधान सभा द्वारा पारित आय-व्ययक की धनराशि को पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री तीरथ राज की है ।

श्री तीरथ राज–

मान्यवर, मैंने संविधान के अनुच्छेद 202 और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 183 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आपके माध्यम से यह विषय सदन में उठाया है । प्रत्येक वर्ष विधान सभा में आय-व्यय पारित होता है परन्तु विभिन्न विभागों के बजट के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग उस वित्तीय वर्ष में न करके उसे विभिन्न अधिकारीगण अपने पर्सनल लेजर एकाउन्ट में जमा करा देते हैं । यह सदन द्वारा स्वीकृत धनराशि के उपयोग का दुरुपयोग है और इसके फलस्वरूप प्रदेश की अनेक जन कल्याणकारी एवं विकास की योजनायें प्रभावित होती हैं । अतः मैं औचित्य के इस प्रश्न पर आपसे अपना निर्णय देते हेतु अनुरोध करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

यहां से जो बजट की स्वीकृतियां जाती हैं उनका प्रयोग यथा समय उस मद में किया जाता है जिसके लिए वह स्वीकृत होता है । कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि उस धनराशि को पी०एल०ए० में जमा किया जाता है । मान्यवर, जब से नयी सरकार आई है मंत्रियों ने और स्वयं मैंने अपने विभाग में सख्ती से निर्देश दिए हैं कि पी०एल०ए० का सहारा कम से कम लिया जा सके । यह विषय नियम–300 में कहीं नहीं आता है, इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अग्राह्य किया जाता है ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचना के उठने का प्रयास (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बहुत महत्वपूर्ण सूचना पर कुछ कहना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सूचना दी है यह पूरे प्रदेश से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष–

जिस महत्वपूर्ण विषय की जिज्ञासा सदन में आते ही व्यक्त की गई थी उसमें पर्याप्त समय चाहिए । यदि आप लोग उस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते है तो आज की सारी सूचनाओं को छोड़कर यही सूचना ले लें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों ने कहा कि सबकी सूचना ली जाए)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य तो कह रहे हैं कि सबकी सूचनाओं को लिया जाए अगर आप लोग सहमत हैं तो हर सूचना पर मैं थोड़ा-थोड़ा समय देता हूं ।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि बिजली बजट पर चर्चा है सभी माननीय सदस्य विद्युत विभाग पर बहुत ज्यादा उत्सुक रहे हैं चर्चा के लिए, पूरे प्रदेश की चिन्ता रही है तो जो विषय महत्वपूर्ण था जिसके लिए तमाम सदस्य उत्सुक थे उसको ले लें ।

स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की भूमि को फ्री होल्ड में परिवर्तित किये जाने की सूचना मुख्य मंत्री द्वारा सदन में दिये जाने के बावजूद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उसका पालन न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, 9 मार्च 1994 को विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री ने कहा था–"स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों की भूमि को भी फ्री होल्ड में परिवर्तित कर दिये जाने का प्रस्ताव है ।" यह इसी विधान सभा में घोषणा की है । सरकार के इस संकल्प के अनुपालन में एक शासनादेश जारी हुआ उसमें तीन श्रेणी बनाई गई हैं । पहला जिनको आगे आवन्टन लिखे जाने हैं उनको फ्री होल्ड प्लाट दिए जाएंगे । दूसरी श्रेणी लीज रेन्ट पर आवन्टियों की है तीसरी श्रेणी में वे व्यवस्था हैं मास्टर प्लान के विरुद्ध निर्माण किया गया तो उनको फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा । इस संकल्प के विरुद्ध गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही प्रारम्भ की है । एक पुस्तिका प्रकाशित की है उसकी कीमत 100/- रु० रखी है यह सम्पत्ति इकट्ठा करने का अनुचित तरीका है । उसमें एक फार्म है जो एक रुपये का हो सकता था । और उसके बाद 300 रुपए अन्य व्यय के नाम पर उन्होंने जमा कराने के निर्देश दिया है । गरीब लोग छोटे-छोटे प्लाट के मालिक हैं । जिनके पास 50-50 गज, 100-100 गज के प्लाट हैं, उसके ऊपर आर्थिक दबाव वैसे ही है उनके लिए यह परेशानी वाली बात होगी । जो शासनादेश है जिसमें यह नियम हैं जिनके पक्ष में लीज लिखी जा चुकी हैं उनको केवल 2 प्रतिशत मूल्य देना होगा ? लेकिन उन्होंने सारे नियमों को ताक पर रखकर 12 प्रतिशत मांगा है । मान्यवर, उस पत्र में यह भी कहा गया है कि आपको पट्टे की भूमि को बेचने की अनुमति प्राप्त नहीं करनी होगी । शेष लीज होल्ड की शर्तें आप पर लागू होंगी । इस सदन में ही सरकार संकल्प व्यक्त कर चुकी है । सरकार की घोषणा के विरुद्ध अधिकारी आचरण कर रहे हैं । उन्होंने फ्री होल्ड नहीं किया । जो लीज की शर्तें थीं उन शर्तों को कायम रखा जा रहा है । केवल बेचने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए छूट की बात कही है । यह सरकार के आदेशों की घोर अवहेलना हुई है । इस पर गम्भीरता से कार्यवाही की जानी चाहिए ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

जो विषय श्री त्यागी जी ने उठाया है वह विषय नियम 300 में कहीं नहीं आता है । मगर कुछ गम्भीर तथ्य उन्होंने यहां भाषण में दिये हैं । जैसे कि किताब जो छपाई गई है उसकी कीमत 100/- रुपये रखी गयी । इसी किताब में शायद फार्म भी संलग्न है । हमारे पास इसकी सूचना नहीं है । लेकिन हम इसकी जांच करवा लेंगे कि किताब की छपाई में कितना मूल्य आया । वह उतने की ही मिलनी चाहिए । इसमें अगर किसी ने मुनाफा उठाया होगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी । जिस अधिकारी से श्री त्यागी जी चाहेंगे उसकी जांच उसी अधिकारी से करवा दी जाएगी । जिन अधिकारियों ने नियम संगत कार्य नहीं किया है उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी । यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको निरस्त करने की कृपा करें ।

(समय 1 बजकर 30 मिनट)

श्री अध्यक्ष–

मैं श्री बालेश्वर त्यागी जी की सूचना को अग्राह्य करता हूं।

संविधान के प्रविधानों और नियमों के विपरीत तथा उच्च न्यायालय के स्थगन के बावजूद मा० मुलायम सिंह यादव सरकार के एक मंत्री के रिश्तेदार को चार नये जिलों के डिजाइनिंग का कार्य सौंपे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री रमेशकान्त लवानियां–

मान्यवर, प्रदेश के चार नए जिलों कानपुर देहात, भदोही, महराजगंज, पडरौना जिनके जिला मुख्यालय का निर्माण होना था। इसके लिए आवास विकास परिषद् ने डिजाइन के लिए आर्कीटेक्टो आदि से मई 1994 में डिजाइन मांगी थी। इसमें प्रतियोगिता का समय रखा गया। 18-19 अगस्त में निर्णायक मण्डल ने अपना निर्णय लिया शर्तों के अनुसार जो भी निर्णायक मण्डल का निर्णय होगा उसको मानने के लिए सब लोग बाध्य होंगे चाहे आर्कीटेक्चर हों या इंजीनियर हो या आयोजक लेकिन 22 तारीख को यह घोषणा होती है कि निर्णायक मण्डल के परिणाम को रोक दिया गया है आवास विकास परिषद् के द्वारा उसके पश्चात् आवास विकास परिषद् से यह कार्य लेकर राजकीय निर्माण निगम को दे दिया गया। तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के धौंस और प्रभाव में यह कार्य एक ए०डी०सी० फर्म है उसको दे दिया गया। इसमें तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के पुत्र का भी हिस्सा था। मान्यवर, इसमें गम्भीर बात यह है कि 24 नवम्बर को यह घोषणा की जाती है कि निर्माण निगम के एम०डी० नये सिरे से डिजायन आमंत्रित करेंगे। लेकिन उसी तारीख को यह कार्य ए०डी०सी० को दे दिया गया। जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे दिल्ली के श्री श्रीशकुमार वह रिट में गये और स्थगन आदेश ले आये लेकिन स्थगन आदेश के बावजूद उसका कोई नोटिस नहीं लिया गया और ए०डी०सी० नाम की फर्म को कार्य दे दिया गया। यह काम संविधान की मंशा के विपरीत किया गया है इसलिये मेरी सूचना को स्वीकार करने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, राजस्व विभाग द्वारा शासनादेश इस संबंध में दिनांक 1 दिसम्बर, 1994 को जारी करके नवसृजित 32 तहसीलों की निर्माण एजेंसी एवं निजी वास्तुविद नियुक्त किये जाने के आदेश जारी हुये थे। इन आदेशों में 25 तहसीलों के आवास/अनावासी भवनों के निर्माण के कन्सलटेंट के रूप में निजी वास्तुविद मेसर्स आर्च एन्ड डिजाइन सेंटर्स, 19–बी अवध बाजार होटल क्लार्क लखनऊ को नियुक्ति किया गया था। यह सही है कि तहसीलों के आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के कंसलटेंट के रूप में मेसर्स आर्च एंड डिजाइन सेंटर्स के नियुक्त किये जाने की संस्तुति तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा जी ने की थी किन्तु वास्तव में नियुक्तियां तत्कालीन राजस्व मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करके की गयी थीं। निर्माण एजेंसी को निर्माण कार्य की लागत के 15 प्रतिशत की धनराशि अधिष्ठान-कार्यों एवं आगणन आदि तैयार करने के लिये निश्चित है। उसी आधार पर निजी वास्तुविदों को उनके द्वारा किये गये कार्यों पर 2 प्रतिशत की दर से भुगतान किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, इसमें कहीं कोई अनियमितता तो नहीं दिखायी पड़ती है। जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध थे उनको मैंने बताया है। औचित्य के रूप में इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं।

न्यायालयों के निर्णयों का शासन और प्रशासन द्वारा अवहेलना किये जाने विषयक आचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं अपनी बात 2–3 वाक्य में कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नियम 300 के अन्तर्गत यह सूचना नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, से कहां संबंधित है ?

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इतनी देर में तो अपनी बात कह देता।

श्री अध्यक्ष–

कहिये।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, हमारे संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है और न्याय पालिका द्वारा जो निर्णय दिये जाते हैं उनको सर्वोच्च सम्मान देना शासन का फर्ज बन जाता है। मान्यवर, वन विभाग के दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में न्यायालय ने एक निर्णय लिया। 20-4-94 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा एक निर्णय लिया गया वन विभाग के कर्मचारियों के बारे में, लेकिन उस निर्णय को लिये हुये कर्मचारी घूम रहे हैं और मुख्य वन संरक्षक ने न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि निर्णय के अनुसार 14 कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने और जांच के लिये मान्यवर, निर्देशित कर दें।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जैसा कि आपने शंका व्यक्त की है कि यह औचित्य में नहीं आता है, मान्यवर, सरकार न्यायालयों के निर्णयों का सम्मान करती है और आगे भी करती रहेगी।

श्री ऊदल–

सरकार करती है लेकिन अगर कोई अधिकारी सम्मान न करे तो।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं अगर कोई अधिकारी नहीं करता है तो कंटेम्प्ट में जा सकते हैं।

जिस मामले का उल्लेख माननीय वर्मा जी ने किया है, वह रिट याचिका सं० 1034 द्वारा 14 कर्मचारियों को सेवा में नियमित करने के लिये था और न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार

उनके नियमितीकरण पर विचार कर ले, तो विचार करने के निर्देश हैं, उनको नियुक्त करने के निर्देश नहीं है। तो मान्यवर, सरकार उस पर विचार कर लेगी।

श्री राम आसरे वर्मा–

जो स्लिप मंत्री जी के पास आयी है, वह सही मुद्दे को लेकर नहीं आयी है। 14 लोग हैं, रामसेवक चौधरी आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इसीलिये मैं अनुरोध कर रहा था कि यह नियम 300 में नहीं आता है, इसकी पूरी सूचना मेरे पास नहीं है। अगर माननीय वर्मा जी पूरे प्रकरण को लिखकर दे दें, तो इसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में नहीं आता है, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

शासन की स्थानान्तरण नीति से विधायकों की कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, हम सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि शासन को सुझाव दें, सुझाव देना कोई सरकार पर दबाव डालना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ट्रान्सफर पालिसी हैं, उससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं, उनमें घोर निराशा व्याप्त है। लोगों के बच्चों के स्कूलों में प्रवेश हो गये हैं, एडमिशन हो गये हैं और अभी तक ट्रान्सफर पालिसी फाइनलाइज नहीं हुई है। मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात कहना चाहता हूं, वहां पर एक लिस्ट निकली है और जो पूर्व परिपाटी है वह यह है कि जिन लोगों को एक स्थान पर 8 साल या 10 साल हो जायें उनका ट्रान्सफर किया जाता है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, सीतापुर की एक महिला कर्मचारी हैं, उनका ट्रान्सफर ललितपुर, झांसी कर दिया गया है। इस पालिसी से कर्मचारियों में असंतोष है। मैं चाहता हूं कि उनके जो रिप्रजेन्टेशन्स हैं, उन पर सरकार विचार करें। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, हम लोगों के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि आप सुझाव दें, होता यह है कि हम सदन के महत्वपूर्ण कार्यों को नहीं पूरा कर पाते हैं और इस प्रकार के सुझाव देने में लगे रह जाते है। मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में बल नहीं देता हूं, मैं सरकार को यह सुझाव देता हूं कि सरकार इस पर विचार करे, पुनर्विचार करे, जिससे कर्मचारियों में जो असंतोष है वह समाप्त हो सके।

डा० सरजीत सिंह डंग–

इसमें मान्यवर, 65 करोड़ रुपया खर्च होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

स्थानान्तरण करना तो सरकार का अधिकार है। पहले जब राजेन्द्र जी यहां पर बैठा करते थे तो कहा करते थे कि उचित व्यक्ति के लिये उचित स्थान और उचित स्थान के लिये उचित व्यक्ति, ऐसा कुछ बताया करते थे। किसी व्यक्ति की क्षमता का लाभ उठाने के लिये स्थानान्तरण करना तो सरकार

का अधिकार है । माननीय गुप्ता ने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार कर लिया जायेगा और अगर किसी अधिकारी को तकलीफ होगी तो उनके विभागाध्यक्ष बैठे हैं, वह उनके कष्ट सुनेगें ।

मान्यवर, यह कहीं 300 में तो आता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को अग्राह्य करता हूं अगली सूचना प्रमोद तिवारी जी की है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जिसकी सरकार है उनका तो यह हाल है । अगर ऐसी शिकायत है, पहली सूची दी गयी होगी उसके हिसाब से भ्रष्टाचार किया गया होगा या कोई गड़बड़ी पैदा होगी तो माननीय गुप्ता जी दूसरी सूची दे दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो सूची इन्होंने दी है वह खो गयी हैं इसलिए दूसरी सूची की बात कर रहे हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरे पास न तो गुप्ता जी की कोई चिट्ठी आयी है और न वर्मा जी की आयी है इसलिए यह लोग बेकार लड़ रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, डंग जी जनतादल में आ गये हैं इनको सूचीबद्ध कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सबका स्थान नियत है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मेरी बात को सुन लें । मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के सभी विधायक और सभी सांसद एक पद पर दस्तखत करके दिये हैं कि गोरखपुर मण्डल का भ्रष्टतम कमिश्नर वहां से स्थानान्तरित कर दिया जाय । वह कमिश्नर एक बार स्थानान्तरित होता है और उसके बाद भी यहीं पर बैठा हुआ है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मैं कहता हूं कि मतभेद है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, वह व्यक्ति वहीं पर बैठकर अपना घर गोमतीनगर में बनवाता है और एक विधायक के माध्यम से बनवाता है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में बन्द होता है । उस विधायक का नाम और उस कमिश्नर का नाम एक ही है । मेरा यह आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के जो सचिव हैं या

मुख्य सचिव हैं उनके दबाव के आधार पर यह अधिकारी जनभावनाओं को दरकिनार कर बार-बार रोका जाता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस नाते आकृष्ट करना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जिसके सन्दर्भ में गोरखपुर में रिक्शा वाले से भी पूछा जाय तो वह भी कहेगा कि भगवान वह कब जायेगा। मान्यवर, किसी भी विधायक से पूछिये जो उस मण्डल का हो तो स्पष्ट रूप से कहेगा लेकिन उसके बावजूद भी वह नहीं हटाया जा रहा है। मान्यवर, अधिकारी अपने तौर पर इस तरह की योजनायें बनाते रहते हैं यह भी मैं ध्यान आकृष्ट करता हूं तो मान्यवर, यह विधायकों की स्थिति है।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कराइये तब मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी सूचना नियम 300 की परिधि में नहीं आती थी लेकिन आप लोगों ने निवेदन किया था इसलिए मैं मौका दे रहा हूं।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा विज्ञापन के आधार पर जनता का धन ऐंठे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस सदन में जो हम लोग बजट पास करते हैं उस बजट से सरकारी विभाग और निगम अपनी नीति निर्धारित करते है उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम उसी से चलता है। मान्यवर, इसी वित्त निगम के नाम से भारतीय ग्रामीण वित्त विकास निगम जिन्दल प्लाजा निकट गोमतीनगर में खुला हुआ है। जिसने श्रीमन्, एक हजार पद ऐसे नामों से निकाले हैं जैसे जिला विकास अधिकारी ग्राम्य विकास अधिकारी आर उन्होंने फार्म की कीमत 50 रु० रखी, एक लाख से आ.. फार्म इक्ट्ठे हुए 50 लाख रु० तो मात्र फार्म के रूप में जमा हो गये, वह भी प्रदेश की राजधानी में सरकार का नाक के नीचे। पदों का जो विज्ञापन निकला उसमें सिक्योरिटी मनी के रूप में 4 हजार, 10 हजार, 15 हजार रु० की धनराशि रखी गयी है, 10 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का इसमें मामला है, 20–30 लाख रुपये यह बनता है, करीब एक करोड़ रु० के ऊपर, जिसके रिकार्ड मौजूद हैं अगर आप कहेंगे तो रिकार्ड पेश कर दूंगा, यह ले चुके हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं हमारे एक पत्रकार महोदय भी इसमें फंस गये, उनके परिवार के लोग इसमें फंस गये हैं। प्रश्न यह पैदा हुआ कि क्या यह प्रदेश वित्त निगम की कोई संस्था है या फर्जी संस्था है, सरकार की कोई संस्था है या फिर फर्जी संस्था है। कैसे इस प्रकार की संस्था ने विज्ञापन दिया है पूरे प्रदेश में 10 अखबारों में विज्ञापन भेजे। गुप्त जी बता रहे हैं कि इसमें एफ० आई० आर० भी दर्ज है।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

अगर मेरी बात से समाधान न हो तो बाद में बोलें।

श्री नरेश अग्रवाल–

वह संस्था अपना कार्य कर रही है, सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, उन्हें अरेस्ट किया जाय और उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

अगर समाधान न हो तो बाद में बोलें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठें, बोलने की चाहत है या कार्यवाही की चाहत है।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास क्या समाधान है। कल मैंने इसमें लेटर सलग्न किये थे, मान्यवर, इस संस्थान ने आप देखें इस तरह से कितना रुपया कलेक्ट कर लिया है। मान्यवर, भारतीय ग्रामीण वित्त विकास निगम लिमिटेड की ओर से लेटर गये कि अगर साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं तो ज्ञात कर लें कि अगला साक्षात्कार कब होगा ? मान्यवर, इस तरह से विज्ञापन निकला जैसे कोई यह भारतीय ग्रामीण वित्त विकास कोई सरकारी संस्था हो। प्रदेश की राजधानी में 10 हजार नियुक्तियां कर दी गयीं। मान्यवर, अगर किसी सरकारी विभाग में एक चपरासी की भी नियुक्ति होती है अगर काल लेटर के अनुसार वह नहीं पहुंचता है तो दुबारा साक्षात्कार में वह सम्मिलित नहीं हो पाता है। हमारे जिलों के अन्दर सैकड़ों-सैकड़ों चिट्ठियां गयी कि फोन से मालूम कर लें कि अगला साक्षात्कार कब होगा प्रदेश की राजधानी में सरकार की आंख में इस तरह से धूल झोंकने का काम किया जा रहा है। लड़के लेकर चिट्ठियां घूम रहे हैं और जमीनें बेचकर पैसा दे रहे हैं नौकरी के मोह में। हमने लड़कों से पूछा मैंने कहा कि ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है। लगातार विज्ञापन पर विज्ञापन निकल रहे हैं आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? आज भी वहां इन्टरव्यू चल रहा है, महीनों से इन्टरव्यू हो रहे हैं प्रदेश का करोड़ों रुपया उस संस्था ने इस तरह से अपने पास रख लिया। पहले चौक में दफ्तर था अब दफ्तर हो गया गोमतीनगर में। मान्यवर, यह कहीं न कहीं कोई मिलीभगत है ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे प्रदेश में इन्टरव्यू लिया जा रहा हो और पता न चले इससे गम्भीर बात और क्या हो सकती है।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है इसकी गम्भीरता का अन्दाजा इससे लगा लें कि साक्षात्कार हो रहे हैं जिन अभ्यर्थियों की नियुक्तियां हो रही हैं। तीन तारीख को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सरकार कार्य ग्रहण करती है 4 तारीख को यह विज्ञापन जारी करा देते हैं, दूसरा विज्ञापन है जिसकी अन्तिम तिथि 30-6-95 है यह नहीं कहा जा सकता कि यह पिछली सरकार का पाप है यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वास्तविक रूप में आपकी सरकार का काम में, आप इसके जिम्मेदार हैं । जब प्रदेश की राजधानी में लखनऊ में आपकी सरकार की नाक के नीचे 50 लाख रु० सिर्फ प्रार्थना-पत्रों के नाम पर उन्होंने वसूल कर लिए हैं और नियुक्ति के लिए पैसा इक्ट्ठा होता जा रहा है । जो नियुक्ति-पत्र है विज्ञापन हैं वह ही भ्रम करने के लिए पर्याप्त हैं । जब शुरूआत से 3250 के पद का नाम दिया तो लोग आकर्षित होंगे ही । मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं इस तरह की बातों को देखती हैं ऐसे विज्ञापनों पर सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को नजर रखनी चाहिए । 10 हजार पद निकाले हैं । जबकि सरकार 100-200 पद भी रिक्त घोषित नहीं कर पाती है । और स्वतन्त्र भारत जैसे समाचार-पत्र में विज्ञापन छपता है वह कोई छोटा-मोटा समाचार-पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं । मान्यवर, 50 रु० प्रति फार्म पर मांगा गया था और एक लाख फार्म आये तो इस तरह से 50 लाख का यह सीधा गबन हुआ । उसके अतिरिक्त हर पद के साथ सिक्योरिटी के रूप में दस हजार, पन्द्रह हजार रुपय लिया गया तो इस तरह से 50 लाख उसमें आया और एक करोड़ रुपये का टोटल गबन इस सरकार की नाक के नीचे किया गया । यह कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा है । मान्यवर, दस हजार पद कोई संस्था विज्ञापित कर रही है और यह सरकार सो रही है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें ध्यान दें और इसके लखनऊ स्थित कार्यालय में छापा मारें, इसके खते सील करें और मुकदमा दर्ज करें । यदि यह नहीं करती है तो मैं समझूंगा कि यह फ्राड सरकार के संरक्षण में चलाया जा रहा है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैं बड़ा ही अनुग्रहीत हूं कि तीन माननीय सदस्यों ने एक ऐसी संस्था के बारे में जानकारी दी जो अपने नाम से ऐसी प्रतीत होती है सामान्य आदमी या पढ़े लिखे आदमी को कि यह सरकारी संस्था है । मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जो कहा कि यह सरकार का कोई पाप है, मैं इसका तीव्र प्रतिवाद करता हूं । मान्यवर, जब इसकी सूचना मिली तो संबधित अधिकारियों से इसकी जांच करवायी गयी और आज ही करवायी गयी । मैं यह कहना चाहूंगा कि न तो यह उ० प्र० की सरकारी संस्था है और न तो यह भारत सरकार से संबंधित है । मैंने पहले ही यह कहा था कि मैं अनुग्रहीत हूं कि सजग और सतर्क रहने वाले तीन माननीय सदस्यों ने इस विषय में विधान सभा में जानकारी दी है । इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी और संगत नियमों और धाराओं के तहत फर्म की जांच करेगी और मुकदमा कायम करेगी ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, प्राग्दर्शन में यह मामला स्पष्ट हो गया है और आपने भी यह कहा है कि न तो यह उ० प्र० की सरकारी संस्था है और न यह भारत सरकार से संबंधित है तो फिर इस तरह की फेक संस्था अगर लखनऊ में स्थित है तो तुरन्त उसको बन्द करवाया जाये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मैंने तो पहले धन्यवाद आपको ज्ञापित कर दिया था। आप ही इसे बार-बार उठा रहे हैं। सरकार इस पर कार्यवाही के लिए तैयार हो गयी है। अगर आप जोर-जोर से बोलना चाहते हों तो बोलिये।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप बचाव करेंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो गरीब नौजवानों ने पैसा दिया उसको वापस दिलाने की कार्यवाही सरकार सुनिश्चित करे। आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम तो सरकार का सहयोग करना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात विधान सभा में उठायी गयी। मान्यवर, स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह संस्था कोई फर्जी संस्था है। 10 हजार पद कोई संस्था तब तक नहीं निकाल सकती है जब तक कि उसका एनुअल टर्न ओवर 10 करोड़ रुपये का न हो। मान्यवर, इस पर तत्काल कार्यवाही की जाय क्योंकि इस सूचना के सदन में आने के बाद वह संस्था सब कुछ समेट कर लखनऊ से अपना बोरिया विस्तर उठाने वाली होगी। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि इस पर तत्काल आप इनके खाते सील कर लें, जो एक करोड़ बैंक में जमा होगा, अगर आप इसमें विलम्ब करेंगे और जब तक जांच करायेंगे, तब तक तो वह लखनऊ छोड़कर जा चुका होगा। जब तक जांच न हो जाय, उसके खाते सील कर दीजिये और उन लोगों को लखनऊ में रुकने के लिए इंगित कर दीजिये। आप एस० एस० पी०, एस० पी० आर० ए० को बोल दीजिये। आप ऐसी व्यवस्था कीजिये कि उनके खाते से धन भी स्थानान्तरित नहीं हो सके। क्योंकि ऐसे लोग यह करते हैं कि उसको तत्काल किसी दूसरी फर्म में स्थानान्तरित कर देते हैं तो आप ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पायेंगे।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उनके अलावा भी यह सरकार देखेगी कि उस संस्था को चलाने वाले लोग भाग न जायें और अपने खातों से कोई रकम न निकाल लें। जितने भी उपाय हो सकते हैं, उनके अलावा भी सुनिश्चित करते हुए अभी तुरन्त लखनऊ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से कहा जा रहा है कि इस संस्था के बारे में देखें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। श्रीमती ज्योत्स्ना श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता कटियार नहीं हैं। नियम 300 के अन्तर्गत जो अन्य सूचनायें आयी हैं सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हैं।

मद संख्या–3, 4, 5 व 6 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–7 ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2-8-95 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री हरि शंकर तिवारी, श्री राम विशुन आजाद, श्री अखिलेश सिंह की है । इस पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा सदस्य अपने विचार रख सकें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आपका पूरे सम्मानित सदन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने सम्मानित सदन की भावनाओं को देखते हुए इस सूचना को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करते हुए मुझे अवसर दिया है और कदाचित पूरे सदन की जो जिज्ञासा आप देख रहे हैं, वह केवल उनके बोलने की जिज्ञासा नहीं है, वह मान्यवर, उनकी पीड़ा है, वह उनकी व्यथा है, उनकी वेदना है और वह वेदना अपने उस क्षेत्र के प्रति है, जिसके तहत प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आज विधान सभा का सदस्य किसी भी क्षेत्र से, जनता के द्वारा चुनकर आता है । इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब उस क्षेत्र की जनता या मतदाता उसे अपना जनप्रतिनिधि निर्वाचित करता है तो उस पर जन-प्रतिनिधि का दायित्व होता है । वह अपने जनता के प्रति जवाबदेह हो, अपने मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी हो और उस समय उस परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं की आकांक्षायें और अपेक्षायें विकास के प्रति इतनी ज्यादा होती है कि आज जो जन-प्रतिनिधि हैं या क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी परिस्थितियों और उनके संबंध में अपनी ग्राह्यता पर बल देता हूं । केवल विधायकों से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है ।

यह प्रश्न जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, यह 425 जनप्रतिनिधियों का प्रश्न नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता की मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ प्रश्न है । और आपके क्षेत्र की रहने वाली जनता है, उसकी अपेक्षायें, उसके भविष्य और उसके मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है । इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो विधायक होते हैं, जनपदों में जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण है उसके सदस्य होते हैं आर वहां जो धन या परिव्यय जाता है, उस बजट में सुझाव देते है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी जिसके सचिव होते हैं । मान्यवर, आज स्थिति यह है कि कोई विधायक अपने क्षेत्र में गया और किसी प्राइमरी स्कूल की बढ़ती हुई छात्र संख्या पर वहां के छात्रों ने घेर लिया और कहा कि विधायक जी यहां एक अतिरिक्त कक्ष बनवा दीजिये, लेकिन वह विधायक उन बच्चों की भविष्य के लिए एक अतिरिक्त कक्ष नहीं बनवा सकता है ।

इसी प्रकार किसी गांव में जल भराव है, मात्र 50 या 100 मीटर की सड़क बननी है या गांव की ऐसी आवश्यकतायें है जिससे उस क्षेत्र की जनता को बहुत कठिनाई है, लेकिन उन प्रस्तावों का कहीं समावेश नहीं कर सकता है, विकास के सन्दर्भ में बजट और पैसा भी नहीं दे सकता । मान्यवर, इस सदन में जनता की सेवा के लिए आते है, पूर्वांचल विकास निधि या और भी निधि बनायी गयी, वह जनता की हित के लिए है । आज लोक सभा के सदस्यों के लिए केन्द्र की सरकार ने एक करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है कि जहां लोक सभा के सदस्य चाहें, वह पैसा अपने क्षेत्र के विकास के

लिए दे सकता है । इसी तरह से दिल्ली की विधान सभा ने भी केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुरूप अपने विधायकों के लिए एक करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है लेकिन आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जहां करोड़ों लोगों की समस्यायें हैं उनके निराकरण के लिए विधायकों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है । आज यह सदन सर्वसम्मति से चाहती है कि अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए, अपने दायित्व के निर्वाह के लिए, जनता के प्रति जवाबदेही के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, तरक्की के लिए, ताकि वह अपने क्षेत्र में कुछ विकास का कार्य कर सकें, इस प्रदेश के सम्मानित विधायकों को भी एक-एक करोड़ रुपये का परिव्यय दिया जाय ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य बोलें । लेकिन मैं यह भी चाहूंगा कि वह अपनी बात संक्षेप में रखें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, संक्षेप में ही अपनी बात कह रहा हूं । पाल जी विस्तृत रूप से कह चुके हैं । आज जनता से सीधे जुड़े होने के कारण हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि और जनता अपेक्षा करती है कि विधायकगण विकास कार्य करायें । बजट का 60 प्रतिशत भाग डिस्टिक्ट प्लान के रूप में चला जाता है और 40 प्रतिशत स्टेट सेक्टर के रूप में यहां पर रोक लिया जाता है । हम डी० आर० डी० ए० के सदस्य हैं, जहां सुझाव देते हैं । संसद सदस्य, विधान परिषद् सदस्य भी उसके मेम्बर हैं । संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए देती है, विधान परिषद् सदस्यों की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है । मान्यवर, विधायकों की भी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए । आज स्थिति यह है कि हमारे क्षेत्र का जो विकास का पैसा होता है वह सांसद ले जाते हैं । जनता अपेक्षा करती है कि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हों, गांव का आदमी अगर किसी विधायक से एक छोटी सी पुलिया बनवाने की मांग करता है तो आज हम उसको पुलिया देने की स्थिति में नहीं हैं । मान्यवर, आज विधायकों की यह स्थिति हो गयी है । आपसे निवेदन है कि इसके तीन तरीके हैं । पहला, यह नियत कर दें कि स्टेट सेक्टर से हर विधयक को एक करोड़ रुपये दिया जायेगा । दूसरा, डी० आर० डी० ए० में यह सुनिश्चित कर दें कि जनता से चुने हुए जो माननीय विधायकगण हैं, वह जो सुझाव देंगे, वे माने जायेंगे । तीसरा, डिस्टिक्ट प्लान में यह सुनिश्चित कर दिया जाय कि विधायकों की ही संस्तुतियों को माना जाय । श्रीमन्, यदि यह नहीं किया गया तो हम जनता को कोई जवाब नहीं दे पायेंगे । इसलिए नियम–56 के माध्यम से जो मैंने यह सूचना रखी है, इसे आप स्वीकार करने की कृपा करें ।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता श्री ऊदल पीठासीन हुए ।)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है । इस लोकतान्त्रिक ढांचे में जनता से सीधे जुड़े होने का जो सौभाग्य विधायक को प्राप्त है, शायद वह स्थिति माननीय सांसदों की व विधान परिषद् के

सदस्यों की नहीं होती है । जनता विधायकों से ज्यादा अपेक्षा भी करती है । आज जनता के बीच में इस बात की चर्चा है कि माननीय सांसदों को तो एक करोड़ रुपये मिलता है जो मनमाने ढंग से प्रस्ताव देकर जहां चाहें वहां उस पैसे को खर्च करते हैं तो यह सुविधा विधायकों को क्यों नहीं है ? ऐसी स्थिति में हम उनकी अपेक्षा का जवाब नहीं दे पाते हैं । डी० आर० डी० ए० की बैठकों में जिसमें माननीय सांसद और विधान परिषद् सदस्य तथा विधायकगण सभी होते हैं, यह सही है कि वहां पर पैसा केन्द्र से ही आता है और राज्य सरकार उस पैसे को हर जनपद को, आबादी के हिसाब से आवंटित करती है परन्तु जब उस पैसे को खर्च करने के लिए प्रस्ताव लिए जाते हैं तो सांसदों की भागीदारी भी उसमें होती है, और विधान परिषद् के सदस्यों की भी भागीदारी उसमें होती है, जिनका जनता से सीधा लगाव नहीं होता है, इसका नतीजा यह होता है कि जो हम विधायक अपने क्षेत्रों में जनता के आंसू पोंछने का काम कुछ कर सकते हैं, उससे वंचित हो जाते हैं । राजनैतिक आधार पर वहां पर बंटवारा होता है, उस आधार को भी अपनाते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनता से विधायकों का सीधा रिश्ता है तो उनके दु:ख-दर्दों के बारे में विधायकगण ज्यादा जिम्मेदार हैं । इसलिए उनके दु:ख-दर्दों को दूर करने के लिए विधायकों को साधन मुहैय्या करवाना शासन का कर्तव्य है । अगर शासन अपने इस कर्तव्य से मुकरता है तो हमें यह कहने में कतई संकोच नहीं होगा कि यह सरकार जन-विरोधी सरकार है । अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी जो भावना यहां पर व्यक्त की हैं, उनसे अपने को जोड़ते हुए आपसे अपेक्षा करूंगा कि शासन कम से कम विधायकों की दयनीय स्थिति पर तरस खाये तथा जनपदों में जो डी० आर० डी० ए० की बैठकें होती हैं, उनमें माननीय सांसदों व विधान परिषद् के सदस्यों को भागीदार न बनायें । इसकी व्यवस्था शासन करे ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

श्रीमन्, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । विधायकों की पीड़ा से आप भी वाकिफ होंगे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जब पहले विधायक के रूप में बैठा करते थे आज वह संसदीय कार्य मंत्री हैं वह भी विधायकों की पीड़ा से वाकिफ हैं । आज जो भी जिले में बजट जाता है उसमें एम० एल० सीज० और सांसद की संस्तुति को हिस्सा देने का औचित्य नहीं बनता है क्योंकि सांसद को एक करोड़ रुपया केन्द्र से अलग से दिया जा रहा है और जो एम० एल० सीज० हैं वह कभी क्षेत्र में जाते नहीं हैं उनका क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है । मैं आपके माध्यम से व्यवस्था चाहता हूं कि यह नई सरकार आयी है यह घोषणा करे कि प्रत्येक विधायक को विकास कार्य के लिए जैसे दिल्ली में व्यवस्था है, केन्द्र सरकार ने व्यवस्था की है उसी प्रकार से यह नई सरकार भी व्यवस्था करे । माननीय विधायकों को एक-एक करोड़ रुपया उसके क्षेत्र के विकास के लिए दिया जायेगा ताकि उनके क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सके और विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब दे सकें ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

दो-दो मिनट सबको दूंगा । शान्त रहें ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी कल ही इस सदन में पूर्वांचल विकास निधि के सन्दर्भ में चर्चा हुई। वास्तव में चर्चा का बिन्दु था कि पूर्वांचल विकास निधि में जो रुपया जाता था उसमें आधा रुपया शासन की संस्तुति पर आधा रुपया विधायक और सांसद की संस्तुति पर जाता था। तो बहुत पीड़ा थी हम सब लोग अनुग्रहीत हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उन्होंने हम लोगों की पीड़ा को समझा और कहा कि जो शासन के पास रहेगा वह भी जिले को चला जायेगा। हमारा कहना था कि सांसद का भी उसमें हिस्सा मिलता है तो इस नाते क्योंकि उनके लिए एक करोड़ की केन्द्र से अलग से व्यवस्था कर दी है जिसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शुक्ल जी आप कितना रुपया चाहते हैं, एक-एक विधायक को कितना मिलना चाहिए यह तो बता नहीं रहे हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

सबसे अधिक पीड़ा तो मान्यवर, उन विधायकों की है जो नगरीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। मैं स्वयं गोरखपुर नगर से चुन कर आता हूं। तीन बार जीत कर आने के बाद भी जब इस सदन से बाहर हम निकलते हैं और जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र की जनता इस बात का सवाल करती है कि हमारे यहां यह काम करा दीजिये, वह काम करा दीजिये, खड़ण्जा या पिच रोड की बात तो अलग रही हम एक हैण्ड पम्प लगाने की स्थिति में नहीं हैं। मैं शासन से इस बात की गुजारिश करता हूं इसके पूर्व माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा था कि जैसे ग्रामीण अभियन्त्रण में जो देहात से चुनकर विधायक आते हैं उनका पूरा सम्मान करते हुए वहां कार्य कराया जाता है। तो वैसे ही शासन इस बात का निर्धारण करे कि कम से कम 50-60 लाख रुपया या जितना अधिक देना चाहे जिस स्थिति में वह हों वह शहरी विधायक को दें। शहरी अभियन्त्रण विभाग स्थापित करें। हम चाहेंगे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, अभी जिन माननीय सदस्यों ने विकास कार्य हेतु एक करोड़ रुपया दिये जाने के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायं, आप लोगों को भी अवसर मिलेगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

यह सत्य है कि जो विधायक होता है वह सीधे-सीधे जनता से जुड़ा हुआ होता है और जनता से उसकी निकटता होती है, इसलिए जनता की विधायकों से बहुत सी अपेक्षाएं होती हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके क्षेत्र विकास सम्बन्ध कार्य मान्यवर, आप इससे भलीभांति अवगत होंगे कि आज जो स्थिति जनप्रतिनिधियों की हैं, उसमें उसे विकास कार्यों में योगदान करने का कोई अधिकार नहीं है,

क्योंकि उसकी संस्तुति पर कोई कार्य होने वाला नहीं है । नगरीय क्षेत्रों में महापालिकाएं, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से अपने विवेक से कार्यों का चयन करती हैं । इसी स्थिति में जो विधायक है उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है और उससे जनता की अपेक्षाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने सांसद विकास निधि की स्थापना की है और उसमें से एक-एक करोड़ रुपया उसकी संस्तुति पर उसके क्षेत्र में कार्य कराने हेतु देने की बात है । इसलिए यहां भी वैसी ही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि हर विधायक भी अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए एक करोड़ रुपया पा सके । साथ ही पूर्वांचल विकास निधि की भांति जिसमें सांसद और एम०एल०सी० की भागीदारी होती है, जो पूर्वांचल विकास निधि में सांसदों का अंश है उसको काट दिया जाए और एक एक करोड़ रुपया प्रत्येक विधायक को अपने क्षेत्र में खर्च करने हेतु दिया जाए ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात को बहुत थोड़े समय में कहूंगा। इसकी उपयोगिता और औचित्य के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है । हम विधायकों को विकास कार्यों हेतु कोई न कोई राशि मिलनी चाहिए, हम सब इस पर एक राय हैं । कुछ मित्रों ने महानगरों के बारे में कहा है, मैं भी आगरा शहर से महापालिका क्षेत्र से चुनकर आता हूं जिसके लिए यहां नगरीय क्षेत्रों के विधायकों के लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं है जिला योजना में जो पैसा जाता है, उस राशि में से हमें अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है वह जिले से सम्बन्धित विधायकों के लिए है अभी चौधरी साहब ने कहा है कि हम शहरी विधायकों को अपने क्षेत्र में सड़क बनवाने आदि का कोई अधिकार नहीं है । एक करोड़ की निधि केन्द्र ने सांसदों के लिए तय की और उससे जनता में यह भावना बनी है कि यदि कोई कार्य करा सकता है, सड़कें व खड़ण्जे बनवा सकता है या हैण्ड पम्प लगवा सकता है, तो वह सांसद ही करा सकता है, विधायक कुछ नहीं करा सकता है । अतः विधायक भी सम्मान से जी सकें और अपने क्षेत्र की जनता की बात स्वीकार करके उसकी मांग अनुसार आवश्यक निर्माण कार्य करा सकें, इसके लिए उन्हें इस प्रकार से एक करोड़ रुपया देने की व्यवस्था की जाए । इसमें सरकार के सामने वित्तीय मजबूरी हो सकती है, तो एक करोड़ सम्भव न हो तो 50 लाख रुपया अवश्य शासन की तरफ से दिया जाना चाहिए ।

(व्यवस्था कई सदस्य बोलने का अवसर लेने का प्रयास करने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, सभी माननीय सदस्यों को दो दो मिनट का समय बोलने के लिए दूंगा, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं ।

* श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, आप इससे सहमत होंगे कि विधायकों की स्थिति बहुत दयनीय है । जिन विधायकों के विधान सभा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होते हैं, उसमें जो कार्य सरकार द्वारा स्वीकृत होते हैं लेकिन धनाभाव में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया ।

उनके सामने गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह बेचारे कुछ नहीं कर पाते सिर्फ देखते रह जाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि विधायकों को भी एक एक करोड़ रुपया स्वीकृत किया जाय ताकि वह अपने क्षेत्रों में कुछ कार्य जनता के हित में कर सकें।

(श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव का नाम पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शात रहें। मैंने एक महिला का नाम बुलाया है। आप लोग एक महिला का सम्मान नहीं कर सकते। उन्हें बोलने दें।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया है। मान्यवर, एम०एल०ए० अपने क्षेत्र का चुना हुआ विधायक होता है, उसके अनेक उत्तरदायित्व होते हैं। प्रत्येक बात में जनता उससे आशा रखती है। लेकिन मान्यवर, यही बड़ी समस्याएं होती हैं। जो धनराशि नियत होती है उसमें एम०पी०, एम०एल०सी० का हिस्सा दे दिया जाता है। एम०पी० को केन्द्र सरकार पैसा देती है लेकिन एम०एल०सी० अपनी निधि को पूरे यू०पी० में बांट सकता है किसी क्षेत्र के प्रति रिसपोंसिबिल नहीं होता है। वह पूरे यू०पी० का एम०एल०सी० होता है। जनता हमसे किसी कार्य की अपेक्षा रखती है लेकिन हम वह कार्य नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास कोई निधि नहीं होती है। शहरी इलाकों में प्रशासन इतना मजबूत है कि वह हमसे नहीं पूछता और मनमाने ढंग से पैसा खर्च करता है। आपकी तरफ से प्रशासन को यह निर्देश दिया जाय कि हमारे प्रस्तावों के मुताबिक ही वह अपने खर्च की सीमाएं तय करे। हमारे द्वारा दिये गये प्रस्ताव स्वीकार करे। विकास निधि विधायकों को दी जाए। जिस तरह से पूर्वांचल विकास निधि, है उसी तरह से पश्चिमी विकास निधि बना दी जाय तो अच्छा होगा।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, हमारे साथियों ने नियम–56 में जो सूचना दी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें। मैं सबको दो-दो मिनट का अवसर दूंगा।

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को व्यवस्था करनी होगी और उस व्यवस्था के तहत जो संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से ही व्यवस्था कर दी जाय तो माननीय विधायकों द्वारा की गई संस्तुतियों का सीधा सीधा लाभ जनता तक पहुंच सकेगा । मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । डी०आर०डी०ए० में पैसा जाता है । जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं और उनकी अध्यक्षता में बैठकर बैठक करते हैं तो हम अपने को डिग्रेड महसूस करते हैं । मेरा आपके माध्यम से कहना है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर जिला प्लान में और राज्य प्लान में, डी०आर०डी०ए० में धन उपलब्ध कराया जाय। हम पार्लियामेंट की तरह आपसे कुछ सुविधाएं नहीं मांग रहे हैं, जीप नहीं मांग रहे हैं अपने घूमने के लिये, और कोई सुख सुविधा नहीं मांग रहे हैं । मेरा सीधा सा सुझाव है कि जो पैसा डी०आर०डी०ए० योजना में जाता है उसमें से एक धनराशि सुनिश्चित कर दी जाय कि आवश्कताओं के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय विधायकों को दी जाय । गांव में एक पुलिया टूटी है, उसको बनवाने के लिये कहते हैं तो पहले बी०डी०ओ० उसका वैरिफिकेशन करते हैं फिर जे०ई० । उसके बाद कलेक्टर का कमीशन आता है, जो कमीशन देता है तो कार्य किया जाता है । एक पुलिया बनाने को कहते हैं तो वह भी बना देते हैं । ऐसी हालत में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं । शहरों के विधायकों की पीड़ा सही है, उनको भी समस्या होगी लेकिन ग्रामीण अंचल के विधायकों की तरफ भी देखिये । मेरा यह अनुरोध है कि इतनी व्यवस्था जरूर की जाय कि कुछ धनराशि विधायकों के लिये स्वीकृत की जाय । इसके साथ ही साथ एक समान रेसियों में राज्य योजना की धनराशि का वितरण किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार रखने का अवसर दिया है ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार दलितों की बात नहीं सुनना चाहती है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्ति बनाए रखें । आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

आप संवेदनशील हैं । मान्यवर, कुछ माननीय सदस्य देहात क्षेत्र से आते हैं कुछ नगरीय क्षेत्र से आते हैं । (व्यवधान) मेरा क्षेत्र मान्यवर, कानपुर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है । श्रीमन् नगरीय क्षेत्र से जो ग्रामीण अंचल जुड़े हैं वह सबसे ज्यादा दुर्दशाग्रस्त क्षेत्र हैं । वहा नगर निगम से विशेष रूप से कोई धनराशि आवंटित नहीं होती है । देहात क्षेत्र में आते नहीं है इससे वहां गई गुजरी दशा होती है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि नगरीय क्षेत्र से जुड़े जो ग्रामीण इलाके हैं उनके विकास के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाना चाहिए । जो नये नियम हो गए हैं उसके आधार पर तो सदस्यों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है । जहां तक विकास कार्य का सवाल है नगर निगम में एक पैसे का काम नहीं करा सकते हैं । मान्यवर, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से यह सुविधा दी है कि धन आवंटित किया है तो विकास कार्यों के लिए इस समीचीन आवश्यकता को समझते हुए आपसे आग्रह है कि एक सदस्य को 50 लाख रुपये आवंटित करें वैसे तो एक करोड़ करने चाहिए लेकिन 50 लाख ही कर दें तो भी सुविधा हो जायगी ।

(व्यवधान)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग सहयोग करें शान्ति बनाए रखें ।

श्री राम विशुन आजाद–

आप समय नहीं दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

(समय 2 बजकर 30 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री राजबली यादव–

मान्यवर, 56 करोड़ रुपया पूरा का पूरा जिलों में दे दिया । मुझे मान्यवर, दो बातें कहनी हैं मान्यवर, प्रायः डी०आर०डी०ए० की बैठक होती है जिलों पर जो एम०पी० होते हैं तो जिस धन का आवंटन किया जाता है उसमें आधा राज्य सभा के सदस्य का हिस्सा होता है । राज्य सभा के सदस्य आकाशी बेल की तरह होते है वह हमारे बीच से चुने जाते हैं । उनका सीधा संबंध जनता से नहीं होता है । पार्लियामेन्ट के मेम्बर का क्षेत्र काफी बड़ा होता है । राज्य सभा के सदस्यों का सीधा-सीधा टच आम जनता से नहीं होता है । कुछ एम०एल०सी० स्नातक क्षेत्र से आते हैं । जो शिक्षण क्षेत्र से आते हैं वह चार-चार जिले के होते हैं । हमारे वहां दस एम०एल०सी० चुने गए हैं । कुछ प्रधानों से चुनकर जाते हैं–

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री राजबली यादव–

जवाहर रोजगार योजना में एम०पी० और प्रधान को मिलता है तो प्रधान के प्रतिनिधि को नहीं मिलना चाहिए। एम०एल०ए० के प्रस्ताव पर पैसा खर्चा किया जाना चाहिए एक बात मैं और कहना चाहता हूं। नगरीय क्षेत्र के विधायक हैं वह चाहे हैं कि नगरीय क्षेत्र के लिए पैसा दिया जाए। नगरीय क्षेत्र के लिए पहले से ही नगर विकास मंत्रालय हैं। उसमें नगर क्षेत्र के लिए पैसा जाता है। मुझे भी जानकारी है कि नगर क्षेत्र में पैसा अलग से जाता है। हालांकि मुझे कोई पैसा देने में आपत्ति नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

एम० पी० से पैसा घटकर एम० एल० सी० को चला गया यानी आसमान से खजूर में लटका वाली स्थिति हो जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा केवल एम० एल० ए० के प्रस्ताव पर खर्च होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगणों से मेरा अनुरोध है कि हल्ला मचाने से हम समय नहीं देंगे। वैसे दो-दो मिनट हम सबको सुन लेंगे। सदन को चलाने में आप हमारा सहयोग करें।

* श्री सुन्दर लाल दीक्षित–

मान्यवर, विधायकों की समस्याओं पर सारा सदन चिन्तित है। यह जो विधान सभा है वह भारत की सबसे बड़ी विधान सभा है उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हम लोगों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए धन न होने के कारण हमारी स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है। जो हमारे द्वारा निर्वाचित एम० एल० सी० होते हैं उनका कौन सा क्षेत्र होता है। हमारा हक काटकर उनको दिया जाता है। एम० पी० को एक करोड़ रुपया मिलता है मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमको तनख्वाह मत दीजिये। हमें रहने के लिए आवास दिये जाएं। क्षेत्र में हमको मोटर दी जाए, हमको स्टेनो दिया जाए जिससे हम लोग ईमानदारी से जनता की समस्याओं का हल कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। मुझे बड़ी खुशी होगी कि प्रदेश के इतिहास में एक नई घोषणा माननीय मंत्री जी करें कि उत्तर प्रदेश के विधायकों को एक करोड़ रुपये की धनराशि विकास के लिए दी जायगी। इस बात की विधिवत् घोषणा करें। जिससे विधायक अपने क्षेत्र की तरक्की कर सकें।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जितने सुझाव इस संबंध में आये हैं मैं उन सबसे अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं सरकार से चाहूंगा कि सम्मानित सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए इस पर तत्काल कार्यवाही करें। इससे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महत्वपूर्ण बिन्दु डी० आर० डी० ए० की बैठक में जहां जिलाधिकारी अध्यक्षता करते हैं । वह अपने को हम लोगों से इतना ऊपर समझते हैं कि प्रोटोकाल के हिसाब से जब कोई भी सम्मानित सदस्य जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाता है तो बाहर रिसीव करना तो दूर वह अपने कमरे तक में विधायकों से खड़े होकर नहीं मिलते हैं । इसके पूर्व भी इस सदन में पूर्व मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और अन्य मंत्रियों ने घोषणा की थी कि भविष्य में इसका पालन सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक करेंगे लेकिन खेद के साथ आपके माध्यम से कहना पड़ता है कि इसका पालन नहीं किया जाता है । इसलिए आप सरकार को निर्देशित करें कि यदि विधायक किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं तो अधिकारी स-सम्मान के साथ विधायक से अपने कमरे में मिलें ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने से शोर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, बड़े परिश्रम के बाद आपने बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, लोकतन्त्र के जो 4 खम्भे होते हैं उसमें हम लोग एक खम्भा हैं लेकिन विकास के नाम पर एक नया पैसा हम लोगों को नहीं मिलता हैं केवल हम लोग इस सदन में विधवा प्रलाप कर रहे हैं । सरकार एक पैसा देने का आश्वासन नहीं कर रही है । यह सरकार गूंगी या बहरी है । माननीय मंत्री जी धन देना चाहते हैं उनके दिल में पीड़ा है, वह विधायक पहले हैं मंत्री बाद में हैं लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव है कि कुछ कहना नहीं चाहते हैं । हम लोगों की स्थिति गांव के प्रधान से बदतर हो गयी है । प्रधान अगर चाहता है सड़क बनवा सकता है, खड़ण्जा लगवा सकता है नल लगवा सकता है लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता हमसे एक नल की मांग करती है तो हम उसको नहीं लगवा सकते हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विधायकों को 1 करोड़ रुपया विकास कार्यों के लिए और एक वाहन की व्यवस्था विधायकों के लिए करनी चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र का विकास कर सके ।

(अनेक सदस्यों के बोलने से शोर)

एक सदस्य–

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

यह नहीं लिखा जायगा । माननीय गुप्त जी, मैंने यह आश्वासन दिया है कि मैं माननीय सदस्यों को समय दूंगा । लेकिन सभी माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर शोर मचायेंगे तो मैं सदन कैसे चला पाऊंगा ? इसलिए आप जरा अपने लोगों के ऊपर कन्ट्रोल करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विषय इस समय प्रस्तुत हैं मैं समझता हूं कि पूरे सदन के सभी आदरणीय सदस्य इससे सहमत हैं कि माननीय सदस्यों के विवेक पर खर्च के लिए धनराशि होनी चाहिए। यह विषय महत्वपूर्ण है, हम कुछ आगे बढ़कर कहना चाहते हैं कि हमारा पूरा दायित्व है कि हम अपने निर्वाचन क्षेत्र को देखें और इस बात को सुनिश्चित करें कि किस विकास की

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आवश्यकता है । यह सरकार का दायित्व बनता है कि हम अपने कार्यों का सही निर्वहन कर सकें । इसके लिए हमारे हाथ में कुछ ताकत होनी चाहिए ।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

डी० आर० डी० ए० की मीटिंग होती है, पहली या दूसरी बार आप जब चुनकर आये होंगे, तो देखा होगा कि दारूलशफा में एक भी टाइपिस्ट नहीं बैठता था, लेकिन आज कितने लोग बैठते हैं, फिर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है । जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है, तो हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, मान्यवर, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मात्रा तो सरकार तय करेगी, हम एक करोड़ पर बल नहीं देते हैं, लेकिन कोई धनराशि होनी चाहिए । जो भी कार्य होगा उसका प्रोजेक्ट सरकार बनायेगी, विधायक केवल प्राथमिकता तय करेगा । इसी बात पर हम बल देते हैं ।

मैं एक और निवेदन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से करना चाहता हूं, वह स्वयं सक्षम हैं और नेता सदन के विश्वास पर ही इस कुर्सी पर विराजमान हैं, जो वह यहां पर घोषणा करेंगे, उसको मुख्य मंत्री जी मान लेंगी । अगर इस समय उनकी मुख्य मंत्री जी से परामर्श न हो पायी हो, मैं तो कहता हूं कि वह पूर्ण सक्षम हैं, लेकिन तत्काल न करना चाहते हों, तो मेरा निवेदन है कि इस वार्ता को निरस्त न करें, 311 में तो निरस्त कर दें । आप सभी दल के प्रतिनिधियों को बुला लें और एक कार्य योजना बन जाये, दिल्ली की सरकार ने कर दिया, केन्द्र की सरकार ने कर दिया, तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में कर दिया जाय कि प्राथमिकता निर्धारित करने में विधायक की परामर्श ली जायेगी । मेरी प्रार्थना है कि जब यह चर्चा उठ खड़ी हुई है, तो जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो जनता पूछेगी कि उस पर निर्णय क्या हुआ है, तो उस समय हम जोश के साथ कहेंगे कि मायावती की सरकार ने घोषणा कर दी है कि 50-50 लाख रुपये की घोषणा की गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी सूचना पर नियम 56 के अन्तर्गत स्वीकार करने के लिए सबसे बड़ा तर्क यह है कि आज तक नियम 56 में जो भी सूचनायें आयी हैं, उन पर सभी दलों के माननीय सदस्यों ने एक मत होकर अपनी राय नहीं दी है और आज सभी माननीय सदस्यों ने मेरी सूचना पर बल दिया है, इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिए । अभी हम भूतपूर्व हैं और कभी आप भूतपूर्व होंगे, तो आप भविष्य की चिन्ता करें । मैं कहना चाहता हूं कि हमारा 5 साल के लिए निर्वाचन होता है और सांसदों का भी 5 साल के लिए निर्वाचन होता है, उनको तो भ्रमण के लिए सरकार 15 दिन के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है । और उनका चुनाव तो 5 साल बाद होता है और हमारा चुनाव तो अब एक रेगुलर फीचर हो गया है कि हर दो साल बाद हो जाता है 5 साल में तीन बार हो रहा है तो मुझे यह सरकार बताये कि क्यों इस बात को नहीं मानेगी अगर सम्पूर्ण विधायकों को 15 दिन नहीं दे सकते हैं तो एक सप्ताह ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराने में न मानने की क्या बात है। दूसरा एक तर्क और है कि हमारे पास माननीया मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण है इसमें 1053 करोड़ रुपया 31 मार्च, 95 तक खर्च न हो पाने के कारण पी०एल०ए० में डाल दिया गया यानि कि सरकार के काम करने की एजेंसी में, अब चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, कहीं न कहीं कोई खामी

जरूर है । जो पैसा हम विभागों को देते हैं वह समय से खर्च नहीं कर पाते हैं तो इसे पी०एल०ए० में डालने को मजबूर हैं । अगर 425 करोड़ रुपया हम विधायकों के माध्यम से दे देंगे तो वह समय से खर्च तो करा लेंगे ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बड़ा जोर देते हैं विकेन्द्रीकरण पर, रोज रटा करते हैं कि पिछले मुख्य मंत्री ने हवाई अड्डा बनवा लिया, पिछली सरकार में प्रभावशाली व्यक्ति ने इतनी सड़कें बनवा ली इतने पुल बनवा लिए तो विकेन्द्रीकरण कैसे होगा यदि एक-एक करोड़ रुपया हर निर्वाचन क्षेत्र में पहुंच जायेगा तो हर क्षेत्र में एक-एक करोड़ रुपया खर्च तो हो जायेगा ।

मान्यवर, एक बात और में यह कहना चाहता हूं कि व्यवस्था क्या है कि एक भी पैसा जिस अधिकारी से आप खर्च कराइये उसकी कठिनाई है जब तक उसको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक वित्तीय नियमों के अन्तर्गत वह खर्च नहीं कर सकता है । जैसे दैवी आपदा आ गयी, कहीं बाढ़ आ गयी या कहीं सूखा पड़ गया या 20 ट्रान्सफार्मर खराब हो गये या 5-10 हैण्ड पम्प नहीं चल रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं तो हम विभाग से कहते हैं आप आश्चर्य करेंगे, उस पीठ पर बैठने से पूर्व आपके सामने भी कठिनाई रही होगी । अधिकारी कहते हैं कि आपकी मांग बड़ी जायज है, आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल उचित है लेकिन अब अगर आप हमें पैसा दिला दें तो हम कार्य कर दें विभाग के पास पैसा नहीं है तो क्या यह उचित नहीं है । हमारे विवेक पर एक करोड़ रुपया धन होगा तो औरों के पास तो यह धन होगा नहीं ? हम लोग जो भी पैसा खर्च करेंगे 2 लाख मतदाता हर समय हमारी निगरानी करते रहेंगे और उनका दबाव होगा और इससे सही और जरूरी काम तत्काल हो जायेगा । जैसे कहीं जल भराव हो गया अब जल निकासी की आवश्यकता है उसके लिए क्रेन की आवश्यकता है तो वहीं उसको धन दे देंगे हम यहां सहमत हैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से कि यह पैसा आप कोई हमको नहीं दे रहे हैं आप इस पर नियंत्रण लगा दें हम पैसा जिस काम का होगा जिस विभाग का होगा उसी को अवमुक्त कर देंगे ।

श्री मयंकर सिंह–

क्या हम लोगों का चरित्र संदिग्ध है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

यह बात नहीं है हमारा यह कहना है कि जो हमें निधि मिलेगी तो हम अपनी प्राथमिकता उस विभाग को बता देंगे और उस विभाग को मात्र इतना निर्देश होना चाहिए कि जब प्राथमिकता बता दें तो वह उनके अनुरूप आगणन तैयार कर लें और उसके अनुसार कार्यवाही करा दें इसमें सरकार को क्या बाधा हो सकती है । मान्यवर, अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । मुझे पूरा भरोसा है संसदीय कार्य मंत्री जी पर शरीर में इनके दो अंग हैं एक दिल और दूसरा दिमाग है दिल तो वही है जैसा कि माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं पर दिमाग की जहां तक बात है मजबूरी हो सकती है पता नहीं यह क्या कहें । लेकिन मान्यवर, आपका दिल और दिमाग तो वही होना चाहिए जो सदन का दिल और दिमाग हो । आपने सदन का दिल भी देख लिया दिमाग भी देख लिया । अगर आज माननीय सदस्यों के लिए किन्हीं मजबूरी के कारण, जैसा कि आपने मुझे लाबी में जाकर बताया कि अध्यक्ष जी से ऐसा करा लीजिये । अगर सरकार ऐसा न कर पाये तो आप निर्देश दें । मैं कहना चाहता

हूं कि अगर सरकार को तुरन्त एक करोड़ देने में कठिनाई है तो पहली किश्त 20 लाख फिर 20 लाख 25 लाख की 4 किश्तें हो जायें और कह दें कि हम यहां से जारी कर देंगे । मान्यवर, एक करोड़ रुपया सदस्यों के सुझावों पर उनकी सहमति पर करा दें । मान्यवर, आपका भी नाम आने वाले विधान सभा के अध्यक्षों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा । (मेजों की थपथपाहट) जो कुछ कह रहा हूं सिर्फ सदस्यों के लिए नहीं कह रहा हूं आपका इतिहास बनाने के लिए कह रहा हूं, आपके लिए अब थोड़ी भी कंजूसी करना उचित नहीं होगा माननीय सदस्यों के लिए । मैं इस पर बल देना चाहता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि जो बिन्दु मैंने दिये हैं वह अविलम्बनीय हैं सबकी कठिनाईयां हैं और यह लोक महत्व का भी है । इसमें ऐतिहासिक निर्णय की अपेक्षा हम आपसे करेंगे ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, यह जो प्रश्न विधान सभा के सामने प्रस्तुत है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । सभी दलों के माननीय सदस्य एक साथ इस प्रश्न के ऊपर एकमत हैं । आपके आने के पहले यहां बहुत से माननीय सदस्य इस प्रश्न के ऊपर अपने विचार रखना चाहते थे मैंने आपके काम को भी हल्का कर दिया इसलिए कि माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे तो काफी समय लगेगा और जो विभाग आज बहस (बजट) के लिए रखे गये हैं मैं समझता हूं उसमें भी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा । इसलिए उस दल के माननीय उप नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को मैंने उस दल की तरफ से आह्वान किया कि वे अपने दल की तरफ से जो विचार हैं वह विचार माननीय सदन में रखें । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के जो विचार हैं उसके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । जिन माननीय सदस्यों ने विषय पर विचार रखें हैं और जिन लोगों ने नहीं रखे हैं.....

श्री अध्यक्ष–

उनके विचार के साथ सम्बद्ध कर रहे हैं या दल के साथ सम्बद्ध कर रहे हैं ।

श्री ऊदल–

मेरे विचार को श्रीमान् आपको निष्पक्षतापूर्वक सुनना चाहिए । जो सही विचार है चाहे राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के हों या चाहे किसी और माननीय सदस्यों के हों हमेशा मैं उनका समर्थन करता हूं और आज भी समर्थन करता हूं । इसलिए माननीय गुप्त जी के जो विचार हैं और माननीय सदस्यों के जो विचार हैं उनके साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं । मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट किया । मान्यवर, जितने माननीय सांसद हैं एक करोड़ का प्राविधान उनके लिए भारत सरकार ने कर दिया माननीय प्रधान मंत्री ने किया है, रुपया भी अवमुक्त हो चुका है वह अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च भी कर रहे हैं । इसलिए उत्तर प्रदेश में भी सरकार को अपने संसाधनों को देखते हुए जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि एक साथ नहीं कर सकते तो किश्तों में उसकी स्वीकृति देनी चाहिए ताकि इस माननीय सदन के सदस्य अपने क्षेत्रों में जां तो जनता की आवाज को सुनकर जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको प्राथमिकता देकर उनके ऊपर उस धन का आवंटन कर दें । खुद तो खर्च नहीं करना है सरकार के विभाग खर्च करेंगे इसलिए सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । मैं सबके साथ अपने को सम्बद्ध करते हुए शासन से आपकी आज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि शासन इसको गम्भीरतापूर्वक ले और आज घोषणा कर दे । आज कर दें नहीं तो जैसा कि गुप्त जी का सुझाव है नेताओं की बैठक बुलाके और एक लाइन निश्चित कर लें और उसके मुताबिक कर लें यही मेरा सुझाव है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, 18 तारीख को भी इसमें चर्चा हुई थी और कल भी सदन में इस पर चर्चा हुई । मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से इसमें साफ-साफ उत्तर आ जाना चाहिए । दिल्ली की सरकार ने कर दिया, लोक सभा ने कर दिया और महाराष्ट्र में भी हो गया है आप भी इसकी घोषणा कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इसमें जो भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनकी भावनाओं को देखते हुए उनका आदर करते हुए आप उत्तर दें ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, जिस गम्भीर विषय पर आज उपस्थित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिस प्रकार से माननीय ऊदल जी और तमाम सदस्यों ने एक दूसरे नेताओं द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को सम्बद्ध किया है, मैं तो असम्बद्ध हूं, लेकिन मैं सरकार की तरफ से यह घोषणा करता हूं कि हम इससे सहमत हैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के साथ ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमें भावनाएं नहीं धन चाहिये । यह भावनाएं अपने पास रखें और धन हमें दें दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अपना वक्तव्य देते समय दो अंगों की चर्चा की थी एक तो दिल की और एक दिमाग की । तो दिल में तो भावनाएं होती हैं और दिमांग में विचार । पहले तो मैं दिल की बात करूंगा । हम इससे सहमत हैं । श्रीमन्, दो-तीन बिन्दु उभरकर आये हैं आप कृपया उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो संतुष्ट हो जायगे । मैं अपनी बात दो खण्डों में बांट रहा हूं । पहली बात तो यह है कि जो डी० आर० डी० ए० में, जो वहां की जिला अनुश्रवण समिति होती है, कल भी इसमें विचार आया था, वहां पर जो सांसद सदस्य बैठते हैं और जो धन आवंटित होता है उसमें हिस्सा बांटते हैं, सरकार सहमत हैं वे उन समितियों में परामर्श तो देंगे लेकिन धन का उपयोग कहां पर हो, कैसे हो, इसको तय करने का अधिकार माननीय विधायकों को ही होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी आदरणीय सदस्यों से मेरा अुनरोध है कि संसदीय कार्य मंत्री की बात को ध्यान से सुन लें उसके बाद ही कोई स्पष्टीकरण पूछें । बीच में खड़े होकर कोई स्पष्टीकरण न पूछें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सरकार को जोर से नहीं बोलना चाहिये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इधर जो कड़क हुआ करती थी, उधर जाकर आपकी वाणी में वह कड़क नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, संसदीय प्रक्रिया की जो पुस्तकें हैं; उसमें यही है कि सरकार को बोलना धीरे चाहिये और काम तेज करना चाहिये । विपक्ष का काम सुझाव देना और संगत विरोध करना है, इसलिये जोर से बोलना चाहिये ।

डा० अरविन्द कुमार जैन–

विपक्ष है ही कहां, 4 सदस्यों को छोड़कर ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि जो डी० आर० डी० ए० है, जिला योजना का अनुश्रवण करने की एक समिति होती है, तो उसमें माननीय संसद सदस्यों के बैठने का अधिकार तो छीन नहीं रहे हैं और न ही विधान परिषद् के सदस्यों के सुझावों से हम वंचित होना चाहते हैं, लेकिन धन किस क्षेत्र में जायेगा, कहां जायेगा, कैसे जायेगा, इसका अंतिम निर्णय इस आदरणीय सदन के सदस्य ही करेंगे । इसी प्रकार जिले में और जो समितियां हैं, जैसे हम लोग ऊर्जा की समितियों में बैठते हैं, तो कहां, किस गांव में बिजली लगेगी, कहां किस क्षेत्र में हैन्डपम्प लगेगा, कहीं कोई नया विद्यालय खुलता है, संसद सदस्य व माननीय विधान परिषद् के सदस्य ऐसी समितियों में जहां-जहां पहले से हैं, वहां-वहां उपस्थित रहेंगे, उनके विचारों का लाभ तो उठाया ही जायेगा, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय इस आदरणीय सदन के विधायकगण ही करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

किसी भी सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया था कि उन्हें डी० आर० डी ए० से पृथक किया जाय ।

श्री राम कुमार शुक्ला–

शहरी विधायकों के बारे में भी बतायें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

इस आदरणीय सदन में कोई शहरी विधायक है, कोई देहाती, यह विभाजन तो ठीक नहीं रहेगा । मैं यह कह रहा था कि पूर्वांचल विकास निधि के बारे में कल नियम–49 में चर्चा हो रही थी और हमारे कई माननीय युवा साथी उत्साहित थे । उस पर पूर्ववर्ती सरकार ने एक शासनादेश कर दिया था कि उसका 50 प्रतिशत धन तो जिले में रहेगा और 50 प्रतिशत धन राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लिये खर्च होता था । मैंने कल ही घोषणा की थी कि बुन्देलखण्ड विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि, दोनों में पूरा-पूरा धन जिलास्तर पर ही तय किया जायेगा और वहीं व्यय किया जायेगा । साथ ही संसद सदस्य और विधान परिषद् के सदस्य जहां-जहां बैठते हों, यदि पहले से आते हों, तो उनके सुझावों का हम लोग भी लाभ उठायेंगे । लेकिन धन कहां लगेगा, इसका अंतिम निर्णय इस आदरणीय सदन के विधायकगण ही करेंगे ।

मान्यवर, मुख्य विषय तो यह है कि माननीय संसद सदस्यों की तरह इस आदरणीय सदन के सदस्यों को भी उसी भांति धन आवंटित होना चाहिये , जो उनके सुझावों के अनुरूप संबंधित कार्यदाई संस्थाओं के माध्यम से खर्च हो, यह विषय बहुत गम्भीर है । वाहन की भी बात उठी, जिस तरह से संसद सदस्यों को दौरे के लिये वाहन उपलब्ध कराती है, सरकार, उसी प्रकार विधायकों को भी उपलब्ध कराया जाय, इस तरह के सुझाव भी आये हैं, यह विषय भी गम्भीर है । तमाम सुझाव आये हैं और भी कई सुझाव हो सकते हैं । मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी बात दो खण्डों में कहूंगा, यह दूसरा खण्ड है । वाहन उपलब्ध कराने की बात और एकमुश्त धन देने की बात है और भी जो हम लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक हो, उन सभी विषयों पर प्रत्येक दल के माननीय नेतागण व 2-2, 3-3 सदस्यों को, जिन्हें साथ लाना चाहें, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध कर लेंगे कि वह भी उपस्थित रहें और हम सारे लोग बैठकर, किस प्रकार से सदस्य विधान सभा के नाते अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिये क्या कुछ आवश्यक है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिये क्या कुछ जरूरी है, इस पर

सम्यक रूप से विचार-विमर्श कर लेंगे और उस बैठक में ठीक से निर्णय हो जायेगा। मैं समझता हूं कि पूरी बात हो गयी है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इसको निरस्त करने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

माननीय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में 85 विधायक ऐसे हैं जो शहर से चुनकर आते हैं, सबसे अधिक पीड़ा उनकी है।

श्री अध्यक्ष–

आदरणीय सदस्यगण, डी० आर० डी० ए० का पैसा शहर में नहीं खर्च होता है परन्तु पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड विकास निधि है, उसका पैसा शहर में भी खर्च होता है और देहात में भी खर्च होता है। आपने जो सुझाव रखा, उनके सारे सुझावों को समाहित करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि हर दल के 2-3 माननीय सदस्य/नेतागण बैठक में आ जाये, वह स्वयं भी उपस्थित रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहें, इसका प्रयास किया जायगा और उसमें यह तय किया जायगा कि क्या किया जा सकता है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय, संसदीय कार्यमंत्री जी समय निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी, अभी जो स्थिति है, इस समय हाऊस चल रहा है, इसलिये समय को देखते हुए जो उपयुक्त होगा वह समय निश्चित कर देंगे। इस सूचना को सभी माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के बाद अग्राह्य करता हूं।

आगे कई विभागों के बंजट हैं इसलिये समय को ध्यान में रखते हुए डा० राम बादू हरित की सूचना, प्रदेश के मेडिकल कालेजों की गिरती व्यवस्था को सुधारे जाने के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। तीसरी सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की जनपद मिर्जापुर में जिला पंचायत द्वारा लगाये गये नियम विरुद्ध बैरियरों पर अवैधानिक वसूली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। चौथी सूचना श्री अमरनाथ यादव की, वाराणसी महानगर के चौकाघाट क्षेत्र के गरीब व निर्बल लोगों के रोजी-रोटी छीने जाने तथा उन्हें पुनर्वासित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। पांचवीं सूचना श्री धनराज यादव एवं श्री स्वयंवर चौधरी की प्रदेश के असहायिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को विद्यालयों की सहायता न दिये जाने से बिगड़ती आर्थिक स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। छठीं सूचना श्री लल्लू सिंह की अयोध्या नगर परिषद् के कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। सातवीं सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल एवं श्री चन्द्र किशोर की प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा कथित रूप से की जा रही लूट-खसोट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। आठवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव एवं श्रीमती प्रेम लता कटियार की जनपद वाराणसी में निजी बस मालिकों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। नवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की, समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित 18 विद्यालयों के 120 शिक्षकों को वेतन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता

हूं । दसवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की, जनपद उन्नाव के कस्बा अचलगंज में मुख्य राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । शेष सूचनायें अस्वीकृत करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग (जारी)

* पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अुनदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,25,60,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, ऊर्जा विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है । इस वर्ष जन कल्याणकारी बजट है । उत्तर प्रदेश में विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं उसकी वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है । वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की उत्पादन क्षमता 5785.75 मेगावाट है ।

(कई सदस्यों ने कहा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय)

श्री अध्यक्ष–

मानीनय मंत्री जी, आंकड़े बता रहे हैं । आंकड़े तो देखने ही पड़ेंगे ।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

जिसमें 4281 मेगावाट तापीय विद्युत गृहों से तथा 1504.75 मेगावाट जलीय विद्युत गृहों से है । विद्युत गृहों के बहतर रखरखाव से वित्तीय वर्ष 1995-96 में 26028 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य है जो विगत वर्ष से लगभग 21 प्रतिशत अधिक है ।

प्रदेश के आर्थिक विकास में विद्युत विकास के महत्व को देखते हुए प्रदेश शासन द्वारा राज्य विद्युत परिषद् की वार्षिक योजना में 1995-96 के लिये 1896.37 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जो कि विगत वर्ष के लिये स्वीकृत परिव्यय से लगभग 20 प्रतिशत अधिक है । यह परिव्यय मदवार इस रूप में है । उत्पादन पर 618.23 करोड़ रुपये, पारेषण पर 728.22 करोड़ रुपये, वितरण पर 313.85 करोड़ रुपये, ग्रामीण विद्युतीकरण पर 232.07 करोड़ रुपये तथा अन्य मदों पर 4.00 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है । इस प्रकार कुल परिव्यय 1896.37 करोड़ रुपये का है । इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1995-96 के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य के अन्तर्गत उत्पादन क्षेत्र में टाण्डा तापीय विद्युत गृह को 110 मेगावाट की चौथी इकाई के फलीभूत होने की सम्भावना के साथ ही 427.4 स० कि० मी० 400 के० वी०, 168.5 स० कि० मी० 220 के० वी० 203.9 स० कि० मी० 132 के० वी० लाइनों का निर्माण एवं 300 एम० वी० ए० क्षमता के 400 के० वी०, 720 एम० वी० ए० क्षमता के 220 के० वी०, 360 एम० वी० ए० क्षमता के 132 के० वी० उपकेन्द्रों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया है । द्वितीय पारेषण प्रणाली में 1006 स० कि० मी० 33 के० वी० लाइन 93 नग नये 33/11 के० वी० उपकेन्द्र तथा 33/11 के० वी० उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है । इसके

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतिरिक्त वर्ष 1995-96 में 5000 ग्रामों, 4923 अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण एवं 18400 निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य है । एक बात और कहना चाहूंगा कि साहित्य में 480 छप गया है, सही 4923 है और 16000 हजार की जगह पर 18400 होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों के अमूल्य सुझाव आयंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हमारे श्री कोकब हमीद जी मंत्री भी रहे हैं, इसलिये ऊर्जा पर आज यदि यहीं कटौती का प्रस्ताव रखें तो उचित रहेगा ।

श्री कोकब हमीद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । इस बजट पर बोलने के लिये मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप कटौती का प्रस्ताव तो रख दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव मैं रख देता हूं । विचार श्री कोकब हमीद जी रख देंगे । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने के उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मुझसे ज्यादा जानकार माननीय कोकब साहब हैं अतः यह बोलेंगे ।

* श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, इस बोर्ड का गठन 1959 में हुआ था । 1930 के अन्दर इस प्रदेश में पहली बार बिजली आई जो मेरठ में आई । तो वह वह जमाना था जब बिजली लेने वालों की कमी हुआ करती थी जो बिजली लेता था उनसे विभाग कहा करता था कि एक कनेक्शन ले लीजिये दूसरा फ्री कनेक्शन दे देंगे । 65 साल बिजली आये हो गये आज फिर वही स्थिति वापस आ जायेगी ऐसा लगता है । क्योंकि हुआ यह है कि जहां रोशनी जानी चाहिये, जहां तार मौजूद है वहां बिजली नहीं आ रही है, लोगों को उसका पैसा देना पड़ रहा है इसलिये वह अपना कनेक्शन कटवा लिये हैं ।

अब मैं अपनी बिजली की जो कैपेसिटी थी उसको बता रहा हूं । 1989 में जब यहां कांग्रेस सरकार थी कैपेसिटी थी उसको बता रहा हूं । 1989 में जब यहां कांग्रेस सरकार थी कैपेसिटी 5,527 मे० वा० थी उसके बाद वह घटना शुरू हुई कांग्रेस की हुकूमत भी यहां से खत्म हुई । उसके बाद बिजली का यह हस्र हुआ है । आप जरा गौर करें उसके बाद यह 5 हजार 75 मेगावाट हुई और इस वक्त यह 4271 मे० वा० दे रहे हैं । इस समय प्रदेश की मांग 6 हजार मे० वा० है । तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे यह कैसे पूरा करेंगे । जितनी आप घोषणा करते हैं उसे कैसे पूरा करेंगे तकरीबन डेढ़ हजार मेगावाट बिजली कहां से लायेंगे । इसका जिक्र बजट भाषण में कहीं नहीं है कि कमी को कैसे पूरा करेंगे ?

प्रदेश के विकास के लिये इण्डस्ट्रीज का होना जरूरी है उसके लिये मुख्य मंत्री बाहर भी गये और हिन्दुस्तान के बाहर के उद्योगपतियों को यहां आने के लिये आमंत्रित किया अच्छी बात है । मगर मुसीबत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुसीबत यह है कि यहां बिजली नहीं है उसकी मजबूरी है जब बिजली नहीं पायेंगे तो काम कैसे करेंगे। आपने प्राइवेटाइजेन की कोशिश की नोयडा में बिजली का इन्तजाम प्राइवेट पार्टी को दे दिया वह भी काम नहीं कर पा रहे हैं। करीब 16 करोड़ रुपया आपके ऊपर बकाया है। इस पर वहां जितनी बिजली आती है वह आपको मालूम होगा, वहां बिजली नहीं के बराबर है, उसके आसपास के जितने गांव हैं उनको भी बिजली उपलब्ध करानी थी आप रिपोर्ट मंगा लें वहां क्या स्थिति है वह माननीय मुख्य मंत्री जी का इलाका है। तो जो थोड़ी बहुत प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की उसकी भी हालत अच्छी नहीं है।

आपने टारगेट दिया है कि 5 हजार अम्बेडकर गांवों का विद्युतीकरण करायेंगे उसके लिये तकरीबन् हर गांव में ढाई लाख रुपया लगेगा तो उस हिसाब से 5 हजार गांवों के विद्युतीकरण के लिये 125 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तो इस हिसाब से 3.4 साल में आपके यहां कार्य होगा विद्युतीकरण रुक गया है। एक एक गांव का कोटा मिलता है पूरे साल में वह भी बमुश्किल हो पाता है तो 5 हजार गांवों का कैसे करेंगे क्योंकि जो धन आप बजट में दे रहे हैं उससे कैसे पूरा होगा मुझे मालूम नहीं है। आपका जो लक्ष्य है प्राइवेट ट्यूववेल का, किसानों की बात करने वाली दलित सरकार का वह है कि 16828 निजी नलकूप हम लगायेंगे। एक नलकूप में तकरीबन 30 हजार रुपया आपका लगता है, वह अपने पास से जो लगाता है वह अलग है। इस तरह से 45-46 करोड़ रुपया उसके लिये आपको चाहिये। यह कहां से आयेगा ? इसका इसमें कोई जिक्र नहीं है। यहां सन् 79 के बाद न तो कोई नये ट्यूबवेल लगे हैं और न विद्युतीकरण कहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि पांच साली सरकारें आना बन्द हो गया है। यहां केवल भाषण कर देते हैं और जब उसे करने का मौका आता है तो यह सरकारें ही खत्म हो जाती हैं।

कुटीर-ज्योति पर आपके बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह स्कीम कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गयी थी, गरीबों के घरों में एक बल्ब, एक कनेक्शन दे दिया करते थे और ढाई-तीन रुपया महीना उनसे लिया करते थे। अब उसका भी कोई जिक्र इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि उसे खत्म कर दिया गया है। आपका इण्डस्ट्रियल कंजक्शन कहां से कहां पहुंच गया है, जो सन् 79 में 39 था वह अब 27 हो गया है। उसका कारण प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गयी है। ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होने से नई इण्डस्ट्री लगाने की बात कौन करे, उल्टे उद्योगपति लोग अपनी इण्डस्ट्री यहां से उठाकर ले जाने लगे हैं। कोई नई फैक्ट्री लगाने की लोग सोच ही नहीं पाते हैं। लोग विदेश में भी इसके लिये हो आये हैं लेकिन सफलता नहीं मिली है। लखनऊ जैसे शहर में जहां बिजली रहा भी करती थी, अब विधान सभा तक में बिजली जाने लगी है। इसको देखते हुए अन्य शहरों और गां ा का जिक्र करना ही बेकार है। आपने 16 घण्टा बिजली देने की बात कही है आप 16 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में देंगे। किन्तु असलियत यह है कि 16 घण्टा तो आप बना भी नहीं पाते हैं, दे कैसे पायेंगे ? ग्रामीण क्षेत्र में आप देना भी चाहें तो दे ही नहीं सकते हैं। 4-5 घंटे से ज्यादा आप दे ही नहीं पायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 3 से 5 घ टा से ज्यादा आ नहीं रही है। हमारे जनपद में दादरी जो उनके यहां से करीब है वह वहीं के बारे में बता रहे। वहां भी 7-8 घण्टा ही बैठता है। यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि 12 घंटे बचते हैं और 4 घण्टे पीक आवर के निकल जाते हैं यह है आपके बजट के वायदे के बारे में हमारी बात। हो सकता है कि यह राजनैतिक घोषणा हो, लेकिन वह उसका मंच है नहीं। बाहर हो सकता है आप इस तरह की घोषणायें करते रहें जहां जनता बेवकूफ बनने को तैयार है। जब किसान पर बकाया होता बिजली का तो आप उसके ऊपर कुर्की-वारण्ट लेकर पहुंच जाते हैं। कुर्की का वारन्ट भी जाता है। तहसीलदार और अमीन भी जाता है। 14 दिन के लिये उसे हवालात में बन्द भी कर

बन्द भी कर दिया जाता है । 700 करोड़ रुपया आज इस सरकार का बकाया है यू० पी० स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्दर । सरकार देनदार है, खुद देने की बात नहीं करती है । किसानों को कभी जेल भेजा जाता है कभी-कभी उसकी कुर्की की जाती है । 583 करोड़ रुपया तो स्थानीय निकाय का और 117 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग का बकाया है । आपके ऊपर इतना रुपया बाकी है, आप खुद पहले देना शुरू करें फिर देखिये कैसे नहीं सुधार होता है । इसी तरह से कोल इंडिया और रेलवेज का बकाया है । आप पर केन्द्र सरकार मेहरबान हो जाती है तो आपको कोल इंडिया कोयला दे देता है और रेलवे कह देता है कि फिर बाद में ले लेंगे । आज स्थिति यह है प्राइवेटाइजेशन की बात बहुत दिनों से की जा रही है और उसके साथ-साथ आपने बिजलीघर बेचने शुरू भी कर दिये । जो बिजलीघर नहीं चल पा रहे हैं उन्हें आप बेचने की व्यवस्था बना रहे हैं । हरदुआगंज में जो बिजलीघर है उसका लगभग सौदा हो गया था लेकिन वह किन्हीं कारणवश नहीं बिका । मुझे उम्मीद है कि इसे नहीं बेचा जायगा । जब उसका सौदा हुआ था तो उसमें आपकी भी भागेदारी थी क्योंकि आप भी उस समय गवर्नमेण्ट में बैठे थे । ज्वाइन्ट रिसपोंसिबिलिटी आपकी भी थी । अब उसको बेचने के बाद बन्द है । यह अच्छा पावर हाउस है । उसमें मार्डनाइजेशन करने की जरूरत है । मार्डनाइजेशन करके देखिये वह कितना अच्छा चलेगा ? प्राइवेट आदमी को तो आपने नोएडा में दिया । देख लिया होगा क्या हालत हो गयी । ओबरा पावर हाउस को मार्डनाइज करने की आवश्यकता थी, वह अच्छा चलने लगा । उसका मार्डनाइजेशन कांग्रेस के जमाने में हुआ था । जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय मार्डनाइजेशन की बात हुई थी वह आज तक अच्छा चलता जा रहा है । आज अगर आपको ईमानदारी के साथ दलितों के साथ वादा करना है, साबित करके दिखाना है कि आप उनके हित को चाहते हैं तो आपको उनके लिये कार्य करने होंगे । मनारी भाली में जो बिजलीघर है, बहुत अच्छा है, आप में से भी कुछ लोग वहां गये होंगे । आज वह धन न होने की वजह से बेकार पड़ा है । आप सेन्ट्रल गर्वनमेंट से बात करें उस परियोजना को चलायें । यह हाइड्रो परियोजना है जिसमें आपकी बिजली भी तकरीबन वहां मिल जाती है । इसी तरह से टेहरी डैम का मसला आपको कल करना होगा । यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और आपकी दोनों की स्कीम है । सेन्ट्रल भी इसको देख रहा है और आप भी इसको देख रहे हैं । इसका भी मसला काफी दिनों से रुका पड़ा है ! वहां पर बहुगुणा जी से बात की जाय और इस परियोजना को भी जल्दी ही पूरा किया जाय । इतने दिनों से उसकी कीमत भी बढ़ गयी होगी । जो काम पहले कम पैसे में हो जाता आज उससे कई गुना पैसा लगाकर भी तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसके मसले को हल न किया जाय । करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका है और आज देर होने की वजह से करोड़ों रुपये की आवश्यकता है । और समय अगर बीतता जायेगा तो और भी ज्यादा धन लगेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और यह एक सुझाव है इसलिये सरकार को दे रहा हूं कि यह सरकार किसान की सरकार और दलितों की सरकार अपने आप को बता रही है और हर किसान पानी से, बिजली से जुड़ा हुआ है । कल केरल में घोषणा की गई है कि जो धान की फार्मिंग करते हैं । जो किसान धान लगाते हैं उनकी बिजली माफ कर दें । जो ईख बोते हैं, गन्ना लगाते हैं आप उनके लिये कम से कम बिजली माफ कर दें । तो अच्छी बात होगी । हमारे जमाने में 27 की दर थी । मान्यवर, फैक्टरियों के लाइसेंस की बात अभी हो रही थी कुछ प्राइवेट बेच रहे थे, कुछ लगा रहे थे, मेरी राय है कांग्रेस की सरकार ने जैसे केरल में घोषणा की है वहां धान की खेती होती है तो उसने धान

लगाने वाले किसानों की बिजली माफ कर दी है आप आधी कर दें । सब्सिडी दे दें । यह सरकार दलितों की बात करती है यह कहते हैं कि गरीबों की चिन्ता बहुत है पांच रुपये प्रति हार्स पावर निजी नलकूपों के लिये किसान से लिया जाता है । इस संबंध में मंत्री जी अपने बजट भाषण में बतायेंगे कि 50-30 कर दिया । 27 कर दिया ।

मेरी जानकारी में है बजट खत्म करने के बाद उसमें बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं 50-60-70 करने जा रहे हैं फिर आपका हक खत्म हो जायगा आप कहते हैं कि किसानों पर हम गौर करते हैं । (इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए) इसी के साथ यह बजट जो बिजली का है, विद्युत का है और विद्युत से हर चीज बनाई जा रही है आपके पूरी बजट घोषणा बेकार हो जाती है चाहे वह किसानों को ही गन्ने की हो,अगर सही ढंग से बिजली नहीं दे पाते हैं । मान्यवर, आज जो पांच हजार डा० अम्बेदकर गांव हैं उनको बिजली दे देंगे, सामान्य गांव का क्या होगा वह गांव जो उसी क्षेत्र से लगे हैं माननीय विधायक जी बैठे हैं यह वोट मांगने वहां जायेंगे आप भी जायेंगे, आपने तो इस तरह का काम कर दिया कि लड़ाइयां शुरू हो जायेंगी । एक गांव में तो बिजली जलेगी और एक गांव में बिजली नहीं जलेगी गांव तो सब समान होते हैं । विधायकगण गांव में जायेंगे उनसे लोग पूछेंगे तो वह क्या कहेंगे ? आप माननीय विधायकों की राय ले लीजिये कि क्या किया जाय ? इस तरह कैसे बात बनेगी, आपको अन्दाजा नहीं है । हम खेती करते हैं कभी-कभी खेत में जाते हैं ट्रिमिंग इतनी ज्यादा होती है कि चलते-चलते ट्यूबवेल रुक जाता है पानी टूटने से बन्द हो जाता है यहां जो लोग खेती करते हैं इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे चलते-चलते पानी रुक जाता है टूट जाता है । मेरा निवेदन है कि ट्रांसफार्मर का आवंटन जो दो साल के लिये किया जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें ।

श्री कोकब हमीद–

दो साल की जो बात है दो साल में बहुत समय बीत जाता है महंगाई बढ़ जाती है तो इस दो साल की अवधि को दो या तीन महीने कर दें । ट्रांसफार्मर 863 जल जाय तो उसको दो तीन महीने में लगा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें ।

श्री कोकब हमीद–

इतनी बातें कहीं इसके बाद भी यह कहते हैं कि बजट अच्छा रखा है । बिजली उपलब्ध करायेंगे । 16 घंटे बिजली देंगे कहते हैं तो कहां से देखें मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मान्यवर, मैं इसी के साथ यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव को गौर से देखें यह गौर करें बिजली के बजट को तो सही तौर पर नहीं रखा लेकिन सुझावों पर गौर करेंगे । तो आप पूरे बजट पर कुछ कर पायेंगे । आपने इन्डस्ट्री के बारे में ध्यान नहीं दिया । कई समस्याओ की ओर आपने ध्यान नहीं दिया इसलिये मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आपने मुझे इस ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं । स्वागत करता हूं । बजट में यह दिखाया गया है कि विद्युत कि चोरी किस प्रकार रोकी जाय । पांच

हजार अम्बेदकर गांव के विद्युतीकरण की सुविधा का लक्ष्य इस वर्ष में दिये जाने का रखा गया है जो स्वागत योग्य कदम है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। देश के विकास के लिये ऊर्जा (पावर) का होना बहुत आवश्यक है। हमें अनेक जल विद्युत परियोजना बनानी चाहिए। उत्तरांचल में अनेक जल विद्युत परियोजनायें बन्द पड़ी हुई हैं। जिनके चालू करने से उत्तर प्रदेश सरकार की आय में वृद्धि हो सकती है। मेरा सुझाव है कि उत्तरांचल में लघु जल विद्युत परियोजनायें जितनी बन्द पड़ी हैं उनको तत्काल शुरू किया जाय।

एक उदाहरण देना चाहता हूं। सरकार ने निर्णय लिया कि कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को निजी हाथों में सौंपा जाय। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का उदाहरण दे रहा हूं। इस योजना के निर्माण के लिये पावर हाउस बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 में हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को 28 करोड़ रुपये में दिया। सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस 28 करोड़ में एक पैसे का काम नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इस पैसे को हड़प करना चाहती है। इसकी जांच करवाई जाय कि किस स्तर पर इस 28 करोड़ रुपये का दुरुपयोग हुआ है ? इसकी जांच करके इस धनराशि को बचाया जाय। एक निवेदन है क्षेत्र में अनेक विद्युत संबंधी समस्यायें हैं। जनपद टिहरी गढ़वाल में 77 ट्रान्सफार्मर चार वर्ष से जले हुए हैं। क्षेत्र की जनता यह मांग कर रही है कि इनको तत्काल बदला जाय। मगर आज तक वे नहीं बदले गये। मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इन ट्रान्सफार्मरों को तत्काल बदला जाय। एक निवेदन करना चाहता हूं कि घटिया किस्म के ट्रांसफार्मरों को वहां पर जनता की असुविधा के लिये न दिया जाय। विद्युत बिल उपभोक्ताओं को सही नहीं दिये जाते हैं इसके बारे में अनेक शिकायतें हैं। इन विद्युत बिलों को सही कर दिया जाय। विद्युत लाइन जमीन से झूलती रहती है। अनेक गाय, भैंस व नरनारियों की इनसे मृत्यु हो जाती है मेरा सुझाव है कि विद्युत विभाग को निर्देश दिया जाय कि जितनी विद्युत लाइनें झूलती हुयी नजर आती हैं उन्हें सही किया जाय।

एक बात कहना चाहता हूं। जनपद टिहरी गढ़वाल में एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध बन रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस बांध से चौबीस सौ मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस बांध का तत्काल निर्माण किया जाना चाहिये। यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि विदेशी ताकतें इस बांध का निर्माण नहीं होने देना चाहती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि भारत का विकास हो। इसलिये इस टिहरी बांध का निर्माण करने के लिये भारत सरकार से आग्रह किया जाना चाहिये। इसमें व्यवधान पैदा नहीं होना चाहिये। टिहरी बांध का निर्माण हर स्थिति में होना चाहिये। मैं इसके साथ ही मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस विद्युत बजट पर जो भाषण प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार को अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आज हमारे पूरे मेजा विधान सभा क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है वहां पर विद्युत की समस्या है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज से 10 साल पहले बिजली के तार काट लिये गये थे लेकिन आज तक दोबारा नहीं लगाये गये हैं। आज हमारे क्षेत्र में कोहड़ार इसौटा से शाहपुर खुर्द तक जहां 20 गांव पड़ते हैं वहां पर 8 साल पहले तार काट लिया गया था लेकिन आज तक नहीं लगा है। इसी तरह से सिरहिन से खूंटा जहां पर 10 गांव पड़ते हैं वहां पर तार काट लिये गये थे जो आज तक नहीं लगाये गये हैं। हमारे क्षेत्र में एक जगह बड़ोखर बाजार है जहां पर गरीब आदिवासी लोग रहते हैं। वहां पर 19 पोल लगे हैं लेकिन उनमें तार नहीं लगाया गया है। हमने जिले की बैठक में इस बात को उठाया था

कि 19 खम्भों में तार का कनेक्शन कर दिया जाय लेकिन वहां पर आज तक तार नहीं लगाया गया है। आज हमारे पूरे क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या है । भारतगंज कस्बे में जो तार लगे हैं वह बहुत जीर्णशीर्ण अवस्था में हो गये हैं और वह कभी-कभी टूट जाते हैं जिससे वहां पर हमेशा खतरा बना हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां का तार बदलवा दिया जाय ताकि बिजली से खतरा खत्म हो सके ।

चूंकि हमारा क्षेत्र पठारी है इसलिये वहां पावर स्टेशन दूर होने के कारण बिजली ठीक से नहीं पहुंच पाती है । इसके लिये हमने अनुरोध किया था तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से कि एक विद्युत सब स्टेशन बनवाया जाय । हमारे पास कुछ दिन बाद इस संबंध में एक पत्र पहुंचा कि वित्तीय बजट की कमी के कारण इस वर्ष विद्युत सब स्टेशन का निर्माण नहीं हो पायेगा । हमने पुनः तत्कालीन मुख्य मंत्री जी से मिलकर फिर आदेश करवाया कि इसी वर्ष निर्माण करवाया जाय लेकिन वह कार्य अभी तक नहीं हो पाया है । मान्यवर, मेरे यहां विकास खण्ड मांडा में फासडा खुर्द ग्राम सभा में एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण इसी वर्ष कराया जाना चाहिए जिससे विद्युत की समस्या समाप्त हो जाय । हमारे यहां सिंचाई में बड़ी असुविधा होती है । वहां पर जब निजी नलकूप लगाये जाते हैं तो उनको भी बिजली नहीं दी जाती है जिससे सिंचाई नहीं हो पाती है । हमारे यहां विकास खण्ड मांडा में भवानी पट्टी में जहां पर सरकार द्वारा रिंग मशीन द्वारा 350 फुट गहराई तक बोरिंग करके पानी निकाला गया है लेकिन वहां पर आज 13 साल से विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है । मैं चाहता हूं कि इस ट्यूबवेल को कोरांव से विद्युत कनेक्शन दे दिया जाय जिससे किसानों को पानी मिलने लगे । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आपने आज विद्युत जैसे गम्भीर विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मुझे स्वयं इस विद्युत विभाग का मंत्री रह कर सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है इसलिये मैं इस विद्युत बजट पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं और मेरा उद्देश्य मात्र आलोचना करना नहीं है । मैं अपने अनुभव से उत्तर प्रदेश की विद्युत की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिये, जो कुछ मैं समझ पाया हूं और जो मेरे मस्तिष्क में है, उसके अनुसार सुझाव दूंगा । मेरा अभिमत है, आज उत्तर प्रदेश में विकराल स्थिति है या विद्युत लाइलाज मर्ज है, यह जो कहा जाता है तो स्थिति ऐसी नहीं है, इसको सुधारा जा सकता है । आवश्यकता है तो केवल संकल्प की है । आज हमारे प्रदेश में बिजली की डिमान्ड और उसकी आपूर्ति में भारी अन्तर है । हमें इस बात पर विचार करना है कि प्रदेश की बिजली की बढ़ती हुई मांग और उत्पादन क्षमता के गैप को कैसे दूर किया जाये ? इसके बारे में मैं आधार भूत सुझाव देना चाहता हूं । बिजली की आपूर्ति थर्मल और जल विद्युत से होती है, लेकिन जहां पर 40 और 60 का अनुपात होता है, उसे अच्छा माना जाता है । जहां पर 40 थर्मल और 60 जल विद्युत का उत्पादन होता है, उसे अच्छा माना जाता है । थर्मल की उत्पादन कास्ट अधिक है और जल विद्युत की उत्पादन कास्ट कम होती है । जल विद्युत के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिये हमारे यहां पर विद्युत महंगी है । मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश का पी० एल० एफ० 60 रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का पी० एल० एफ० 50 तक नहीं पहुंच पाता है । जब हम हटे तो उस समय 54 तक पी० एल० एफ० पहुंचाया था, लेकिन पिछली सरकार के समय में यह 44 रह गया तो पी० एल० एफ० को बढ़ावें और उत्पादन को बढ़ावें तभी विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी और जो पुरानी मशीनरी हो गयी है, उसकी रि-माडलिंग की जाये और उनके स्थान पर अच्छे संयंत्र लगाये जायें ।

हमारे प्रदेश के साथ केन्द्र सौतेला व्यवहार करती है और कोयला घटिया किस्म का दिया जाता है, जिसमें पत्थर निकलते हैं और जिसके कारण मान्यवर, हमारी जो मशीनें हैं वह खराब हो जाती हैं और उत्पादन ठप हो जाता है। जब कभी अग्रिम भुगतान भी कोयले के लिये कर देते हैं, तो भी कोयला नहीं मिल पाता है, दूसरी बात यह है कि हमारी ट्रान्समिशन लासेस बहुत है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइन से होता है, उसके लिये हमें जगह-जगह पर ट्रान्सफार्मर लगाने चाहिए, इससे लाइन लास को रोका जा सकता है। जो विद्युत चोरी होती है उस पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए। हमारे यहां पर हाई ट्रान्समिशन लाइनें बहुत कम हैं। पूर्व सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमें एक-एक हजार मेगावाट की बिजली को पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी, हमें पारेषण की व्यवस्था करनी होगी।

श्री अधिष्ठाता–

आज 4 बजट हैं, आप समय का ध्यान रखें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, कुछ ज्यादा समय देना होगा। अनपरा बी-1 और 2 सबसे अच्छी इकाइयां हैं। वहां पर जो विद्युत उत्पादन होता है, उसको पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले कई वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है, लेकिन पारेषण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। जब भाजपा की सरकार आयी तो हाई-टेशन लाइन बनवाने का प्रयास किया गया, इस कार्य को त्वरित गति से पूरा किया जाये। मान्यवर, एक और विषम स्थिति हमारी पड़ती है कि हमारे यहां पावर लोड सेन्टर दूसरी जगह है और जनरेशन दूसरी जगह होता है। जनरेशन का अधिकतर बिन्दु मिर्जापुर के आसपास है पूरब में लेकिन जो पावर लोड के सब स्टेशन हैं वह पश्चिम में ज्यादा हैं नोयडा में है, गाजियाबाद में है, मेरठ में है तो जो सब स्टेशन बनाये जा रहे हैं चाहे 132 के० वी० के हों या 400 के०वी० के हों वह कहां बनाये जा रहे हैं इटावा में बनाये जा रहे हैं, मऊ में बनाये जा रहे हैं जहां उनकी आवश्यकता होती है सिगरौली के आसपास हो सकती है वहां नहीं है, नियोजन गलत है, राजनीति कारण से कि वोट बढ़ सके। मान्यवर, 132 के०वी० का हो या 200 के० वी० का हो सैफई में बनाये जा रहे हैं जहां आवश्यकता नहीं है आवश्यकता थी कायमगंज में जहां कार्य प्रारम्भ किया था लेकिन वह फर्रुखाबाद में है। मान्यवर, प्रदेश में जितना जनरेशन होता है उत्पादन की जो इकाइयां हैं और जहां बिजली का लोड देना होता है सब स्टेशन वहां पर बनायें तो ज्यादा लाभ होता है इस प्रकार से नियोजन में लाभ हो सकता है।

मान्यवर, हमने विष्णु प्रयाग योजना निजी क्षेत्र में दी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमने कल्पना और कामना की थी कि जब हम निजी क्षेत्र में दे रहे हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश को अधिक बिजली मिलेगी हमने उनसे 18 प्रतिशत बिजली उत्पादन मुफ्त लेने का वायदा कराया था लेकिन 3 वर्ष हो गये उसमें कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। हमने जी० पी० इंडस्ट्रीज से शर्त रखी थी कि जितना उत्पादन होगा वह पहले उत्तर प्रदेश को देंगे उसके बाद ही बाहर बेच सकेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि वह शर्तें भी हटाई जा रही हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि मुझे जिस समय सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो हमने उपभोक्ताओं के लिये एक बड़ी लाभकारी योजना प्रारम्भ की थी और उसको हमने उपभोक्ता द्वार सेवा कहा था। उपभोक्ता बिजली का पैसा देता है, परेशान होता है कभी मीटर खराब है, कहीं कनेक्शन नहीं मिलता कभी कोई खराबी हो गयी तो यह एक लाभकारी योजना थी और इसे अधूरा छोड़ दिया गया। मान्यवर, एक और योजना हमने प्रारम्भ की थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक और बिन्दु पर अपने विचार प्रकट करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि पूरे प्रदेश में जो हमारी यू० पी० एस० ई० बी० है इसके भ्रष्टाचार की हम लोग बात करते हैं जिसको खंडित विखंडित करने के लिये एक कमेटी गठित हुई थी उसने कुछ सुझाव दिये थे। इस सुझाव को एक दम आंख मूंद कर हमें स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। मान्यवर, जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय हमने इसको एक लाभ कमाने वाली संस्था के रूप में नहीं देखा था इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी योजना के रूप में था इसका उद्देश्य था ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं को पूरी करना। हमारा विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे लघु उद्योग पनपेंगे उनके माध्यम से लोगों को रोजी रोटी मिलेगी लेकिन आज हम केवल यही विचार करते हैं कि लाभ कैसे कमायें ? मान्यवर, जो संस्तुति की गयी है उसमें 50 रुपया प्रति हार्सपावर के प्रथम फेस में एक ही वर्ष में 90 हजार प्रति हार्सपावर का दाम करने की संस्तुति की गयी है और 3 वर्ष के अन्दर यह 300 रुपया हो जायगा। और 1.30 पैसे प्रति यूनिट कंज्यूमर बिजली जो मिलती है लाइट और फैन के लिये उसका दाम बढ़कर 5.50 रुपया हो जायगा इससे जनता की सारी गाढ़ी कमाई इसी में चली जायगी और सारा ढांचा खंडित विखंडित हो जायगा। इसलिये जब हम उस पर विचार करते हैं कि खंड विखंडित कर दिया जाय यू० पी० एस० ई० बी० को तो यह भी विचार करना पड़ेगा जो हमारी बहुत सी हमारी गलत नीतियां हैं उनको कैसे सुधार किया जाय संकल्प शक्ति कैसे जगायी जाय ? वहां आवश्यकता है पुरानी मशीनों को तब्दील करने 700 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों पर परिषद् का बकाया है यह वसूल कैसे हो 700 करोड़ रु० की और आवश्यकता पड़ेगी। हमारी बहुत से मशीनें पुरानी पड़ी हैं जमीन खाली पड़ी है उनको बेचकर सुदृढ़ीकरण किया जाय ताकि विद्युत आपूर्ति भी बढ़ सके और इसके दाम बढ़ने से रोक सकें। शाहजहांपुर का थर्मल पावर प्लांट बनना है इस पर एग्रीमेंट हो चुका है लेकिन देरी हो रही है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में 33 के०वी० का अमृतपुर में 33 का घटियाघाट में 33 के० वी० का शहर में पड़ा हुआ है मैं समझता हूं कि उसमें थोड़ी तेजी कर दी जाय, ताकि जो होने वाली क्षति है उसको रोका जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें। मैंने हरेन्द्र सिंह जी को बुलाया है। पर्याप्त समय है, मौका मिलेगा। अभी बैठें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय अधिष्ठाता जी, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, आज बिजली एक ज़रूरत की चीज बन गयी है सुबह से लेकर शाम तक राउन्ड दि क्लॉक आदमी के जीवन में बिजली अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गयी है। बिजली का महत्व आज रोजमर्रा की आवश्यक चीजों के लिये भी हो गया है। मैंने माननीय द्विवेदी जी को सुना, माननीय द्विवेदी जी बिजली विभाग के मंत्री रहे हैं इनको सुन लीजिये। पर जब माननीय द्विवेदी जी विद्युत मंत्री थे तो कोई पहाड़ नहीं टूटा था। बिजली विभाग तब भी वहीं था आज भी वहीं है कल भी वहीं रहेगा। अधिकारी आयेंगे चले जायेंगे इसकी व्यवस्था इतनी दूषित है कि बगल में बैठे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इसे सफेद हाथी कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, तीन दिन पहले ही समाचार पत्रों में पढ़ा था कि आपकी राज्य सरकार के ऊपर ही बिजली बोर्ड का इतना बकाया है, आप डिफाल्टर हैं। कोयले की खरीद में लोग कमीशन लेते हैं जिस कारण घटिया किस्म का कोयला उन्हें मिलता है जितने पावर हाउस हैं उनमें लोग ठेकेदारी करते हैं वे माफिया हैं सत्ता में बैठे ऊंचे लोगों से उनको संरक्षण मिलता है उस स्थिति में भला आदमी ठेकेदारी नहीं कर सकता है।

आनपरा पावर हाउस का बता रहा हूं कि वहां पर यह बताया गया कि रजिस्टर में नाम नहीं है न पावती रजिस्टर होता है न यह रजिस्टर है कि कितना कोयला आ रहा है कहां जा रहा है। जब तक पारेषण उत्पादन वितरण अलग नहीं होगा तब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। बसन्त कमेटी का

गठन हुआ उसकी रिपोर्ट आयी उसकी रिपोर्ट पर क्या हुआ वर्तमान सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है प्रदेश में बिजली विभाग का जितना जाल बिछा है बिजली विभाग के पास उसका कोई मौकेदार रजिस्टर नहीं है कि किस जनपद में किस ब्लाक में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं कितनी पावर के हैं यह मेरी निश्चित जानकारी है न द्विवेदी जी ही बनवा पाये थे आज तक बिजली बोर्ड का मौकेदार कोई रजिस्टर नहीं है। मान्यवर, गांव में जब छोटे किसानों को जब उसे ट्रांसफार्मर निर्गत किया जाता है ट्यूबवेल के लिये तो वह जे० ई० के पीछे-पीछे दौड़ता है। यह जे० ई० की मर्जी पर है कि वह उसे दे या न दे। मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम यह व्यवस्था करें आपकी जो परिसम्पत्ति है बिजली विभाग की उसकी जानकारी तो आपके पास होगी। मेरे जनपद मुजफ्फरनगर में सघन कृषि क्षेत्र में पोल चकनाचूर पड़े थे और लाइनें खराब पड़ी थीं उसको हमने खड़ा करके अपने श्रम से लाइनें डालीं और एक नया बिजली घर बनाया। मान्यवर, आज ट्रांसफार्मर और स्वीच गेयर नहीं मिल पा रहे हैं मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, निषाद जी, नौजवान हैं और उनमें ऊर्जा भरी हुई है कृषि सघन क्षेत्र के किसानों की ओर देखें जिन्होंने अपने पसीने से लाइनें खड़ी करीं और राज्य विद्युत परिषद् को एक मकान बनाकर दिया तो उन्हें ट्रांसफार्मर और स्वीच गेयर उपलब्ध करा दें। एक सब स्टेशन मुजफ्फरनगर में दो सौ के० वी० का बनाकर दे दें। मान्यवर, 33/11 के० वी० का ट्रांसफार्मर पीनना, बरवाला, लिसाड़ करोड़ी, बहुकरहैडी, हरड फतेहपुर व कुरना को दें एवं पूर्व निर्मित 33/11 बिजली घर 30 नम्बर श्यामली रोड, निर्माना अगरा, फूगाड़ा और बहरावड़ी की क्षमता में वृद्धि की जाय।

मान्यवर, प्रदेश के विकास के लिये और किसानों के लिये बिजली बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने बिजली की चोरी को रोकने के प्रयास भी किये हैं इसके लिये मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से नयी सुविधाओं की घोषणा होनी चाहिए। उद्योग लगाने के लिये नयी घोषणायें छूट के संबंध में होनी चाहिए। लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि जो पहले से शासन के औद्योगिक क्षेत्रों के लिये छूट दे रखी थी उसमें भी कटौती की गयी है और सरकार ने उसको निरस्त कर दिया है। औद्योगिक नीति में ऊर्जा से संबंधित 16 अक्टूबर, 1990 के शासनादेश में कुछ सुविधाओं का उल्लेख है अगर उसमें बढ़ोत्तरी न करें तो कटौती भी न करें। उसमें जो मुख्य बातें हैं उसमें से एक तो यह है कि सभी नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक न्यूनतम मांग भार से मुक्त रखा जायेगा। नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत कटौती से मुक्त रखा जाये बशर्ते उनके पास इनडिपेंडेंट फीडर हो। साथ ही सभी औद्योगिक आस्थान भी विद्युत कटौती से मुक्त रहेंगे। मान्यवर, बुन्देलखण्ड में या पहाड़ी क्षेत्रों में जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिये इस शासनादेश में विद्युत बिल में 50 प्रतिशत की विशेष छूट नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने से 5 वर्ष तक देय होगी। अगर यह सुविधा न हो तो कौन उद्योगपति वहां जायेगा जहां दूर-दूर तक रा-मैटेरियल नहीं मिलता है संचार साधन नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

पर्वतीय क्षेत्रों में 610 मीटर की या उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थापित होने वाले उद्योगों को 33.73 प्रतिशत की दर से विद्युत बिल में उत्पादन शुरू होने की तिथि से 5 वर्ष की विशेष छूट दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, वर्तमान में जो छूट दी जा रही है वह एम० सी० जी० के नाम पर दी जा रही है इसे रोका जाये और जो 15 प्रतिशत छूट बुन्देलखण्ड में एम० सी० जी० के नाम पर दी जा रही है और फरवरी, 92 से 94 तक उसमें छूट नहीं दी गयी थी उसका आगणन करके उसे समायोजित किया जाये यह मेरी मांग है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, छोटे किसानों को 10 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर दिया जाये ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। स्वीच गेयर उपलब्ध कराया जाये। ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया जाय और उन्हें अधिक से अधिक बिजली दी जाये।

* श्री घनश्याम शु[illegible]–

मान्यवर, आपने ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं अपने जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे जिले में विद्युत वितरण प्रणाली की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी ट्रांसफार्मर काफी दिनों से जले पड़े हैं, मैं इसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें बदलवाने की मांग करता हूं। मान्यवर, हमारे यहां गांवों में कई सालों से विद्युतीकरण नहीं हो रहा है। वर्ष 94-95 में भी किसी गांव का विद्युतीकरण नहीं हो पाया। मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि गांव में किसी भी तरीके से, किसी भी ढंग से विद्युतीकरण कराया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 20 गांव ऐसे हैं, जहां पर बिजली का तार खींचना बाकी है, खम्भा खड़ा हुआ है, विद्युतीकरण कागज में दर्शा दिया गया है। मैं सरकार से चाहूंगा कि इन गांवों की जांच करायें और जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनको दण्डित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

मान्यवर, बिजली विभाग के अन्दर काफी भ्रष्टाचार है, उसकी तरफ मैंने कल भी सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं चाहूंगा कि नीचे से ऊपर तक जो भी भ्रष्टाचार हो, इसको खत्म कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय, जिससे गांवों में, शहरों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके। मान्यवर, जो गांवों में 16 घन्टे बिजली देने की बात कही गयी है, मैं बताना चाहूंगा कि 16 घंटे की जगह केवल 6 घन्टे ही गांवों को बिजली मिल पा रही है, इस ओर भी ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। मान्यवर, पहली बार सरकार के द्वारा अम्बेदकर गांवों का विद्युतीकरण, अनुसूचित जातियों की बस्तियों में विद्युतीकरण और निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का 5 हजार लक्ष्य रखा गया है, यह स्वागत योग्य कदम है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि निजी नलकूप गांव में सूचारु रूप से चलाने के लिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्युत वितरण की व्यवस्था ठीक ढंग से कराई जाये, इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा जैसे महत्व विभाग के बजट पर बोलने की अनुमति दी है। मान्यवर, पिछले वर्ष भी इस महत्वपूर्ण बजट पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला था। आपके माध्यम से बड़े खेद के साथ अवगत कराना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यहां पर उपस्थित अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लगता है कि जो हम लोग जो सुझाव इस सदन में देते हैं, उन्हें न तो देखने की किसी को फुरसत है और न इस पर कोई कार्यवाही विभाग को करने की फुरसत है। यही कारण है कि दिन-प्रतिदिन यह विद्युत विभाग घाटे की तरफ बढ़ती जा रही है। मान्यवर, जब से मीटर की व्यवस्था गांवों में समाप्त हुई, वैसे यह कहना उचित नहीं है, लेकिन वास्तविकता यही है, तब से बिजली का दुरुपयोग गांवों में बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली भले ही और सस्ती कर दी जाये लेकिन जब तक मीटर की व्यवस्था गांवों में नहीं की जायेगी तब तक बिजली का दुरुपयोग समाप्त नहीं होगा। पिछले वर्ष भी मैंने अपने क्षेत्र की कुछ समस्या के विषय में प्रकाश डाला था। वर्ष 1987 में, मेरे विकास खण्ड धनपतगंज में एक विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास हुआ था।

बड़े दुख के साथ अवगत करा रहा हूं कि शिलान्यास के पश्चात् से अब तक उस फाइल की तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं गया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के 3 विकास खण्ड में केवल दो सब स्टेशन हैं। इन परिस्थितियों में जो 16 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, वह किसी भी दशा में पूरी नहीं हो पायेगी। मान्यवर, यह जो पुस्तिका, जिसमें विद्युत परिषद् की उपलब्धियां दिखायी गयी हैं। इसके पृष्ठ–2 पर यह दिखाया गया है कि कुछ जगहों पर 24 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, मान्यवर, आप स्वयं अवगत होंगे और इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि आपके प्रदेश में कुछ जगहों पर इस सरकार में 24 घण्टे आपूर्ति हो रही है तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहां तक सही है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में इसके पृष्ठ–3 पर यह दिया गया है कि 36 में 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है और शेष 29 जनपद जहां 679 उप केन्द्रों में, 285 पर ओवर लोड के कारण 16 घण्टे की विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है यह नहीं बताया कि कितने घण्टा आपूर्ति की जा रही है, यह सदन को गुमराह किया गया है, कागजी कार्यक्रम बनाया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड वल्दीराय में विद्युत की आपूर्ति 16 घण्टे की जाये, अभी 4-5 घण्टे विद्युत की आपूर्ति हो रही है, इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। मान्यवर, सभी विद्युत सब स्टेशनों पर जूनियर इन्जीनियरों के आवास भी हैं लेकिन हमारी इस बात से सदन के सभी साथी सहमत होंगे कि अवर अभियन्ता अपने सब स्टेशनों पर नहीं रहते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था सब स्टेशनों पर रहती है, बिजली आती भी है तो भी नहीं दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम सभी अवर अभियन्ता अपने आवासों पर रहें, यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें, पीछे भी तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं धामू राम जी को बुला रहा हूं, वह कभी नहीं बोलते हैं, उनको भी अवसर दें।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, मुझे केवल एक मिनट का समय और दे दें ताकि मैं अपनी बात कहकर समाप्त करूं।

श्री धामूराम भाष्कर–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे 95-96 के ऊर्जा बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीया मुख्य मंत्री जी ने 95-96 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 72 प्रतिशत धन खर्च करने का प्राविधान रखा है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सकेगा। मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां बिजली की सुविधा नहीं है सिंचाई की सुविधा नहीं है, हमारा क्षेत्र बुनकर बाहुल्य औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे यहां हथकरघा एवं पावरलूम पर बुनकर कपड़ा तैयार करते हैं जो टाण्डा टेरीकाट के नाम पर सारे देश में विख्यात है, लेकिन विद्युत आपूर्ति नियमित न होने की वजह से यहां के सारे उद्योग धन्धे बन्द होते जा रहे हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करना चाहता हूं कि वहां पर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज के हसवर क्षेत्र में एक 66 के० वी० ए० का सब स्टेशन बना हुआ है उस पर विद्युत भार अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति समुचित नहीं हो पाती है इसलिये मेरी मांग है कि इस सब स्टेशन को 120 के० वी० ए० का सब स्टेशन बनाने की सरकार कृपा करें।

श्री इन्द्र भद्र सिंह–

मान्यवर, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण बजट है इसलिये इस पर एक मिनट का आपने और समय नहीं दिया इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री इन्द्रभद्र सिंह व उनके साथ एक और सदस्य निर्दलीय श्री रघुराज प्रताप सिंह सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजाराम त्यागी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं मैं रायबरेली जनपद के बछरावां से जनप्रतिनिधि हूं माननीय मंत्री जी 95-96 के बजट में ऊर्जा विभाग के लिये 18 सौ 96.37 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा है और पांच हजार अम्बेडकर गावों के विद्युतीकरण की योजना बनाई है और इस पर 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। निश्चित रूप से जनता को इससे लाभ मिलेगा। मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस समय प्रदेश में सूखे की स्थिति है विगत दो-तीन वर्षों से प्रदेश में पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है आपने इस बजट में 97 निजी नलकूपों के विद्युतीकरण एवं अम्बेडकर गांवों में 48 नलूपों के विद्युतीकरण हेतु पूरे प्रदेश में इस हेतु 176.98 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है। मेरी मांग है कि निजी नलकूपों की संख्या को बढ़ाया जाय। विद्युत आपूर्ति 16 घंटे दिये जाने की बात कही जाती है मैं जहां का रहने वाला हूं रायबरेली के महाराजगंज तहसील जहां पर समस्त अधिकारी निवास करते हैं वहां पर विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे नहीं हो पा रही है, यही नहीं केन्द्र सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय जो वहां पर संचालित किया जाता है वहां पर विद्युत सप्लाई नहीं होती है। 16 घंटे बिजली देने के नाम पर वहां आज तक 4, 5 घंटे से ज्यादा कभी बिजली नहीं आई है। लोगों को बड़ी मुश्किल हो गयी है। वहां पर एक प्राइवेट कालेज और जी० जी० आई० सी० हैं बच्चों के पढ़ने में बड़ी व्यवधान हो रहा है। रायबरेली में (भाजपा की) लोगों ने पावर हाउस का घेराव भी किया था। सुल्तानपुर और लखनऊ से अधिकारी वहां गये थे उन्होंने महाराजगंज को पूरी विद्युत आपूर्ति का आश्वासन दिया था। मगर आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। जो उस समय आश्वासन दिया

था उससे वह मुकर गये । वहां पर नवोदय विद्यालय है, तहसील हेडक्वार्टर है उसमें बिजली की आपूर्ति ठीक होनी चाहिये ।

बछरावां को लखनऊ जनपद के मोहनलालगंज से पहले विद्युत आपूर्ति होती थी लेकिन बीच में चोरों ने तार काट दिये जिससे विद्युत आपूर्ति वाधित हो गयी है । तो मेरी मांग है कि खम्भों से जो तार कट गया है उसे ठीक किया जाय और पूर्व की भांति विद्युत आपूर्ति हो ।(व्यवधान)

(श्री राम प्रसाद टम्टा का नाम पुकारे जाने पर एवं अन्य सदस्यों के साथ बोलने से व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि महाराजगंज तहसील मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय । मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से विद्युत विभाग की तरफ ध्यान आकृष्ट करता हूं । पूरे पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा बिजली की कटौती हो रही है । लोगों को बिजली समय से नहीं मिलती है । इसके अलावा हमारे यहां काफी गलत बिल आ रहे हैं विशेषकर मैं आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं । पर्वतीय क्षेत्र में कोई बड़े कारखाने नहीं हैं वहां सिर्फ प्रकाश के लिये बिजली का प्रयोग होता है फिर भी अन्धाधुन्ध बिजली के बिल आ रहे हैं जिससे लोग अपने कनेक्शन काट रहे हैं । जहां बिजली की सबसे ज्यादा आवश्यकता है वहां बिजली नहीं मिल रही है । पर्वतीय क्षेत्र में जहां माइक्रो हाइडिल द्वारा जो पन बिजली विद्युत गृह बनाये जा रहे हैं उनमें कई साल से काम बन्द पड़ा हुआ है जिनसे पहाड़ों में बिजली की आपूर्ति हो सकती है । इनके निर्माण के काम में जितनी तेजी होनी चाहिये वह नहीं हो रही है । पूरे मेरे क्षेत्र में जो पुराने जल विद्युत गृह हैं वह बन्द पड़े हुए हैं उनकी मरम्मत और रख-रखाव का कोई नहीं हो पा रहा है जिससे विद्युत सप्लाई वाधित है । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यटक आते हैं उनको बड़ी कठिनाई हो रही है । पर्यटन वहां की आय का मुख्य साधन है । पहले तो जल विद्युत गृहों से बिजली मिल जाया करती थी लेकिन इन विद्युत गृहों के बन्द होने से स्थिति गम्भीर हो गयी है ।

विद्युतीकरण के कार्यक्रम में वहां के दूरदराज के गांव छोड़ दिये गये हैं विशेषकर जो दलित वर्ग के गांव हैं वहां बिजली नहीं है । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि ऐसे गांवों को प्राथमिकता दी जाय । और बिजली के बिल जो गलत आ रहे हैं उनको संशोधित किया जाय इसके साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र के गांवों में जो बिजली की कटौती हो रही है वह न की जाय क्योंकि वहां बिजली का उपयोग कारखानों के लिये तो होता नहीं है घरेलू उपयोग के लिये उसका प्रयोग होता है इसलिये पर्वतीय क्षेत्र में विद्युत कटौती न की जाय और पूर्व की भांति वहां बिजली मिले इसकी व्यवस्था की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बजट के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राज कुमार शिवहरे–

मान्यवर, आपने बजट भाषण पर बोलने का मुझे अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के जो विद्युत के बजट को प्रस्तुत किया है, उस पर बल देते अपने सुझाव आपके माध्यम से मंत्री जी के ज्ञान ने लाना चाहता हूं । मान्यवर, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से भयानक विद्युत का संकट और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इससे प्रदेश के समाज का व्यापारी वर्ग, उद्योगपति, मिल मालिक तथा जनता सभी बरबादी के कगार पर पहुंच गये है जिसका कोई रास्ता उसके पास नहीं है । किसान, मजदूर, दैनिक उपभोक्ता तथा व्यापारी जो संकट का सामना कर रहे हैं वह सरकार की और बोर्ड की अक्षमता बता रहे हैं जो यह स्थिति उत्पन्न हुई है उसके लिये अघोषित विद्युत की कटौती काफी हद तक जिम्मेदार है । निजीकरण के संबंध में उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत परिषद् की अस्तित्व के बारे में शीघ्र निश्चय होना चाहिये । मैं अपने जनपद बांटा की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इस समय वहां जो विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है, मात्र 6 घण्टा ही विद्युत आपूर्ति हो पा रही है । जगह-जगह ट्रांसफार्मर फुकें पड़े हैं लाइनें टूटी और गायब हैं 50-50, 100-100 कि० मी० तक जो विद्युत लाइने काट ली गयी हैं उसके बावजूद उस परिधि में जो लोग आते हैं उनसे बिजली का चार्ज लिया जा रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र बिसण्डा, बिलगांव आदि की लाइनें बीसों साल पुरानी हैं । और उन पर लोड बहुत है । जो पांच हजार रुपया लेकर आप ट्यूबवेल का कनेक्शन दे रहे हैं इससे उन्हें कनेक्शन नहीं मिल रहा है । बिजली और पानी के अभाव में उनकी फसल सूखी जा रही है सारे क्षेत्र में बिजली की भारी चोरी हो रही है और मैं समझता हूं कि वह सारी चोरी अधिकारियोंकी मिलीभगत से हो रही है । क्योंकि सभी अधिकारियों का महीना बंधा हुआ है । इसकी जांच होनी चाहिये जिससे जनता का संकट दूर हो सके और सरकार की क्षति भी रुक सके । मान्यवर, जो आपने बोलने का अवसर दिया उसके लिये पुनः धन्यवाद ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

श्री राम सजीवन निर्मल–

अधिष्ठाता महोदय, आपने विद्युत विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । विद्युत विभाग के बजट पर मैं बल देते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं से इस सदन को और मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा । मैंने देखा है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां 15-15 20-20 साल से कागजों पर ही बिजली जल रही है लेकिन मौके पर कहीं बिजली के खम्भे और तार का पता नहीं है । मैंने इसकी जांच भी करवाई है । अधिकारियों ने जांच भी की है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि निम्नलिखित गांवों में जहां 10-20 साल से पेपर पर तो बिजली दी गयी है लेकिन वास्तव में उनके यहां बिजली नहीं पहुंचाई गई है । यह गांव हैं दौलतपुर, फाजिलपुर, गोपालपुर, मलाकशदी । मान्यवर, हर विद्युत पावर हाउस में एक मुख्यालय बना हुआ है जिसमें एस० डी० ओ० बैठता है । लेकिन इस व्यवस्था के बावजूद भी छोटी-मोटी समस्याओं को लेकर लोगों को मुख्यालय से जिले में जाना पड़ता है । प्रदेश सरकार अगर एस० डी० ओ० को वहां बैठा दे तो इस समस्या का हल हो जाय ।

इसी तरह मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र सिराथू विधान सभा क्षेत्र है, टाउन एरिया है और उस टाउन अरिया में फिलहाल विद्युत की व्यवस्था चरमरा गई है । कुल दो-तीन घंटे बिजली रहती है । हमारे क्षेत्र के लोग हमसे कहते हैं कि जब आप विधायक नहीं थे उस समय बिजली आती थी लेकिन जब से आप विधायक हुए हैं बिजली गायब हो गई है । मैंने अधिकारियों से कई बार इस विषय में बात भी लेकिन कोई प्रभावी सुनवाई नहीं हुई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिराथू टाउन एरिया की बिजली व्यवस्था सुधारी जाय । इलाहाबाद और फतेहपुर जनपद के बीच सिराथू सबसे बड़ा पावर हाउस है लेकिन विद्युत व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी गड़बड़ है, मैं उस व्यवस्था को सुधारने के लिये चाहता हूं वहां पर 32 के० वी० का सब स्टेशन देवीगंज में बनाया जाय जिससे पूर्वी और पश्चिमी इलाकों की विद्युत व्यवस्था ठीक हो जाय । मैं बजट पर बल देते हुए मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

* श्री छोटे लाल–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस सरकार ने अम्बेदकर गांवों में विद्युत व्यवस्था की बात कही है। जितनी भी सरकार आई वह कहती चली गई कि हर गांव, हर घर, हर झोपड़े में हम बिजली का बल्ब जलाना चाहते हैं ! मान्यवर, हर एक विधायक के सामने किसी के 400 गांव हैं, किसी के 500 गांव हैं मेरे 630 गांव हैं। आपने यह कहा है कि हम अम्बेडकर गांव में व्यवस्था कर देंगे तो मान्यवर, जनरल और पिछड़े वर्ग के जो गांव हैं, इससे उनकी समस्या हल नहीं हो पायेगी। इन गांवों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं। इनके लिये अलग से व्यवस्था की जानी चाहिये। कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमारे क्षेत्र के जैसे जंगल हों, वहां विद्युतीकरण का कोई नाम नहीं है। बड़े बड़े गांव में विद्युतीकरण किया गया है लेकिन इन इलाकों में आज भी विद्युत नहीं दी गई है। (इस समय 4 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) मान्यवर, मैं आगरा में पेयजल की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आपने भी पिछली सरकारों की तरह से 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने की घोषणा की लेकिन बिजली दो-तीन घंटे भी नहीं आती है। कभी-कभी तो चार-चार दिन तक बिजली नहीं आती है। बिजली के तार चोरी हो गये हैं। वहां पर आदमी पानी की एक-एक बूंद के लिये तरस रहा है। अपनी घोषणा कि 16 घंटे बिजली उपलब्ध करायेगे के अनुसार कम से कम 5-6 घंटे तो अवश्य बिजली उपलब्ध करायें जिससे गरीब किसान अपना ट्यूबवेल चलाकर पानी पी सके।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री छोटे लाल–

बिजली आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायें। मेरा विधान सभा क्षेत्र 3.50 लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य जो कुछ बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री छोटे लाल–

3.50 लाख जनसंख्या वाला क्षेत्र हैं। यहां एक भी सब स्टेशन नहीं है। सब स्टेशन बनाया जाय।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बैठ जायें आजाद जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मैंने माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को पढ़ा है गांव के ऊर्जीकरण के लिये कोई योजना नहीं रखी है। यह सरकार कहती है अनुसूचित जातियों के लिये और दलितों के विकास के लिये काम करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

लेकिन एक भी गांव का ऊर्जीकरण नहीं हुआ है इस सरकार द्वारा एक भी गांव का ऊर्जीकरण नहीं किया गया है। मैं आपका ध्यान जनपद गोण्डा की तरफ दिलाना चाहता हूं।

(श्री राम विशुन आजाद जी तथा श्री छोटे लाल जी के एक साथ भाषण देने पर) (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

छोटे लाल जी आप बैठ जायें।

श्री राम विशुन आजाद–

श्रीमन्, वि० सभा हरैया सतधरना के बांसपुरवा गांव है यहां ट्रांसफार्मर लगा दिये गये, पोल भी गड़ गये थे लेकिन एक प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा दो पोल नहीं गाड़ने दिये जिसके कारण दलित गांव में बिजली नहीं दी जा रही है। बंसपुरवा में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मनकापुर में रेहराफीडर मसकनवा फीडर में वमदर लाइन के पोल टूट गये हैं उनको बदलवाने के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये। श्रीमन् इसको बदलने के लिये 40-40 खम्भे आये थे लेकिन यहां पर एक भी खम्भा नहीं बदला गया है इसको सहायक अभियन्ता द्वारा बेच लिया गया। चालीस-चालीस मीटर की दूरी दिखाकर पैसा लेकर उन गांव का बिना प्राक्कलन बनाये एवं स्वीकृत हुए विद्युतीकरण कर दिया गया है और उसको दूसरे गांव में लगा दिया। (व्यवधान) आप विद्युतीकरण की बात करते हैं लेकिन विद्युतीकरण की कोई योजना नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है। जो खम्भा बदलने के लिये आते हैं उसमें पैसा लेकर नम्बर दो तरीके से एक तार को चीरकर अवैध तरीके से गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

(व्यवधान)

आज एक गांव भी दलितों का ऐसा नहीं है जहां विद्युतीकरण हुआ हो। उन गांवों का विद्युतीकरण किया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सर्वे कराया जाय। कांग्रेस के शासनकाल में कुटीर उद्योग योजना चलती थी [xxx] बस्तियों के विद्युतीकरण की योजना थी।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री राम विशुन आजाद–

इन योजनाओं के तहत विद्युतीकरण हुआ। आज पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में आ गया है विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। विद्युत की आपूर्ति होनी चाहिये, गांवों का विद्युतीकरण होना चाहिये। अगर किसान कमजोर होगा तो प्रदेश कमजोर होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सदस्यगणों से अनुरोध है कि आप बैठे रहें जितने सदस्य बोलना चाहते हैं बुलावाऊंगा।

श्री अध्यक्ष–

मानीनय सदस्य समाप्त करें। जो आजाद जी बोल रहे हैं लिखा नहीं जायगा।

(व्यवधान)

नोट –[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इस पर भी संतोष नहीं हो रहा है माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री राजबली यादव–

इसके पहले मैं बजट पर कुछ कहूं माननीय सदस्य ने जो [xxx] शब्द का इस्तेमाल किया है उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री दीनानाथ भाष्कर–

आप पहले [xxx] शब्द को कार्यवाही से निकलवा दें, उसके बाद आगे की कार्यवाही चले।

श्री गोपाल काली–

जिसने इस शब्द का इस्तेमाल किया है उसको सदन के बाहर निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

मैं दिखवा लूंगा इसको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

श्री राजवली यादव–

मान्यवर, आपने जो मुझे विद्युत विभाग के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बजट गरीबों, दलितों के लिये हितकारी है तथा इस बजट से यह पता चलता है कि यह सरकार गरीबों, दलितों के हित के लिये चिन्तित है। मैं अपने क्षेत्र आजगमढ़ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां हाफिजपुर से बिजली हिमांचल प्रदेश, सुल्तानपुर व गाजियाबाद को जाती है लेकिन हमारी बदकिश्मती है कि वह आजमगढ़ शहर और जहां से मैं चुनकर आया हूं वहां बिजली नहीं जा सकती है। इतनी बड़ी बिडम्बना अभी तक होती चली आई है। अब तक की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से इस मौके पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 220 के०वी० "बे" बनाकर आजमगढ़ शहर और आजमगढ़ जिले को बिजली दी जा सकती है। आजमगढ़ से मुश्किल से वह सब स्टेशन आधा फर्लांग की दूरी पर होगा लेकिन बिजली नहीं दी जा रही है। इसका परिणाम यह होता है कि आये दिन रोस्टरिंग होती है। हमारे यहां आजमगढ़ नगर में 8.00 बजे बिजली की कटौती होती है। प्रायः 8.00 बजे दुकानदार दुकान बन्द करके पैसा गिनते हैं उस समय कई हत्यायें व लूटपाट हो चुकी हैं। व छिनैती बिजली चली जाने कारण बढ़ रही है। अगर बिजली जाती तो छिनैती नहीं होती। इस समय सूखा पड़ा हुआ है लेकिन तीन-तीन दिन तक बिजली गायब रहती है। इसलिये अभी धान की रोपाई नहीं हुई है। हमारे जिले में मुबारकपुर कस्बा है। मुहम्मदीपुर मऊ वहां से सटा हुआ है। वहां की बनारस की साड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वहां पर बिजली के खपत के संबंध में मीटर लगे हुए हैं वहां पर मीटर लगाकर चोरी बहुत हो रही है। मीटर बन्द कर दिये जाते हैं जिससे काफी नुकसान होता है।इस मौके पर मेरा अुनरोध है कि मीटर सिस्टम खत्म करके रेट फिक्स कर दिये जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात समाप्त करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नोट –[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजबली यादव–

वहां पर दलितों की बस्तियों में कम से कम एक-एक बल्ब लाइन में लगवाना चाहिये । खम्भे पहले से गड़े हुए हैं । सरकार दलितों की बस्ती में प्रत्येक घर में कनेक्शन लगवानो की व्यवस्था करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । 5,000 जो अम्बेदकर गांवों के विद्युतीकरण का प्राविधान किया गया है तथा 4,923 अनुसूचित बस्तियों को बिजली देने का प्राविधान किया गया है यह स्वागत योग्य है लेकिन सामान्य ग्रामों के लिये इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसको नोट कर लिया जाय । मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं । हमारे जनपद फतेहपुर का व्यय बहुत दयनीय रखा गया है । इलाहाबाद मण्डल के अन्तर्गत तीन जनपद आते हैं ।इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर । यहां पर अधिकारी बैठे हुए हैं मुझे कष्ट होता है कि हमारे जनपद फतेहपुर में 3 वर्षों से निजी नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पा रहा है । कनेक्शन लम्बित है । मान्यवर, निजी नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु इलाहाबाद के लिये 689 और फतेहपुर के लिये मात्र 135 और प्रतापगढ़ के लिये 345. इससे यह अंदाजा होगा कि फतेहपुर की कैसे उपेक्षा की जा रही है । इसी तरह से अम्बेदकर ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये इलाहाबाद में 213, फतेहपुर में 20 ग्राम रखे गये हैं । अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण के लिये इलाहाबाद में 213 और फतेहपुर में केवल 20 का लक्ष्य रखा जाना यह साबित करता है कि फतेहपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । फतेहपुर का लक्ष्य निम्न रखने का क्या कारण है यह मैं जानना चाहता हूं । इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मैंने जो बिन्दु उठाये हैं उनकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । धन्यवाद, पुनः इस बजट का स्वागत करता हूं ।

बजट पर चर्चा हेतु समय बढ़ाने की मांग

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण इस बजट पर अपनी बात कहना चाहते हैं आज 4 बजट आपने रखे हैं विद्युत बजट पर ही अभी चर्चा हो रही है । बजट पर आज चर्चा पूरी नहीं हो पायेगी । एक-आध कल के लिये बढ़ा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपने ही तय किये हैं ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

तय तो कार्य मंत्रणा समिति ने किया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, बैठने के लिये तैयार हैं, देर तक बैठकर पास कर लेंगे ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, ऊर्जा का संबंध सुबह से लेकर शाम तक आदमी की जिन्दगी से जुड़ा रहता है ।आज ऊर्जा, सहकारिता, पर्यावरण और पर्यटन का बजट है और अभी एक पर भी चर्चा पूरी नहीं हो पायी है । आप इतिहास उठाकर देख लें ऊर्जा और सहकारिता का बजट एक साथ कभी नहीं रखा गया है । केवल सहकारिता पर ही एक दिन चाहिये । सरकार बिना चर्चा के बजट पास कराना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति में कुछ तय हुआ है आपके संज्ञान में मैं वह ला रहा हूं । कुछ मजबूरियां हैं उनको ध्यान में में रखकर यह किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–९ ऊर्जा विभाग (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, आपने ऊर्जा विभाग के बजट पर आपने बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं बड़े संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो ऊर्जा का आज उत्पादन है उस पर कल भी, आज प्रश्न प्रहर में भी इस पर चर्चा हुयी है और आज बजट पर चर्चा हो रही है। राज्य विद्युत परिषद् के बारे बहुत सी घोषणायें की गयी हैं, फोल्डर दिया गया है मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर हमारी सरकार, मंत्री जी और ऊर्जा विभाग की नीयत ठीक हो तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो प्राविधान दिखाये गये हैं और उनका वास्तव मिलान किया जाय तो कहीं से आंकड़े मिलते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को कोयले की घटिया आपूर्ति केन्द्र सरकार के सहयोग से होती है और उसका अच्छा भुगतान होता है। इसके कारण हमारा पी० एल० एफ० दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। आज यह 42 पर पहुंच गया है। परिषद् पर 49 हजार करोड़ रुपया लगाया गया है और विद्युत परिषद् के भवन पर 76 करोड़ रुपया लगाया गया है और 1800 कर्मचारियों तथा अधिकारियों को इसमें बैठाया गया है उसके बावजूद भी प्रदेश के 65 लाख उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भ्रष्टाचार करके लाइन लासेज के नाम पर बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठ जाय, मैंने भारती जी को बुला लिया है। सभी को अवसर मिलेगा।

* श्री अक्षयवर भारती–

मान्यवर, हमारे यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है, वह बिजली की समस्या है। हमारे यहां पर बुनकरों की संख्या बहुत अधिक है, उनको बिजली न मिल पाने के कारण बड़ी कठिनाई होती है।उनके जो बिजली के बिल आते हैं वह वास्तविक राशि से अधिक के आते हैं और मान लीजिये कि 6 हजार का बिल भेज दिया गया और फिर उपभोक्ता से कहा जाता कि 4 हजार का करा देंगे, एक हजार रुपया हमें दे दें, तो अगर वह तैयार हो जाता है तो उसका बिल चार हजार रुपये हो जाता है। मैं नहीं समझा पाता हूं कि बिल कम्पयूटर से तैयार किये जाते हैं, तो गलती कैसे हो जाती है और उसमें हेराफेरी कैसे हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि मीटर उनका हटाया जाये और एक रेट फिक्स कर दिया जाये और उनको जिस प्रकार से किसानों को रियायत दी जाती है, उसी प्रकार से रियायत दी जाये। इससे विभाग की आमदनी बढ़ेगी। हमारे देश का किसान बड़ा उपयोगी है और वह कृषि उत्पादन करता है, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उससे भी महत्वपूर्ण बुनकर है, अनाज के बिना आप दो चार दिन रह लेंगे, लेकिन बिना कपड़े के एक दिन भी नहीं रह पायेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मीटर हटा दें और इसकी जांच हो जाये। दूसरी बात मैं बिजली के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बिजली की जो लाइनें हैं उनके तार टूट जाते हैं और गिर जाते हैं, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनको ठीक नहीं किया जाता है, उनको ठीक किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी नहीं हैं, उन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 4 बजट है, सभी को अवसर मिल जायेगा, शान्ति रखें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद)–

मान्यवर, ऊर्जा के बजट पर माननीय हमीद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है,

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी रुक जायं।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, पहले आप शान्त करायें तब मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष–

मेरी एक व्यवस्था सुन लें जो माननीय सदस्य मेरे पास यहां चिट भेजकर कहते हैं उनको मैं नहीं बुलवा पाऊंगा जो उनके मुख्य सचेतक की तरफ से लिखकर आयगा, मैं उन्हीं को बुलवाऊंगा।

चौधरी उदयभान सिंह–

मेरा नाम सूची में था, मुझे नहीं बुलवाया गया।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो नाम आये हैं उनमें श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री प्रमोद तिवारी, श्री राधेश्याम गुप्त, श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल और महावीर सिंह का नाम है। महावीर सिंह को मैं बुला रहा हूं।

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

मैंने महावीर सिह जी को अनुमति दी है, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

* श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे ऊर्जा विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने जनपद की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं बिजनौर जनपद के स्योहारा विधान सभा क्षेत्र से मैं विधायक हूं। जनपद बिजनौर में बिजली नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर किसी गोदाम में एक मीटर तार फ्यूज बांधने के लिये भी नहीं दिखायी देता है। ट्रांसफारमर फुक जाने के बाद 6-6 माह तक बिजली दिखायी नही देती। मान्यवर, हमारे यहां जो नूरपुर नगरपालिका है उसमें ग्रामीण स्तर की बिजली दी जाती है उसको ग्रामीण स्तर की दृष्टि से अब भी देखा जा रहा है। कहा जाता है कि 1985 की जनगणना के हिसाब से वह ग्रामीण क्षेत्र में आता है जबकि आज उसकी आबादी 40 हजार के करीब पहुंच गयी है अब उसे ग्रामीण क्षेत्र कब तक माना जाता रहेगा। मेरी मांग है कि वहां पर बिजली की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, बिजनौर जनपद के अन्दर बिजली के तारों की चोरी बहुत हो रही है। 2-2 साल से वहां पर तार चोरी हो गयी है और अभी तक लगाये नहीं गये हैं और न ही लाइनमैनों ने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज करायी है इसलिये वहां पर तार लगवाने की व्यवस्था करें। इनके मान्यवर, जो लाइन इंस्पेक्टर हैं, अधिशासी अभियन्ता हैं वह अपने हेडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं और बाहर चले जाते हैं जिस कारण बिजली की व्यवस्था और जर्जर हो गयी है वे हेडक्वार्टर पर रहें। मान्यवर, बिजली की दर तो बढ़ा दी गयी है लेकिन उसके आवर्स काट दिये गये हैं, दाम बढ़ जाने से किसानों की कमर टूट गयी है। मेरी मांग है कि सिंचाई के लिये और अन्य कृषि कार्य के लिये दी जाने वाली के दाम कम किये जायं ताकि किसान राहत की सांस ले सकें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री राजलक्ष्मी वर्मा व कई अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

विभिन्न दलों के मुख्य सचेतकों की ओर से जिनके नाम आयेंगे उनको बुला लूंगा। बाद में मौका मिलेगा तो अन्य सदस्यों को बुला लूंगा।

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था की जानकारी नहीं थी इसलिये नाम नहीं भिजवा पायी।

श्री ऊदल–

श्रीमन्, विद्युत विभाग महत्वपूर्ण विभाग है आज कोई कार्य ऐसा नहीं है जो बिना विभाग के सहयोग से चल सकता हो लेकिन मान्यवर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस उद्देश्य से इस विभाग का बोर्ड का गठन हुआ था यह विभाग उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा है और फेल है। मेरे क्षेत्र में बाबपुर एयरोडम है उसके गांव में एक तार गिर गया रात में 7/8-10-93 की रात्रि को मनभावती देवी और उसकी लड़की ऊषा पांडे और एक आदमी को भी काफी चोट लगी इसकी जांच उप निदेशक विद्युत सुरक्षा ने की उप निदेशक ने सचिव को 31-3-94 को रिपोर्ट दे दी और आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी जबकि जिस आदमी ने नंगा तार खीचा था वह है निहोरी उसका बाप का नाम दुलार, ग्राम व पो० आ० बावतपुर वाराणसी, रुपया भी जमा किया गया विद्युतीकरण के अन्तर्गत रसीद नं० 1.38.248 दिनांक 28-12-89 तो उसने ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत 250/- रुपया एक बार जमा किये और एक बार 300/- रुपया जमा किये लेकिन विद्युत विभाग ने उसकी सर्विस लाइन नहीं बनायी और नतीजा यह हुआ कि वह तार 7/8-10-93 को टूट गया और दो औरतें मर गयीं उसका एक आदमी घायल हुआ विद्युत सुरक्षा निदेशक ने अपनी रिपोर्ट 31-3-94 को दिया विद्युत परिषद के सचिव को देनी है और उसमें जिम्मेवारी फिक्स कर दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सदन के संचालन में सहयोग दें।

श्री ऊदल–

उसमें संयुक्त निदेशक विद्युत सुरक्षा ने जिम्मेदारी फिक्स की जो उसमें नाम लिखकर दिये हुए हैं सहायक अभियन्ता श्री बेचन राय, ओम प्रकाश श्रीवास्तव से जिसकी एस० पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता इन पर जिम्मेदारी फिक्स की गयी मैं बार-बार लिखता हूं यह वहीं पर आज भी विद्यमान हैं उनको आज तक हटाया नहीं गया। दो औरतों की मृत्यु हो गयी निदेशक विद्युत सुरक्षा ने रिपोर्ट दी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। दूसरा उदाहरण में देना चाहूंगा एक गांव सोनपुरवा बड़ा गांव ब्लाक है इसमें राजकरण में पम्पिंग सेट के कनेक्शन के लिए सारी शर्तें पूरी कर ली थीं और इस्टीमेट भी दे दिया था वर्क आर्डर भी हो गया था सन् 93 का वर्क आर्डर है और उसमें सचिव, राज्य विद्युत परिषद्

ने आदेश भी दे दिये थे लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिल पाया है इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सफेद हाथी की तरह है और इससे प्रदेश की आकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं है। मेरी मांग है कि उन अधिकारियों को जो वाराणसी में हैं, उन्हें निलम्बित किया जाय और मरे हुए लोगों को मुआवजा दिया जाय। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, मैं बड़ा ही आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय कोकब हमीद साहब द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज प्रदेश में दलितों और गरीबों की हमदर्द सरकार बनी। इससे प्रदेश के दलितों और गरीबों को आशाएं बंधी कि इससे उनका चहुमुखी विकास होगा और तरक्की होगी परन्तु जो बजट रखा है उससे उनकी आशाएं धूमिल पड़ी हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में 26 घंटे बिजली देंगे। मान्यवर, जब इस प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता मात्र 4 हजार मेगावाट है जबकि 6 हजार मेगावाट होनी चाहिए थी तो कहां से वे विद्युत की आपूर्ति करेंगे। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट में उल्लेख किया कि हम बुन्देलखण्ड में 24 घंटे बिजली देंगे। परन्तु शहरा क्षेत्रों में 4-5 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महीनों विद्युत आपूर्ति नहीं होती है। अज हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बजट में केवल प्रदेश में 480 अनुसूचित जाति के बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है। मेरा क्षेत्र मऊ रानीपुर जो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर 66 के० वी० ए० का 50 वर्ष पुराना विद्युत सब-स्टेशन लगा हुआ है और उस पर क्षमता से अधिक भार हो गया है हमने कई बार मुख्य मंत्री जी से मिलकर प्रार्थना भी की कि यहां पर 132 के० वी० ए० क्षमता का विद्युत सब स्टेशन बनाया जाय। विभाग ने एक वर्ष से पावर कनेक्शन देना बन्द कर दिया है। जिससे यहां सारे उद्योग धन्धे बन्द होते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री बिहारी लाल आर्य–

मान्यवर, हमारे यहां बुनकर टेरीकाट का कपड़ा बनाते हैं जो रानीपुर टेरीकाट के नाम से देश के कोने-कोन में विख्यात है। परन्तु इस पिछड़े क्षेत्र की विकास के नाम पर उपेक्षा की गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें। मैं प्रमोद तिवारी जी का नाम पुकार रहा हूं। श्री प्रमोद तिवारी जी नहीं है इसलिए माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण पढ़ें।

श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर यही कहूंगा क्योंकि वे तो चले गये हैं वैसे भी हम समझते हैं कि केन्द्र कटौती करता है इसलिए बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखते हुए वे यहां से चले गये।

मान्यवर, मुझे तो लगता है कि वह पहले से ही कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उनको रखना पड़ा, फिर भी वह हमारे बजट का समर्थन करते हुये चले गये। मान्यवर, हमारे सम्मानित साथी श्री राजबली जैसल, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, हरेन्द्र सिंह मलिक, घनश्याम शुक्ल, इन्द्र भद्र सिंह, धामूराम, राजाराम त्यागी, राजकुमार शिवहरे, राम सजीवन निर्मल, छोटेलाल वर्मा, आजाद जी, रवीन्द्र प्रताप मल्ल जी, ऊदल जी, राजबली यादव, राधेश्याम गुप्त जी, महावीर सिंह सहित कई अन्य माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित और ऊर्जा के बजट संबंधी विचार रखे, मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। हमारे सम्मानित विधायकों की जो अपेक्षा है, वह अपने क्षेत्रों में आते हैं, वहां विद्युत के संकट को देखकर उन्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ता है। इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले से ही विद्युत की कमी चल रही है, वर्तमान में जो हमारी क्षमता 5785.75 मेगावाट है, उसमें और वृद्धि ही हुई है, कमी नहीं हुई है।

हम यह कहना चाहते हैं कि चूंकि हमारे सम्मानित सदस्यों ने यह इच्छा जाहिर की है कि सब स्टेशनों में संबंधित अवर अभियन्ता नहीं रहते हैं और विद्युत मीटर में गड़बड़ी होती है, तो हम माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सभी संबंधित अवर अभियन्ता अपने-अपने सब स्टेशनों में रहेंगे और विद्युत रीडर जो काम करते हैं, उनके लिये भी शासन की तरफ से निर्देश जायेंगे कि किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिये जो भी अधिकारी कर्मचारी जिला स्तर का, मंडल स्तर का या राज्य स्तर का दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। वैसे यह बजट अत्यन्त कल्याणकारी है। प्रमोद तिवारी जी तो हैं नहीं, मैं उनके सहयोगी कोकब हमीद जी से कहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी जी, कटौती प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

(तिवारी जी के न होने पर)

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,25,60,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान सं० 44 पर्यटन विभाग अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

* वन एवं लघु उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री राम लखन वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,73,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, मद संख्या 8 (3) जो पर्यावरण विभाग का है उसको भी इसी समय रख दें तो माननीय सदस्य पर्यावरण और पर्यटन दोनों पर साथ-साथ अपने विचार रख लेंगे, इससे सुविधा रहेगी।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

श्रीमन्, मुझे ऐसी आशा भी थी कि चूंकि ऊर्जा विभाग के मुकाबले पर्यावरण और पर्यटन छोटे विभाग हैं। ऊर्जा विभाग ने पर्यटन एवं पर्यावरण विभाग के समय का शोषण किया है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि अपने सभी सम्मानित सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं। हमारे सम्मानित सदस्य बोलते-बोलते, सुनते-सुनते थक भी गये होंगे, उनकी निगाह आप पर और आपके पीछे टंगी घड़ी पर है। आपके निर्देशानुसार हाउस देर तक चलता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, हम लोग 12 बजे रात तक बैठेंगे, आप घबड़ाइये नहीं।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

माननीय वर्मा जी ने कहा कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं से अवगत हूं और उनकी भावनाओं को ठीक प्रकार से जानता हूं लेकिन तीसरी बात यह भी थी कि आज रात 12 बजे तक बैठना है तो उसके लिये कुछ व्यवस्था वर्मा जी करायेंगे।

श्री राम लखन वर्मा–

भाई हरेन्द्र सिंह मलिक जी का जो सुझाव आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। अगर यह बैठना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था हो जायेगी, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आने पायेगी। श्रीमन्, पर्यटन और पर्यटक दो शब्द हैं। पर्यटन स्थलों को देखने के लिये पर्यटक आते हैं। पर्यटक अपने देश

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ही नहीं विदेशों से भी अपने प्रदेश में आते हैं। श्रीमन्, मैं इसलिये इस पर बोल रहा हूं कि यह एक ऐसा विभाग है जिससे आपके देश और प्रदेश को विदेशी पूंजी मिलती है। पर्यटन मान्यवर, ऐसे स्थल हैं,जो ऐतिहासिक हैं, सुन्दर है, चाहे वह मन्दिर हों, चाहे ऐतिहासिक स्थान हो, जिनकी चर्चा आपके देश में ही नहीं दूसरे देशों में भी होती है। पर्यटक उसको सुनकर के आपके प्रदेश और देश में, उनकी जानकारी के लिए, उनकी अच्छाइयों को जानने के लिए आपके यहां आते हैं और उसके बदले में आपको अपने यहां की पूंजी देते हैं। श्रीमन्, प्रदेश में पर्यटन के विकास की असीम संभावनायें हैं। श्रीमन्, इसलिये इसको बढ़ावा देने के लिए एक पर्यटन नीति लागू की है। जिसके तहत अवस्थापना संबंधी सुविधायें, इसके अन्दर जो किसी होटल का, किसी अच्छे जगह की स्थापना करना चाहेगा, उसको केवल 20 फीसदी पूंजी देनी पड़ेगी।

बाकी 80 फीसदी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। मनोरंजन कर में भी छूट दे दी गयी है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा सुख साधनों में भी छूट दी गयी है ताकि पर्यटक को सुविधा मिल सके होटलों में बार की सुविधा नहीं थी और होटल मालिकों को इसके लाइसेन्स को लेने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता था अब इसमें भी छूट दे दी गयी है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इस प्रकार के तमाम योजनायें हैं जिससे पर्यटन और पर्यटक को बढ़ावा मिल सके। मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं और माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करता हूं। चाहे अलोचना के रूप में हो या सुझाव के रूप में हो मैं उनके सुझावों का स्वागत करूंगा और उनका जवाब दूंगा।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दीजिए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान सं० 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दीजिए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में आगरा का ताजमहल है, पर्वतीय क्षेत्र में पिण्डारी गलेसियर है, लखनऊ में चिड़ियाघर है तथा नैनीताल में नेशनल कारबेट पार्क परन्तु साधनों अभाव में पर्यटन के क्षेत्र में अभी हम काफी पिछड़े हुए हैं। देश और विदेश से जो टूरिस्ट इन पर्यटन स्थलों पर आते हैं और उन पर्यटन क्षेत्रों के लिए जो बसे, कारे व अन्य साधन चलते है उनमें भी कोई आब्जक्सन नहीं होता है और पर्यटकों को अच्छी सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाती है इसलिए इस बजट में पर्यटकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके, प्राविधान करना चाहिए। गर्मियों में पर्यटक नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, देहरादून, मंसूरी, पिण्डारी गलेसियर और नामीगलेस्यिर आदि जगहों पर आते जाते रहते हैं। और कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पैदल जाना पड़ता है परन्तु रास्ते ठीक न होने के कारण उन्हें असुविधा उठानी पड़ती है। और साथ ही जो दूर दराज के पर्यटक गण है वहां पर हट नहीं है और रहने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यहा तक कि जो बर्फीले पर्यटक स्थल है ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था न होने के कारण पर्यटकों बहुत बड़ी असुविधा होती है, इसलिए पर्यटक गृहों पर साधनों की

समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए । जो स्थानीय लोग है, स्वरोजगार के अन्तर्गत होटल का निर्माण करना चाहते हैं ।

स्थानीय बेरोजगार युवकों को जो अपनी जमीन पर होटल बनाना चाहते हैं उनको कम ब्याज पर होटल निर्माण के लिये धनराशि की व्यवस्था की जाय ।

इसके साथ ही वहां की संस्कृति को बनाये रखने के लिये वहां की जो उपज है या उद्यान से पैदा होने वाले फल हों उनको होटल में कंप्लसरीरूम से सर्व किया जाय । जो वहां खाने पीने की चीजें पैदा होती है उसे पर्यटक खाये उससे स्थानीय लोगों की उपज को बढ़ावा मिलेगा और वहां की संस्कृति भी जीवत रहेगी । वहां का जो हैण्डीक्रेफ्ट है उसको बेचने की व्यवस्था हो ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके ।

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, कौसानी आदि में ही पर्यटक ज्यादा जाता है वहां पर उस मौसम में ज्यादा भीड़ हो जाती है । वहां भी भीड़ भाड़ कम करने के लिये तथा दूसरे पर्यटक स्थल जो विकसित नहीं हो पाये हैं उनको विकसित किया जाय जैसे हमारे क्षेत्र में नैनी, बागेश्वर, दूनागिरी, विनसर, पोपेश्वर, दाणाछीना, पाण्डुस्थल, देवलधार, गौरी उड़ीसा, गौरी उड़ियार आदि को जो बहुत ही सुन्दर जगहें हैं उनको पर्यटन के नक्शे में लाया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी काफी महत्वपूर्ण सुझाव आपके आ गये, आगे उत्तर भाषण में भी समय मिलेगा ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

अगर नये-नये पर्यटक स्थल विकसित होंगे तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा इन पुराने पर्यटक स्थलों में जो भीड़ हो जाती है वह भी कम होगी अभी तक केवल नैनीताल, मंसूरी भीमताल तक ही पर्यटक जाते हैं ।

पर्यटकों को लाने ले जाने के लिये बसों की सुविधा भी दी जाय वहां लोगों को कम ब्याज पर बसें खरीदने के लिये पैसा दिया जाय जिससे वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी आपके बहुमूल्य सुझाव आ गये हैं जिससे माननीय मंत्री जी लाभ उठायेंगे । शेष सुझाव उत्तर भाषण में दे दीजियेगा ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

पर्यावरण पर भी इसी के साथ बोल लेता हूं । पर्यावरण और पर्यटन दोनों ही पहाड़ों से जुड़ा हुआ है । दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु हैं । वन विभाग हमारे वन मंत्री जी हैं उनके पास बहुत जानवर हैं, जंगल हमारे यहां हैं और जानवर इनके पास हैं तो उनका भी ध्यान रखने की बात है । अगर इन पर

हमारी बात नहीं सुनेंगे तो पर्यावरण की रक्षा कैसे होगी । पर्वतीय क्षेत्र में शेर, बाग आदि जंगलों में रहते हैं हाथी तो तराई में मिलता है, हमारे कारवेट पार्क में हाथी भी है । तो इस तरफ भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हर प्राणी मात्र को जीवन के लिए हवा और पानी की अत्यन्त आवश्यकता है । मान्यवर, इस समय पर्यावरण की आवश्यकता इसलिए है कि पहाड़ों पर या प्रदेश में आज हरियाली नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । आज जो सड़कों के आस-पास हरियाली दिखती है वह भी स्वर्गीय संजय गांधी कार्यकाल में जो वृक्षारोपण किया गया था उसके फलस्वरूप है । पर्वतीय क्षेत्र में पिण्डारी ग्लेसियर है उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर चार कि० मी० पुरकिया लास्ट आवास गृह था किन्तु उससे अब चार कि० मी० दूर हिमालय चला गया । तो ऐसी परिस्थिति में आपको पानी कहां से मिलेगा । आज विधायक निवासों में पानी नहीं मिल रहा है । इस तरह से तो पूरा प्रदेश क्या देश तबाह हो जायेगा ।

जहां पर वृक्षारोपण है और किया जा रहा है, वह कामर्शियल किया जा रहा है । चीड़ के पेड़ों के लगाने से सरकार को लकड़ी और लीसा का फायदा है लेकिन उसकी पत्तियों से सारे जंगलों में आग लगती है ।

श्री अध्यक्ष–

वन विभाग पर यह सुझाव आग बुझाने का दीजियेगा ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

यदि आप पर्यावरण के विषय पर मेरे महत्वपूर्ण सुझाव नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं । मैं वास्तविक स्थिति कह रहा हूं । आठों जनपदों में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी समाप्त करें । शेष सुझाव उत्तर भाषण के समय ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

वहां पर चौड़ी पत्ती वाली घास के पेड़ लगें जिससे पानी बढ़ता है, यह बहुत अच्छा होगा । इससे जो पानी की आवश्यकता है वह पूरी हो जायेगी । आज पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है । चौड़ी पत्ती वाली घास न होने से और पेट्रोल तथा डीजल का अन्धाधुन्ध धुआं होने से प्रदेश का सारा वातावरण दूषित हो गया है । उसकी चिन्ता आपको और सरकार को होनी चाहिए....व्यवधान.....आप तो पर्यावरण की बात सुनने के लिए धीरज रखना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आपके मूल्यवान सुझाव से मंत्री जी अगवत हो चुके हैं और शेष जो बचे हैं उन्हें उत्तर भाषण में कह दीजिएगा ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

व्यवधान.. आज आग क्यों लग रही है। वन विभाग के जो डिवीजन है, जो फारेस्ट के डाक बंगले हैं वहां सडकें बनी हुई है यदि उन सड़कों की मरम्मत कर दी जाए तो वह स्थान पर्यटन केन्द्र भी हो सकते हैं मेरे क्षेत्र बागेश्वर में वन विभाग का डिवीजन नहीं है, जब आग लगती है तो बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि दोनों डिवीजन अल्मोड़ा में रहते हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

टम्टा जी से अनुरोध है कि वह समाप्त करें। काफी समय आपको दे दिया गया है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री मायाशंकर पाठक–

श्रीमन्, आप मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के सुन्दर मुख्य मंत्री जी के निर्देशों पर अति सुन्दर जो बजट पर्यटन का प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं बोलने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, मैंने बजट के प्राविधान को बहुत अच्छी तरह से देखा है और माननीय मंत्री जी के विचारों को भी सुना है। बहुत सुन्दर बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। बजट के प्राविधानों में दो बातें कहना चाहता हूं। आपसे मैं मान्यवर, मात्र दो मिनट का समय लूंगा। वाराणसी जनपद में सारनाथ एक ऐसा विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के लिये मक्का और मदीना की तरह है। प्रति वर्ष श्रीलंका, चीन और जापान से 10 करोड़ रुपये की धनराशि यहां के विकास के लिये आती है लेकिन वह मंदिरों, मठों के निर्माण में और थोड़ी मोड़ी सड़कों के निर्माण में खर्च हो जाती है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के पास एक अति सुन्दर झील बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके लिये 100 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर कर रखी है लेकिन अभी तक पूर्ण कार्यवाही नहीं हुई है। झील को आकार दिया जा चुका है लेकिन निर्माण नहीं हुआ है। न मोटर नौकाएं ही डाली गई न पानी की ही व्यवस्था हुई है।

श्रीमन्, आप भी काशी के ही रहने वाले हैं। सारनाथ जाते होंगे। वहां जाने से मन बहुत पवित्र होता है और बहुत अच्छी भावनाएं आती हैं। क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मांस और मदिरा पर निषेध है। बौध धर्म के इस पर्यटन स्थल के बारे में माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा पर्यटकों के लिये वहां पर झील बनवाये और वन्यप्राणियों का जो चिड़ियाघर है, बहुत अच्छा है लेकिन उसकी देखभाल और रख-रखाव अच्छा नहीं है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर आप विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। दूसरा बिन्दु यह कहना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय तक आप काशी में रहे हैं। काशी में राजघाट से अस्सीघाट गंगा के किनारे सड़क निर्माण की एक परियोजना के लिये विश्वबैंक के द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई थी जिस समय माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे 15 करोड़ रुपये की धनराशि माननीय कल्याण जी ने स्वीकृत की थी। इस परियोजना के लिये भारत सरकार से भी सहायता मिलनी थी लेकिन भारत सरकार ने वह धनराशि अवमुक्त नहीं की। मैं आपके माध्यम से

कहना चाहता हूं गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत जैसे ही धन अवमुक्त होता है राजघाट से लेकर अस्सी घाट तक चौड़ी सड़क के निर्माण का कार्य कराया जाय। बाम्बे में समुद्र के किनारे का दृश्य गंगा जी के किनारे नजर आयेगा। बनारस में विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां के पर्यटक न आते हों। बनारस बाबा भोलेनाथ की नगरी है। गंगा के किनारे इस चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य होता है तो अच्छा कार्य होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए बजट का समर्थन करता हूं और बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये मंत्री जी का साधुवाद करता हूं।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया कि मैं पर्यटन के बजट पर बोलूं इसके लिये आपका आभारी हूं साथ ही मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलते हुए पर्यावरण के ऊपर भी अपने विचार रखना चाहता हूं। भौतिकता की अन्धी दौड़ में जब यह समाज आगे बढ़ता गया तो अपने ही जी के ऊपर खतरा इसने पैदा कर दिया। जब इंसान ने लोहा सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया, लोहे को आकाश में दौड़ाना शुरू कर दिया बन्द सिलेन्डरों में दौड़ाना शुरू कर दिया तब से उसका आउट फुट मानव जीवन के लिए विषाक्त होने लगा। मान्यवर, प्रदेश में कल-कारखाने हैं उनकी चिमनियों को किस सिस्टम से बनाया जाता है मैंने देखा है, नियम और सिस्टम सरकार के लागू हैं लेकिन ड्राफ्ट के आधार पर चिमनियों की लम्बाई जो होती है वह नहीं बनाई जाती।

श्री अध्यक्ष–

प्रदूषण पर बोलिये।

श्री रामजीत भारद्वाज–

पर्यावरण कन्ट्रोल पर बोल रहा हूं पर्यावरण इसी के अन्दर आता है। जिस तरह से कोई अधिकारी या जिसके पास कार है 963 किलोमीटर चलने के बाद जितनी आक्सीजन वह लेती है उतनी आक्सीजन एक आदमी जिन्दगी भर इस्तेमाल कर सकता है। वायुमंडल में वाहनों के इंजनों के कारण आक्सीजन कम हो रही है। और कार्बन डाई आक्साइड और फ्लोरी कार्बन्स बढ़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें।

श्री रामजीत भारद्वाज–

मुझे दो मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने प्रदूषण के बारे में बताया कि एक अलग विभाग है जब वह आयेगा तब आप सुझाव रखियेगा।

श्री रामजीत भारद्वाज–

प्रदूषण के साथ-साथ कह रहा हूं कि पर्यावरण कैसे कन्ट्रोल होगा । यह अति महत्वपूर्ण है । श्रीमन् वाहनों से जो ब्लैक स्मोक और व्हाइट स्मोक निकलती है उससे आदमी के जीवन को खतरा हो गया है । वैज्ञानिकों ने बताया है कि 6 मील से ऊपर और 6 मील के नीचे जीवाणु रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री रामजीत भारद्वाज–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह जो बजट पर्यावरण का है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हमारे यहां किसी अफसर को दण्ड देना हो तो उसको पर्यावरण विभाग में भेज दिया जाता है । ऐसा नहीं समझना चाहिए । फैक्ट्री के माध्यम से धुंआ बढ़ रहा है । इससे पर्यावरण दूषित होता है । कार्यालय में ए० सी० चलाते हैं उससे पर्यावरण दूषित होता है । पशुओं की लाशें और कूड़ा-कचरा फेंका जाता है उससे पर्यावरण दूषित होता है । ए० सी० चलते है, जैसा मैंने पूर्व में कहा इन ए० सी० को बन्द करवा देना चाहिए ताकि इससे भी पर्यावरण दूषित न हो । वृक्षारोपण कराना चाहिए ताकि पर्यावरण न बिगड़े । जहां तक पर्यटक विभाग का मामला है मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि दारू को बन्द करायें । जो होटलों में बार की सुविधा रहती है 16 करोड़ की आबादी प्रदेश की है कहीं दारू न मिलती हो ऐसा नहीं है । भारत वर्ष में पर्यटक आते हैं फाइव स्टार में जाते हैं और दारू पीते हैं चन्द सिक्कों के लिए, चन्द पैसों के लिए अपने देश की संस्कृति को न खोवें । इससे कानून व्यवस्था देश की सुदृढ़ होगी । निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा । माननीय मंत्री जी वर्मा जी, वैसे भी पर्यटन प्रेमी हैं ! और जंगलप्रेमी तो हैं वह निश्चित रूप से इस विभाग के लिए जो उनके पास उधार का विभाग है, इस विभाग को संरक्षण प्रदान करते हुए इस पर निश्चित रूप से कुछ करेंगे ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं अपनी जगह श्री सत्यप्रकाश विकल जी से कहता हूं वह इस बजट पर बोलेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया । मैं पर्यटन के बजट का स्वागत करता हूं और इसलिए कि सरकार ने प्रयास किया है इस बात का कि पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश का व अपने देश का कुछ विकास हो । मैं आगरा के बारे में खास तौर पर चर्चा करना चाहता हूं । मुझे खुशी है मैंने इस विभाग का साहित्य पढ़ा है । इसमें आगरा के बारे में कुछ चर्चाएं हैं । सौरीपुर बटेश्वर का जिक्र है । ताज महोत्सव के बारे में भी है । ताज महल जो ऐतिहासिक

महत्व का है। वहां भी इमारतों का महत्व है। यह बताया गया है कि 4 करोड़ 12 लाख पर्यटक पूरे देश में आए हैं इस वर्ष में और उसमें से 4 लाख 80 हजार विदेशी पर्यटक हमारे देश में आए हैं। मेरा कहना है कि शत प्रतिशत विदेशी पर्यटक ऐसे होंगे जो आगरा जरूर गए होंगे। कोई विदेशी पर्यटक इस देश में आता है तो वह आगरे का ताजमहल देखने जरूर आता है। हमारे देशी पर्यटकों में भी जो 4 करोड़ से ऊपर हैं यदि इनका 25 प्रतिशत भी रख लिया जाए तो करीब एक करोड़ पर्यटक आगरा जरूर आएं होंगे। आगरा में पर्यटकों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आगरा में बहुत से होटल हैं अच्छे ठहरने के स्थान हैं लेकिन वहां पर पानी, बिजली की कमी है सड़कों मनोरंजन पार्कों का विकास नहीं हुआ है। सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यह सब ठीक न होने पाये इस के लिए खासतौर से दिल्ली की लाबी आगरा को दवाकर रखती है।

मेरा सुझाव है कि मंत्री जी से कि इस बात की कोशिश हो कि भारत सरकार के साथ वार्ता करके प्रदेश और भारत सरकार की एक संयुक्त समिति बने जो आगरा को पर्यटन कीं दृष्टि से विकसित करने के लिए काम करे। अगर आगरा विकसित होगा तो जो विदेशी धन इस समय प्राप्त हो रहा है उससे कई गुना धन विदेशी पर्यटकों के आने और ठहरने से देश को प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार बटेश्वर के लिए आपने 4 लाख रुपये का प्राविधान किया है। वहां पर 101 शानदार घाट हैं वहां के लिए इतने कम पैसे से जबकि इस समय वहां पर घाटों की काफी टूट-फूट हो चुकी है। कैसे हो जायेगा ? इन घाटों को पर्यटकों के लिए अत्यन्त रमणीय और शानदार बनाया जा सकता है। सौरीपुर जैन अनुयाइयों का अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान है। आपने केवल दो लाख रुपये दिये इससे क्या होगा। इससे तो दो सड़क भी नहीं बन सकती है। बटेश्वर और शौरीपुर को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण किया जाए। इतनी दूर से यात्री जो आते हैं वह बटेश्वर से शौरीपुर जाकर उसका धार्मिक महत्व बढ़ा सकते हैं। हमारे यहां ऐतिहासिक इमारतें हैं। ताज महल, एतमादुद्दौला, लालकिला, दयालबाग, फतेहपुर सीकरी, सूरकुटी आदि अनेक पर्यटक स्थल हैं। उनके विकास की दृष्टि से पर्यटन को उद्योग मानकर विकास हो। उसके लिए धन के व्यय के लिए पर्यटन विभाग को प्रदेश सरकार के अन्य विभागों से भी मदद की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आगरा की आज तक जो उपेक्षा होती रही है, पर्यटन की दृष्टि से जो उसको महत्व नहीं मिला है, उसको मदद मिलने से यह विकास पूरा हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का स्वागत करता हूं।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। पर्यटन के विभाग का समर्थन करते हुए भगवान बुद्ध के पिता की राजधानी कपिलवस्तु जहां बुद्ध के जीवन के बचपन के 35 वर्ष व्यतीत हुए थे। जिसके नाम से ही जनपद सिद्धार्थनगर को मुख्यालय का दर्जा दिया गया। जनपद मुख्यालय चालू हो गया। वहां पर कपिलवस्तु व पिपरहा है वह अभी भी खण्डहर पड़ा हुआ है। वह बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जहां पर विदेशों से बहुत से यात्री आते हैं। वहां लंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा और जयवर्धन मत्था टेकने आ चुके हैं। वहां का विकास नहीं हुआ है। वहां पर किसानों की 100 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि चीन, जापान, वर्मा, लंका वहां पर अपने मन्दिर बनाना चाहते हैं। यदि यह भूमि उनको आवंटित कर दी जाय तो सरकार का एक पैसा नहीं खर्च होगा और वहां का विकास हो

जायगा । आज वहां पर हजारों लोग आते हैं लेकिन खण्डहर को देखकर सरकार के प्रति बहुत सम्मान लेकर यहां से नहीं जाते हैं । कपिलवस्तु के बारे में मैं फिर निवेदन करता हूं वहां का विकास किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर जो बिन्दु छूट गये थे उनकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हजारों पर्यटक, पर्यटन नगरी, नैनीताल, रानीखेत, मंसूरी, को आते हैं । पर्वतीय क्षेत्र में कौसानी भी है । कौशानी सुमित्रानन्दन पंत जी की जन्म स्थली है । वहां पर अभी पेयजल की समस्या बनी हुयी है । जब वहां पर पर्यटक आते हैं तो उनको नदी और घाटियों से पानी लाकर पीना पड़ता है । विदेशी पर्यटकों की यह असुविधा देखकर हम जनप्रतिनिधियों का और सरकार का सर लज्जा से झुक जाता है कि पर्यटकों को पानी भी उपलब्ध नहीं है । जहां पर सुमित्रानन्दन पंत जैसे कविराज पैदा हुये हों और जहां महात्मा गांधी जी ।। दिन रुके हों और जहां पर शान्ति आश्रम हो वहां की स्थिति खराब हो तो यह हम सबके लिये शर्म की बात है । 8 तारीख को वहां पर महात्मा गांधी जी की जन्मशती समारोह वहां पर महात्मा गांधी गांव का शुभारम्भ किया जा रहा है लेकिन वहां पर आने-जाने की समस्या है । वहां पर सड़कों पर खड्ढे हैं । शान्ति आश्रम जाते समय सड़कों पर धूल उड़ती है । ऐसी जगह पर सड़कों का पक्का होना नितानत आवश्यक है । मैं आपके माध्यम से पिंडारी ग्लेशियर के बारे में कहना चाहता हूं । वहां जाने वाली सड़क आज तक नहीं बनी है । लोगों ने वहां पर श्रमदान से सड़क बनायी थी । वहां लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक जाते हैं । सड़क पक्की न होने के कारण उनको बड़ी असुविधा होती है । इस सड़क को पर्यटन विभाग को, हाट मिक्सप्लांट द्वारा बनवाना चाहिये ।

आपको आश्चर्य होगा कि पर्यटन स्थल हमारे क्षेत्र में बहुत हैं, लेकिन हाट मिक्स प्लान्ट की एक भी सड़क नहीं है और सड़कों के रख-रखाव के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी रख-रखाव के लिये व्यवस्था की जाये । मान्यवर, नदियों का उद्गम हमारे क्षेत्र से ही होता है, यहां पर आने-जाने के लिये पुलों की बहुत कमी है । पर्यटन को ध्यान में रखते हुये पुलों के निर्माण की व्यवस्था की जाये और वहां की बेरोजगारी दूर करने के लिये टूरिस्ट विभाग में उनको नौकरी दें और पर्यावरण विभाग में उनकी नियुक्तियां करें और नौकरियां दें । मान्यवर, वहां पर जो पर्यटक जाता है पर्यटकों के रहने के लिये स्थान नहीं है उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था की जाये । मेरा प्रस्ताव है कि बागेश्वर वन विभाग का डिवीजन हो, वहां पर पर्यावरण का कार्यालय खोला जाये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी आज ही यह घोषणा करें । इन शब्दों के साथ मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री राम् लखन वर्मा–

श्रीमन्, माननीय सदस्य टम्टा जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनके बोलते समय आश्चर्य का अनुभव हुआ होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आश्चर्य की कोई बात नहीं है । टम्टा साहब का हाल यह है कि जब वह बोलते है तो आंख भी बन्द कर लेते हैं और कान भी बन्द कर लेते हैं । मान्यवर, टम्टा जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । उन्होंने पर्यावरण से लेकर वन जीव जन्तुओं तक अपनी सम्वेदना जताई है । माननीय सदस्य पहाड़ के रहने वाले हैं, वहां पर हाथी तो सम्भव नहीं है,

लेकिन भालू की व्यवस्था करा दी जायेगी, जब नजर लग जाती है तो जब वह फूंक देता है , तो वह ठीक हो जाती है ।

मान्यवर, टम्टा जी ने, माननीय पाठक जी ने, माननीय हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने, धनराज यादव जी ने जो सुझाव दिये हैं, वह बहुत ही अच्छे सुझाव हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं । और खास तौर से मान्यवर, पर्यटन और पर्यावरण प्रदेश और देश की जनता के हित में है, देश के हित में है, मैं टम्टा जी से गुजारिश करूंगा कि अगर देश का हित चाहते हैं, प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं, विरोधी नहीं है तो कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें और इसे सर्वसम्मति से पास करें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय टम्टा जी कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,73,33,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के सम्पूर्ण अनुदान की अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,02,85,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान, अनुदान संख्या–48
मुस्लिम वक्फ विभाग

अल्प संख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बशीरूद्दीन)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल से सिफारिश करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

मान्यवर, मुस्लिम वक्फ विभाग का कार्य संचालन उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम 1960 के अन्तर्गत किया जा रहा है । मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सिया सुन्नी की सम्पत्तियों का वक्फ संरक्षण, रख-रखाव एवं विकास का कार्य करता है ।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, यह सरकार बड़ी अजीबो गरीब बाते करती है अभी पिछले हफ्ते इसने घोषणा की कि हम, 8.44 यहां मुस्लिम रिजर्वेशन दे रहे हैं । एक अकेला वक्फ इसमें गवर्नमेन्ट का कोई योगदान नहीं है उसकी धनराशि 30 लाख रुपया पूरे साल के लिए ।

पूरे प्रदेश में यह दिल्लगी कर रखी है कम से कम ऐहसान तो मुसलमान पर न हो, जो 8.44 और तीस लाख की बात कर रहे हैं, हमें अपने हाल पर आप छोड़ दें । मान्यवर, यह जो विभाग है इसमें सरकार का कुछ नहीं होता । 30 लाख रुपये जो भेंटची दे रहे हैं यहां के लोग इसमें वक्फ करते हैं जायदादों का उन जायदादों से किराया आता है और उसी से से यह चलता है । पिछले 3-4 महीने पीछे इस विभाग में ताला लग गया आप कह सकते हैं कि आपकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं । क्योंकि उसमें आप सहयोगी थे । चार-चार महीने लोग गायब रहे, इसका कोई कन्ट्रोल है या नहीं है । आजकल मुस्लिमों को लेकर बहुत फिक्र है, और लोग बहुत चिन्तित थे इस सदन में, मगर हश्र क्या है । मान्यवर, कर्नाटक के अन्दर 17 हजार मुस्लिम वक्फ् है वह मेडिकल कालेज चलाते है इंजीनियरिंग कालेज चलाते हैं । यहां ढाई लाख मुस्लिम वक्फ है वहां की तनख्वाह हम नहीं दे पा रहे हैं ये मजाक नहीं तो क्या हो रहा है । डिपार्टमेन्ट की जो बिल्डिंग है उसे बेहतर करा दें । वहां पर सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कराइये । अगर वहां पर कोई तशरीफ ले जाए तो कोई पिंजड़े जैसी जगह लगती है, कुछ वकील खड़े रहते है और कुछ और लोग खड़े रहते हैं । जो फाइलों का सिस्टम हैं, उसको भी बेहतर करा दें । अगर कोई फाइल ढूंढनी हो तो 6 दिन तक फाईल मिल नहीं सकती ।

मान्यवर, माइनारिटीज डबलपमेन्ट कारपोरेशन 89 तक बना था, चलता था, उसने कुछ दुकानें भी बनाई थी, वह सब की सब रुक गयी, कुछ उसमें हो नहीं रहा है, वह भी डिस्बैण्ड कर दिया । मंसूरी में अहजद नाम का फोर स्टार होटल है जो वक्फ की प्रापर्टी है । वक्फ डिपार्टमेंन्ट को अलग रखने की

कोई वजह नहीं थी किसी विभाग के साथ इसको जोड़ दिया जाता तो कम से कम अहसान तो नहीं होता, ये हमारे साथ मजाक हुआ है। न मंत्री जी की उसमें कुछ तैयारी है, कोई योजना है नहीं। इसमें और कुछ माननीय सदस्यों के भी सुझाव आयेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जानकारी होगी कि कटौती का प्रस्ताव रखते समय इस बात का संकेत किया गया था कि जो वक्फ आफिस है उसकी मान्यवर, व्यवस्था बहुत खराब है। जानकारी के अनुसार वहां कर्मचारियों को कई महीने से वेतन भी नहीं मिला है वे बेचारे आन्दोलन कर रहे हैं शासन के पास जानकारी होगी। जो विभाग के पूर्व मंत्री थे उनका कुछ निहित स्वार्थ पैदा हो गया था उसके कारण जानकारी तो यहां तक है कि ताजमहल को वक्फ प्रापर्टी घोषित करके अपने को चेयरमैन बनाने का प्रयास किया था। वे जिस जनपद के है वहां वक्फ की बहुत प्रापर्टी है राज परिवार है, उसमें भी वक्फ में उन्होंने कुछ बनने की चेष्टा की थी वह जानकारी आपके पास होगी। पिछली सरकार ने कुछ गल्तियां की थी उनको सुधारने की जरूरत है। वक्फ जो यहां विवाद चला है उसको ठीक करावें। जगह की उनकी व्यवस्था करा दें। मान्यवर, राज्यपाल जी ने, जिस समय राष्ट्रपति शासन था, 25 लाख रुपये उन्होंने दिये थे, मंत्री जी कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे कर्मचारियों से उन्होंने 25 लाख रुपये की रकम रुकवा दी। यह मामला जब उस समय की सरकार थी तो मैंने रखा था और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो कर्मचारी काम नहीं करते हैं हम उनको वेतन नहीं देंगे। काम करते हैं या नहीं करते हैं, डिसिप्लिन्ड है या नहीं तो आपके उनके खिलाफ कार्यवाही करें लेकिन जब तक वे नौकरी में हैं आप उनके पेट पर लात नहीं मार सकते हैं यह तो औचित्य के खिलाफ है। मान्यवर, यहां जो बजट प्रस्तुत किया गया मैं इसका समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं और इस बात पर बल देता हूं कि यह सुनिश्चित सरकार करे कि उनको वेतन मिले और वहां पर व्यवस्था ठीक से हो। वक्फ बोर्ड को जिन लोगों ने अपनी जायदाद अपने देश की सेवा के लिए दे रखी हैं उसका सही रूप से इस्तेमाल हो इस बात का दायित्व सरकार का है।

श्री सफदर रज़ा खां–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे बहुत प्रयास करने के बाद इस बार वक्फ विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा वक्फ विभाग से सम्बन्धित रखे गये बजट का अक्षरशः समर्थन करते हुए आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं। मान्यवर, कदाचित जिन समाज सेवी लोगों ने अपनी जायदादें कौम और समाज के लिए वक्फ की रही होंगी उनका यह आशय रहा होगा कि गरीब और यतीम बच्चे जो हैं उनको शिक्षा मिल सके, उनका भरण-पोषण हो सके, विधवा और वृद्ध महिलाओं की सेवा उसकी आपके माध्यम से हो सके। मान्यवर, आज माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने अभी यह कहा कि आज वक्फ विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है यह सही है। इसका कारण यह है कि जिन लोगों के हाथों में वक्फ की जायदाद सम्हालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से नहीं निभाया। लगभग 30 सालों से जो वक्फ का कानून है उसको अलग रखा गया है। एक कन्ट्रोलर के हाथ में यह विभाग सौंप दिया है जबकि व्यवस्था यह है कि वक्फ का बोर्ड हो और अगर वक्फ का बोर्ड होता तो माननीय

सदन के जो मुस्लिम सदस्य थे वे उसके मेम्बर होते उनको यह अधिकार होता कि वे उसमें सुधार कर सकते और भी समाज के अन्य लोग, हर तबके (पक्ष) के लोग इसमें होते और लोक तांत्रिक तरीके से गुण दोष के आधार पर विभाग को चलाया जाता।

मान्यवर, अगर बोर्ड बनाकर चलाया जाता तो मेरा निश्चित मानना है कि इसमें जो भी खामियां होती उसमें निश्चित रूप से सुधार आता। यदि कोई गड़बड़ी करता तो उसकी सजा दी जाती लेकिन मान्यवर, करोड़ों की जायदाद को कौड़ियों के भाव बेचा गया। आप लखनऊ में ही देख लें जितने बड़े-बड़े बंगलें, कि मुख्य मंत्री के बंगले के बराबर, उन बंगलों को 50–60 रुपये में आवंटन किया गया है। और लोग काबिज हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और जो करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति है, जिन्होंने वक्फ को दी है, उसका सही इस्तेमाल किया जाये उससे उनकी आत्मा को शान्ति मिलेगी और गुप्त जी की जो मंशा है वह भी शायद यही है। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा मान्यवर, कि वक्फ बोर्ड बनाने के लिए आप अपने स्तर से कार्यवाही करें जहां तक मेरी जानकारी है इसमें कोई अवरोध नहीं है। मान्यवर मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय कोकब हमीद साहब से अनुरोध करूंगा कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वे उस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और वक्फ की जायदाद की सुरक्षा एवं उसके सही इस्तेमाल हेतु सुझाव देते रहेंगे। धन्यवाद।

डा० राम बाबू हरित–

माननीय अध्यक्ष जी, मुस्लिम वक्फ विभाग के बजट के समर्थन में माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बात सच है कि इस समय इस विभाग की हालत बहुत खराब है, यहां के कर्मचारियों को सही समय पर तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वक्फ की जो तमाम जमीनें आजकल शहरों में आ गई हैं, उसकी करोड़ों रुपये की कीमत है लेकिन कुछ भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों ने इन जगहों को घेरकर दुकानें बना डाली हैं, वह इन दुकानों को अनैतिक, गैरकानूनी ढंग से बेच रहे हैं, माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि जितनी भी जमीन शहर में आ गई है, उसमें खुद ही दुकानें बनवाई जायें और पगड़ी पर उठाई जायें, जिससे इस विभाग की आय का साधन बढ़े। इसके अलावा इन सम्पत्तियों को बेचकर दूसरी जगह सस्ती जमीन भी ली जा सकती है, उससे भी इस विभाग की स्थिति सुधारी जा सकती है, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा, माननीय मंत्री जी से, कि 30 लाख रुपये तो मिलने ही हैं, वह केवल तनख्वाहों में ही न निकल जायें। इसके अलावा यह कहना चाहता हूं कि कलियर शरीफ की व्यवस्था अच्छी हो जाय, वहां आने-जाने का साधन हो जाय, आप उसे इस काबिल बना दें कि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। एक बोर्ड पिछली बार बना था, उसकी खबर मुझे घर पर मिली, उसमें शिया का अलग और सुन्नी का अलग चुनाव होना था, लेकिन उसमें एक ही तरफ के लोग हो गये, हालांकि बाद में वह बन नहीं पाया, बीच में सत्ता चेन्ज हो गई, मैं चाहता हूं कि यह बोर्ड जल्दी बन जाये, जिससे बैठकर कम से कम कुछ करना है तो वह करीने से हो सके। माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह अमानत आपके पास है, यह न तो सरकार की है, न किसी और की, अगर

आप इसके मंत्री बने हैं तो आपको भी एक दिन ऊपर जाना है, सबको ऊपर जाना है, लेकिन वहां जवाब सबको देना पड़ेगा, इसलिये आप इस काम को अवश्य कर दीजिये । मान्यवर, पिछले दिनों रेंट कन्ट्रोल एक्ट में कुछ चेन्ज हुआ था, पिछली सरकार ने किया था, उसमें वक्फ की सम्पत्ति को रेंट कन्ट्रोल से अलग कर दिया था, लेकिन उसमें कार्यवाही नहीं हुई है, आपके विभाग ने कार्यवाही नहीं की । मैं चाहता हूं, उस ओर भी आप ध्यान दें, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुये अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री बशीरुद्दीन–

अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई हमीद जी ने जो बात रखी है और गुप्ता जी ने तथा अन्य साथियों ने जो बातें रखी हैं, कर्मचारियों की तनख्वाहों के बारे में, उस संबंध में बताना चाहूंगा कि जिस दिन मैं मंत्री बना, मैंने उसी दिन 25 लाख जो तनख्वाह का चेक था, पर दस्तखत कर दिये थे । दूसरी बात, जिस दिन मैं इस वक्फ विभाग का मंत्री बना, तमाम मुकदमें हमारे सामने थे । कुछ लोग व्यक्तिगत तौर से वक्फ की प्रापर्टी को अपनी मल्कियत बनाने के लिये हाई कोर्ट ले जाना चाहते थे, इस चीज को बचाने के लिये, वक्फ सम्पत्ति को बचाने के लिये सरकार ने विधेयक लाकर कन्ट्रोलर नियुक्त कर दिया है । आपके माध्यम से मान्यवर, मैंने गुप्ता जी की बात का जवाब दिया । वित्त विभाग में अभी कुछ थोड़ी सी अड़चन है, जल्द ही तनख्वाहें दे दी जायेंगी । हमारी पहले दिन सें ही इसके बारे में राय है कि हम कर्मचारियों की तनख्वाहें न रोंके । हमारे साथी ने कुछ अन्य बातें बताई हैं, उसी को देखते हुये हमने कन्ट्रोलर नियुक्त किया है । शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से हाईकोर्ट में अपील है, सुन्नी इसे इलाहाबाद की कोर्ट ले जाना चाहते हैं, सम्पत्तियों की खातिर । आज वक्फ बोर्ड की हालत खराब है, ज्यादा कहना अच्छा भी नहीं है .....

उसकी कोशिश के लिए हम यह कह रहे हैं । मुतवल्ली हजरात जो वक्फ की सम्पत्ति के मालिक बने रहे हैं, उनके मालिकाना हैसियत की जांच करायी जायेगी ।

हमारे भाई हमीद जी ने जो कल्यिर शरीफ के बारे में कहा है तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जनाब शरवत अली साहब को वहां रखा था, वहां उन्होंने जिस तरह से चलाया उसका ब्योरा नहीं देना चाहता लेकिन बताना चाहता हूं कि हमने कम टाईम मिलने के बाद भी ओपेन बोली के जरिये नीलामी करवायी है । पिछली सरकार ने 2 सालों के लिये एक आईटम में 8.50 लाख (साढ़े आठ लाख रुपये) रुपये दिया, इन साल 7 लाख रुपये एक साल के लिये है । मान्यवर, वक्फ की अमानत पर हम किसी को कब्जा करने नहीं देंगे, हम मिल बैठकर उसका ब्योरा तैयार करेंगे और उस हिसाब से काम करेंगे । इसके साथ ही मान्यवर, मैं अपनी सफाई देते हुये भाई हमीद जी से गुजारिश करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें क्योंकि आपने खुद ही यह महसूस किया है कि मात्र 30 लाख रुपये का बजट है जो कि कम है, इसलिये इतने कम बजट को आप पास कर दें और अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री कोकब हमीद जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री कोकब हमीद–

नहीं मान्यवर, मैं उस पर बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30.05.000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक में अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

सहकारिता मंत्री (चौधरी जगवीर सिंह गूजर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,75,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(इस समय 6 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

मान्यवर, सहकारिता विभाग को हमारे महानुभावों ने एक आन्दोलन का नाम दिया है, मैं कहना चाहता हूं कि सही मायने में प्रकृति के नियम को इन्होंने चैलेन्ज किया है, प्रकृति का नियम है कि जैसे-जैसे समाज बढ़ता जायेगा, जैसे-जैसे परिवार बढ़ता जायेगा, वैसे-वैसे अलगाव होता जायेगा। लेकिन इसमें ठीक इसके उल्टा है। यह एक परिवार को जोड़कर आगे बढ़ने की बात करता है। मैं समझता हूं कि सहकारिता आन्दोलन का नाम बहुत सोच-समझकर दिया गया है। सहकारिता विभाग छोटे कृषकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीण दस्तकारों, श्रमिकों इन सबके कल्याण अथवा उत्थान के लिये विभाग कटिबद्ध है। इनको चन्द सुविधायें सहकारिता विभाग के माध्यम से मिलती है। मैं समझता हूं आप सब लोग भलीभांति परिचित हैं। ऋण की सुविधायें सहकारिता विभाग के माध्यम से दी जाती है। तीन प्रकार से ऋण दिये जाते हैं। पहली अल्पकालीन ऋण, जो फसली ऋण होती है, वह इसके माध्यम से मिलती है। मध्य कालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण भी सहकारिता विभाग देती है। अल्पकालीन ऋण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा।

गत वर्ष लगभग 8 सौ करोड़ रुपया दिया जिससे 50 लाख लोग लाभान्वित हुए जिससे करीब सवा सात लाख लोग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के है । इसी प्रकार मध्य कालीन ऋण जो कि ग्रामीण विकास बैंक व प्राइमरी सोसायटी द्वारा दिया जाता है जिसकी अवधि तीन से पांच वर्ष है गत वर्ष 16 करोड़ 82 लाख रुपया वितरित हुआ इस वर्ष का लक्ष्य 34 करोड़ रुपया है जो किसानों और मजदूरों के हित में सहायक होगा । दीर्घ कालीन ऋण जो एल० डी० वी० द्वारा दिया जाता है जैसे किसान कोई चीज खरीदना चाहता है उसमें पहले यह था कि वह एक निश्चित डीलर से खरीदेगा परन्तु अब इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया है कि वह जहां से चाहे वहां से खरीद सकता है इसके लिए उसे सीधे चेक दे दिया जाता है । इसमें फल उद्यान, समाजिक वानिकी दुग्ध विकास आदि के लिए भी ऋण दिया जाता है । आगामी भविष्य में लोन वृद्धि करने के लिए नावार्ड के सहयोग से एक अनुबन्ध किया गया है जिसके फलस्वरूप अब यह धनराशि साढ़े तीन करोड़ रुपये की हो जायेगी । कृषि निवेश आपूर्ति योजना भी है जिसके अन्तर्गत प्राइमरी समितियों द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों की व्यवस्था की जाती है बहुत सी जगहों पर ये वस्तुयें नहीं मिल पाती थी जिससे किसान परेशान होता है मैंने अपने स्तर से वह माननीया मुख्यमंत्री जी के स्तर से प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है ताकि समय पर ये चीजें उपलब्ध हो सके । हमने इसके लिए केन्द्र सरकार से रैक्स की व्यवस्था कराई है जैसा कि मेरे पास जानकारी आई है लगभग 68 प्रतिशत सहकारी समितियों में यह सामान उपलब्ध है ।

कृषि निवेश के अन्तर्गत प्रदान की गयी विशेष सुविधा योजना के अन्तर्गत डी० ए० वी० व एम० ओ० पी० एक हजार रुपये प्रति टन भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी फास्फटिक पोटेसिक खाद पर व्यापार कर माफ कर दिया गया है । क्रय-विक्रय योजना के अन्तर्गत गेहूं आदि खरीदा जाता है गत वर्ष 6 लाख 35 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था इससे किसानों को उचित मूल्य मिल जाता है । सहकारी विकास योजना के तहत सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था को सही करने के लिए कार्य किये जाते हैं । अभी इसमें दो जनपद लिये गये हैं वाराणसी और जौनपुर 8 और जनपदों को लिये जाने का प्रस्ताव भी है । महिला प्रेरणात्मक परियोजना के तहत सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के अन्तर्गत लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं की समिति बनाकर उन्हें जोड़ने का काम किया जा रहा है । इस प्रकार की 20 समितियां बनाई जायेगी और प्रत्येक समिति को एक लाख रुपया दिया जायेगा जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान, 25 अंश पूंजी व 50 प्रतिशत का ऋण होगा । इसके साथ ही सहकारी समितियों को शिक्षित करने की योजना भी है जो पी० सी० यू० द्वारा चलाई जाती है हमारे कई प्राइमरी सोसायटी के साथी अनपढ़ होते हैं तो चेक पर साइन करना वह नहीं जानते हैं, उन्हें शिक्षा दिलाने का प्राविधान इस योजना के अन्तर्गत किया गया है। उपभोक्ता योजना के अन्तर्गत दैनिक प्रयोग की वस्तुयें उचित मूल्य पर सहकारी समितियों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्य गणों से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी राय देंगे और उनके द्वारा दिये गये सुझावों का हम स्वागत करेंगे । धन्यवाद ।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आचोलना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है जिसका आम जनता से संबंध है । इसमें कोई दो राय नहीं कि यह कोई विभाग नहीं बल्कि आन्दोलन है । क्योंकि जब इस आन्दोलन का जन्म हुआ था उस समय देश में पूंजीवादी ताकतें सिर उठा रही थीं । अल्पपूंजी वाले और छोटे किसान और मजदूर वर्ग विशेष परेशान था । पूंजीवादी ताकतें आर्थिक सिकन्जें को अपने हाथ में लेती जा रही थी । उस समय हमारे राजनीतिक मनिषीयों ने यह सोच कर कि इन पूंजीवादी ताकतों से कैसे निपटा जाय यह आन्दोलन चलाया । इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय मंत्री जी ने काफी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला लेकिन जिस तरीके से यह विभाग कार्य कर रहा है जहां लघु और सीमांत किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, जमीन बंटती जा रही है, परिवार बंटते जा रहे हैं वह उत्साहजनक नहीं है । आज सहकारिता आन्दोलन सिर्फ आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है । इसका काम आम जनता को लाभ पहुंचाना है–एक शब्द से होत जहां बहु अर्थन का ज्ञान

सलेश कहत है ताहिको भूषण सकल सुजान ।

सहकारिता का मतलब है सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से योजनायें चले । कृषि उत्पादन में गुणात्मक रूप से वृद्धि हो, अल्प पूंजी वाले छोटे किसानों का आर्थिक उत्थान गुणात्मक दृष्टि से हो । आज ऐसा लग रहा है कि यह आन्दोलन कागजों में ही रह गया है । इसका संबंध सभी विभागों से है । इसमें अभी तक मात्र 1 करोड़ 25 लाख किसान परिवार ही सदस्य बन पाये हैं। आप तीन साल के आंकड़े उठा कर देख लें । इस आन्दोलन को बढ़ाने के लिये सकरार को वचनबद्ध होना पड़ेगा । आप पिछले 3 सालों के आंकड़े उठा कर देख लें उसमें कमी आई है । इसका कारण यह है कि इस सहकारी आन्दोलन से जुड़ी हुई जो सहकारी समितियां हैं, या सहकारी बैंक हैं, जो सहकारी शीतग्रह हैं उनके जो सदस्य हैं उनके दिलों में यह भावना पैदा हो गयी है कि कोआपरेटिव सोसायटीज डिफैक्टीव हो चुकी हैं इनके उत्थान की अब कोई संभावना नहीं है इनमें पूंजी क्यों लगायें । आज यह आम चर्चा है कि इन संस्थाओं में गबन होता है, इनका दिवालिया निकल रहा है ।

कृषि उत्पादन की वृद्धि में अभी तक 8599 आपकी समितियां हैं । सहकारिता के माध्यम से छोटे-छोटे किसानों को, लघु और सीमान्त किसानों को सुविधा के लिये अल्पकालीन ऋण योजना है जिसमें जमीन को कृषि योग्य बनाने के लिये सहायता दी जाती है । उसको लेने के लिये लोग आगे नहीं आ रहे हैं उसका कारण है कि जिस अनुपात में मंहगाई बढ़ी है उस अनुपात में सोसायटीज लोन नहीं करती है ।

जैसे सौ रुपये का मेम्बर है तो उसका दस गुना तो एक तो यह अनुरोध है कि यह जो अनुपात पूर्व से चला आ रहा है उसमें सदस्यता का शुल्क जो है उससे ऋण का अनुपात बीस गुना तक बढ़ा दिया जाना चाहिए । दूसरे मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह उत्पन्न हो रही है कि इसको लोगों ने राजनीति में आने का एक माध्यम बना लिया है अभी सहकारिता के चुनाव हुए थे, तो वास्तव में वह चुनाव नहीं हुए थे कुछ लोगों ने राजनीति करके, गुण्डागर्दी करके संस्थाओं को हथिया लिया था । यही कारण है कि जब अच्छे लोग इनमें चुनकर नहीं आते हैं तो उनके इरादे अच्छे नहीं होते हैं जिससे ये महत्वपूर्ण और जनता से जुड़ा हुआ आन्दोलन आगे नहीं बढ़ पाता है । आपके चुनाव प्रक्रिया में नामिनेशन की जो बात है उसके संबंध में मेरा निवेदन है कि जब यह सहकारिता का आन्दोलन है तो उसमें नामनेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए । अभी मंत्री जी ने कुछ बातें स्पष्ट

रूप से कही थी मैं पुनः उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा । मंत्री जी भी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं । उनके मुंह से 72 करोड़ का शब्द निकला था । वह क्या जाने पीर पराई जिसके पैर न फटी बेवाई ।

हम सब लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और यह आन्दोलन आगे बढ़े । मान्यवर, 12,75,75,000 रुपये का यह बजट है । इतने रुपये से हम सहकारिता आन्दोलन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम नहीं होंगे । पांच हजार नौ सौ सहकारी समितियां हैं जिनमें एक कार्यालय होता है आज 50 प्रतिशत सहकारी समितियों के भवन ध्वस्त पड़े हैं बजट में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है कि उनको बनवाया जा सके । बजट में केवल दो-तीन जिलों के भवन निर्माण का प्राविधान है । इससे उद्देश्य प्राप्त होना संभव नहीं है । मंत्री जी ने लघु किसानों और गरीबों की बात कही है, आप सहकारिता आन्दोलन के माध्यम से गरीबों और किसानों में जागृति पैदा करना चाहते है तो आपकी ब्याज दर भी कम होनी चाहिए । उन्हें ऋण देने का सुलभ तरीका भी आपको निकालना चाहिए । पहले जब प्रारम्भ में सदस्य बनाये गये थे तो निश्चय ही दिन-प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ी थी लेकिन सन् 92 के बाद से आपके सदस्यों की संख्या बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है क्योंकि इस आन्दोलन के प्रति उनके मन में भ्रम और शंका पैदा हो गयी है आपके यहां प्रशिक्षण की एक योजना चलती है, वह कागजों में ही चलती है । उसमें ढाई लाख लोगों को प्रशिक्षण देने की बात कही गयी है मैं नहीं समझता हूं कि किसी ने भी इस प्रशिक्षण योजना के बारे में कुछ सुना हो । किसी ने सुना हो तो बता दें.....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपको उत्तर भाषण में भी मौका मिलेगा अब समाप्त करें ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

किन्तु यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत आवश्यक है । जब तक प्रशिक्षण नहीं देंगे तो उसके लाभ को वह क्या समझेंगे ?

तो आपसे मेरा एक अनुरोध साथ-साथ यह भी है कि आप उस प्रशिक्षण योजना को विस्तृत रूप में चलवायें । इसके लिये, उसे जनता के बीच में लाने के लिये एक प्रशिक्षण सप्ताह सहकारिता का मनवायें जिस तरह से पहले मनाया जाता था लेकिन आज की तारीख में नहीं मनाया जा रहा है । आज सहकारिता विभाग से किसानों का लाभान्वित करने के लिये बहुत सारी चीजें हैं । उपभोक्ता भंडार हैं, पी० सी० एफ० आदि हैं । कोई ऐसा विभाग नहीं है तो सहकारिता से न जुड़ा हो । आज तक उत्तर प्रदेश में 70 शीत गृह हैं । इन 70 में से आज की तारीख में कितने शीत गृह बन्द पड़े हैं, इस बात का कोई जिक्र मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं बताया । इन शीत गृहों के बन्द पड़े होने का असर किसानों पर बहुत पड़ता है । आलू का उचित मूल्य लेने के लिये वह अपना आलू इन शीत गृहों में जमा करता है लेकिन आज जब शीतगृह बन्द पड़े हैं तो वह क्या व्यवस्था करे ? इतना ही नहीं है मेरी निश्चित जानकारी है कि इन शीतगृहों को बेचने की तैयारी सरकार कर रही है । इसमें उनका धन नहीं है किसान के तमाम शेयर्स हैं । इसी तरह से 19 चीनी मिलें सहकारिता की हैं । एक तरफ किसान सोचता है कि हमारी चीज हैं, इससे हमें फायदा मिलेगा, हम इसका सदुपयोग करेंगे लेकिन उस पर भी सरकार अपना

आधिपत्य जमा लेती है । जिस तरह से मंडी में दाम किसानों का होता है उसी तरह से सहकारिता में इन सब चीजों पर वह चीनी मिल हों या शीत गृह हो यह सब तमाम चीजें उसकी सम्पत्ति हैं, उनके सदुपयोग के लिये हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । अभी उत्तर भाषण में भी समय मिलेगा ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, दो एक बातें और कह देना चाहता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मान्यवर, इससे आभास हो रहा है कि यह सदन सहकारिता के प्रति सजग है ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किसानों को लाभान्वित करने के लिये सहकारिता सोसाइटियों से खाद पर सबसीडी दी जाती थी और उस सबसीडी का अनुपात भी काफी होता था । आज की तारीख में खाद के रेट तो बढ़ रहे हैं और अभी माननीय मंत्री जी ने यह कहा है, एक [illegible] पहले भी कहा है कि हमने खाद की आपूर्ति की सारी व्यवस्था कर ली है । मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह मिथ्या है । अक्टूबर, नवम्बर में रबी की फसल में गेहूं की खेती होगी और खाद की आवश्यकता होगी । खाद की व्यवस्था आज तक नहीं हुई है और मान्यवर, मैं यह कह देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है । उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार भी थी तो वह भी किसानों को खाद की आपूर्ति नहीं करा पाई थी । किसानों ने प्राइवेट दुकानों से मिलावट की खाद खरीदी थी । सहकारी संस्था अपने सदस्यों को उनकी आवश्यकतानुसार खाद की आपूर्ति नहीं करा पाई थी । डी० ए० पी० की कमी पड़ी थी । इसलिए सरकार को चाहिए कि वह इस बारे में सजग रहे और इस तरह की व्यवस्था करे । समय की बात कही गई है अक्टूबर नवम्बर की । अक्टूबर नवम्बर में खाद के लिये लोगों को भटकना न पड़े, इसकी व्यवस्था आपको करानी होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपके यहां बहुत सी सोसाइटियां होती हैं जिनमें न्याय पंचायत में प्राइमरी कोआपरेटिव सोसाइटीज होती है वह ऋण देने का कार्य करती है । कोआपरेटिव बैंक भी ऋण देने का कार्य करते हैं। बहुत सी सोसाइटियां लाभ में चल रही हैं और बहुत सी घाटे में हैं, दिवालिया हो गई हैं । जो लाभ में चल रही हैं उनके संबंध में कहना चाहूंगा कि लाभांश सोसाइटी के सदस्यों को ही मिलना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

सहकारिता का मतलब है उत्तर प्रदेश में किसी भी सोसाइटी ने, उसका जो लाभांश हो उसके संबंध में माननीय मंत्री जी घोषणा कर दें कि जो सोसाइटी लाभ में हैं उनके लाभांश को सोसाइटी में कार्य करने वाले लोगों में बंटना चाहिए। तो दूसरी सोसाइटियों के लोग भी उससे प्रोत्साहित होंगे और अपनी सोसाइटी को लाभांश में लाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, एक गोण्डा की सोसाइटी है उसने 30 लाख की एफ० डी० किया है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सोसाइटी विशेष कार्य योजना के लिए चाहती है कि कोई डिग्री कालेज खोला जाए तो इस पर सोसाइटियों को स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

* श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सहकारिता मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का मैं समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। अभी कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हमारे विद्वान सदस्य ने अपनी बात रखी। वह अपनी जगह ठीक हैं उनका गुस्सा जायज है। लेकिन उनका गुस्सा वर्तमान मंत्री जी के ऊपर नहीं होना चाहिए। सहकारिता का जन्म गांव के गरीब से हुआ था, जब एक बैल तेरा एक बैल मेरा, दोनों मिलकर खेती करके अपने-अपने परिवार का पोषण करते थे। सहकारिता का उदय वहीं से हुआ था। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि कोआपरेटिव, खाओ भर पेटिव, जैसा कि अभी हमारे साथी कह रहे थे। माननीय सदस्य संकेत कर रहे थे पहली बार सहकारिता के कानून में जब 1970 में पहली बार मुलायम सिंह यादव सहकारिता मंत्री बने तबसे भ्रष्टाचार शुरू हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले चुनाव, चुनाव जैसे नहीं हुए गुण्डा-गर्दी के द्वारा सहकारिता संसाधनों पर कब्जा किया गया। तभी पिछले अधिवेशन में अधिनियम 1965 की जो धारा 34 है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार की सहकारिता कन्ट्रौल होती रही है जिन सरकारी संस्थाओं में राज्य सरकार का 51 प्रतिशत हिस्सा है उसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है। अभी पिछले अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने सहकारिता अधिनियम की धारा 34 को ऐसे कर दिया जैसे हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जमीन में मरूं न आकाश में मरूं, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, इसी तरह से मान्यवर, गुण्डा-गर्दी से उन्होंने सोचा पांच सभी स्थानों पर बैठ जाएं ताकि उन्हें कोई हटा न पाए। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पवित्र धारा सहकारिता की जो मनीषियों ने बनाई है उसको बहाल करने की कृपा करें। सहकारिता किस स्तर पर पहुंच गई है ?

अभी दो-तीन दिन पहले पता लगा सचिव सुपरवाइजर स्तर के लोग हैं उनकी सेवाओं का विस्तार किया। डिप्टी रजिस्ट्रार हैं कानपुर के,दो सचिवों की सर्विसेज का एक्सटेंशन कर दिया। सेवा विस्तार तब होता है जब कोई पुल बन रहा हो। तकनीकी इंजीनियर हो और वह रिटायर हो रहा हो तो एक्सटेंशन दिया जाता है जिन सचिवों को किसानों के सहयोग के लिए रखा गया वह आज मालिक बन गए हैं। घोटाले होते हैं मैं कटौती के प्रस्तावक से कहना चाहता हूं 18 अरब के टर्न ओवर को साढ़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

18 अरब टर्न ओवर कर दिया है –मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा यदि वह विजीलेंश से जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दंड देंगे । जो सहकारिता के माफिया हैं उनको अगर जेल के सींखचों में कर दिया जाए तभी सहकारिता की स्वच्छ गंगा बहेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं व सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री मोलई–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं । सहकारिता एक स्वैच्छिक संगठन है जो आम लोगों तक जरूरत की चीजों को आम जनता तक पहुंचाने का काम होता है । सहकारिता जो आन्दोलन बना उसका मुख्य लक्ष्य भी यही था कि आम जनता तक सामान्य लोगों तक सामान्य जरूरत की चीजों को मुहैया कराया जाए । किन्तु यह आन्दोलन आज के परिवेश में शून्यता की ओर दिखाई देता है । इसलिए इस विषय में मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जो इस कार्य में लगे हुए लोग हैं चाहे यह समाजिक क्षेत्र के लोग हों या कर्मचारी और अधिकारी लोग हों । उन पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है । जब तक आप उनके ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त फेल होता नजर आएगा । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

मैं रोज अपने साथियों बदन सिंह, गोकुल व उदय राज से कहता हूं कि जब तक किसान का माल किसान के घर पर रहता है तब तक ठंडक रहती है । मण्डी में पहुंचने पर वह दूसरे के हाथों में चला जाता है । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सहकारिता मंत्री जी हमारे पड़ोस के जनपद के हैं । वह ज्यादातर समय में हमारे जिले में रहते हैं । मैं भाई विजेन्द्र द्वारा रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सहकारिता के बारे में सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बुलवा लें । जिससे पूरे प्रदेश की जानकारी यहां पर एकत्र होगी मुझें कोई किंचित संकोच नहीं है कि मंत्री जी के पास एक सुयोग्य अफसरों की फौज है । ऐसा संगम कभी-कभी होता है मंत्री जी खुद भी विद्वान हैं । मैं चाहूंगा कि इस विधान सभा के मंच से ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को सुने । पूरे प्रदेश की जानकारी यहां पर छनकर आती है । मैं प्राइमरी सोसाइटी से शुरू होता हूं । जो प्राथमिक सोसाइटी बनती हैं । हमारे भाजपा के साथी ने ठीक ही कहा है कि जब गांव में खेती करते थे तो कहा जाता था कि एक बैल तेरा और एक बैल मेरा । आज सहकारिता भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सहकारिता के माफिया हैं । चाहे ब्लाक लेविल के, गांव लेविल के या प्रदेश लेबुल के हों । आप उनके बारे में जानकारी करें । मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी कितनी ऐसी संस्थायें हैं चाहे वह जिला सहकारी बैंक हों या डी० सी० एफ० हो चाहे शीतगृह हों मैंने देखा है कि 14-15 ऐसी संस्थायें सैं जहां कई सालों से चुनाव नहीं हुये हैं । लोग फर्जी स्टे हाई कोर्ट से ले आते हैं और जमा कर देते हैं और चुनाव से बचते रहते हैं । इस पर आपको अंकुश लगाना चाहिये । इसी तरह से श्रीमन्, फर्जी ऋण की समस्या सबसे ज्यादा है । आज आदमी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोआपरेटिव ऋण समितियों के सामने गुजरने से घबराता है, उसकी पिंडली कांपती है। एक बार उनके सामने से निकल गया तो 7 पुश्त तक ऋण चढ़ा रहता है। वहां पर फर्जी वाउचर बन जाते हैं, फर्जी प्रोनोट बन जाते हैं। मंत्री जी आप इसको दिखवायें। वहां पर अंगूठे का या फोटो का वेरीफिकेशन होना चाहिये। ऐसी जगहों पर जो कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं उनको नौकरी में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ विधिक केस दर्ज कराये जायं। मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा कि इतना बड़ा नेटवर्क आपके पास है सबसे बड़ा नेटवर्क आपका है आप कृषि से जुड़े हैं और किसान से जुड़े हैं। कृषि से 80 फीसदी लोग जुड़े हैं।

आप भी खाद बांटते हैं और गन्ना विभाग भी खाद बांटता है। गन्ना विभाग क्यों बांटता है आप देंखे, एग्रो को अपने में मर्ज करें तभी स्थिति ठीक होगी। किसान को प्रमाणित बीज दिलाने का आपका काम होना चाहिये। यह जो मिलावटी खाद किसान को दी जाती है उस पर आपको अंकुश लगाना चाहिये। आपकी खाद जाती है स्टेशन पर उतरती है और प्लेटफार्म से ट्रक द्वारा सीधे प्राइमरी कोआपरेटिव सोसायटी में जानी चाहिये। किन्तु डी० सी० डी० एफ० में क्या होता है, वहां खाद रेलवे बैगन से चबूतरे पर आयी, चबूतरे से ट्रक पर आयी और उसके बाद गोदाम में गयी। गोदाम से फिर चबूतरे पर आयी और चबूतरे से फिर ट्रक में गयी और ट्रक से फिर प्राइमरी सोसायटी में गयी और फिर गोदाम में गयी। इस लोडिंग-अनलोडिंग में लाखों रुपये एक-एक जिले में आपके लोग लूटते हैं। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि अपने को जनता का प्रतिनिधि कहने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। ऐसे लोगों के घिनौने कृत्यों को आप देंखे और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको जनप्रतिनिधि कहलाने का कोई अधिकार नहीं हैं ? उनके कृत्यों का खुलासा करके उनको नंगा कीजिये और उन्हें सजा दीजिये तो व्यवस्था में सुधार होगा। आप यह भी देख लें कि जो सहकारी तंत्र में चेयरमैन हैं और जिनको गाड़ी तथा टेलीफोन की सुविधा दी गयी उनके कार्यों को आप देखें। उनका मूवमेंट रजिस्टर आप देंखें। यह लोग कहीं नहीं जाते हैं और न सोसायटीज के रजिस्टर में जाकर दस्तखत करते हैं केवल अपनी गाड़ियों में रोज घूमते हैं। आज हर जगह इलेक्ट्रानिक फोन हैं। आप टेलीफोन के बिलों को निकलवायें और देंखे कि जिन नम्बरों पर इन लोगों ने फोन किये हैं वह किनके हैं ? जहां पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं वहां के टेलीफोन बिल निकलवाइये। 25 रुपये माहवार से ज्यादा लागत नहीं आती है और देखिये कि उन्होंने अपनी ससुराल से बात की है या सरकार से बात की है ?

अगर आप चाहते हैं कि मितव्ययिता हो तो यह कीजिये ताकि सहकारिता का भला हो सके। जैसा कि अभी विजेन्द्र सिंह ने कहा आज खाद नहीं है। पिछली बार भी किसानों को खाद नहीं मिली थी जिससे किसान का बड़ा नुकसान हुआ था। आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि अधिकारी खाद को खरीदने का काम करें ताकि समय पर किसानों को खाद मिल सके। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग से किसानों को मिलने वाले ऋणों पर जो ब्याज लगता है उसमें 2 परसेंट कमी करने की व्यवस्था करें। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, आपके शीतगृह हैं मैं मुजफ्फरनगर का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां आपके शीतगृह न चलें इसके लिये अधिकारी 50 हजार रुपये प्रति सीजन वहां के बरफ़ माफियाओं से लेते हैं। इसी तरह से आलू के भंडारण के समय चाहे वह फिरोजाबाद हो, फर्रुखाबाद हो, एटा हो, मैनपुरी हो या अलीगढ़ हो या गाजियाबाद हो या हापुड़ हो, शीतगृह न चलें और उनमें आलू का भंडारण न हो सके इसके लिये अधिकारी पैसा लेते हैं।

हमारे लोग भी शामिल हैं और आपके लोग भी शामिल हैं। अगर अधिकारी कोई गलत काम करता है, तो उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिये और उसको दंडित किया जाना चाहिये। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 50 हजार रुपया इस बात का दिया जाता है कि कोल्ड स्टोरेज न चले, आप इसको दिखवा लें कि वह क्या भंडारण कर रहे हैं ? इतनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनमें पैसा लगा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सभी सोसाइटियों को जो लाभांश मिलता है, उसको एक जगह एकत्र कर लिया जाये और उससे कोई सार्वजनिक कार्य किया जाये, लड़कियों का स्कूल खोला जा सकता है, दो एक जनपद हैं, जिन्होंने ऐसा किया है और उसके पैसे से लड़कियों का स्कूल खोला है ? मेरा अनुरोध है कि आप यह कहें कि जिस विभाग के सामने सहकारिता लिखा होगा, वह सहकारिता विभाग से गवर्न होगा। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

* डा० राम बाबू हरित–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं अपने को राम प्रकाश जी से सम्बद्ध करता हूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, बेरोजगारी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय बैंक अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा नान फार्म सेक्टर के अन्तर्गत लघु, अति लघु, कुटीर ग्रामीण उद्योगों के लिये किसी भी व्यक्ति, लघु उद्यमी/आर्टीजन, क्राफ्ट मैन व्यक्तियों के समूह, स्वामित्व साझेदारी संस्थायें, कम्पनीज तथा अन्य कारपोरेट बाडीज जो नाबार्ड द्वारा निर्धारित 22 समूहों के अन्तर्गत किसी लघु उद्योगों को प्रारम्भ करना चाहते हैं, जिला सहकारी बैंक से नामिनल सदस्य बन कर सदस्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आगरा भारतीय चर्म उद्योग संघ चला रहा है, जिसमें 25 हजार जूता मजदूर काम करते हैं और उसके पास एक करोड़ रुपये का धन है। आगरा रजिस्ट्रार के द्वारा माफिया लोग उसको अपने अन्डर में लेना चाहते हैं, जिससे जूता कुटीर उद्योग में बड़ा आक्रोश है। मान्यवर, जहां पर भी इस प्रकार की संस्थायें हैं , उनको सार्वजनिक रूप से चलते रहना चाहिये, और उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिये। मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूं। मान्यवर, दलित मजदूरों महिलाओं ने एक थैली बनाने की समिति बनाई है, लेकिन उनके द्वारा बनायी गयी थैलियों को नहीं खरीदा जाता है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों से बना थैलियों को खरीदा जाता है, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उस समिति की बनी थैलियों को खरीदा जाये, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। आगरा में एक निगम है, जिसके पास दो पेट्रोल पम्प हैं, वह अधिकारियों की लापरवाही के कारण बन्द हैं और अब उनको सस्ते दामों पर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिये और उनको बिकने से बचाया जाना चाहिये।

इन बातों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री छोटे लाल–

मान्यवर, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं माननीय सहकारिता मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे संडीला में एक कोआपरेटिव वनस्पति मिल चल रही थी। वह लगभग 2 साल से बन्द पड़ी है उससे वहां के श्रमिकों की हालत बहुत खराब हो गयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी तो किसी तरह से अपना पैसा निकाल लेते हैं लेकिन श्रमिक दर-दर की ठोकरे खा रहा है। मेरा निवेदन है कि उसको चलवाने की कृपा करें। हमारी जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं उनके सचिव और एकाउन्टेन्ट समय से पैसे की वसूली के लिए किसानों के पास नहीं जाते हैं क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं रहते हैं और बाद में वसूली के लिए जाते है। जिससे किसान को बहुत परेशानी होती है इसके साथ ही समय पर खाद नहीं देते हैं और किसान बाहर से खाद लेता है जिससे वसूली में बहुत कठिनाई आती है। जब किसान बाहर से खाद लेगा तो कोआपरेटिव को पैसा कहां से देगा। मेरा अनुरोध है कि समय से वसूली की जाय और समय से खाद दी जाय तो दिक्कत नही होगी।

मान्यवर, हमारा जो कोआपरेटिव विभाग है यह किसानों से जुड़ा हुआ है यह किसान पर ही निर्भर है। लेकिन इसके सचिव मौके पर नहीं मिलते हैं जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि सचिव साहब शहर गये हैं नतीजा यह होता है कि न कोई दवाएं मिल पाती है, न बीज मिल पाता है और न खाद मिल पाती है। (व्यवधान)

अब इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, सहकारिता विभाग की कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सहकारिता विभाग आन्दोलन है अगर इसको सही ढंग से लागू किया जाय तो प्रदेश के गरीब, दलित और अनुसूचित जाति के लोग इस आन्दोलन से फायदा ले सकते हैं। मान्यवर, जनपद गोण्डा में और बाराबंकी में सहकारिता में सब्सिडी आने से पूर्व ही बिना सब्सिडी के किसानों को ऋण दे दिया गया है।

मैं मांग करता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच कराये और जो दोषी हैं उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। प्रदेश में 70 शीतगृह हैं लेकिन 95-96 में 36 शीतगृह को संचालित करने के लिए रखा है लेकिन है क्या केवल 18 शीतगृह में ही संचालित हैं। मान्यवर, बेरोजगारी उन्मूलन की कोई योजना नहीं है केवल 19 जनपदों में बेरोजगारी उन्मूलन रखा गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े जनपद हैं जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं जैसे गोण्डा, बहराइच, सुल्तानपुर। बस्ती को मान्यवर, बेरोजगारी उन्मूलन में रखा जाय। जिससे वहां के दलित, तबके के लोग है, पिछड़े तबके के लोग हैं, इस उन्मूलन से फायदा ले सकेंगे। 1995-96 में खरीफ फसल हेतु 390 करोड़ रु० रखा गया है यह बहुत ही कम है जो इस बजट में रखा है वह बजट इतना अधिक कर दें ज्यादा बजट हो जायेगा तो किसानों को लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवदानी–

मान्यवर, आपने सकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सहकारिता विभाग का जो बजट पेश किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है और गरीबों के हित में है किसानों के हित में है। गांव-गांव में इस सहकारिता विभाग के अन्तर्गत जो भ्रष्टाचार कर्मचारियों द्वारा पनपाया जा रहा है उसके संबंध में भी ध्यान दिया जाय।

(इस समय 7 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

जनपद इलाहाबाद विधान सभा क्षेत्र चायल के अन्तर्गत विकास खण्ड चायल के अन्तर्गत किसान सहकारी समिति नटका चरवा है जहां पर आज 3 साल से उस क्षेत्र का एक-एक किसान परेशान है 20 लाख का घौटाला वहां के कर्मचारियों ने किया जो मृतक हो गये हैं उनके भी नाम से खाद बीज निकाला गयी वहां का एक-एक किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है जनपद के जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सबके पास गुहार लगा लगा कर थक गया है लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की उनके प्रति किसी ने न्याय करने के लिये नहीं सोचा सहकारी समिति उदात् जो ग्राम सभा काजू विकास खण्ड मूरतगंज है ठीक यही स्थिति उस सहकारी समिति की है । जो भी योजना बनायी जाती है सरकार के माध्यम से बहुत ही अच्छी बनायी जाती है किन्तु जिस हेतु बनायी जाती है वहां तक पहुंचे, मात्र कागज में अंकित रहकर न रह जाये जिन दो समितियों के नाम मैंने बताये हैं यहां की स्थिति दयनीय है यहां के किसान दर-दर भटक रहे हैं न्याय के लिये, किन्तु न्याय नहीं मिल पा रहा है दोनों सहकारी समितियों के नाम अंकित करके उन सभी किसानों को न्याय दें ताकि उनके आगे की रोजी रोटी चल सके । मैं इस सराहनीय बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं । जय भारत ।

* श्री दलबहादुर कोरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय सहकारिता विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

मान्यवर, जो गरीब किसान हैं उनकी चेक बुक साईन करा ली जाती है पास बुक से उनके नाम से खाद बीज निकलवा लेते हैं बाद में किसान का बैल खोल लिया जाता है भैंस खोल ली जाती है, यह कोआपरेटिव में दुर्व्यवस्था व्याप्त है मंत्री जी ध्यान दें । कोआपरेटिव का लोन है उसमें कोई गरीब किसान का लोन होता है तो जब तक बैंक को 2 हजार रु० पहले नहीं दे दिया जाता है तब तक उस गरीब का चेक पास नहीं किया जाता है यह जो दुर्व्यवस्था है इस पर ध्यान दें ?

जब वसूली शुरू होती है तो जो लाखों का धन हड़प कर के बैठे हुए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है बल्कि जो किसान गरीब है और ईमानदारी से अपनी किश्त अदा करता है और कहीं चूक से एक किश्त अदा करने से रह जाये तो उसकी भैंस खोल लेते हैं, बैल खोल लेते हैं और सींखचों के पीछे डाल देते हैं । तो मान्यवर, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है । इसी के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

* श्री प्रणतपाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, सहकारिता विभाग जो है वह किसानों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है । किसानों की जो समस्याएं हैं खाद बीज इत्यादि की उसका सम्बन्ध इससे है । मान्यवर, क्रय विक्रय समिति भूमि विकास बैंक से जिसे हम भूमि विनाश बैंक कहते हैं क्योंकि वहां से जो झुग्गी झोपड़ी वाले भैंस क्रय करते हैं पहले तो मैनेजर पास नहीं करते हैं अगर मैनेजर पास कर देता है तो बैंक पैसा नहीं देता है और अगर बैंक पैसा देता है तो डाक्टर पास नहीं करता है और डाक्टर पास करता है तो खरीदने में परेशानी होती है तो इस में सुधार करने की आवश्यकता है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किय ।।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

अब इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास बैंक हो गया है।

श्री प्रणतपाल सिंह–

मान्यवर, गबन के मामले इसमें बहुत आते हैं और जब गबन होता है तो उसके बाद सुनवायी नहीं होती है। जब कोई मामला सिद्ध हो जाता है किसी अधिकारी पर तो उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है। मान्यवर, मैं दो तीन उदाहरण दूंगा। मान्यवर, एक राय सोसाइटी है वहां पर 30 लाख का गबन हुआ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्रय-विक्रय समिति कोशी में घोटाला हुआ लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री राजबली जैसल–

मान्यवर, सहकारिता विभाग के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियां न्याय पंचायत स्तर पर बनी हुई हैं। इसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती जाती हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र मेजा में जो न्याय पंचायत स्तर की समिति हैं सभी सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर लूट खसोट हो रही है। आज हमारे विधान सभा क्षेत्र मेजा में कोहड़ार, पथरा, इटावा पंवारी-लेड़ियारी सोसाइटी में अनियमितता बरती जा रही हैं। पंवारी समिति पर मरे हुए लोगों के नाम से ऋण निकाल लिए गये हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। सचिव के माध्यम से एक बीघा खेत जिसके पास है उसके नाम से चार बीघा कराकर खतौनी में चढ़ा देते हैं और उसके नाम से खाद तथा बीज फर्जी ढंग से ले लेते हैं। मान्यवर, हमारे इलाहाबाद क्षेत्र की समस्याएं बनी हुई हैं। हमारे मेजा क्षेत्र में शाखा प्रबन्धक, डिस्ट्रीक कोआपरेटिव व मेजा श्री विमल कुमार पाण्डेय हैं वहां पर सात-आठ सालों से हैं और हजारों से लाखों रुपयों का उन्होंने गबन किया है इसकी जांच जब करायी जाती है तो वह पैसे के बल पर रोक देते हैं इसी तरह से सचिव महा प्रबन्धक श्री किशोर सिंह का जिनका स्थानान्तरण करवा लिया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री महाबीर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, दोनों व्यक्तियों ने सहकारिता विभाग को एक आन्दोलन का नाम दिया है। ... वास्तव में सहकारिता विभाग कोई विभाग नहीं है, यह एक आन्दोलन है, लेकिन इस विभाग में रहने वाले कर्मचारी और अधिकारी, जो काम कर रहे हैं, इन सब लोगों ने मिलकर इस विभाग का बंटाधार कर दिया है। किसान सहकारी समिति बनी हैं, इसका किसान मालिक होता है लेकिन उससे मालिक की तरह से व्यवहार नहीं किया जाता है, बल्कि नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है और नौकर मालिकों की तरह बैठता है, इसकी ओर चिन्तन नहीं की जाती। मान्यवर, जब किसान खाद और बीज लेने जाता है तो उसे अपमानित किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य जो

समितियां बनी हैं, जैसे हथकरघा समिति बनी है । मान्यवर, समिति का अर्थ यह होता है कि सब मिलकर एक साथ काम करें । मैं अपने जनपद बिजनौर की बात कर रहा हूं, वहां हथकरघा समिति बनी है, वहां पर घर-घर में हथकरघे चलते हैं । आप वहां पर जांच करा लें, लोगों ने फर्जी समितियां बना रखी हैं, अगर आप उनके फोटो भी मागेंगे तो वह भी नहीं मिल सकते, क्योंकि सब समितियां फर्जी बना रखी हैं । मान्यवर, इसी तरह से एक और समिति बनाई गई थी, जो बड़े-बड़े पूंजीपति लोग थे, उन्होंने अपने कुत्ते, बिल्ली के नाम पर समिति बनाई, उसकी भी जांच होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

श्री महावीर सिंह–

मान्यवर, बस एक सुझाव देकर अपनी बता समाप्त करूंगा । एक बात भूमि विकास बैंक के संबंध में कहना चाहता हूं । हमारे एक मित्र ने इसकी बात उठा दी, इसलिये कहना चाहता हूं कि जो भैंस दी जाती हैं, उसका परपज यह होता है कि भैंस दूध दें, उससे लोग लाभ कमायें । होता क्या है केवल घर पर भैंस जाती है और फिर वापस आ जाती है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, समाप्त करें, अब आपका लिखा नहीं जायेगा । मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है ।

श्री राम सरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विभाग के आय-व्ययक 1995-96 पर हो रही चर्चा पर मुझे आपने अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं । साथ ही कोटिशः धन्यवाद देता हूं । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक का मैं समर्थन करते हुये उल्लेख करना चाहूंगा कि सहकारिता विभाग वास्तव में जिस पवित्र निर्माण के लिये बना था, उससे वह भ्रमित हो गया है । जैसे ब्रह्मा की टकसाल में मानवता का, मनुष्य का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से सहकारिता विभाग में नेताओं तथा राजनीति का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाय तो कोई-कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक निश्चित रूप से गांव गरीब किसान, झोपड़ियों में रहने वाले इन्सान दलितों तथा पिछड़ों के लिये हितकारी है ।

* डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जो पर्वतीय क्षेत्र में विषम स्थिति है.....

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मैं अपेक्षा कर रहा था कि माननीय मंत्री जी कोई विशेष प्रकार का, सहकारिता आन्दोलन के पक्ष में, पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसी विशेष योजनायें ले करके पहाड़ को दे रहे होंगे । मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि पहाड़ की आर्थिक और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहां की जड़ी-बूटियों, वहां के फलोद्यान को सब्जी पट्टी के रूप में घोषित किया जाये । क्योंकि वहां से जो 30-35 हजार नवयुवक प्रतिवर्ष पलायन कर रहे हैं, उनको रोका जा सके । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हथकरघा संबंधी और ऊन, लकड़ी पर आधारित महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल अभी तक नहीं हो सकी है । मेरा विश्वास है कि आपके माध्यम से इस दिशा में भी वह उचित कार्यवाही करेंगे । एक विशेष बात यह कहना चाहता हूं कि जो यह ऋण दिये जाते हैं, ठीक हाथों में, ठीक लोगों को नहीं पहुंचते हैं, जिस नीयत से ये ऋण और अनुदान दिये जाते हैं उस दिशा में यदि ठीक से कार्यवाही नहीं होगी तो मान्यवर, इस सहकारिता आन्दोलन का कोई औचित्य नहीं रह जायेगा । अन्त में मेरा विश्वास है कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए माननीय मंत्री जी कुछ विशेष योजनाओं की घोषणा करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, माननीय सहकारिता मंत्री जी द्वारा जो सहकारिता विभाग का जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं । साथ ही इस विभाग में बहराइच जनपद की एक घटना का संकेत करूंगा, बहुत थोड़े समय में । वह घटना इस बात का संकेत है कि यहां भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय दिया जाता है और ईमानदार अधिकारी को दण्डित किया जाता है । मेरे जनपद बहराइच में ए० आर० मिस्टर कर्दम हैं, जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, उन्होंने कम से कम 6 कोआपरेटिव सोसाईटी सचिवों एवं दो सुपरवाइजरों को भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा और उन्हें निलम्बित किया । प्रायः कोआपरेटिव बैंक के चेयरमैन राजनीतिक व्यक्ति होते हैं इसलिए कभी कोई अधिकारी इन बैंकों की जांच पड़ताल नहीं करता है । मिस्टर कर्दम ने कोआपरेटिव बैंक के वहीदुल्ला, श्री वी० के० सिंह एवं मिस्टर श्रीवास्तव के इन तीन कार्य-कालों की जांच-पड़ताल की जिसमें 11 करोड़ 53 लाख रुपये का भ्रष्टाचार पकड़ा और इसकी कोतवाली में एफ० आई० आर० दर्ज करायी । कायदे से इसकी जांच होनी चाहिए । साढ़े ग्यारह करोड़ रुपये का मामला है लेकिन कहा गया कि वसूली में शिथिलता बरती जा रही है । कर्दम ए० आर० को निलम्बित कर दिया गया । दो तारीख को उसकी लड़की की शादी थी, एक तारीख को उसे निलम्बित करके उससे सारा चार्ज ले लिया गया । मान्यवर, सरकार के वरिष्ठतम मंत्री श्री राम लखन वर्मा जी उस समय बहराइच गये थे, उसके निलम्बन के विरोध में अम्बेडकर छात्रावास के छात्र अनशन कर रहे थे और इस भ्रष्टाचार की चर्चा पूरे जनपद में थी । मान्यवर, जो लोग दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और-जिसने भ्रष्टाचार को पकड़ा है और जो ईमानदार अधिकारी हैं, उसको दण्डित न किया जाय । मैं सहकारिता मंत्री जी से चाहूंगा कि काफी विलम्ब हो गया है, बहराइच

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की गलियों में आज यही चर्चा है कि जिसने भ्रष्टाचार किया है, वह पुरुस्कृत हो रहा है और भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला दण्डित किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करें ।

श्री मयंकर सिंह–

मान्यवर, अन्त में मेरा यही अनुरोध है कि इस प्रकरण की जांच करायें और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये । ईमानदार अधिकारी जिसने भ्रष्टाचार को उजागर किया है, उसको बहाल किया जाये । इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारिता के बजट पर हमारे काफी विद्वान साथियों ने बजट का समर्थन किया है, अपने-अपने विचारों से और अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी दिये हैं, उन्होंने कटौती प्रस्ताव का भी समर्थन किया है । मैं उन साथियों का आभारी हूं । एक-दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको प्रस्ताव के रूप में देना चाहता हूं । एक तो यह सरकार कोई दो राय नहीं कि यह सामाजिक क्रान्ति लाना चाहती है, यह दलितों की सरकार है, इसलिए कथनी और करनी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सामाजिक क्रान्ति तभी आ सकती है जब आर्थिक उन्नति होगी । आर्थिक उत्थान तभी हो सकता है जब इस प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को युद्ध स्तर पर चलाया जाय । निर्बल वर्ग के लोगों की आय बढ़ाने के लिए और आर्थिक सुधार करने के लिए इस आन्दोलन के तहत सारे प्रयास किये जाते हैं । मैं दो-तीन बिन्दुओं को सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं । आपके जो कोआपरेटिव कंज्यूमर सेन्टर होते हैं वे ब्लाक स्तर पर नहीं होते हैं । केवल एक कंज्यूमर सेन्टर जिला स्तर पर होता है । ये कंज्यूमर सेन्टर इसलिए खोले जाते हैं कि लोगों को उचित मूल्य पर शुद्ध सामान मिल सके । मैं चाहूंगा कि प्रत्येक ब्लाक हैड क्वार्टर पर आप एक कोआपरेटिव कंज्यूमर सेन्टर खोल दें । इसमें कोई ज्यादा खर्च भी आने वाला नहीं है । लघु सीमान्त किसानों के पास छोटी-छोटी जमीनें हैं । आज हम लोगों के पास भी छोटी-छोटी जमीन है ।

राष्ट्रीय योजना के तहत गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना है । यह राष्ट्र के हित में भी है । परन्तु उत्पादन बढ़ाने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं । पहला उच्च श्रेणी की खाद और उत्तम श्रेणी का प्रमाणित बीज । माननीय मंत्री जी भी किसान के बेटे हैं और आपके विभाग के सचिव श्री चतुर्वेदी जी भी एक विद्वान व ईमानदार अधिकारी हैं । आपने 5 लाख 72 हजार कुन्तल का प्राविधान किया है इतने विशाल प्रदेश में । आपके 1 करोड़ 25 लाख सदस्य हैं । अब आपही हिसाब लगायें कि यह कितना बैठता है । प्रमाणित बीजों से उत्पादन की क्षमता बढ़ती है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसे बढ़ायें । तीसरा, राजनैतिक दबाव में आ करके ऐसे समय पर सचिवों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है उसका कुप्रभाव सदस्यों पर पड़ता है । जब खद बंट रही होती है तो सचिवों का ट्रान्सफर कर दिया जाता है । उस समय कैश-क्रेडिट खुली हुई होती है । परन्तु ट्रान्सफर होने के कारण वह सब माइनस में डालकर चला जाता है जिससे लाखों रुपये लोगों का पड़ा रह जाता है । इसलिए जब कैश-क्रेडिट खुली हुई हो और खाद बंट रही हो तो उस समय सचिवों का ट्रान्सफर न किया जाय ।

प्रदेश के हर जनपद में 10–20 केसेज ऐसे हैं, जिसकी वजह से यह आन्दोलन फेल हुआ है लोगों ने भुगतान कर दिया है, रसीदें कट गयी हैं, इस प्रकार के लगभग 500 केसेज हैं। आज वे अपनी रसीदों को लेकर घूम रहे हैं परन्तु उनके नाम पर कर्जे बांटे गये हैं। आज उनकी नीलामी की नौबत आ गयी है। इसलिए ऐसे केसेज के निपटान के लिए आप यहां से सख्त निर्देश जारी करें।

आप जो दीर्घ कालीन ऋण देते हैं और आपके बैंक से ही लोग लेते हैं। क्योंकि आपके बैंक की एक साख थी। इसमें समयावधि 7 वर्ष की रखी गयी है। इसको 10 वर्ष का होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जिसने ऋण लिया है, वह आपके ऋण को ब्याज सहित वापस तो कर ही रहा है। परन्तु 10 वर्ष कर देने से उसकी किश्त का एमाउन्ट कम हो जायेगा। और उसे सुविधा रहेगी। नान-ओवर डियू ऋण योजना है इसमें 50 प्रतिशत भारत सरकार देती है। 1993-94 में 400 लाख रुपये का ऋण इसमें दिया गया, 1994-95 में एक हजार के विरुद्ध 800 लाख रुपये का इसमें व्यय किया गया और 1995-96 में मात्र 800 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। जिस योजना में भारत सरकार आपको सहयोग दे रही हो और 50 प्रतिशत अपनी तरफ से दे रही हो तो उसमें तो परिव्यय कम नहीं रखा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। जय-हिन्द।

चौधरी जगवीर सिंह गूजर–

मान्यवर, मुझे सबसे बड़ी खुशी इसलिए आज है कि कम समय होने के बाद भी जो माननीय सदस्य हमारे साथी हैं बहुत हृदय से निष्ठा से इसमें रुचि ली। जो मुझे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गयी है मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसको मैं आपके सहयोग से पूरा करूंगा और जो सुझाव आपने दिये हैं उन सबको मैंने नोट कर रखा है अगर एक-एक करके मैं उनको बताऊंगा तो बहुत समय लग जायगा क्योंकि समय कम है। यहां पर चुनाव के विषय में बात कही गयी, अंशपूंजी के बारे में बात कही गयी है उन सबको हमने नोट किया है इसके अलावा जो नामित करने की बात आयी उसके संबंध में न्यायालय में मामला गया हुआ है। चुनाव हम 31 दिसम्बर तक करा देंगे। उत्तराखण्ड आन्दोलन के कारण भी चुनाव नहीं हो पाये।

मान्यवर, फर्जी ऋण की बात आयी है क्योंकि मैं भी सहकारिता से सीधे जुड़ा हुआ हूं और अच्छी तरह से जानता हूं कि जो ऋण वितरण पहले होता था उसमें बहुत से घर बरबाद हो गये, अब ऐसा नहीं होगा। किसान को हमने पासबुक दे रखी हैं पहले एकाउन्टेन्ट और खजांची 5-6 क्लास पढ़े होते थे, उन्होंने पूरा पैसा और जमीन हड़प ली अब इसमें फोटो लगा हुआ है, खाते का नम्बर दिया हुआ है, चैक-बुक अलग-अलग होती है। किसान के पास चेक-बुक रहती है चेक वह स्वयं काटता है। जहां अंगूठा लगाने की बात है तो हर घर में एक-दो पढ़े-लिखे रहते हैं, उनसे पूछ पर चेक काटते हैं। मुझे भी थोड़ी बहुत इसकी जानकारी है इसलिए मैं मा० हरेन्द्र जी से कहूंगा कि अब यह बात नहीं रह गयी है। यदि कोई मसला आपकी जानकारी में है तो आप लिखकर दे दें, संबंधित अधिकारी सस्पेण्ड कर दिया जयेगा। इसी के साथ जो समस्यायें आपके क्षेत्र की, आपके जनपद की हैं व्यक्तिगत आप लिखकर मुझे दे दें उस पर जांच करायी जायेगी और विश्वास दिलाना हूं कि कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

क्या मा० सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री बिजेन्द्र सिंह–

नहीं, मान्यवर,

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) से संबंधित सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,75,75,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मा० सदन को एक सूचना देनी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 2 अगस्त, 1995 की बैठक में सदन के वर्तमान सत्र के उपवेशनों के तिथिवार कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं ।

1–दिनांक 3 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित भाषा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) की अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 16 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पूर्व रखा जाय ।

2–दिनांक 9 तथा 14 अगस्त, 1995 को सदन के उपवेशन न रखे जायें और इसके बदले दिनांक 19 अगस्त, 1995, शनिवार को सदन का उपवेशन रखा जाय । दिनांक 9 तथा 14 अगस्त, 1995 के लिए निर्धारित क्रमशः लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग एवं वन विभाग के अनुदानों की मागों पर विचार एवं मतदान संबंधी कार्य दिनांक 19 अगस्त, 1995 को रखा जाए ।

3–दिनांक 19 अगस्त, 1995 को प्रश्नकाल नहीं होगा और दिनांक 16 तथा 19 अगस्त, 1995 को नियम 300 व नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

4–सदन का दिनांक 3 अगस्त, 1995 से 23 अगस्त, 1995 तक के उपवेशनों का सदन द्वारा अनुमोदित तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाये :–

<u>अगस्त, 1995</u>

3 गुरुवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

अगस्त, 1995

4 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1995 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार एवं उनका पारण–आधा घण्टा ।
5 शनिवार 6 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
7 सोमवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 2–5.00 बजे अपराह्न विधायी कार्य ।
8 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
9 बुधवार	बैठक नहीं होगी ।
10 गुरुवार	बैठक नहीं होगी । (ईद-ए-मिलाद का अवकाश)
11 शुक्रवार 12 शनिवार 13 रविवार 14 सोमवार	बैठक नहीं होगी ।
15 मंगलवार	बैठक नहीं होगी । (स्वतंत्रता दिवस का अवकाश)
16 बुधवार 17 गुरुवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
18 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी (जन्माष्टमी का अवकाश)
19 शनिवार	वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
20 रविवार	बैठक नहीं होगी ।
21 सोमवार 22 मंगलवार	1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

अगस्त, 1995

23 बुधवार

1–वित्तीय वर्ष 1995-96 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

2–4.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1995 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

संसदीय कार्य एवं पंचायती राज मंत्री (श्री हृदय नारायण दीक्षित)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों से जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

नगर विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री राम किशोर बिन्द)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ।

संविधान के 74 वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसरण में उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि संशोधन अधिनियम–1994 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम बनाये गये । यह अधिनियम 30-5-1994 से लागू किया गया । इन अधिनियमों में यह व्यवस्था की गयी कि स्थानीय निकायों के चुनाव 6 माह के अन्तर्गत करा दिये जायें । विभिन्न परिस्थितियों के कारण 6 माह के अन्तर्गत चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके । इन कारणों का उल्लेख करते हुए एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके अनुसार स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की अवधि 6 माह बढ़ा दी गयी । इसी दौरान मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच में श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने एक याचिका दायर कर दी जिसका निर्णय 25-5-95 को हुआ जिसमें निदेशित किया गया कि स्थानीय निकायों के निर्वाचन 31 जुलाई तक सम्पन्न करा दिये जायें । मा० ऊच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अध्यादेश द्वारा यह अवधि 2 माह की और बढ़ाई गयी ।

2–निर्वाचन आयुक्त ने 19 अप्रैल, 1995 को अपने पत्र द्वारा कुछ कठिनाइयों का उल्लेख किया । इस पत्र में उन्होंने यह कहा कि 31 जुलाई तक निर्वाचन कराना संभव नहीं है और यह निर्वाचन अक्टूबर में कराये जायें । निर्वाचन आयुक्त ने निम्नलिखित कठिनाइयां बताई–

(1) पूर्व व्यवस्था के अनुसार स्थानीय निकायों के विभिन्न स्तरों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी वह 27 प्रतिशत थी जिस पर जनप्रतिनिधियों ने अनेक आपत्तियां उठाई अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न स्तरों में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया जाए जो अधिकतम 27 प्रतिशत हो । तद्नुसार आरक्षण नियमावली संशोधित की गयी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस विधेयक पर बोलते हुए पहले तो मैं वर्तमान सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि श्री मुलायम सिंह यादव ने जो लोकतंत्र के चारों स्तम्भोंकार्य पालिका, न्याय पालिका विधायिका और प्रेस को एक-एक करके ध्वस्त कर दिया था। अपने पद और सत्ता का दुरुपयोग करके सदा सर्वदा सत्ता में रहने का कुचक्र किया था। मान्यवर, तीन-तीन विधेयक थे। आपने मान्यवर, श्री बाधवा की पुस्तक पढ़ी होगी। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि एक अध्यादेश दोबारा नहीं आना चाहिए जब तक कि उसकी परिस्थितियां न बदल जायं। लेकिन मान्यवर, 3-3 अध्यादेश इस तरह से जारी कराकर शासन चलाने के कारण आज उसको विधेयक के रूप में प्रस्तुत करके सदन की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। यह अच्छी बात है और यह पारित भी किया जायेगा। लेकिन मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मुझे अफसोस है कि पुरानी सरकार की गलतियों का परिमार्जन करने की दृष्टि से जितना दत्चित, सम्वेदनशील होना चाहिए, उस दृष्टि से कुछ पीछे हैं। जो पुराने विधेयक हैं अपने मूल रूप में या नये रूप में इस सदन में आ रहे हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वह स्वागत योग्य है। कक्ष निर्धारण की बात कही गई है, वह स्वागत योग्य है। कुछ बातें जरूर चिन्ता करने योग्य हैं और उस पर चिन्ता करनी चाहिए।

हम जानते हैं कि पिछले पंचायत के चुनाव में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने नंगा नाच किया। कानून की धज्जियां उड़ाई सत्ता में बने रहने के लिये। सभी नियमों को तोड़ दिया, उसको सब लोग जानते हैं। आज जिस परिस्थिति में बहन मायावती इस प्रदेश की मुख्य मंत्री बनी हैं, इसके बहुत कारण रहे हैं। एक कारण तो यही है कि पंचायत के चुनाव में जिस निकृष्टतम आचरण को श्री मुलायम सिंह यादव ने दिखाया उससे सुश्री मायावती और उनके दल के सदस्यों ने उनके साथ न रहने का मन बनाया और आज उसी का परिणाम है कि बहिन मायावती मुख्य मंत्री पद पर हैं। मान्यवर, दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मूल अधिनियम की धारा 32(2) को देखें उसमें एक व्यवस्था थी, वह व्यवस्था ठीक थी। उसमें लिखा है कि जो निर्वाचन नियमावली बनेगी, उसका निर्धारण कैसे होगा, आरक्षण कैसे निर्धारित होगा। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद आपत्तियों के लिये 15 दिन का समय दिया जायेगा। श्री मुलायम सिंह की सरकार ने उस 15 दिन की अवधि को 7 दिन कर दिया। वर्तमान जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसकी धारा 11 (ख) की उप धारा (1) में दिया गया है कि आपत्तियों के लिये अवधि 15 दिन से कम न हो और यह सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा। अच्छा तो यह होता कि यह 15 दिन के स्थान पर 21 दिन किया जाता। आपने घटाकर इसे 7 दिन कर दिया। मैं अपेक्षा करता हूं कि इसे 15 दिन के स्थान पर घटाकर 7 दिन करने के बजाय एक महीना कर दिया जाय ताकि दूर दराज के इलाकों में इसकी सही जानकारी हो सके। इसे प्रकाशित किया जाता है न्याय पालिका के सहयोग के लिये, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों का सहयोग प्राप्त करने के लिये। इसकी समयावधि बढ़ाने पर विचार करें।

मान्यवर, आप भी जानते हैं कि ग्राम पंचायत के चुनाव में नामांकन दाखिल कराने गये तो पता चला कि आपका नाम ही नहीं है। कल तक तो लिस्ट में नाम था। आप फौज लेकर गांव से नामांकन दाखिल करने जाते हैं तो वहां नाम ही नहीं है। तो इसे दूर करना चाहिए मूल अधिनियम की धारा 39 देखने की कृपा करें–"जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिए गये किसी आवेदन पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझें यह समाधान हो जाए कि निर्वाचक नियमावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिए। वहां वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा।" आगे दिया है जिस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा उससे पूछा जाएगा यह सुधार होगा, यह नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख तक होगा।

मान्यवर, जैसे रात्रि में पता लगा रामकुमार के बजाए सीताराम उम्मीदवार का नाम होना चाहिए रात्रि में टेलीफोन पहुंचा रजिस्ट्रेशन अधिकारी को आदेश मिला, निर्वाचन आयोग के अधीन काम होना है आपने जिलाधिकारी को पावर दी उसने बी०डी०ओ० को पावर दे दी। अब निर्वाचक जो है वह बी०डी०ओ० है उसने अपनी स्वप्रेरणा से यह किया जो रामनगर ग्राम में रहता है उसमें लखनऊ का नाम आ गया, स्वप्रेरणा से उसने नाम बदल दिया। पद और शक्ति का दुरुपयोग करके दुष्चक्र बना लिया गया। जांच की प्रक्रियां वही होगी जो स्वयं तय करेंगे ग्राम्य विकास अधिकारी को बोलेंगे कि इस नाम का कोई आदमी नहीं है उसका नाम रख दिया और जिसका नाम था जो एक दिन पहले देखकर गया है उसका नाम निष्कासित कर दिया। अगले दिन जब वह ट्रैक्टर में भरकर पहुंचा तो नाम ही नहीं है। किसी दशा में यदि किसी व्यक्ति का नाम निष्कासित किया जाएगा तो उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा ऐसा होना चाहिए था। मैं क्षमा चाहूंगा आलोचना नहीं करता लेकिन जिस रास्ते पर मुलायम सिंह यादव चले उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते है लेकिन यदि हम निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहते हैं ग्राम पंचायतों को त्रिस्तरीय फार्मूला देना चाहते हैं तो हमें कमियां दूर करनी होंगी पहले चुनाव आयोग निर्वाचन करायेंगे फिर उप निर्वाचन आयोग को दिया गया है, निर्वाचन अधिकारी का नाम कर दिया। इसी तरह से मान्यवर, कक्ष निर्धारण के बारे में नियम है लेकिन पापुलेशन कैसी होगी इसके बारे में नहीं लिखा है। मान्यवर 1951 में जनगणना में अनुसूचित वर्ग की आबादी और अनुसूचित जाति की आबादी के बारे में है। 1941 के बाद पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं हुई। मान लीजिए कोई शहर है, रामनगर शहर है यहां अनुसूचित जाति के कितने आदमी हैं यह नहीं पता है अगर पिछड़ा वर्ग हुआ तो सबको उधर कर दिया तो आंकड़ों को प्रकाशित करना चाहिए। जनगणना के आधार पर यह पता होना चाहिए कि किस शहर में कितने अनुसूचित वर्ग के लोग हैं कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। न्यायपालिका उनको आदेश दे कि कितने अनुसूचित जाति के भाई हैं कितने पिछड़े जाति के भाई हैं ? इसको किस आधार पर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी आप अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं स्वयं जल्दी में हूं लेकिन इस सदन में जो थोड़े सदस्य बैठे हैं वह समझ सकें कि हम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक दूसरी बात की तरफ ध्यान दीजिये। लखनऊ और इलाहाबाद की नगर महापालिकाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया बाकी दूसरी महापालिकाओं का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। इस संबंध में विधान सभा में चर्चा भी हो चुकी है। और संसदीय कार्य मंत्री खुद इस बात से सहमत थे कि गड़बड़ी हो गयी। अब उसका परितोष कैसे करना चाहिए। मैं कोई विधिवेत्ता तो नहीं हूं लेकिन जिस अध्यादेश के तहत यह काम किया गया था, उसको निरसित किया जा सकता था, उसको रिपीट किया जा सकता है। आज इस सदन में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें ओमिट कर दिया गया होता। उसको खत्म कर दिया गया होता। आज उसको निरसित करने के लिये दूसरा बिल आ गया होता तो पूरा प्रदेश सम्मानित होता। उसका भी रास्ता है जिस कानून, जिस अध्यादेश से हमने उनको खत्म किया हमारे लवानियां जी यहां बैठे हैं, इन लोगों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। सारे प्रदेश के लिये एक जैसा कानून होना चाहिए यह नहीं कि आगरा को भंग कर दिया बरेली वालों को भंग कर दिया और लखनऊ और इलाहाबाद वाले बैठे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे उनको भंग कर दिया सारे प्रदेश में अलग-अलग तरीके से अलग-अलग कानून लाया गया।

मैं एक दृष्टांत आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यहां पर सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। समाचार पत्रों में निकल रहा है। जो व्यवसाय कर पहले खत्म कर दिया गया था उस व्यवसाय कर को मा० मुलायम सिंह की सरकार ने पुनर्जीवित कर दिया जिस समय 1969 में संविद सरकार थी यह शायद 1969 का समय है इस समय इसको खत्म कर दिया गया था। उसको पुनर्जीवित कर दिया गया। रिक्शा वाले जो दलित हैं, गरीब हैं उनको लाइसेन्स शुल्क 75 रुपया देना पड़ेगा जो रिक्शा किराये में लेकर चलाते हैं उससे 150 रुपये लिया गया। भैंसा गाड़ी वाले से 25 रुपये। मान्यवर, मोची जो अत्यन्त निर्धन व्यक्ति होता है उससे भी व्यवसाय कर लगा दिया गया। मैं जातिवाद में यकीन नहीं करता। मैं जन्म के आधार पर जाति को नहीं मानता। इसी लिये सुबह मैंने सवर्ण व अवर्ण शब्द पर आपत्ति की थी। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय किसी जाति के साथ जोड़ दिया जाए। दूध वाले जो ज्यादातर यादव होते हैं उनसे व्यवसाय कर लिया गया। मैं तो जाति पाति में यकीन नहीं रखता अरे एक हमारे भाई कनिष्ठ हैं दूसरे ज्येष्ठ। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर रहें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं सुबह इस विषय को उठाना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिला इसलिये इसमें थोड़ा जोड़ दिया। क्योंकि नियमों के अलावा एक सामान्य मिलता है जिसे अगड़म समय कहते हैं। हम ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें कोई न छोटा होगा न कोई बड़ा। मान्यवर, नाई से 1400 रुपये पाने वाले से 1800 रुपये का यह जो टैक्स लगाया गया है। अरे जो दूध बेचते हैं वह कोई सेठ नहीं होते हैं। यह पान वाले, मोची, ठेले वाले, भैसा गाड़ी वाले यह सब निर्धनतम व्यक्ति होते हैं, जो दूध शहर जाकर बेचते हैं। यह वही व्यक्ति हैं जो अपनी टूटी सायकिल से गांव से शहर को जाकर शहर में किसी दुकान पर अपनी सायकिल खड़ी करके दूध बेचते हैं, नाई या मोची का काम करते हैं उनके बारे

में सरकार को देखना चाहिए । क्योंकि यह दलितों की सरकार है इसलिये मैंने दलितों के बारे में यह बातें रखीं । मैंने गरीब जनता की पीड़ा को रखा है । अन्तिम निर्णय सरकार को इस पर लेना है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और पुरजोर समर्थन करता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि सरकार विचार करेगी और इसमें जो कमियां हैं उनको ठीक करेगी ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मनमाने ढंग से, नगर विकास के लागों से मिलकर वार्डों में परिवर्तन करा लिया गया है । अगर किसी जगह वार्ड नम्बर–1 है तो उसके पास वार्ड नम्बर 16 बना दिया गया है । इसी तरह से कहीं पर वार्ड नम्बर–3 है तो उसी के पास वार्ड नं० 13 बना दिया गया है । वार्डों के क्रम निर्धारण में बेतरतीब ढंग से काम किया गया है । कहीं-कहीं 2 वार्ड लगातार महिलाओं के हैं, कहीं पर 2 वार्ड साथ-साथ अनुसूचित जाति के हैं और कहीं-कहीं पर एक साथ दो-दो वार्ड अनुसूचित जातियों के बनवा लिये गये हैं। लखनऊ आकर नगर विकास विभाग में मिलकर वार्डों का निर्धारण कराया जा रहा है इसको सुधारने की व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन तो करता ही लेकिन मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर विस्तार से माननीय सदस्य विचार कर चुके हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, विस्तार से विचार करने के बाद भी कुछ गल्तियां रह गयी हैं जिनके निराकरण के लिये अभी विचार करने की आवश्यकता है । मुलायम सिंह यादव की सरकार ने जो पाप किये थे मेरा विश्वास था कि यह सरकार मुलायम सिंह यादव के पापों को धो डालेगी लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकारी वही हैं । उन्होंने जो लाकर रख दिया है उसी पर हम यहां विचार कर रहे हैं । अधिकारियों की यह गड़बड़ी है और अधिकारियों के द्वारा की गयी गड़बड़ी को निश्चित रूप से हम सभी को बैठकर दूर करना होगा । इसी समय गड़बड़ियां दूर हो जायं ऐसा सम्भव नहीं है लेकिन भविष्य में इन गड़बड़ियों को निश्चित रूप से दूर कर लेना चाहिए ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी–

मान्यवर, चूंकि अभी यह चुनाव आयोग के हाथ में था और अब इक्जीक्यूटिव के हाथ में दिया गया है इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस "स्वप्रेरणा" शब्द पर जरूर मंत्री जी विचार करें । मेरे यहां जिला पंचायत के चुनाव के अवसर पर एक जरीना बेगम नाम की महिला जो हज पर गयी थी उनका फर्जी वोट डाला गया । जिलाधिकारी ने कहा कि आई एम सैटिसफाइड दैट शी इज जरीना बेगम। इस तरह से फर्जी वोट डलवा दिया गया इसलिये इस "स्वप्रेरणा" शब्द पर मंत्री जी विचार करने की कृपा करें ।

(श्री शिव प्रताप शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप तो अपने विचार रख चुके हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, आपने त्रिपाठी जी का नाम पुकार लिया था इसलिये मैं बैठ गया था, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी । मान्यवर, वार्डों का परिसीमन बंद हो चुका है लेकिन कोई आपत्ति पर सुनवाई नहीं हुई । परिसीमन में बड़ी गड़बड़ियां की गयी हैं । पिछड़े वर्गों के लिये जो व्यवस्था की गयी थी उसके अनुसार कहीं पर कुछ नहीं देखा गया कि यहां पर पिछड़े वर्गों के मतदाता हैं या नहीं हैं, पिछड़े वर्गों के घर हैं या नहीं हैं । उसके पहले यह व्यवस्था कर दी गयी थी कि यह वार्ड पिछड़े वर्ग का है उससे गलत फहमी हुई है, अगर इसको दूर न किया गया तो बड़ी दिक्कत आ जायेगी ।

श्री राम किशोर बिन्द–

माननीय सदस्य श्री गुप्ता जी ने, श्री मल्ल जी ने और शुक्ल जी ने जो विचार रखे हैं, उनके ऊपर गम्भीरता से विचार करते हुए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि निर्वाचन में शीघ्रता करने की वजह से आपत्ति दाखिल करने का समय 7 दिन का रखा गया है । 1991 में जो सेंसस हुआ था, उसमें अनुसूचित जातियों की आबादी अंकित है और आरक्षण देने में कोई कठिनाई नहीं है । पिछड़े वर्गों की जनगणना करायी गयी है और उसके आधार पर आरक्षण के लिये कक्ष निर्धारित किये जा रहे हैं ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

आरक्षण की व्यवस्था करके वहां पर भेज दी गयी है । 7 दिन आपत्तियों के लिये दिया गया है ।

श्री विजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 7 दिन आपत्तियों के लिये दिया गया है वह बहुत ही कम है । अभी तक पी० सी० एस० अधिकारियों के स्थानान्तरण नहीं हुए हैं, वह वहीं पर बैठे हुए हैं तो उनकी मनोवृत्ति नहीं बदली है । इन आपत्तियों को उन्हीं अधिकारियों के सामने देना होगा । तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी समय सीमा को बढ़ायें ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

जब नगर निगम के वार्डों का परिसीमन हुआ था तो आपत्तियां मांगी गयी थीं, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को पता चला है ? 7 दिन का मौका जनता को आपत्तियां दाखिल करने का नहीं मिला, तो मेरा निवेदन है कि नोटिफिकेशन की तिथि से इसको रखा जाये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो बात लवानियां जी ने कही है, मैं उससे सहमत हूं । 7 दिन की जो बात कही गयी है, अगर राजपत्र में घोषणा से 7 दिन लिये जायेंगे, तो बहुत दिक्कत हो जायेगी । हम लोगों को बन्डल का बन्डल मिलता है, लेकिन उसको कौन पढ़ता है ? 7 दिन बीत जायेंगे और आपत्तियों का समय निकल जायगा । अतः मैं चाहता हूं कि विधान सभा निर्वाचक नियमावली बनाने में जो प्रक्रिया अपनायी जाती है, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाये । उसकी व्यापक पब्लिसिटी की जाये और आप सुनिश्चित करें कि सभी जिलों के प्रतिनिधियों को सूचना चली जाये ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जैसा आपने कहा बहुत सही कहा/ उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनकी नीयत क्या है कहीं ऐसा न हो कि जैसा मुलायम सिंह यादव जी ने कराया है । इसलिये कृपया इसको संशोधित करें मेरी भावना को ध्यान देते हुए । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राम किशोर बिन्द–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने जो सुझाव दिये हैं आपके सुझावों का समादर करते हुए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये जायेंगे और जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, चेयरमैन हैं, अन्य जन-प्रतिनिधि हैं विधायक हैं उन सबको सूचना दें और प्रकाशित करा दें और सबकी आपत्तियों को समझें, देखें और समय के अन्दर उसका निस्तारण करें ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 28 तक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 कहा जायेगा ।

(2) धारा 6 धारा 8, धारा 11 के खण्ड (क-1) और (ख), धारा 12 से धारा 20, धारा 22 से धारा 27, धारा 28 के खण्ड (ख) और (ग), धारा 29 के खण्ड (क) खण्ड (ख) का उपखण्ड (एक) और खण्ड (ग), धारा 30 से धारा 32, धारा 35 का खण्ड (ख), धारा 39 से धारा 49 और धारा 51 से धारा 53 दिनांक 30 मई, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी ।

धारा 2 से धारा 5, धारा 7, धारा 9, धारा 10, धारा 11 का खण्ड (क–ii), धारा 28 का खण्ड (क), धारा 29 का खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक-क), (दो) और (तीन) और खण्ड (घ), धारा 33, धारा 34, धारा 35 का खण्ड (क) और धारा 36 से धारा 38, दिनांक 28 दिसम्बर, 1994 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी ; और

शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा–2 में,

(क) खण्ड (10) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

"(10) 'नगर' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-य के खण्ड (2) के अधीन यथा अधिसूचित वृहत्तर नगरीय क्षेत्र से है" ;

(ख) खण्ड (11) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(11-क) 'निगम' या 'नगर निगम' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के लिये संगठित नगर निगम से है" ;

(ग) खण्ड (24-क) में, शब्द "में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "के अधीन संगठित" रख दिये जायेंगे ;

(घ) खण्ड (38) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(38) "निगम का सदस्य' का तात्पर्य किसी सभासद, पदेन सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य या धारा 5 के खण्ड (ङ) के अधीन स्थापित किसी समिति यदि कोई हो, के अध्यक्ष, यदि वह निगम के सदस्य नहीं हैं, से है और जब तक कोई प्रतिकूल बात व्यक्त न की गयी हो, इसके अन्तर्गत नगर प्रमुख भी है" ;

(ङ) खण्ड (39) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(39) 'मुख्य नगर अधिकारी' का तात्पर्य धारा 58 के अधीन नियुक्त मुख्य नगर अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा के अधीन नियुक्त अपर मुख्य नगर अधिकारी और धारा 107 के अधीन नियुक्त कोई उप नगर अधिकारी और सहायक नगर अधिकारी भी हैं, जब वे धारा 112 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हों" ;

(च) खण्ड (82) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :

"(82) 'कक्ष' का तात्पर्य निगम के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है" ;

(छ) खण्ड (82-क) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 6-क के अधीन संगठित" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "संविधान के अनुच्छेद 243-ध में निर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :––

"3–(1) संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र, जिसकी सीमाये उसमें विनिर्दिष्ट हों, ऐसे नाम के नगर से जाना जायेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ।

वृहत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा

(2) जहां, संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा, राज्यपाल किसी क्षेत्र को नगर में सम्मिलित करें, वहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन बनाई गई या जारी की गयी और ऐसे क्षेत्र को सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व नगर में प्रवृत्त समस्त अधिसूचनायें, नियम, विनियम, उपविधियां, आदेश और निदेश लागू हो जायेंगे और इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित समस्त कर, फीस और प्रभार उपर्युक्त क्षेत्र में लगायें और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे ।"

धारा 4 का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :––

"4–संविधान के भाग 9-क के अनुसार उसके अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के उपखण्ड (ग) के अधीन संगठित किसी नगर निगम को ———————————— (नगर का नाम) नगर निगम के नाम से जाना जायगा और वह एक निगमित निकाय होगा ।"

नगर निगम का निगमित निकाय होना

धारा 6–क का प्रतिस्थापन

5–मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :––

"6-क–(1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले निगम के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन संगठित प्रत्येक कक्ष समिति में दस कक्ष होंगे ।

कक्ष समितियों का संगठन और संरचना

(2) कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति में समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्रों से मिलकर बनेगा ।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे:––

(क) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सभासद ;

(ख) पांच से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव हो नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(4) कक्ष समिति अपने संगठन के पश्चात् अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी ।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(6) सभासद न रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा ।

(7) अध्यक्ष के पद का उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसके लिये वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती ।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल निगम की अवधि के साथ समाप्त होगा ।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जायं ।''

धारा 7 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के स्थान पर शब्द ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियो और पिछड़े वर्गों'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की'' के पश्चात् शब्द ''या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की'' बढ़ा दिये जायेंगे ;

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :—

''किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी निगम में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ;

किन्तु अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है ।" ;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (3) में, शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे ।

धारा 8–कक का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 8–कक में, उपधारा (1) में–

(क) शब्द और अंक "जहां किसी स्थानीय क्षेत्र को धारा 3 के अधीन नगर के रूप में घोषित किया गया है" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "जहां किसी क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 243- थ के खण्ड (2) के अधीन बृहत्तर नगरीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया गया है" रख दिये जायेंगे ;

(ख) शब्द "इस अधिनियम के अधीन" के स्थान पर शब्द "संविधान के अधीन" रख दिये जायेंगे ।

धारा 17 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 17 में,उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) नगर प्रमुख निगम का पदेन सदस्य होगा ।"

धारा 25 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (1) में, द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "नगर घोषित कर दिया गया है" के स्थान पर शब्द "नगर अधिसूचित कर दिया गया है" रख दिये जायेंगे ।

धारा 31 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक नगर" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेगे ।

धारा 32 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 32 में–

(क-1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा–

(क) किसी नगर को ऐसी रीति से, कि प्रत्येक कक्ष की जनसंख्या जहां तक सम्भव हो सके, सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में एक समान हो, कक्षों में विभाजित करेगी ;

(ख) कक्षों की संख्या, जिसमें किसी नगर को विभाजित किया जायेगा, अवधारित करेगी ;

(ग) प्रत्येक कक्ष का विस्तार अवधारित करेगी ;

(घ) अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या अवधारित करेगी ।"

(क–11) यथा प्रतिस्थापित उपधारा (1) में, बहद "नगर" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में अंक और शब्द "15 दिन"के स्थान पर शब्द "सात दिन" रख दिये जायेंगे ।

धारा 33 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 33 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(1–क) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिये, धारा 32 की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।"

धारा 39 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"39–(1) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी ।

निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकाशन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त पदाभिहित या नाम-निर्दिष्ट करें ।

(3) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर, इस अधिनियम के, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, अनुसार किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या सुधार के अधीन रहते हुए, वह इस अधिनियम के अनुसार तैयार की गयी कक्ष की निर्वाचक नामावली होगी ।

(4) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी किसी कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिये तत्समय प्रवृत्त विधान सभा की सूची को राज्य निर्वाचन आयेग के निदेश के अनुसार अपना सकता है जहां तक उसका संबंध उस कक्ष के क्षेत्र से हो ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली में, ऐसे कक्ष के लिये नाम-निर्देशन के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या सुधार को सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

(5) जहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का, चाहे उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली में कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धित किया जाना चाहिये, वहां वह इस अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुए किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति, सुधार, निष्कासन या परिवर्धन करेगा ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई सुधार,निष्कासन, या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नाम-निर्देशन होने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व, नहीं किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि का ऐसा कोई सुधार या निष्कासन जो उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो, उसे उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायगा ।

(6) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने, या सुधार करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायगी ।"

धारा 41 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 41 में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर शब्द "जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 45 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 45 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ दी जायेगी, अर्थात्––

"(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) निगम के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख और सभासदों के निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा ।"

धारा 48 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(क) शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, अंक "135" के पश्चात् अंक और अक्षर "135–क" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 58 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 58 में,–

(क) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक इस रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार की सेवा में नहीं है, तब तक मुख्य नगर अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा" रख दिये जायंगे ;

(ख) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि किसी व्यक्ति को अपर मुख्य नगर अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह निगम का ज्येष्ठतम् वेतनमान में उप नगर अधिकारी न हो ।"

धारा 85 का संशोधन

18–मूल अधिनियम की धारा 85 में, उपधारा (1–क) में, शब्द और अंक अथवा धारा 539 निकाल दिये जायंगे ।

धारा 107 का संशोधन

19–मूल अधिनियम की धारा 107 में, उपधारा (1) में, शब्द "राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से की जायेगी" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख द्वारा विहित रीति से की जायेगी" रख दिये जायेंगे ।

धारा 541 का संशोधन

20–मूल अधिनियम की धारा 541 में, खण्ड (48) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्–

"(48-क) मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये व्यवस्था और रीति,

स्पष्टीकरण–किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायेगा यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाय ।"

धारा 544 का प्रतिस्थापन

21–मूल अधिनियम की धारा 544 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

उपविधियों को प्रकाशित किया जाना

"544–धारा 541 के अधीन बनाई गई उपविधिया सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी ।"

धारा 574 का संशोधन

22–मूल अधिनियम की धारा 574 में, उपधारा (1) में–

(क) खण्ड (क) में–

(एक) शब्द "नगर पालिकाओं तथा म्युनिसिपल बोर्डों" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, नगरपालिका या नगरपालिका क्षेत्र और म्युनिसिपल बोर्ड या नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द "नगर अथवा उक्त नगर की निगम" के स्थान पर "नगर और उक्त नगर के निगम" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (ख) और (घ) में, शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड" जहां कहीं भी आये हों, के पश्चात् शब्द "या, यथास्थिति नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

धारा 575 का संशोधन

23–मूल अधिनियम की धारा 575 में, शब्द "उक्त नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हो, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

धारा 576 का संशोधन

24–मूल अधिनियम की धारा 576 में शब्द "उक्त नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

धारा 577 का संशोधन

25–मूल अधिनियम की धारा 577 में, खण्ड (ङ) और (ङङ) में शब्द "उक्त नगरपालिका" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

नई धारा 577-क का बढ़ाया जाना

26–मूल अधिनियम की धारा 577 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :–

सेवा की निरन्तरता

"577-क–उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी नगर महापालिका के नियोजन में समस्त अधिकारी और कर्मचारी, ऐसे प्रारम्भ पर, इस अधिनियम के अधीन निगम के अधिकारी और कर्मचारी हो जायेंगे और वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व हकदार या अधीन थे ।"

धारा 578 का संशोधन

27–मूल अधिनियम की धारा 578 में, पार्श्वशीर्षक को सम्मिलित करते हुए, जहां कहीं भी शब्द "अधिक्रान्त" या अधिक्रान्त अथवा" आये हों, निकाल दिये जायेंगे ।

धारा 579 का संशोधन

28–मूल अधिनियम की धारा 579 में, उपधारा (1) में––

(क) शब्द और अंक "धारा 3 के अधीन किसी स्थानीय क्षेत्र के नगर के रूप में संगठित किये जाने पर" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "जब कोई क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 243–घ के खण्ड (2) के अधीन वृहत्तर नगरीय क्षेत्र विर्निदष्ट किया जाय तो" रख दिये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (क) में शब्द "निगम के संगठन हेतु निर्वाचन के संबंध में" निकाल दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (ख) में, शब्द "म्युनिसिपल बोर्ड" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका परिषद्" रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 28 तक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

धारा 579–क का संशोधन

खण्ड 29–मूल अधिनियम की धारा 579–क में––

(क) उपधारा (1) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये नियत दिनांक तक" के स्थान पर शब्द "उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर निगम के पहले संगठन तक" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, एक शब्द और अंक "जहां निगम का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ से छः मास के भीतर समाप्त होता है और नये निगम का संगठन नहीं होता है वहां ऐसी समाप्ति पर, और नये निगम के संगठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन के लिये नियत दिनांक तक" के स्थान पर शब्द और अंक "जहां महापालिका जैसी कि वह उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी, का कार्यकाल या बढ़ाया गया कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् समाप्त होता है और उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नये निगम का संगठन नहीं होता है, वहां ऐसी समाप्ति पर और नये निगम के संगठन तक," रख दिये जायेंगे ;

(एक–क) यथा प्रतिस्थापित शब्द "ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् समाप्त होता है और उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नये निगम का संगठन नहीं होता है वहां ऐसी समाप्ति पर और नये निगम के संगठन तक" के स्थान पर शब्द "ऐसे प्रारम्भ के पूर्व समाप्त हो गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त

कर दिया गया है (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) तो निगम के प्रथम संगठन तक'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (क) निकाल दिया जायगा ;

(तीन) खण्ड (ख) में शब्द ''राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे और उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन उसके द्वारा किया जायगा तथा प्रशासक को'' के स्थान पर शब्द ''उसमें निरन्तर निहित रहेंगे और उनका प्रयोग पालन तथा निर्वहन प्रशासक द्वारा किया जायगा जो'' रख दिये जायंगे ;

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

''(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, निगम के संगठन के लिये निर्वाचन, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगे,और निगम का संगठन हो जाने पर उपधारा (2) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायंगे ।''

(घ) उपधारा (4) निकाल दी जायगी ।

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 के खण्ड 29 के उपखण्ड (ग) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 579 की धारा 579–क की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''डेढ़ वर्ष'' रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, संशोधन स्वीकार है ।

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 29 के उपखण्ड (ग) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 579–क की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्द ''एक वर्ष'' के स्थान पर ''डेढ़ वर्ष'' रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 29 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 30 से 51 तक

30–मूल अधिनियम की धारा 580-ख में, पार्श्वशीर्षक में, शब्द "देय धनराशियां" के स्थान पर शब्द "महापालिका को देय धनराशियां" रख दिये जायेंगे। धारा 580-ख का संशोधन

31–मूल अधिनियम की धार 580-ग में, पार्श्वशीर्षक में, शब्द "ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां" के स्थान पर शब्द "महापालिका के ऋण, आभार, संविदायें तथा विचाराधीन कार्यवाहियां" रख दिये जायेंगे। धारा 580-ग का संशोधन

अध्याय-तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

32–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 के, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक, उद्देशिका और धारा–1 की उपधारा (1) में, शब्द "संयुक्त प्रान्त" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे। संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 के दीर्घ शीर्षक, उद्देशिका और धारा 1 का संशोधन

33–मूल अधिनियम की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन

(क) खण्ड (6-क) में शब्द "में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "के अधीन गठित" रख दिये जायेंगे ;

(ख) खण्ड (9) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3–क के अधीन गठित" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे ;

(ग) खण्ड (9-क) में शब्द और अंक "जिसकी सीमायें ऐसी होंगी जैसी धारा 3 के अधीन परिनिश्चित की गयी हैं" निकाल दिये जायंगे ;

(घ) खण्ड (9-ख) और (9-ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(9-ख) 'नगरपालिका परिषद्' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के उप खण्ड (ख) के अधीन गठित नगरपालिका परिषद् से है ;

(9-ग) 'नगर पंचायत' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के उप खण्ड (क) के अधीन गठित नगर पंचायत से है" ;

(ङ) खण्ड (22-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(22-क) 'लघुत्तर नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है";

(च) खण्ड (22-ख) में शब्द "में निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "के अधीन गठित" रख दिये जायेंगे ;

(छ) खण्ड (23-क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(23-क) 'संक्रमणशील क्षेत्र' का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र से है" ;

(ज) खण्ड (24-क) में शब्द, अंक और अक्षर "धारा 3-ख के अधीन गठित" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "संविधान के अनुच्छेद 243-ध में निर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

34–मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी अर्थात् :--

"(1) संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र जिसकी सीमायें उसमें विनिर्दिष्ट हों, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होगा ।

(2) राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चात्वर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में, यथास्थिति निर्दिष्ट किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं, या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते हैं ।" ;

(ख) उपधारा (3) में शब्द और अंक "उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी करने की शक्ति" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनायें" रख दिये जायंगे ।

धारा 3-क का संशोधन

35–मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (1) के अधीन और उसके भाग 9-क के अनुसार :–

(क) प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र के लिये गठित नगरपालिका को नगर पंचायत के रूप में जाना जायेगा ;

(ख) प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिये गठित नगरपालिका को नगरपालिका परिषद् के रूप में जाना जायेगा'' ;

(ख) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''ऐसे प्रारम्भ पर'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे प्रारम्भ से और उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन नगरपालिका परिषद् के पहली बार गठित होने तक'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द ''ऐसे प्रारम्भ पर'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे प्रारम्भ से और खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के अधीन नगर पंचायत के पहली बार गठित होने तक'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 3-ख का प्रतिस्थापन

36–मूल अधिनियम की धारा 3-ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी अर्थात् :—

''3-ख–(1) तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका परिषद् के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर संविधान के अनुच्छेद 243-ध के खण्ड (1) के अधीन गठित प्रत्येक कक्ष समिति में पांच कक्ष होंगे ।

कक्ष समितियों का गठन और संरचना

(2) किसी कक्ष समिति का प्रादेशिक क्षेत्र उस समिति में समाविष्ट कक्षों के प्रादेशिक क्षेत्र से मिलकर बनेगा ।

(3) प्रत्येक कक्ष समिति में निम्नलिखित होंगे :—

(क) कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर कक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले नगरपालिका परिषद् के सभी सदस्य,

(ख) तीन से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा सम्बद्ध कक्ष समिति के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों में से जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, नाम-निर्दिष्ट किये जायंगे ।

(4) कक्ष समिति अपने गठन के पश्चात् अपनी प्रथम बैठक में और प्रत्येक उत्तर वर्ती वर्ष में उसी मास में अपनी प्रथम बैठक में उपधारा (3) के खण्ड (क) में उल्लिखित सदस्यों में से एक को उस समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेगी ।

(5) अध्यक्ष के पद का कार्यकाल एक वर्ष होगा किन्तु वह अपना उत्तराधिकारी चुने जाने तक पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(6) नगरपालिका परिषद् का सदस्य रह जाने पर अध्यक्ष तुरन्त अपना पद रिक्त कर देगा ।

(7) अध्यक्ष के पद की उसकी पदावधि के समाप्त होने के पूर्व त्याग-पत्र या अन्यथा किसी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में कक्ष समिति, रिक्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उपधारा (4) के अनुसार नये अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार निर्वाचित अध्यक्ष केवल उस अवशेष अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे निर्वाचित किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति न हुई होती ।

(8) कक्ष समिति का कार्यकाल नगरपालिका परिषद् की अवधि के साथ समाप्त होगा ।

(9) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कक्ष समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो नियमों द्वारा विहित किये जायं ।''

धारा 4 का संशोधन

37–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक ''धारा 3 के अधीन'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 3 में निर्दिष्ट'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

38–मूल अधिनियम की धारा 5 में, शब्द और अंक ''जब धारा 3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना के फलस्वरूप कोई स्थानीय क्षेत्र किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय'' के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर ''जब धारा 3 उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा राज्यपाल किसी क्षेत्र को किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करें'' रख दिये जायेंगे ।

धारा 7 का संशोधन

39–मूल अधिनियम की धारा 7 में, शब्द ''नगरपालिका के भीतर'' के स्थान पर शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र के भीतर'' रख दिये जायेंगे ;

धारा 9 का संशोधन

40–मूल अधिनियम की धारा 9-क में,–

(क) उपधारा (1) में,–

(एक) शब्द ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों'' के स्थान पर शब्द ''अनुसचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों'' रख दिये जायेंगे ;

(दो) शब्द ''नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की'' के पश्चात् शब्द ''या नगरपालिका क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की'' बढ़ा दिये जायंगे,

(तीन) अन्त में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायंगे, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि नगरपालिका में पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के सत्ताइस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हों तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।" ;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में शब्द और अंक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1)" रख दिये जायेंगे।

41–मूल अधिनियम की धारा 11-ख में,— धारा 11-का का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द "कम से कम 15 दिन की अवधि के लिये आपत्तियों के लिये प्रकाशित किया जायेगा और उसकी एक प्रति संबंधित नगरपालिका बोर्ड या बोर्ड के पास टिप्पणियों के लिये भेजी जायगी" के स्थान पर "कम से कम सात दिन की अवधि के लिये प्रकाशित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "और टिप्पणियां", निकाल दिये जायेंगे।

42–मूल अधिनियम की धारा 11-ग की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्— धारा 11-ग का संशोधन

"(2) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के परिवर्तन या संशोधन के लिये धारा 11-ख की उपधारा (2) और (3) के उपबन्ध यथाश्वयक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"

43–मूल अधिनियम की धारा 12-ख में,— धारा 12-का का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायगी।

(2-क) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट या पदाभिहित करें।

(2-ख) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर यह, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार कक्ष के लिये तैयार की गयी निर्वाचक नामावली होगी ।",

(ख) उपधारा (3) में–

(एक) शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर शब्द "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" रख दिये जायेंगे;

(दो) शब्द "तैयार की गयी निर्वाचक नामावली" के पश्चात् शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार" बढ़ा दिये जायेंगे ।

धारा 12-च का प्रतिस्थापन

44–मूल अधिनियम की धारा 12-च के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् –

"12-च–(1) जहां निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे, उसको दिये गये किसी आवेदन-पत्र पर या स्वप्रेरणा से ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समाधान हो जाय कि निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिए या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिए वहां वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुए, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा :

निर्वाचक नामावली का सुधार

परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नहीं किया जायगा ।

परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं किया जायगा ।

(2) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने या सुधार करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अपील ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायगी ।"

धारा 12-ज का प्रतिस्थापन

45–मूल अधिनियम की धारा 12-ज में, शब्द "राज्य निर्वाचन अयोग" के स्थान पर शब्द "जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे ।

धारा 13-ख का संशोधन

46–मूल अधिनियम की धारा 13-ख को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, धारा 12-ख की उपधारा (2-क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय) नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।"

धारा 13-ञ का संशोधन

47–मूल अधिनियम की धारा 13-ञ में,—

(क) शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "मुख्य निवार्चन अधिकारी (नागर स्थानीय निकाय)" रख दिये जायंगे ;

(ख) उपधारा (1) में अंक "135"के पश्चात् अंक और अक्षर "135-क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 43-ग का संशोधन

48–मूल अधिनियम की धारा 43-ग में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर शब्द जहां तक निम्नलिखित विषयों में से किसी के संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग" रख दिये जायेंगे।

धारा 298 का संशोधन

49–मूल अधिनियम की धारा 298 में,—

(क) उपधारा (2) में,शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "नगरपालिका" रख दिया जायगा,

(ख) उसकी सूची एक में,—

(एक) शीर्षक में, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका" रख दिया जायगा,

(दो) उप शीर्षक ञ–प्रकीर्ण के अधीन प्रविष्टि (थ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायगी, अर्थात—

"(द) मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़े हुये व्यक्तियों को भूमि के आवंटन के लिये व्यवस्था और रीति,

स्पष्टीकरण–किसी व्यक्ति को ऐसे व्यवसाय में परम्परागत रूप से जुड़ा हुआ समझा जायगा यदि वह व्यक्तियों के ऐसे वर्ग का हो जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया जाय ;"

(ग) उसकी सूची दो में, शीर्षक में, शब्द "नगरपालिका क्षेत्र" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका" रख दिया जायगा;

धारा 301 का प्रतिस्थापन

50–मूल अधिनियम की धारा 301 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

"301–(1) धारा 298 के अधीन उपविधियां बनाने की नगरपालिका की शक्ति विनियमों और उपविधियों का प्रकाशित किया जाना ऐसी उपविधियों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाये जाने की शर्त के अधीन होगी।

(2) धारा 297 और संयुक्त प्रान्त प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1919 के अधीन बनाये गये विनियम और धारा 298 के अधीन बनाई गई उपविधियां सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेंगी।

301-क–(1) यदि राज्य सरकार को किसी भी समय यह प्रतीत हो कि किसी राज्य सरकार उपविधियों को उपविधि का पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत पुरष्कृत या निरस्त कर सकती है या निरस्त किया जाना चाहिये तो वह अपने ऐसे मत के कारण नगरपालिका को सूचित करेगी और एक उपयुक्त अवधि विहित करेगी, जिसके भीतर उसके सम्बन्ध में नगरपालिका कोई ऐसा अभ्यावेदन कर सकेगी जिसे वह उचित समझे।

(2) ऐसे किसी अभ्यावेदन के प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् या यदि उस समय के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो तो विहित अवधि के समाप्त होने के पश्चात् राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उक्त उपविधि को पूर्णतः या अंशतः परिष्कृत या निरस्त कर सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी उपविधि का परिष्कार या निरसन अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।"

धारा 341 का संशोधन

51–मूल अधिनियम की धारा 341 में,–

(क) शब्द "टाउन एरिया कमेटी" के पश्चात् शब्द "या धारा 338 के अधीन गठित नोटीफाइड एरिया कमेटी" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) शब्द "क्रमशः नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत" के स्थान पर शब्द नगर पालिका बोर्ड के लिए "नगरपालिका परिषद् और टाउन एरिया कमेटी या नोटीफाइड एरिया कमेटी के लिये नगर पंचायत" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 30 से खण्ड 51 तक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड–52–मूल अधिनियम की धारा 342 में,– धारा 342 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्

"(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों, नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष, जैसे कि वे उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के ठीक पूर्व थे, की सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे प्रारम्भ पर, जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उनका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायेगा जो नगरपालिका बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों के संबंध में नगरपालिका परिषद्, उसका अध्यक्ष और समितियां समझा जायेगा और नोटीफाइड एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष या टाउन एरिया कमेटी और उसके अध्यक्ष के संबंध में नगर पंचायत और उसका अध्यक्ष समझा जायेगा।";

(ख) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्–

"(4) इस धारा में किसी बात के होते हुये भी, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के गठन के लिये निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के प्रारम्भ के दिनांक से डेढ़ वर्ष के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कराये जायेंगे और यथास्थिति नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के गठित हो जाने पर उपधारा (1), (2) और (3) के उपबन्ध प्रभावी नहीं रह जायेंगे।"

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खण्ड 52 के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 342 की उपधारा (4) में प्रयुक्त शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर "डेढ़ वर्ष" रख दिये जायें ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, संशोधन स्वीकार है ?

श्री राम किशोर बिन्द–

जी हां।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि काण्ड 52 के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 342 की उपधारा (4) में प्रयुक्त शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "डेढ़ वर्ष" रख दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 52 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुसूचियों का संशोधन

खण्ड–53–मूल अधिनियम में,–

(क) अनुसूची एक में, धारा 212–क के सामने स्तम्भ 2 की प्रविष्टि में, शब्द "नगरपालिका की सीमा" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका क्षेत्र' रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुसूची तीन में, शब्द "पथकर चुंगी" निकाल दिये जायेंगे;

(ग) अनुसूची सात में,–

(एक) धारा 3 के संबंध में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायेंगी, अर्थात्:–

"3–(1) किसी क्षेत्र की सीमाओं के साथ, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र विनिदिष्ट करना ।

3–(2) यथास्थिति, किसी संक्रमणीयशील क्षेत्र या किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में किसी क्षेत्र को सम्मिलित करना या उससे निकालना;"

(दो) स्तम्भ 1 में, अंक "9" के स्थान पर अंक और अक्षर "9 (क)" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) धारा 9 (क) के संबंध में यथा प्रतिस्थापित प्रविष्टि के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायगी, अर्थात्–

"9 (घ)–सदस्यों को यथास्थिति नगर पंचायत या नगर परिषद् में नाम निर्दिष्ट करना ।";

(चार) धारा 10 के संबंध में प्रविष्टि निकाल दी जायगी;

(पांच) धारा 13–क (1) के स्थान पर, निम्नलिखित धारा और प्रविष्टि रका दी जायेगी, अर्थात्–

"13–क– किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन के लिये दिनांक नियत करना ।";

(छः) धारा 122 (2) के सामने की प्रविष्टि में, शब्द "नगरपालिका से अपवर्जित किया जाय" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र से अपवर्जित किया जाय" रख दिये जायेंगे ।

(घ) अनुसूची आठ में, धारा 155 के संबंध में प्रविष्टियां निकाल दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 53 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अध्याय चार

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 1994
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 28 सन् 1994
उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 1994

निरसन और अपवाद

54–(1) उत्तर प्रदेश नागर, स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994, उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री भगेलू राम–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह संशोध प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 के खण्ड 54 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय:–

54–(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि तृतीय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा या उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा या उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और संयुक्त प्राप्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी संशोधन स्वीकार हैं।

श्री राम किशोर बिन्द–

मानयवर, जी हां।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 54 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय–

54(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि तृतीय (संशोधन) अध्यादेश, 1995 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शान विधि (संशोधन) अध्यादेश 1994 द्वारा या उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 द्वारा या उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 और संयुक्त प्राप्त नगरपालिका अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 54 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुसूची, खण्ड 1. प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राम किशोर विन्द–

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 2-8-95 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिसमें पहली सूचना श्री शिव प्रताप शुक्ल की जिला गोरखपुर के थाना अहिरौली में श्री प्रदीप कुमार सिंथानिया उर्फ टीपू की

हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना डा० सरजीत सिंह डंग की नगर विकास विभाग में कतिपय उच्च अधिकारियों तथा पूर्व मंत्रियों के पुत्र एवं रिस्तेदारों की नियम विरुद्ध की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में है इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । तीसरी सूचना श्री रमेश कान्त खानिया की जनपद आगरा में वन विभाग की लापरवाही व मिली भगत से अवैध कटान की शहर में बिक्री होने के सम्बन्ध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । चौथी सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की गंगा नदी पर देव प्रयाग में वर्षों से निर्माणाधीन मोटर पुल का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के संबंध में है इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । पांचवीं सूचना श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा की जनपद बाराबंकी के राम नगर कस्बे में पानी की टंकी का निर्माण, नाली एवं खड़ंजा लगाये जाने तथा इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । छठी सूचना श्री सुन्दर लाल दीक्षित की बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र में ड्रेनों की खुदाई एवं सफाई न होने से जल भराव की समस्या के संबंध में है इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । सातवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की नगर निगम लखनऊ में 40 राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति/नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है इस पर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे ।

इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ
दिनांक 2 अगस्त, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

अनुबंध 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृ० 29 पर)

दवाओं के किट की सूची

किट (ए)

1–आई० एफ० ए० (लार्ज)
(100 एम०जी०)

2–आई० एफ० ए० (स्माल)
(20 एम०जी०)

3–विटामिन "ए"

4–कौटीमैक्साजौल

5–ओ० आर० एस० पैकेट्स

किट (बी)

1–मैथाइल आरगोमैदिन
(0 125 एम०जी०एम०)

2–पैरासिटामाल (500 एम०जी०)

3–टैबलेट टन्टीएक्समोडिक

4–मैथाइल आगोमैटिन (052 एम०जी०/एम०एल०)

5–मैबैन्डीजाल (100 एम०जी०)

6–क्लोरेमफैनीकाल

7–सेटामाइल्ड पावडर

8–पवीडान आइन्टमैन्ट

9–काटन बैन्डेज

10–काटन एब्जारवेन्ट

:————:

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किट में दी गई सामग्री की सूची

1–वी० पी० आपरेट्स कम्प्लीट		1
2–बेबी बैलेन्स		1
3–कैथेटर ट्रे विद लिड		i
	(222 × 22 × 41) एम० एम०	
4–टिसू फोरशिप		1
5–किडनी ट्रे		
	(250 × 150 × 40) एम० एम०	
6–बाउल्स		1
	स्माल–125 × 57 एम० एम०	
	लार्ज–160 × 75 एम० एम०	
7–कैथेटर		1
8–शीटींग	90 × 180 सी० एम०	2
9–इरीगेटर सेट		1
इरीगेटर जार		1
डच ट्यूबिंग		1
इच सेट		1
पी० वी० सी० वाशर		2
10–थर्मामीटर क्लीनिकल		1
11–थर्मामीटर रेक्टल		1
12–नेल ब्रश		1
13–मसकस साकर		1
14–आट्रे पोरसेप		2
15–कार्ड कटिंग सीजर		1
16–ग्रेड आनरिल 25 एम० एम०		1
17–नेल क्लीपर		1
18–फोटो स्कोप		1
19–किट बैग		1

: ———— :

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं० 7 का उत्तर पीछे पृ० 29 पर)

"प्रतिलिपि"

सील

परशुराम यादव	सदस्य विधान सभा	क नं०–287241
विधायक	उत्तर प्रदेश	शिविर आवास
(समाजवादी पार्टी)		230, रिकाबगंज, फैजाबाद
बीकापुर, फैजाबाद ।		दि० 24-3-95

अत्यावश्यक/अविलम्बनीय

सेवा में,

जिलाधिकारी,

फैजाबाद ।

विषय :–शहरी क्षेत्र फैजाबाद में मो० लालकुर्ती में (कैन्ट क्षेत्र) स्थित मेसर्स ईगल गैस सर्विस तथा मो० शीडगंज स्थित मे० शशी गैस सर्विस द्वारा उपभोक्ताओं का किया जा रहा शोषण तथा घरेलू गैस वितरण में की जा रही व्यापक अनियमितता की तात्कालिक जांच कराए जाने और नियमानुसार वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के बारे में ।

महोदय,

जैसा कि आपके संज्ञान में है कि प्रत्येक बुधवार को मुख्यालय पर रहकर पार्टी कार्यकताओं व जन साधारण की समस्याएं सुनवाई । इसी क्रम में विगत दिनों शहरी क्षेत्र के सैकड़ों उपभोक्ताओं ने मुझसे मिलकर गैस वितरण में हो रही धांधली के बारे में बताया ।

मुझे आश्चर्य तो तब हुआ जब मेरे गुरूजी (श्रद्धेय श्री राम कृष्ण पान्डेय–42 नियावां रोड फैजाबाद) भी इस हेराफेरी के शिकार होकर परेशान रहे । इनका कनेक्शन मेसर्स ईगल गैस सर्विस लालकुर्ती से है । इनके लड़के श्री आनन्द मोहन पान्डेय संवाददाता दैनिक जागरण ने इस कनेक्शन पर विगत 9 फरवरी को गैस बुक कराया जिसका बुकिंग नम्बर 11201 था । लेकिन इन्हें भी लगातार दौड़ाया गया और 22-3-95 (जब मेरी बात हुयी तब तक इन्हें गैस नहीं दी गयी है) ।

मैंने रोज रोज हो रही शिकायतों की वास्तविकता जानने के इरादे से मेसर्स ईगल गैस सर्विस और मेसर्स शशी गैस सर्विस के डिपो का गोपनीय निरीक्षण किया तथा वाहन में बैठे-बैठे परेशान हाल उपभोक्ताओं को बुला-बुलाकर समस्याएं सुनी । इस क्रम में मुझे निम्न शिकायतें बड़े पैमाने पर मिली हैं ।

(1) कुकिंग गैस की होम डिलीवरी नहीं करायी जा रही है और होम डिलवरी का चार्ज वसूला जा रहा है ।

(2) डी०वी०सी० बुकिंग और डिलीवरी में व्यापक घपला है। उदाहरण के तौर पर म० नं० 180 रिकाबगंज निवासी श्री गौरी शंकर पान्डेय की डी०वी०सी० बुकिंग संख्या 1121 पर किसी अन्य व्यक्ति को डीलीवरी दे दी गयी और यह अभी तक प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। यह कारगुजारी ईगल गैस सर्विस की है।

(3) उपरोक्त दोनों ऐजेन्सियों के बारे में मौके पर जिस तरह की कार्यवाई देखी गयी और लोगों की शिकायतें सुनी गयी उससे यह स्पष्ट है कि ऐजेन्सी में रखे कन्ज्यूमर्स बुक पर रिफिल की फर्जी टिप्पणी करके गैस ब्लैक की जा रही है।

(4) गैस के नए कनेक्शनों का नम्बर आ जाने या डी०वी०सी० की बुकिंग का नम्बर आ जाने पर उभोक्ताओं को ऐजेन्सी के जरिए जो सूचना भेजी जाती है उसकी औपचारिकता (अन्डर पोस्टल सार्टिफिकेट) लेकर पूरी कर ली जाती है जबकि व्यवहार में यह है कि उपभोक्ताओं को सूचना मिल ही नहीं पाती। केवल 20 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सही सूचना ही जा पाती है।

महोदय, पत्रकारों को साथ लेकर मैसर्स ईगल गैस सर्विस और शशि गैस सर्विस के केन्द्रों से थोड़ा दूरी पर चुपचाप बैठकर परेशान उपभोक्ताओं की शिकायत के आधार पर उपरोक्त कमियां सामने आई हैं।

मैसर्स ईगल गैस सर्विस के मालिक श्री धीरेन्द्र सिंह जका की घरेलू अपरिहार्य व्यस्त परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाकर उनके यहां के कर्ता-धर्ता श्री लाल जी के बारे में बहुत ज्यादा शिकायतें और हेराफेरी करने के मामले संज्ञान में आए हैं।

लोगों का कहना है कि गत लगभग एक वर्ष से श्री जका साहब की पत्नी को कैन्सर जैसी बीमारी में उपचार के कारण उनकी व्यस्तता तथा बाद में पत्नी का देहान्त हो जाने के कारण दैवी आपदा से उनकी व्यस्तता और परिस्थिति का लाभ उठाकर उक्त लालजी नामक प्रबन्धक (या जो भी हो) के द्वारा बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गयी है।

मुझे यह भी बताया गया है कि श्री लाल जी भरे हुए कुछ सिलेन्डर अपने घर में तथा मुहल्ले के लोगों के यहां रखवा दिया करते हैं। उनके सिलेन्डर रखने वाले लोगों को भी वह कुछ हिस्सा देते हैं।

इसके अलावा गैस सर्विस के मालिक/भागीदार श्री रामू प्रियदर्शी पूर्व विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक ओर वह अपने राजनैतिक [illegible] इस्तेमाल करके व्यापक हेरा-फेरी कर रहे हैं जो दूसरी ओर उनकी राजनैतिक मंशा भी पूरी [illegible] ान हाल उपभोक्ता सरकार को कोसते हैं।

मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि प्रशासन स्तर से जिन लोगों के जिम्मे गैस वितरण की व्यवस्था को देखते रहने का दायत्वि दिया गया है उनकी भूमिका भी अतिसंदिग्ध है। सारी की सारी होने वाली कार्रवाई अखबारी विज्ञप्ति तक सीमित है। व्यवहार में यह है कि ऐजेन्सी वालों को ही संरक्षण दिया जा रहा है।

मैं चाहूंगा कि (1) गैस रिफिलिंग के मामले में ऐजेन्सी में रखे उपभोक्ता कार्डों पर तिथिवार दर्ज डिलवरी का मिलान उभोक्ता को मिली ब्लू बुक से कराया जाय (2) ऐजेन्सी पर डिलीवरी देने के बाद

भी होम डिलीवरी चार्ज लिए जाने का परीक्षण कराकर उपभोक्ताओं से लिए गए ज्यादा पैसों के मामले में "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम" के अन्तर्गत कार्रवाई करायी जाय । (3) नए कनेक्शन और द्वितीय सिलेन्डर बुक कराए लोगों को सूचना देने तथा सही उपभोक्ता को ही कनेक्शन और मिल जाने की जांच करायी जाय (4) भविष्य के लिए सारी ऐजेन्सियों को हिदायत की जाय कि नए कनेक्शन और डी०वी०सी० बुकिंग कराने वालों का नम्बर आने पर ऐजेन्सी वाले सार्वजनिक सूचना सूची ऐजेन्सी पर चस्पा रहे तथा एक प्रति प्रशासन को रोज भेजी जाय । जांच का कार्य पूर्ति विभाग के निरीक्षक या राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा तत्परता से कराया जाय ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं० 54 का उत्तर पीछे पृ० 47 पर)

सेखुई माइनर के निर्माण में ग्राम सभा अगवा व रूदौली में ली गयी भूमि व कास्तकारों का विवरण

ग्राम सभा अगवा / नम्बर बन्दोबस्त	रकबा (एकड़ में)	कास्तकारों का विवरण
51	0.82	बिन्दा पुत्र सहदेव ग्रामवासी
53	0.40	लच्छन पुत्र जगमोहन ,,
54	0.13	गौरी शंकर पुत्र वेदी ,, व नउर पुत्र रमेसर
135	0.01	मुन्नर पुत्र मोहर ,,
124	0.03	नथई पुत्र झगरू ,,
123	0.04	बिकाऊ पुत्र चन्दबली ,,
122	0.04	हंसराज पुत्र निरहू ,,
119	0.10	बुदधू पुत्र राम पलट ,,
118	0.20	लच्छन पुत्र राम सरन ,,
136	0.50	साधू सरन व विजय कुमार ,, पुत्र कास उर्फ काउस ,,
138	0.10	छेदी पुत्र कुमार ,, ग्राम मदनपुरा ,,
139	0.09	छोटे लाल पुत्र ,,
140	0.07	नथई पुत्र नरायन ,,
141	0.07	पारसनाथ पुत्र बलभद्र ,, मदनपुरा
142	0.09	विश्वनाथ पुत्र नरायन ,,
153	0.04	शम्भू व योगेन्द्र पुत्रगण शिव ,,
योग	2.73 एकड़	

ग्राम सभा रूदौली

207	0.22	आमू पुत्र शिवदत्त ग्रामवासी
205	0.09	रामाश्रय पुत्र रघुवर व सुग्रीव व विक्रम (पौत्र) ग्रामवासी
204	0.43	हरिसेवक पुत्र ठाकुर ग्रामवासी अगवा ।
योग	0.74 एकड़	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 56 का उत्तर पीछे पृ० 48 पर)

डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 से वर्ष 1993–94 तक निर्मित बनीकरण योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

जनपद–पौड़ी गढ़वाल (भौतिक–है० में) (वित्तीय लाख रुपयों में)

क्र०सं०	विकास खण्ड	वर्ष 1989-90		वर्ष 1990-91		वर्ष 1991-92		वर्ष 1992-93		वर्ष 1993-94		योग	
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पौड़ी	98.00	4.92	52.30	2.63	13.50	1.09	20.00	1.74	48.00	5.33	231.80	15.71
2	कोट	56.28	2.66	20.00	1.04	10.00	0.81	41.50	3.61	50.00	5.40	177.78	13.61
3	कल्जीखाल	44.00	2.10	78.00	3.40	10.00	0.81	21.00	1.82	45.00	4.80	198.00	12.93
4	खिर्सू	159.60	7.91	80.00	3.74	13.50	1.09	–	–	53.00	5.94	306.10	18.68
5	पावौ	86.54	4.33	131.84	(2	19.00	1.54	20.00	1.74	65.00	7.21	322.38	21.74
6	थलीसैण	224.00	10.60	173.50	7.96	38.95	3.13	19.80	1.72	42.50	4.51	498.75	27.92
7	बीरोखाल	65.00	3.16	65.00	2.74	37.40	3.02	30.50	2.67	49.00	5.33	246.90	16.92
8	जयहरीखाल	179.50	8.02	143.00	5.51	180.00	13.95	180.00	15.95	49.00	5.33	731.50	48.76
9	द्वारीखाल	84.00	3.61	99.50	4.86	121.00	9.38	80.00	7.08	54.00	6.22	438.50	31.16
10	यमकेश्वर	31.00	1.54	–	–	127.00	9.85	80.00	7.09	54.00	6.22	292.00	24.70
कुल योग		1027.92	48.85	843.14	38.80	570.35	44.67	492.80	43.42	509.50	56.38	3443.71	232.13

परिशिष्ट 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 110 का उत्तर पीछे पृ० 71 पर)

संलग्नक–1

ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर

मद संख्या–4711 निर्माण कार्य के अन्तर्गत वर्ष 1989–90 में जिन निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है

सीमान्त बांध

1–मानीराम माधोपुर बांध का निर्माण	3.09
2–मानीराम डोमिनगढ़ बांध का निर्माण	0.02
3–मछली गांव अलगपुर बांध का निर्माण	3.45
4–अन्तपुर बड़हरा बांध का निर्माण	2.18
5–चेहरी बांध का निर्माण	4.66
6–जर्दा डोमरा बांध का निर्माण	10.33
7–बनहरा बांध का निर्माण	3.42
8–मखनहा बांध का निर्माण	6.67
9–लक्ष्मीपुर रिंग बांध का निर्माण	0.39
10–वित्तापुर बांध का निर्माण	0.07
11–बेलसर रिगोली बांध का निर्माण	2.75
12–रिगोली बढैया बांध का निर्माण	9.15
13–बोरमा बांध एवं रेगुलेटर का निर्माण	41.13
14–रामनगर ठूठीबारी बांध का निर्माण	1.36
15–दूवाइन बांध का निर्माण	0.58
16–बतरहा बांध का विस्तार	0.95
योग	90.20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कटाव निरोधक कार्य

1–मजनहा बांध की सुरक्षा का कार्य	5.49
2–बनरहा बांध की सुरक्षा का कार्य	4.44
3–जर्दा डोमरा बांध की सुरक्षा का कार्य	1.15
4–बेलसर रिगोली बांध की सुरक्षा कि०मी 15.80	1.13
5–बढ़ाया कोठी बांध की सुरक्षा (कि०मी० 13.500)	2.25
6–डोमरा रिंग बांध की सुरक्षा (कि०मी० 0.60)	0.84
7–बढ़या कोठी बांध की सुरक्षा (कि०मी० 8.60)	0.61
8–पनछटिया करमेनी बांध की सुरक्षा (कि०मी० 3.50)	1.57
9–रिगोली बढ़यो बांध की सुरक्षा (कि०मी० 4.20)	1.09
10–बेलसर रिगोली बांध की सुरक्षा (कि०मी० 0.17)	(–) 0.06
11–बेलसर रिगौली बांध की सुरक्षा (कि०मी० 23.00)	0.82
	योग : 19.35

जलोत्सारण

1–ऊलान नाला	0.47
2–चोरमा नाला	3.19
	3.66
	कुल व्यय 113.19

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संलग्नक : 2

ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर

मद संख्या–4711 निर्माण कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1990–91 में जिन निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है ।

सीमान्त बांध

1–मानीराम माधोपुर बांध का निर्माण	1.47
2–मानीराम डोमिनगढ़ बांध का निर्माण	1.65
3–मछली गांव अलगटपुर बांध का निर्माण	2.51
4–अन्नतपुर बड़हरा बांध का निर्माण	1.04
5–चेहरी बांध का निर्माण	0.65
6–जर्दी डोमरा बांध का निर्माण	4.54
7–बनरहा बांध का निर्माण	3.04
8–मखनहा बांध का निर्माण	3.05
9–बेलसर रिगौली बांध का निर्माण	4.21
10–रिगोली बढ़या बांध का निर्माण	4.87
11–चोरमा बांध एवं रेगुलेटर बांध का निर्माण	(–) 6.32
12–रामनगर ठ्ठीबारी बांध का निर्माण	0.65
13–बढ़या ओठा बांध का निर्माण	0.62
14–बनरहा बांध का विस्तार	0.30
15–दुवाईन बांध का निर्माण	0.53
	योग : 22.81

कटाव निरोधक कार्य

1–मखनहा बांध की सुरक्षा का कार्य	0.10
2–बढ़या कोठा बांध की सुरक्षा (कि०मी० 13.500)	1.46
3–डोमरा बांध की सुरक्षा (कि०मी० 0.60)	0.59
4–पनघटिया बारमैनी बांध की सुरक्षा (कि०मी० 3.50)	5.13

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5–बढ़या कोठा बांध की सुरक्षा (कि०मी० 8.60)	3.91
6–रिगौली बढ़या बांध की सुरक्षा (कि०मी० 4.20)	4.87
	योग : 16.06
जलोत्सारण	
1–चोरमा नाले का निर्माण	0.73
	योग : 0.73
	कुल योग : 39.60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 159 का उत्तर पीछे पृ० 88 पर)

अमेठी तहसील के अन्तर्गत सप्ताहान्त दि० 6-7-95 को कार्यरत नलकूपों की सूची

क्र०सं०	नलकूप संख्या व समूह	ग्राम	ब्लाक
1	2	3	4
	सामान्य नलकूप		
1	1 ए०जी०	पूरब द्वारा	भेटुआ
2	2 ,,	सनहर	,,
3	3 ,,	सरआवां	,,
4	7 ,,	परतोषमानिक	,,
5	11 ,,	गैरिकपुर	,,
6	22 ,,	भुसियावां	,,
7	23 ,,	पिंडोरिया	,,
8	27 ,,	टिकरी	,,
9	28 ,,	शिवगढ़	,,
10	29 ,,	सुमेरपुर	,,
11	30 ,,	राजापुर	,,
12	33 ,,	धनापुर	,,
13	50 ,,	परतोषमानिक	,,
14	51 ,,	परतोषमानिक	,,
15	52 ,,	संडिला	,,
16	55 ,,	कनकसिंहपुर	,,
17	57 ,,	सरआवां	,,
18	58 ,,	सनहा	,,
19	59 ,,	सरआवां	,,
20	63 ,,	पिण्डोरिया	,,
21	65 ,,	पिण्डोरिया	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
22	67 ए०जी०	टिकरी	भेटुआ
23	68 ,,	राजापुर कल्याण	,,
24	70 ,,	कटरा महरानी	,,
25	72 ,,	टिकरी	,,
26	73 ,,	टिकरी	,,
27	74 ,,	टिकरी	,,
28	75 ,,	कुडवा	,,
29	81 ,,	नरसिंहभानपुर	,,
30	89 ,,	सरआवां	,,
31	96 ,,	टिकावर	,,
32	98 ,,	थोरा	,,
33	110 ,,	भुसियावां	,,
34	141 ,,	मड़ेरिका	,,
35	154 ,,	थौरा	,,
36	156 ,,	सरायपान	,,
37	158 ,,	टिकरी	,,
38	161 ,,	सहरी	,,
39	163 ,,	गैरिबपुर	,,
40	165 ,,	गुंगवाछ	,,
41	220 ,,	थरईमाफी	,,
42	221 ,,	घुरहा	,,
43	223 ,,	मई	,,
44	224 ,,	सरआवां	,,
45	228 ,,	कोरारीलक्षनशाह	,,
46	1 एन०ए०जी०	अमयेमाफी	,,
47	2 ,,	घुरहा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
48	32 ए०जी०	कटरा महरानी	अमेठी
49	46 ,,	दरखा	,,
50	50 ए०जी०	सरायखेमा	अमेठी
51	62 ,,	सरायखेमा	,,
52	104 ,,	टिकरीदादूपुर	,,
53	41 ,,	जोगापुर	संग्रामपुर
54	42 ,,	भावलपुर	,,
55	142 ,,	धौरहरा	,,
56	146 ,,	भावलपुर	,,
57	149 ,,	छांछा	,,
58	6 ,,	अग्रेसर	भादर
59	48 ,,	सोनारीकला	,,
60	61 ,,	कल्यानपुर	,,
61	76 ,,	त्रिसुण्डी	,,
62	77 ,,	संसारीपुर	,,
63	80 ,,	किसुनदासपुर	,,
64	85 ,,	त्रिसुण्डी	,,
65	107 ,,	त्रिसुण्डी	,,
66	108 ,,	गनीपुर	,,
67	109 ,,	रायचन्दपुर	,,
68	112 ,,	नरवहनपुर	,,
69	116 ,,	ज्ञानचन्द्रपुर	,,
	विश्वबैंक		
70	9 ,,	रायपुर फुलवारी	अमेठी
71	115 ,,	रामदेवपुर	,,
72	117 ,,	जयरामपुर	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4
73	118	,,	गंगौली	,,
74	119	,,	गंगौली	,,
75	120	,,	गंगौली	,,
76	126	,,	भुसहरी	,,
77	128	ए०जी०	भुसहरी	अमेठी
78	171	,,	खेरौना	,,
79	172	,,	बरियापुर	,,
80	173	,,	मंगलपुर	,,
81	174	,,	सोनियापुर	,,
82	175	,,	गड़ेरी	,,
83	176	,,	रामगढ़	,,
84	177	,,	रामगढ़	,,
85	179	,,	डेहरा	,,
86	180	,,	बुड़वा	,,
87	181	,,	राजापुर	,,
88	182	,,	गोरखापुर	,,
89	183	,,	पातीपुर	,,
90	184	,,	रामपुर	,,
91	185	,,	गड़ेरी	,,
92	186	,,	बधरिया	,,
93	19	,,	बेलखरी	संग्रामपुर
94	121	,,	उत्तरगांव	,,
95	122	,,	,,	,,
96	123	,,	,,	,,
97	124	,,	,,	,,
98	127	,,	जरोरा	,,

उत्तर प्रदेश विद्युत सभा

1	2		3	4
99	128	..	अमेरुआ	,,
100	129	..	कसारा	,,
101	130	..	कसारा	,,
102	131	..	बेलखरी	,,
103	132	..	सोनारीकनू	,,
104	133	..	,,	,,
105	135	ए०जी०	भैरवपुर	संग्रामपुर
106	136	..	,,	,,
107	137	..	,,	,,
108	139	..	इटौरी	,,
109	187	..	बड़गांव	,,
110	188	..	भौसिंहपुर	,,
111	189	..	,,	,,
112	190	..	,,	,,
113	191	..	उमापुर	,,
114	192	..	पतापुर	,,
115	34	..	धोरहा	भादर
116	35	..	रतापुर	,,
117	36	..	परसोइया	,,
118	43	..	गोबुला	,,
119	44	..	भावापुर	,,
120	83	..	धोरहा	,,
121	148	..	रतापुर	,,
122	196	..	खौपुर	,,
123	197	..	सोनारी	,,
124	198	..	धोरहा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3	4
125	199	,,	केशवपुर	,,
126	200	,,	केशवपुर	,,
127	201	,,	नेवरिया	,,
128	203	,,	गनीपुर	,,
129	204	,,	रतापुर	,,
130	205	,,	रेवड़ा	,,
131	206	,,	गुड़री	,,
132	207	,,	,,	,,
133	209	ए०जी०	पीपरपुर	भादर
134	210	,,	,,	,,
135	211	,,	भोजपुर	,,
136	212	,,	भेवई	,,
137	213	,,	,,	,,
138	214	,,	,,	,,
139	215	,,	नागरडीह	,,
140	216	,,	,,	,,
141	217	,,	इस्माइलपुर	,,
142	218	,,	नोनखार	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 175 का उत्तर पीछे पृ० 94 पर)

संभागीय कार्यालयों के पद व स्टाफ

क्र०सं०	पदनाम	कुल सृजित पद	कुल कार्यरत	कुल रिक्त	संभागीय प्र० ख० नि०ख० में होने चाहिए	संभागीय प्र०ख० नि०ख०	सम्भाग के लिए रिक्त में जो है	अभ्युक्ति पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहायक अभियन्ता (नि०)	72	24 +17 प्रभारी +20 प्रति० 64	08 +03 प्रति (प्रभारी)	68	60	08 भर्ती हेतु रिक्त है ।	
2	सहायक अभियन्ता (वि०या०)	11	05 +05 10	01	11	10	10 भर्ती हेतु रिक्त है ।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	अवर अभियन्ता (सिविल)	164	74 +46 प्रति ——— 120	44	164	120	44 भर्ती हेतु रिक्त है।	
4	अवर अभियन्ता (वि०या०)	25	08 ——— 10	15 +02 प्रति	25	10	15 भर्ती हेतु रिक्त है।	
5	संगणक	21	19	02	17	16	01 भर्ती हेतु रिक्त है।	
6	मानचित्रक	25	08	17	17	07	10 भर्ती हेतु रिक्त है।	
7	ज्येष्ठ लिपिक	54	51	03	44	28	16 भर्ती हेतु रिक्त हैं एवं 13 पद तैनाती हेतु।	
8	आशुलिपिक	45	38	07	26	21	05 भर्ती हेतु रिक्त	
9	टंकक/लिपिक	191	127	64	134	70	64 सीधी भर्ती हेतु रिक्त है	
10	कार्यालय अधीक्षक	13	12	01	13	06	07 01पदोन्नति हेतु एवं 06 पद तैनाती हेतु।	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	वरिष्ठ सहायक	23	22	01	13	09	04 01	पदोन्नति हेतु 03 पद तैनाती हेतु ।
12	अनुश्रवण सहायक	17	08	11	13	02	11	भर्ती हेतु रिक्त है ।
13	वाहन चालक	62	32	30	31	17	14	भर्ती हेतु रिक्त है ।
14	चपरासी/चौकीदार	165	111	54	70	53	25	भर्ती हेतु रिक्त है ।
15	सफाई कर्मचारी	35	08	27	31	05	26	भर्ती हेतु रिक्त है ।
16	मण्डलीय लेखाकार	36	28	06	17	25	–08 अधिक	भर्ती हेतु रिक्त है ।
			+02					
			30					
17	लेखाकार	39	09 +11	19	30	14	16	भर्ती हेतु रिक्त है ।
			20					
18	लेखाधिकारी	17	07	10	13	05	08	भर्ती हेतु रिक्त है ।
19	सहायक लेखाकार	10	07	03	10	05	05 02	पद तैनाती हेतु 03 पद भर्ती हेतु रिक्त है ।
20	संभागीय उपनिदेशक (प्रशा०)	13	13	×	13	13	×	
21	उपनिदेशक (निर्माण)	18	18	×	18	18	×	
					786	514	280	

नोट :–भर्ती का तात्पर्य–सीधी भर्ती/पदोन्नति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 209 वि० सभा (494)–1995–572 ।